Board of Directors

Ranjana Kumar
Chairperson

Director appointed under Section 6(1)(b) of the NABARD Act, 1981

Swami Shashankananda

Directors appointed under Section 6(1)(c) of the NABARD Act, 1981

K. J. Udeshi

Prof. Vijay Shankar Vyas

Dr. Amrita Patel

Directors appointed under Section 6(1)(d) of the NABARD Act, 1981

N. S. Sisodia

Radha Singh

M. Shankar

Directors appointed under Section 6(1)(e) of the NABARD Act, 1981

Dr. P. Raghavan

Dr. R. Kannan

Dr. Vijay S. Madan

C. Babu Rajeev

Y. S. P. Thorat
Managing Director

NABARD's Performance

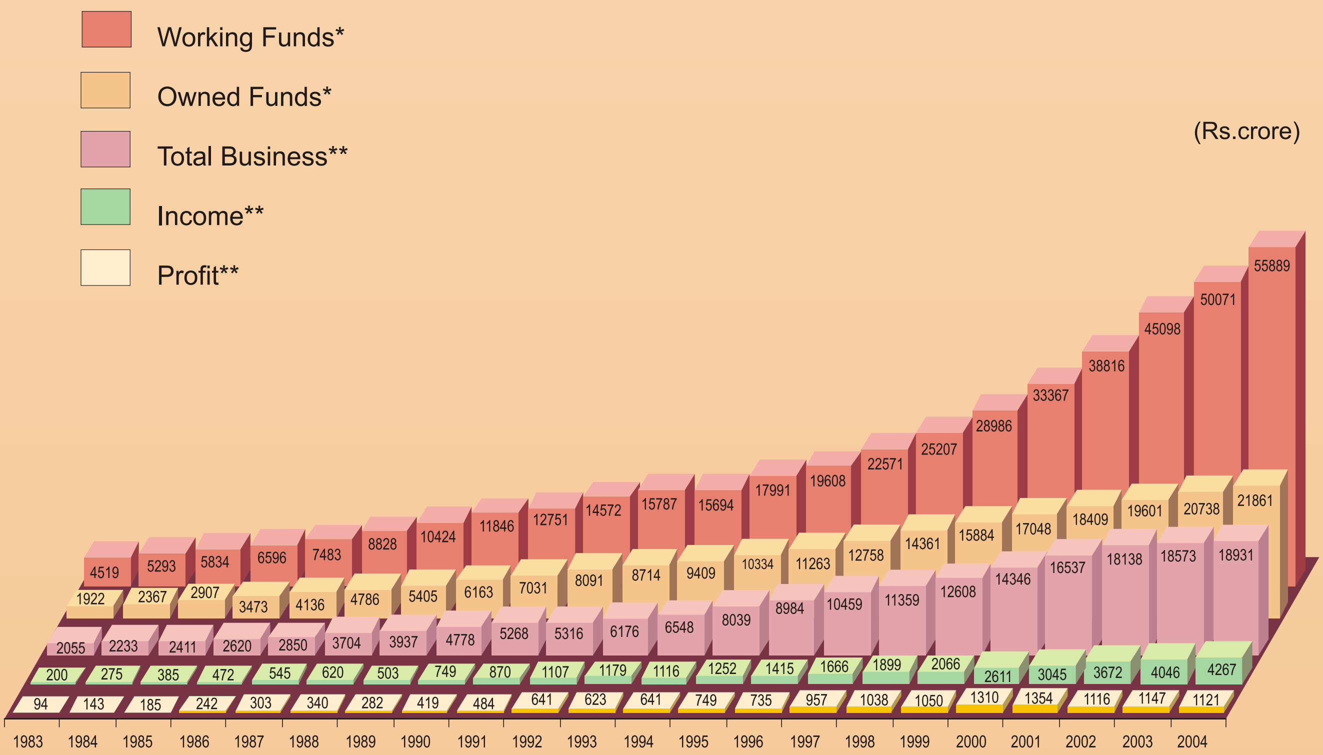

**As at the end of Accounting year.*
***During the Accounting year.*
Note: Profit for 2001-02, 2002-03 and 2003-04 excludes Income Tax of Rs.365 crore, Rs.377 crore and Rs.339 crore, respectively.

निदेशक मंडल

रंजना कुमार
अध्यक्ष

राष्ट्रीय बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 6(1)(ख) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक

स्वामी शशांकानन्द

राष्ट्रीय बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक

के. जे. उदेशी

प्रो. विजय शंकर व्यास

डॉ. अमृता पटेल

राष्ट्रीय बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 6(1)(घ) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक

एन. एस. सिसोदिया

राधा सिंह

एम. शंकर

राष्ट्रीय बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 6(1)(ङ) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक

डॉ. पी. राघवन

डॉ. आर. कन्नन

डॉ. विजय एस. मदान

सी. बाबू राजीव

वाई. एस. पी. थोरात
प्रबंध निदेशक

राष्ट्रीय बैंक - एक झलक

(रु.करोड़)

निधियों के स्रोत	मार्च के अंत की स्थिति 2003	मार्च के अंत की स्थिति 2004	निवल उपचय	निधियों का उपयोग	मार्च के अंत की स्थिति 2003	मार्च के अंत की स्थिति 2004	निवल उपयोग
पूंजी	2,000	2,000	–	नकद और बैंक में शेष	1,785	2,900	1,115
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	4,319	5,291	972	**निवेश :**			
				क) भारत सरकार की प्रतिभूतियां	1,248	2,271	1,023
राग्रा ऋण (दी अ प) निधि	12,945	13,070	125	ख) एडीएफसी इक्विटी	16	16	0
				ग) एएफसी इक्विटी	1	1	0
राग्रा ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,474	1,500	26	घ) सिडबी इक्विटी	30	30	0
				ङ) एआईसीआई लि.	60	60	0
जमाराशियां	90	62	-28	च) एनसीडेक्स लि.	0	4	4
				छ) नैबकॉन्स	0	5	5
बांड और डिबेंचर	8,702	11,883	3,181	ज) म्युचुअल फंड्स	0	25	25
भारत सरकार से उधार	589	563	-26	**ऋण एवं अग्रिम :**			
				क) उत्पादन एवं विपणन ऋण	6,053	5,598	-455
भा.रि.बैंक (सा ऋ व्यवस्था) से उधार	5,792	4,194	-1,598	ख) उत्पादन ऋण का मध्यावधि ऋण में परिवर्तन	370	633	263
कारपोरेट उधार	–	2,500	2,500	ग) मध्यावधि निवेश ऋण	9	5	-4
				घ) अन्य निवेश ऋण			
विदेशी मुद्रा ऋण	302	297	-5	i) मध्यावधि एवं दीर्घावधि परियोजना ऋण	25,416	28,079	2,663
ग्राआसुवि निधि जमाराशियां	12,159	12,089	-70	ii) दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	441	460	19
				ङ) अन्य ऋण	10	11	1
अन्य देयताएं	968	1,641	673	च) ग्राआसुवि निधि से ऋण	13,062	14,004	942
				अचल आस्तियां	244	245	1
अन्य निधियां	731	799	68	अन्य आस्तियां	1,326	1,542	216
जोड़	**50,071**	**55,889**	**5,818**	**जोड़**	**50,071**	**55,889**	**5,818**

संप्रेषण पत्र

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
प्लॉट: सी-24/'जी', बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
पोस्ट बॉक्स: 8121, बान्द्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051.

अध्यक्ष

संदर्भ सं.राबैं/सचिव/480/सी.7/2004-05

12 जुलाई 2004
21 आषाढ़ 1926 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली - 110 001

गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

प्रिय महोदय,

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48(5) के उपबंधों के अनुसार, इस पत्र के साथ, मैं निम्नलिखित दस्तावेज प्रेषित करती हूँ.

i. 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बैंक के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति के साथ-साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति; और

ii. 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बैंक के कामकाज पर निदेशक मंडल की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ.

भवदीया

रंजना कुमार

रंजना कुमार

विषय - सूची

पृष्ठ संख्या

निदेश मंडल

राष्ट्रीय बैंक - एक झलक

मुख्य - मुख्य विशेषताएं 1

I. ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य और नीतिगत मामले 13
- वैश्विक और एशियाई अर्थव्यवस्थाएं 13
- भारतीय अर्थव्यवस्था 14

II. विकास कार्य 28
- कृषि क्षेत्र 28
- गैर-कृषि क्षेत्र 33
- सूक्ष्म वित्त कार्य 39
- अनुसंधान और विकास गतिविधियां 45

III. कारोबारी परिचालन 49
- उत्पादन ऋण 52
- निवेश ऋण 57
- ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत ऋण 73
- नाबार्ड परामर्शी सेवा 81
- संसाधन प्रबंधन 82

IV. ग्राहक संस्थाओं का क्षमता निर्माण 87
- संस्थागत विकास 87
- बैंकों का पर्यवेक्षण 102

V. संगठन एवं प्रबंध 106

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 112

तुलन पत्र 113

लाभ और हानि लेखा - 2003-04 114

समेकित तुलन पत्र 131

प्रमुख अधिकारी 136

क्षेत्रीय कार्यालय / उप कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान 138

संकेताक्षर 140

बॉक्स

1.1 आंतरिम बजट 2004-05 - कृषि और ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य-मुख्य बातें 22

1.2 केन्द्रीय बजट 2004-05 - कृषि और ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य-मुख्य बातें 23

2.1 एनसीडेक्स - मुख्य विशेताएं 32

2.2 स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना-एक झलक 34

2.3 क्लस्टर विकास - प्रभाव 35

2.4 गैर-कृषि उत्पादों के विपणन के लिए किए गए नव प्रयास 38

2.5 प्रोसेसर/मेमरी कार्ड्स के संबंध में प्रायोगिक परियोजना 42

2.6 पोस्ट ऑफिसों से स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने की प्रायोगिक परियोजना 43

2.7 कंप्यूटर मुंशी की नियुक्ति 43

2.8 अनाज बैंक और स्वयं सहायता समूह 43

3.1 लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि - घटक 50

3.2 ग्रामीण आवास - गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी 61

3.3 ग्रामीण आवास - अध्ययन 62

3.4 ग्रामीण निवास स्थान योजना 62

3.5 नाबार्ड की सह वित्तपोषण संबंधी पहल 63

3.6 पूंजी निवेश सब्सिडी योजना - कोल्ड स्टोरेज 65

3.7 'वाडी' - आदिवासी विकास का प्रभावी मॉडल 71

3.8 अप्पा की आंखों में चमक 72

3.9 ग्रामीण आधारभूत सुविधाएं और रोजगार में वृद्धि 77

3.10 आरआईडीएफ परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन - फीडबैक 78

मुख्य - मुख्य विशेषताएं

ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य और नीतिगत मामले

विश्व अर्थव्यवस्था

1. एशियाई, अमेरिकी तथा यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल असर डालने वाली कुछ घटनाओं के बावजूद विश्व अर्थव्यवस्था मजबूत और व्यापक हुई है. यह इसी बात से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002-04 में विश्व सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तथा व्यापार मात्रा में क्रमशः 1.6 तथा 3.7 प्रतिशत बिंदुओं की बढ़ोतरी हुई. इसी अवधि में, अन्यों की अपेक्षा विकसित देशों के जीडीपी में अधिक (1.8 प्रतिशत बिंदु) वृद्धि हुई.

भारतीय अर्थव्यवस्था

2. भारतीय अर्थव्यवस्था में 2003-04 के दौरान उल्लेखनीय सुधार आया. इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानतः 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2002-03 में यह वृद्धि केवल 4 प्रतिशत थी. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पन्न सकल घरेलू उत्पाद में 2003-04 के दौरान 9.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष इसमें 5.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी. उद्योग और सेवा क्षेत्र ने भी गति बनाए रखी और वर्ष 2002-03 के 6.4 और 7.1 प्रतिशत के मुकाबले इन क्षेत्रों से हुई जीडीपी वृद्धि वर्ष 2003-04 में बढ़कर क्रमशः 6.5 और 8.00 प्रतिशत हो गई.

3. वर्ष 2003 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान, देश में कुल 92.2 सें.मी. वर्षा हुई, जबकि 2002 में 67.3 सें.मी. वर्षा हुई थी. वर्षा सुसंतुलित रूप से हुई, समय एवं स्थान के हिसाब से उसका वितरण साम्यिक रहा और बीच-बीच में लंबे-लंबे अंतराल नहीं रहे जिससे कृषि क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में तेज़ी आई. वर्ष 2003 में 75 प्रतिशत जिलों और 92 प्रतिशत सकल फसली क्षेत्र में वर्षा सामान्य/अधिक थी, जबकि 2002 में ऐसी स्थिति 44 प्रतिशत जिलों और 37 प्रतिशत सकल फसली क्षेत्र में थी. देश के अधिकांश भागों में सामान्य/अधिक वर्षा और उसके सुसंतुलित वितरण के परिणामस्वरूप अधिकांश फसलों के क्षेत्र में वृद्धि हुई. 2002-03 की तुलना में, 2003-04 के दौरान, चावल, गेहूं, मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों के क्षेत्र में क्रमशः 12, 10, 11, 22 और 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई. खाद्यान्नों के उत्पादन में भी 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 210.8 मिलियन टन तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 174.2 मिलियन टन था. कृषि उत्पादन अनुमानतः 19.3 प्रतिशत बढ़ा जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसमें 15.6 प्रतिशत की गिरावट रही थी.

5. कुल सकल घरेलू उत्पाद में, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा 24.3 प्रतिशत (2001-02) से घटकर 22.2 प्रतिशत (2003-04) रह गया, जबकि इसी अवधि में सेवा क्षेत्र के हिस्से में लगातार वृद्धि हुई है और यह 54.6 प्रतिशत से बढ़कर 56.1 प्रतिशत हो गया है. उद्योग का हिस्सा आमतौर पर वही अर्थात् 1993-94 की कीमतों पर 21 से 22 प्रतिशत के बीच रहा है.

6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत की दर, उपादान लागत (फैक्टर कॉस्ट) पर, 2002-03 के दौरान बढ़कर 24.2 हो गई, जबकि 2001-02 के दौरान यह 23.5 थी. सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर में कुछ सुधार आया और यह 2002-03 के दौरान 23.3 प्रतिशत हो गई, जबकि 2001-02 के दौरान यह 23.1 प्रतिशत थी.

7. अब तक, देश की 139.9 मिलियन हेक्टेयर की आकलित अंतिम सिंचाई संभाव्यता में से, केवल 68 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया है. दस राज्यों में पूरे किए गए भूगत जल आकलन में 774 ब्लॉकों/तालुकों/वाटरशेडों/उप-इकाइयों को डार्क/क्रिटिकल तथा अति अवशोषित निर्दिष्ट किया गया है. इन इलाकों में बैंक ऋण द्वारा, जल-संरक्षण गतिविधियों को मदद देने की ज़रूरत है. आगामी दशक तक खाद्यान्न उत्पादन दोगुना करने के राष्ट्रीय कृषि नीति के अधिदेश के अनुसरण में, विभिन्न विकास कार्य आरंभ करने और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की दृष्टि से, लघु सिंचाई क्षेत्र, नाबार्ड के लिए एक थ्रस्ट-क्षेत्र बन गया है. लघु सिंचाई संरचनाओं में निवेश से दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान 12 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई संभाव्यता निर्मित होने की संभावना है.

8. सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये कृषि ऋण की कुल मात्रा में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2002-03 में रु.69,560 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया. अनुमान है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को आधार स्तरीय ऋण प्रवाह रु.80,000 करोड़ तक पहुंच गया होगा. अर्थात इसमें 2003-04 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में, अनुमानतः 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों को ऋण का अनुमानित प्रवाह रु.7,36,570 करोड़ लक्ष्यित है.

9. कृषि में निजी क्षेत्र का निवेश (1993-94 की कीमतों पर) 2000-01 के दौरान रु.12,979 करोड़ था जो 2002-03 के दौरान बढ़कर रु.14,119 करोड़ हो गया. सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इसी अवधि में ये रु.3,927 करोड़ से बढ़कर रु. 4,538 करोड़ हो गये. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश वर्तमान कीमतों पर 1995-96 के रु.14,605 करोड़ से बढ़कर 2000-01 के दौरान रु.26,569 करोड़ हो गये. संस्थागत वित्त द्वारा वित्तपोषित इस प्रकार के पूंजी निर्माण का अनुपात इसी अवधि के दौरान 59.6 से बढ़कर 81.1 प्रतिशत हो गया, जिससे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने में वित्तीय संस्थाओं द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिबिम्बित होती है.

10. विश्व में सर्वाधिक पशुधन भारत में है और यह दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है. 2002-03 के दौरान यहां दूध का कुल उत्पादन 86.4 मिलियन टन हुआ. 2001-02 के दौरान, वर्तमान कीमतों पर पशुधन क्षेत्र का हिस्सा कुल सकल घरेलू उत्पाद में 5.4 प्रतिशत और कृषि से हुए सकल घरेलू उत्पाद में 27.7 प्रतिशत था. 2003-04 (अप्रैल-जनवरी) में दूध और डेरी उत्पादों का निर्यात, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के, 26.0 मिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 27.0 मिलियन अमेरिकी डालर हो गया.

11. मत्स्यपालन से, कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र से मिलने वाले सकल घरेलू उत्पाद का 5.4 प्रतिशत आता है और इसमें 14 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है, जो कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि से तीव्र है. 2002-03 के दौरान मत्स्य उत्पादन 6.2 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच गया. मत्स्य निर्यात की वर्तमान मात्रा कुल मत्स्य उत्पादन का केवल 7.6 प्रतिशत है जबकि विश्व का प्रतिशत 11 है.

12. वर्ष 2002-03 के दौरान, लघु उद्योग क्षेत्र में, उत्पादन, रोजगार और निर्यातों की दृष्टि से, पिछले वर्ष की तुलना में, क्रमशः 10.5, 7.3 और 20.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

13. देश के कुल निर्यात में कृषि-निर्यात का मूल्य 1990-91 के 18.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002-03 के दौरान 13.1 प्रतिशत रह गया जबकि इसी अवधि में कृषि आयात 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गया. कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा 2002-03 (अप्रैल-फरवरी) में 12.9 प्रतिशत था जबकि 2003-04 के दौरान इसी अविध में यह घटकर 11.7 प्रतिशत रह गया. खाद्य और अन्य मदों से संबंधित कृषि आयात वर्ष में 3,282.2 मिलियन अमरीकी डॉलर का हुआ जो वर्ष 2003-04 (अप्रैल-फरवरी) में कुल आयात का 4.8 प्रतिशत था.

14. समन्वित विकास करने और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के प्रयोजन से, राज्य सरकारों ने कई कृषि सुधार उपाय किये जिनमें कृषि विपणन, सिंचाई और जल-आपूर्ति, कृषि-प्रसंस्करण, कृषि से संबंधित आधारभूत सुविधाओं आदि के विकास कार्य विशेष रूप से शामिल हैं.

विकास कार्य

कृषि क्षेत्र

15. राष्ट्रीय बैंक ने वाटरशेड विकास, पिछड़े क्षेत्रों के समन्वित विकास, औषधीय पौधों की खेती के संवर्धन, कृषि निर्यात अंचलों, कृषक सेवा केन्द्रों, कृषि-क्लिनिकों की स्थापना में सहायता, कृषीतर गतिविधियों के विकास, सूक्ष्म वित्त कार्यों के माध्यम से ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली की पहुंच में सुधार, कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास गतिविधियों में सहायता और ग्रामीण बैंकिंग कार्मिकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा.

16. वर्ष के दौरान, क्षमता निर्माण चरण के अंतर्गत रु. 2.72 करोड़ की अनुदान सहायता वाली 54 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनसे स्वीकृत परियोजनाओं की संचयी संख्या बढ़कर 274 और स्वीकृत अनुदान सहायता की संचयी राशि बढ़कर रु.13.12 करोड़ हो गई. अब तक रु.11.47 करोड़ की राशि

कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को जारी की जा चुकी है. इसके अलावा, 37 परियोजनाएं पूर्ण कार्यान्वयन चरण में प्रवेश भी कर चुकी हैं. वाटरशेड विकास के सहभागिता दृष्टिकोण के सकारात्मक प्रभाव पर बल देने के प्रयोजन से, 'वाटरशेड परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन एवं मूल्यांकन और वाटरशेड विकासोत्तर कार्यनीतियां' पर राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला मई 2003 में आयोजित की गई.

17. विभिन्न ऋण एवं विकास कार्यक्रमों/योजनाओं को मिलाकर पिछड़े ब्लाकों के समन्वित विकास की प्रायोगिक परियोजना, पांच राज्यों के 10 ब्लाकों में आरंभ की गई. इन ब्लाकों में स्वयं सहायता समूहों के निर्माण, कृषक क्लबों के गठन, कृषि और कृषीतर गतिविधियों के संवर्धन आदि के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं. साथ ही, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि से सहायता उपलब्ध कराने की संभावना का भी पता लगाया जा रहा है.

18. वर्ष के दौरान, लघु/सीमान्त कृषकों द्वारा भूमि की खरीद के वित्तपोषण की योजना के अंतर्गत रु.41.50 करोड़ की राशि संवितरित की गई, ताकि वे कृषि/परती/बंजर भूमियों का विकास और उन पर खेती कर सकें. मौजूदा प्रसार नेटवर्क की अनुपूर्ति के प्रयोजन से, कृषि/पशुचिकित्सा स्नातकों द्वारा कृषि-क्लिनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना में सहायता की योजना वर्ष के दौरान जारी रही. वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं और योजना के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं की जांच के प्रयोजन से, नाबार्ड ने एक अध्ययन भी किया. फीडबैक के आधार पर कृषि-उद्यमियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के मामले में बैंकरों को जागरूक करने के लिए नाबार्ड ने अपने प्रयासों को तेज किया है.

19. 'नेशनल मिशन ऑन बम्बू टेक्नालाजी एण्ड ट्रेड डेवलपमेन्ट' द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के अनुरूप, राष्ट्रीय बैंक ने बांस क्षेत्र को एक विशेष दर्जा दिया है और अपने प्रधान कार्यालय में एक 'बांस कक्ष' स्थापित किया है. साथ ही, बैंक ने, केन्द्रीकृत और विकेन्द्रीकृत तंत्रों के अंतर्गत नर्सरी नेटवर्क के वित्तपोषण के लिए एक भावी आयोजना भी तैयार की है, जिसमें संभाव्यता वाले राज्यों में दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 1,000 करोड़ रुपये के निवेश परिव्यय से 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बांस-रोपण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी.

20. नाबार्ड ने, विभिन्न उपायों और कारपोरेट घरानों के साथ बातचीत के माध्यम से, औषधीय एवं सगंध फसलों की खेती का संवर्धन जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात के वाडी परियोजना क्षेत्रों में ठेका खेती प्रणाली के अंतर्गत *बिक्सा* और *पचौली* की खेती की गई. इन पहलों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि निर्माताओं और व्यापारियों की राज्य-वार निर्देशिकाएं तैयार की गईं और उच्च मांग वाली प्रजातियों की 45 बैंक साध्य मॉडल योजनाएं बनाई गईं. बैंक ने 20 फसलों के 48 अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्रों के अंतर्गत अपने सभी ग्राहक संस्थाओं को और सभी गतिविधियों के लिए भी अपनी पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराई. एक विशिष्ट पुनर्वित्त पैकेज भी ठेका खेती की व्यवस्थाओं के लिए बैंक द्वारा विकसित किया गया.

21. भारतीय कृषकों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने तथा उनके सशक्तीकरण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रयोजन से आइटीसी लि. के माध्यम से चार राज्यों के 12,000 गांवों में 2,150 ई-चौपालों की स्थापना की गई. आईटीसी, लि. को 9 लाख रुपये की अनुदान सहायता मंजूर की गई, जिसका प्रयोजन मुख्य फसलों के उत्पादन और सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित प्रैक्टिकल हैण्डबुक तैयार करने और निदान-साधन विकसित करने के प्रयोजन से एक परियोजना चलाना है.

22. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, महिन्द्रा शुभलाभ सर्विसेज लिमिटेड (एमएसएसएल) के सहयोग से कृषक सेवा केन्द्रों के वित्तपोषण की बैंक की योजना जारी रही और वर्ष के दौरान तीन नये कृषक सेवा केन्द्र खोले गये, जिससे महिन्द्रा शुभलाभ सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कृषक सेवा केन्द्रों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है. इसके परिणामस्वरूप, किसानों को 10 करोड़ रुपये की राशि के वित्तपोषण हेतु बैंकों के साथ ताल-मेल व्यवस्था हुई है.

23. नाबार्ड ने जीवन बीमा निगम, नेशनल स्टाक एक्सचेंज, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और क्रिसिल के साथ मिलकर 'नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज' (एनसीडेक्स) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ओपन जनरल लाइसेंस श्रेणी वाले अधिकांश जिन्सों को अपने दायरे में लेना है. एक स्टेकहोल्डर के रूप में, नाबार्ड , कृषि ऋण के समन्वयन, कृषि उत्पाद और वायदा बाजारों के प्रतिभूतिकरण और राज्य/जिला स्तरीय सहकारी विपणन समितियों के क्षमता-निर्माण में सहायता करेगा.

24. वर्ष के दौरान बैंक अधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों को औषधीय और सगंध फसलों की खेती के प्रति

प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से कई प्रशिक्षण-सह-परिचय कार्यक्रम आयोजित किए गए. जैव खेती के प्रोत्साहन और पशुपालन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए गए.

गैर-कृषि क्षेत्र

25. नाबार्ड ने, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से छोटे उधारकर्ताओं के लाभ के लिए एक स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की, ताकि उनकी निवेश और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. इस योजना को सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में परिचालित किया गया. वर्ष के दौरान, इस योजना के तहत, 28,925 कार्डों के माध्यम से रु.64.26 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

26. जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना इस वर्ष 16 और जिलों में लागू की गई, जिससे 20 राज्यों में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 75 हो गई. इस परियोजना के अंतर्गत क्रेडिट प्लस पर बल दिया गया, जिसमें क्लस्टर विकास, ऋण वितरण के अभिनव तरीकों तथा संवर्धनात्मक कार्यक्रम आदि शामिल थे. इनके अलावा, बाजार से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में सहायता, ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन और पार्टनर संस्थाओं के क्षमता निर्माण को भी प्रोत्साहित किया गया. साथ ही जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना वाले जिलों में ग्रामीण हाटों के विकास के प्रयोजन से, वर्ष के दौरान, पंचायती राज संस्थाओं/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को रु.26.24 लाख की अनुदान सहायता भी मंजूर की गई. अब तक (मार्च 2003), 4.29 लाख इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है, जिनसे 43 जिलों में 9.18 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर निर्मित हुए हैं.

27. राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, बैंक ने, अब तक 55 क्लस्टरों में क्लस्टर विकास के, रु.1.55 करोड़ की अनुदान सहायता वाले, संवर्धन कार्यक्रम आरंभ किये हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है. इस कार्यक्रम से 16,000 कारीगरों और लघु उद्यमियों को लाभ होने की आशा है. इसके अलावा, नाबार्ड ने वर्ष के दौरान, रु.5.63 करोड़ की अनुदान सहायता वाले 1,216 ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए भी सहायता प्रदान की, जिनमें 31,319 शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को शामिल किया गया. 1990 में इस कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक 1.51 लाख ग्रामीण युवाओं को शामिल किया जा चुका है.

28. नाबार्ड ने, ग्रामीण औद्योगिक/कृषीतर क्षेत्र इकाइयों द्वारा सब-कान्ट्रैक्टिंग में सहायता के प्रयोजन से, मूल इकाइयों का कार्यक्रम जारी रखा. अब तक रु.3.33 करोड़ मंजूर किए जा चुके हैं और रु.1.88 करोड़ संवितरित किये जा चुके हैं, जिनमें 3,400 उद्यमों की स्थापना और 7,087 ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए 30 मूल इकाइयों को शामिल किया गया है. इस सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 8,500 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के निर्माण में सहायता मिली है.

29. बैंक ने, हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन के अपने प्रयास, 'हथकरघा बुनकरों हेतु कौशल उन्नयन और डिजाइन विकास' (सुधा) नामक अपनी योजना के माध्यम से जारी रखे, जिसमें हथकरघा उत्पादों की विपणनीयता बढ़ाने के लिए नयी डिजाइनों के विकास का संवर्धन किया जाता है. वर्ष के दौरान,रु.10.71 लाख की अनुदान सहायता वाले, चार कार्यक्रम मंजूर किये गये.

30. नाबार्ड ने जेंडर विकास कार्यक्रमों - 'अरविंद' और 'महिमा' - के लिए सहायता देना जारी रखा. अब तक अरविंद और महिमा के अंतर्गत क्रमशः 128 परियोजनाओं के लिए रु.2.99 करोड़ और 26 परियोजनाओं के लिए रु.59.26 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की जा चुकी है. वर्ष के दौरान, अरविंद और महिमा के अंतर्गत क्रमशः रु. 3.77 लाख की अनुदान सहायता वाली चार और रु.11.70 लाख की अनुदान सहायता वाली सात परियोजनाएं मंजूर की गईं. इसके अलावा, महिलाओं के प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण के प्रयोजन से, बैंक ने 'क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का विकास(देवता)' के अंतर्गत तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रु.31.98 लाख मंजूर किये. वर्ष के दौरान नाबार्ड ने 'महिला विकास कक्षों' की स्थापना के लिए सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को रु.17.70 लाख की अनुदान सहायता दी और इस राशि को मिलाकर संचयी वितरण रु.2.42 करोड़ हो गया है. नाबार्ड की विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाओं के तहत संवर्धित ग्रामीण शिल्पकारों और महिला उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए उठाए गए कदमों में से बैंक द्वारा 'दिल्ली हाट' में आयोजित नाबार्ड उत्सव भी एक प्रयास था.

सूक्ष्मवित्त

31. स्वयं सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम वर्ष 2003-04 के दौरान भी नाबार्ड के कार्यों का प्रमुख क्षेत्र बना रहा. वर्ष के दौरान 3,61,731 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से सहबद्ध

किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत वृद्धि थी. कार्यक्रम के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों में लगभग 90 प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूह हैं. वर्ष के दौरान कई राज्यों में इस कार्यक्रम में चौमुखी विकास हुआ. नाबार्ड ने अतिरिक्त जोर देते हुए क्षमता निर्माण के अपने प्रयास जारी रखे तथा अपनी सहभागी एजेन्सियों को संवर्धनात्मक अनुदान सहायता प्रदान की जिससे उनको स्वयं सहायता संवर्धन संस्था के रूप में कार्य करने में मदद मिल सके. नाबार्ड द्वारा अपनी पार्टनर संस्थाओं के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 2.44 लाख सहभागियों को प्रशिक्षित किया गया.

32. वर्ष के दौरान 60,513 स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए 28 सहकारी बैंकों, 23 क्षेग्रा बैंकों, 221 गैर-सरकारी संगठनों और 60 आईआरवी को रु.662.44 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गयी. बैंक के विकास वालंटियर वाहिनी कार्यक्रम के तहत 119 किसान क्लबों को रु.2.43 लाख की अनुदान सहायता उपलब्ध करायी गयी जिससे वे स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन कर सके. वर्ष के दौरान क्लबों द्वारा 1,229 स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन किया गया और 409 स्व.स. समूहों को ऋण से जोड़ा गया.

33. नाबार्ड, वित्तीय मध्यस्थता के लिए चुने हुए गैर-सरकारी संगठनों को परिक्रामी निधि सहायता (आरएफए) उपलब्ध कराता है. वर्ष के दौरान दो गैर-सरकारी संगठनों को रु.8.40 करोड़ की आरएफए मंजूर की गयी जिससे 32 एजेन्सियों को दी गयी संचयी मंजूरी बढ़कर रु.27.32 करोड़ हो गयी जिसमें से 29 एजेन्सियों को रु.15.20 करोड़ जारी किया जा चुका है.

34. इस कार्यक्रम को नवोन्मेषी और धारणीय बनाने के लिए बैंक ने अपने प्रयासों को जारी रखते हुए वर्ष के दौरान छह प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं. ये परियोजनाएं हैं : ग्रामीण वालंटियरों के साथ मिलकर स्वस समूहों एवं बैंकों के बीच स्वस्थ प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) की स्थापना के लिए 'बेयरफूट बुक कीपर्स', तमिलनाडु में स्वस समूहों को ग्रामीण डाकघरों से सहबद्ध करना, ग्रामीण कुशल युवाओं को कम्प्यूटर मुंशी के रूप में प्रशिक्षण देना, उड़ीसा के कालाहाण्डी जिले में तीन अनाज बैंकों की स्थापना, बड़ी संख्या में स्वस समूहों के खातों के अनुप्रवर्तन एवं रख-रखाव के लिए प्रोसेसर/मेमेरी कार्ड (स्मार्ट कार्ड) के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग और संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से मध्य घटक ग्राहकों का वित्तपोषण.

35. नाबार्ड में स्थापित सूक्ष्म वित्त विकास निधि में से वर्ष के दौरान रु.7.05 करोड़ का उपयोग स्वस समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए किया गया. इस निधि से रु.3.22 करोड़ का उपयोग, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को परिक्रामी निधि सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध कराने में भी किया गया. कार्यक्रम को सहायता देने और मजबूत बनाने के लिए एसडीसी और जीटीजेड जैसी विदेशी संस्थाओं के साथ नाबार्ड का सहयोग वर्ष के दौरान जारी रहा.

अनुसंधान और विकास गतिविधियां

36. वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास निधि से रु.6.70 करोड़ अनुदान सहायता के रूप में वितरित किए गए जिसमें प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए रु.5.51 करोड़, अनुसंधान परियोजनाओं/अध्ययनों के लिए रु.0.27 करोड़, संगोष्ठियों के आयोजन, प्रासंगिक आलेख तैयार करने आदि जैसी अन्य गतिविधियों के लिए रु.0.92 करोड़ शामिल हैं. वर्ष 2003-04 के दौरान रु.52.23 लाख की अनुदान सहायता वाली 14 अनुसंधान परियोजनाओं/अध्ययनों को मंजूरी दी गई, और पूर्व में मंजूर पांच परियोजनाएं/अध्ययन पूरे किए गए. बैंक ने अपने लाभ-हानि खाते से अनुसंधान और विकास निधि की प्रतिपूर्ति करने का भी निर्णय लिया जिससे किसी भी वर्ष में प्रारंभिक शेष रु.50 करोड़ बना रहे.

37. वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को 79 सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए रु.47.45 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई. वर्ष के दौरान, चार प्रासंगिक आलेखों का प्रकाशन किया गया और कृषि ऋण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नीति विषयक मुद्दों पर सूचना प्राप्त करने और उसका प्रसार करने के लिए इस प्रकार के आलेख तैयार करने के उद्देश्य से तेरह विषयों की पहचान कर उन्हें विभिन्न विशेषज्ञों को सौंपा भी गया.

अन्य विकास पहल कदमियां

38. वर्ष के दौरान प्राथमिक ऋण वितरक संस्थाओं (पीएलआई) और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई) के 11,145 कार्मिकों के लिए बैंक ने अपने प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 429 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और इस क्षेत्र में अन्य संस्थाओं के

प्रयासों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा कर उनके प्रयासों की अनुपूर्ति की. भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी और एमडीएमआई, शिलांग को रु.23.21 लाख की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई जिससे वे पूर्वोत्तर क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की जरूरतों को पूरा कर सकें.

39. वर्ष के दौरान 8 नए जिविप्र कार्यालय खोले गए जिससे इनकी कुल संख्या 338 हो गई. 103 जिलों को पड़ोस के जिविप्र कार्यालयों से सम्बद्ध भी किया गया. जिन जिलों में बैंक का जिविप्र कार्यालय नहीं है, उनका कार्य संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर बैंक के जिला विकास अधिकारियों द्वारा किया जाता है.

कारोबारी परिचालन

40. कृषि और आधारभूत सुविधाओं के विकास और ऋण वितरण मैकेनिज्म के माध्यम से भारतीय कृषि की दक्षता, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 03 फरवरी 2004 को रु.50,000 करोड़ की लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि की स्थापना की घोषणा की. निधि के परिचालन के लिए नोडल एजेन्सी का कार्य नाबार्ड के जिम्मे है. राज्य सरकारों के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं के लिए वित्तपोषण, कृषि और वाणिज्यिक आधारभूत सुविधाओं में निवेश हेतु पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना, चयनित सह-वित्तपोषण तथा विकास और जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से कुछ पहल कदमियां करना इस निधि के तीन प्रमुख घटक हैं.

आधार स्तरीय ऋण

41. वर्ष 2003-04 के दौरान कृषि और अनुषंगी गतिविधियों के लिए आधार स्तर पर कुल ऋण प्रवाह रु.80,000 करोड़ होने का अनुमान है जो कि गतवर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है. वर्ष 1998-99 से 2002-03 तक की अवधि में सहकारी बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और वाणिज्य बैंकों से सामान्य ऋण व्यवस्था के प्रवाह में क्रमशः 11, 25 और 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इसमें वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 50 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया जबकि सहकारी बैंकों का हिस्सा 43 प्रतिशत से घटकर 34 प्रतिशत रह गया. वर्ष 1998-99 और 2002-03 के बीच अल्पावधि उत्पादन ऋण (फसली ऋण), भूमि विकास, हाई-टेक कृषि, बागान और बागवानी के लिए ऋण संवितरण में तो काफी वृद्धि हुई जबकि अन्य क्षेत्रों अर्थात लघु सिंचाई और कृषि मशीनीकरण के लिए वह यथावत बना रहा. वर्ष 1998-99 और 2002-03 के दौरान फसल उत्पादन, भण्डारण और मंडी स्थलों, पशुपालन और वृक्षारोपण एवं फलोद्यान के लिए ऋण वितरण में काफी वृद्धि रही.

42. अगस्त 1998 में प्रारम्भ की गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना से मौसमी कृषि परिचालनों हेतु अल्पावधि (एसटी) फसली ऋणों को बढ़ाने में मदद मिली है. वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और वाणिज्य बैंकों ने क्रमशः 48.78 लाख, 12.74 लाख और 30.73 लाख कार्ड जारी किए. अब तक जारी कुल 413.79 लाख कार्डों में सहकारी बैंकों का हिस्सा सबसे अधिक (59%) रहा जिसके बाद वाणिज्य बैंकों (32%) और क्षेग्रा बैंकों (9%) का स्थान रहा. यद्यपि, अधिकांश राज्यों में योजना में बहुत अच्छी प्रगति हुई फिर भी बिहार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में योजना में और गति लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए. पुनश्च योजना का प्रचार सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख मेघदूत पोस्ट कार्ड जारी किए गए.

उत्पादन ऋण

43. वर्ष 2003-04 (जुलाई-मार्च) के दौरान रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को मंजूर की गई कुल अल्पावधि (एसटी) ऋण सीमाएं क्रमशः रु.7,314.28 करोड़ और रु.1,346.62 करोड़ की रहीं और उन पर बकायों का स्तर क्रमशः 73 और 69 प्रतिशत तक पहुंचा. वर्ष 2003-04 के लिए सहकारी बैंकों को अल्पावधि कृषि/अनुषंगी और विपणन गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए एक नई ऋण व्यवस्था प्रारम्भ की गई जिससे उन्हें तरलता उपलब्ध हो सके और ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए अधिक लागत वाली निधियों से प्रभावी ढंग से राहत मिल सके. सात रास बैंकों को कुल रु.484.09 करोड़ की ऋण सीमाएं मंजूर की गई जिनमें से रु.195.48 करोड़ का उपयोग किया गया. फसली ऋणों पर ब्याज दर घटाने के उद्देश्य से नाबार्ड ने रिज़र्व बैंक के परामर्श से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर सीधे जिमस बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई. योजना को राज्य सरकारों की सहमति से लागू किया जाना है.

44. बैंक ने बुनकर सहकारी संस्थाओं की उत्पादन/प्रापण और विपणन गतिविधियों और हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगमों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए पुनर्वित्त के माध्यम से ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की सहायता करना जारी रखा. वर्ष के दौरान बुनकर सहकारी समितियों की उत्पादन/प्रापण और विपणन गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए सात रास बैंकों को कुल रु.520.60 करोड़ की अल्पावधि सीमाएं मंजूर की गईं इसके समक्ष अधिकतम् बकाए की राशि रु.309.75 करोड़ तक पहुंची. धागे के व्यवसाय हेतु शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर समितियों के लिए रास बैंकों को मंजूर सीमाएं रु.11.86 करोड़ की रहीं. फसलों के विपणन के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड ने क्षेग्रा बैंकों के लिए एक अलग क्रेडिट लाइन प्रारम्भ की. क्षेग्रा बैंकों को मंजूर अल्पावधि (मौकृपरिचालन से इतर) ऋण की सीमाएं कुल रु.86.02 करोड़ की रहीं.

45. प्राकृतिक आपदाओं के कारण असिंचित क्षेत्रों में फसल के 50 प्रतिशत या अधिक नुकसान के कारण, वर्ष के दौरान 7 रास बैंकों को कुल रु.288.02 करोड़ (जुलाई-मार्च) की मध्यावधि परिवर्तन ऋण-सीमाएं मंजूर की गईं.

46. वर्ष 2003-04 के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए छह राज्यों को रु.39.54 करोड़ का दीर्घावधि ऋण मंजूर किया गया. पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज की दर दो बार घटाई गई और 13 फरवरी 2004 से ब्याज-दर 5.25 और 6.50 प्रतिशत के बीच रही.

47. वर्ष 2003-04 के दौरान ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था के अंतर्गत पन्द्रह अनुप्रवर्तन-अध्ययन किए गए और उनके निष्कर्षों के आधार पर सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे बड़े अग्रिमों के मूल्यांकन और अपने अनुप्रवर्तन तंत्र की गुणवत्ता में सुधार लाएं. नीतिगत पहल के रूप में वर्ष के दौरान महाराष्ट्र रास बैंक / जिमस बैंकों ने चीनी मिलों के सीजन के पहले के खर्चों के लिए दी जाने वाली ऋण सीमा में 33.33 प्रतिशत की कटौती की ताकि चीनी सेक्टर में इन बैंकों के एक्सपोजर का स्तर कम किया जा सके. भारत सरकार की, 20 लाख टन चीनी का बफर-स्टॉक तैयार करने की घोषणा के अनुसरण में, नाबार्ड ने रास बैंकों/जिमस बैंकों को सूचित किया कि वे चीनी मिलों को, वर्तमान स्टॉक पर मार्जिन जारी करने के समक्ष अतिरिक्त ऋण सीमाएं मंजूर करें और यह सुनिश्चित करें कि मार्जिन राशि के बदले की इस राशि का उपयोग चीनी की फैक्टरियों द्वारा खरीदे गए गन्ने के भुगतान को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता.

निवेश ऋण

48. वर्ष 2003-04 के दौरान वाणिज्य बैंकों, रास बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और अन्य पात्र वित्तीय संस्थाओं को निवेश ऋण के लिए कुल रु.7,605.29 करोड़ का पुनर्वित्त संवितरित किया गया. पुनर्वित्त सहायता में अत्यल्प वृद्धि (3%) का मुख्य कारण यह रहा कि क्षेग्रा बैंक और वाणिज्य बैंक पर्याप्त तरलता की स्थिति में थे. सहकारी बैंकों की ऋण-आपूर्ति क्षमता की कमजोर स्थिति भी इसमें कारण रही. योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत सहकारी बैंकों तथा क्षेग्रा बैंकों द्वारा पुनर्वित्त आहरण के लिए पात्रता के जो मानदंड वसूली पर आधारित थे उनके स्थान पर अनुत्पादक आस्तियों (एनपीए) को पात्रता का आधार बनाया गया. वर्ष के दौरान योजनाबद्ध ऋण में रासकृग्रावि बैंकों का हिस्सा घटकर 33 प्रतिशत (2002-03 के दौरान 38%) रह गया जबकि वाणिज्य बैंकों का हिस्सा बढ़कर 23 प्रतिशत (2002-03 के दौरान 17%)हो गया.

49. पुनर्वित्त प्रवाह के मामले में, विभिन्न राज्यों के बीच व्यापक भिन्नता रही. तीन राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश (रु.1,221.79 करोड़), तमिलनाडु (रु.733.10 करोड़) और पंजाब (रु.676.18 करोड़) ने मिलकर, वर्ष के दौरान संवितरित पुनर्वित्त का 35 प्रतिशत हिस्सा लिया. निवेश ऋण के लिए संवितरित पुनर्वित का सबसे बड़ा हिस्सा (31%) गैर-कृषि क्षेत्र (ग्रामीण आवास सहित) के लिए रहा, जिसके बाद क्रमशः पशुपालन, कृषि मशीनीकरण, लघु सिंचाई / भूमि विकास (प्रत्येक 11%) और स्वयं सहायता समूह (9%) और अन्य (27%) का स्थान रहा. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान ग्रामीण आवास के लिए संवितरित पुनर्वित्त में 34 प्रतिशत और स्वयं सहायता समूहों के लिए संवितरित पुनर्वित्त में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कृषि निर्यात क्षेत्रों में पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए बैंक के प्रयासों के अंतर्गत पुनर्वित्त संवितरण वर्ष 2002-03 में हुए रु.45 करोड़ के संवितरण से बढ़कर वर्ष 2003-04 में रु.343 करोड़ हो गया.

50. वर्ष के दौरान, 3,61,731 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया. स्वस समूहों को पिछले वर्ष संवितरित रु.1,022.34 करोड़ के मुकाबले कुल रु. 1,855.53 करोड़ का

ऋण संवितरण किया गया. वर्ष 2003-04 में 1,17,409 स्वस समूहों की सहायता के लिए नाबार्ड ने रु.705.44 करोड़ का पुनर्वित्त दिया.

51. वर्ष के दौरान 11 वाणिज्य बैंकों के साथ सह-वित्तपोषण की सात परियोजनाएं मंजूर की गईं जिनका कुल परिव्यय रु.118.90 करोड़ और उसमें नाबार्ड का हिस्सा रु.35.97 करोड़ था.

52. वर्ष के दौरान ब्याज दरों में चार बार संशोधन किया गया और विभिन्न प्रयोजनों / क्षेत्रों के लिए इस समय ब्याज दरें 5.50 और 6.75 प्रतिशत के बीच हैं.

53. वर्ष के दौरान बैंक ने 31 जिला-उन्मुख अनुप्रवर्तन अध्ययन, 27 निवेश-विशिष्ट अध्ययन, 11 योजना-विशिष्ट अध्ययन और 9 एक्स-पोस्ट मूल्यांकन अध्ययन किए.

54. कुल नौ विदेशी-सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थीं और पांच परियोजनाएं विचाराधीन थीं. इन परियोजनाओं के अंतर्गत, वर्ष के दौरान रु.40.96 करोड़ की राशि संवितरित की गई और रु.32.41 करोड़ की राशि अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त की गई.

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास

55. वर्ष के दौरान ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि में आरआईडीएफ-IX के लिए रु.5,500 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ, जिससे संचयी मंजूरी की राशि रु.34,000 करोड़ हो गई. इस समूह निधि की साठ प्रतिशत राशि बाढ़ से सुरक्षा, सिंचाई, कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए निर्धारित थी. फरवरी 2004 में नाबार्ड में रु.50,000 करोड़ की लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि / कृषि आधारभूत सुविधा और ऋण निधि स्थापित की गई जिससे विभिन्न दीर्घावधि वित्तप्रदाताओं से दक्षतापूर्वक संसाधन जुटाए जा सकें और बाज़ार से संसाधन के प्रवाह को कृषि / ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की ओर गतिशील किया जा सके. तीन वर्षों (2004-07) की अवधि में राज्य सरकारों को आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए ऋण मंजूर करने हेतु रु.30,000 करोड़ की राशि आबंटित की गई है.

56. वर्ष के दौरान आरआईडीएफ IX के अंतर्गत रु.5,437.51 करोड़ की ऋण राशि की 20,178 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें 47 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों व पुलों के लिए, 35 प्रतिशत सिंचाई के लिए और शेष राशि अन्यों के लिए थीं. पंचायती राज संस्थाओं / गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान कुल रु.43.20 करोड़ के ऋण मंजूर किए. वर्ष के दौरान, आरआईडीएफ के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों से रु.2,158.69 करोड़ की जमाराशियां और राज्य सरकारों से रु.2,980.41 करोड़ की चुकौतियां प्राप्त हुईं. आरआईडीएफ I से IX तक के अंतर्गत कुल संचयी संवितरण रु.21,067.17 करोड़ रहा.

57. नाबार्ड ने आरआईडीएफ के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का स्वयं और ओआरजी-मार्ग तथा एएफसी लि. जैसी एजेंसियों के माध्यम से अनुप्रवर्तन कराना जारी रखा. वर्ष के दौरान, परियोजना-स्थल के दौरों के माध्यम से 8,285 परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन किया गया. राज्य सरकारों से, 7,441 परियोजनाओं (पूर्ण परियोजनाओं का 91%) के लिए आरआईडीएफ II के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं से होने वाले लाभों के आकलन हेतु तैयार की गई खेप पूर्णता रिपोर्टें प्राप्त हुईं.

58. पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुगम बनाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए नागालैंड में वर्ष 2003-04 में ग्राम विकास बोर्डों / ग्राम विकास परिषदों के माध्यम से ऋण प्रवाहित करने की प्रायोगिक योजना शुरू की गई और नाबार्ड, नागालैंड सरकार तथा भारतीय स्टेट बैंक के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. नागालैंड में योजना के कार्यान्वयन के लिए 25 ग्राम विकास बोर्डों की पहचान की गई और रु.25 लाख के कॉरपस की व्यवस्था की गई.

परामर्शी सेवा

59. नाबार्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्रा.लि. (नैबकॉन्स) 17 नवंबर 2003 को कंपनियों के पंजीयक के पास पंजीकृत की गई. इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी रु.25 करोड़ है जिसमें से रु.5 करोड़ का पूर्ण अंशदान नाबार्ड द्वारा किया जा चुका है. अब तक नैबकॉन्स रु.1026.78 लाख के परामर्श शुल्क के 67 असाइनमैंट्स के कन्ट्रेक्ट

ले चुका है, जिनमें से 32 असाइनमैंट्स वर्ष 2003-04 के दौरान पूरे किए जा चुके हैं. कंपनी के ग्राहकों में भारत सरकार के विभिन्न विभाग, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थाएं, निगम, गैर सरकारी संगठन तथा यूनिडो, एफएओ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं एवं व्यक्ति शामिल हैं. आरएबीओ बैंक तथा अन्स्ट एण्ड यंग, इंडिया जैसी संस्थाओं ने भी नैबकॉन्स के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है.

संसाधन प्रबंधन

60. नाबार्ड के वित्तीय संसाधनों में वर्ष 2003-04 के दौरान रु.7,416 करोड़ की वृद्धि हुई. यह वृद्धि खासकर वर्ष के दौरान ऑपरेटिंग सरप्लस (रु.1,121.83 करोड़), कैपिटल गेन्स बाण्ड्स (रु.1,348.68 करोड़), प्राथमिकता क्षेत्र बाण्ड्स (रु.1,498 करोड़), गैर प्राथमिकता क्षेत्र बाण्ड्स (रु.1,750 करोड), करमुक्त बाण्ड्स (रु.135.15 करोड़) तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार (रु.2,500 करोड़) के कारण हुई. कुल कार्यशील निधियां 12% बढ़कर, 31 मार्च 2003 के रु.5,0071 करोड़ से, 31 मार्च 2004 को रु.55,889 करोड़ हो गईं.

61. उपुर्यक्त निधियों का उपयोग योजनाबद्ध ऋण वितरण, अल्पावधि / मध्यावधि / मध्यावधि (परिवर्तन) ऋण सहायता तथा आरआईडीएफ और गैर परियोजना ऋणों, दोनों के अंतर्गत, राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए किया गया है. कुल कार्यशील निधियों में प्रतिशत के रूप में नाबार्ड के उधारों में काफी वृद्धि हुई जो 31 मार्च 1999 के 11.23 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2004 को 27.38 प्रतिशत हो गई.

62. वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय रु.4,267.67 करोड़ हुई जो गतवर्ष की तुलना में 5.5 प्रतिशत अधिक रही.

ग्राहक संस्थाओं का क्षमता निर्माण

63. ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के कार्य और उनकी कार्यनिष्पादकता आमतौर पर कई कमजोरियों से ग्रस्त रही जिनमें कमजोर वसूली और संचित हानियां भी शामिल थीं. इसके परिणामस्वरूप इन संस्थाओं ने उभरते उदारीकृत वातावरण में, ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों से प्रतियोगिता करने में, काफी कठिनाई महसूस की. इसके मद्देनज़र नाबार्ड ने, ग्रामीण ऋण संस्थाओं, खासकर सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, को मजबूत बनाने के अपने प्रयास जारी रखे.

64. प्राकृऋ समितियों, जिमस बैंकों, प्रासकृग्रावि बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋणों में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2002-03 के दौरान, क्रमशः 20, 16, 5 तथा 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई. रास बैंकों की लाभप्रदता में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2002-03 में सुधार हुआ, जबकि जिमस बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों की लाभप्रदता में कमी आयी. रास बैंकों के लाभों में सुधार की मुख्य वजह, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और मिजोरम रास बैंकों का हानि से लाभ की स्थिति में आना और महाराष्ट्र रास बैंक के लाभ में वृद्धि होना था. तथापि, सहकारी ऋण संस्थाओं के कार्यनिष्पादन में, विभिन्न राज्यों में काफी भिन्नता रही.

65. वर्ष 2002-03 के दौरान रास बैंकों और जिमस बैंकों ने एक समूह के रूप में कार्यशील निधियों का क्रमशः 0.04 प्रतिशत तथा 2.34 प्रतिशत निवल धनात्मक मार्जिन कमाया. रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों द्वारा कमाया गया निवल मार्जिन इसी अवधि के दौरान क्रमशः 1.54 तथा 1.80 प्रतिशत पर ऋणात्मक बना रहा. दीर्घावधि संरचना के ऋणात्मक निवल मार्जिनों की मुख्य वजह कमजोर वसूलियां, क्षतिग्रस्त आस्तियों के लिए किए गए वृद्धिशील प्रावधानन तथा ऊंची लेन-देन लागतें थीं.

66. 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार 30 में से 5 रासबैंक, 367 में से 102 जिमसबैंक, 98,247 में से 43,511 'पैक्स', 20 में से 10 रासकृग्रावि बैंक तथा 768 में से 469 प्रासकृग्रावि बैंक घाटे में रहे और घाटे की कुल राशि रु.7,734 करोड़ थी. सहकारी बैंकों के कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों में एनपीए का उच्च अनुपात रासबैंकों और रासकृग्रावि बैंकों के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2003 को और बढ़ गया तथा यह एवं वसूली का कम स्तर चिन्ता के विषय बने रहे. तथापि, सहकारी संस्थाओं ने क्षतिग्रस्त अस्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किये हैं.

67. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में किये गए नीतिगत उपायों और पूंजी निवेश द्वारा पुनर्गठन से उनकी वित्तीय कार्य निष्पादकता, विशेष रूप से लाभ में वृद्धि, गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी और वसूली में सुधार का लाभदायक प्रभाव रहा. यद्यपि अपनी संचित हानियां समाप्त कर गतिशील व्यवहार्यता प्राप्त करनेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 86 से बढ़कर मार्च 2003 की समाप्ति पर 97 हो गयी, फिर भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य निष्पादकता में अलग-अलग राज्यों में काफी भिन्नता थी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली निष्पादकता का कुल स्तर जून 2001 की समाप्ति के 70.59 प्रतिशत की तुलना में जून 2003 की समाप्ति पर बढ़कर 73.53 प्रतिशत हो गया.

68. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की संसदीय प्राक्कलन समिति की सिफारिशों / ऑब्जर्वेशन्स के आधार पर, क्षेग्रा बैंकों को, अपनी वसूली, ऋण व्यापार, प्रबंध सूचना प्रणाली, आंतरिक जांच और नियंत्रण तथा स्टाफ प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए, उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने और की गई कार्रवाई की समीक्षा अपने निदेशक मंडल की बैठकों में करने के लिए सूचित किया गया है.

69. सहकारी संस्थाओं द्वारा संस्था विशिष्ट विकास कार्य योजनाएं तैयार करना और सहमति ज्ञापन निष्पादित करना वर्ष के दौरान जारी रहा. 'संगठन विकास सहयोग' की प्रक्रिया भी जारी रही और अब तक सभी 134 सहकारी बैंकों को इसके प्रारंभिक चरण के अंतर्गत शामिल किया गया है. इससे कारोबार और अन्य मसलों के प्रति स्टाफ और प्रबंधन की मानसिकता और रुख में धारणागत अनुकरणीय बदलाव और परिवर्तन लाने में सहायता मिली. एसडीसी द्वारा समर्थित ओडीआई कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक सभी क्षेग्रा बैंकों और 50 जिमस बैंकों / रास बैंकों को शामिल किया जा चुका है.

70. सहकारी ऋण संस्थाओं के विकासात्मक कदमों के समर्थन के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा सीडीएफ के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है. वर्ष के दौरान इसके लिए रु.4.38 करोड़ की राशि संवितरित की गई जिससे संचयी संवितरण रु.50.87 करोड़ हो गया है. सहकारी बैंकों के कार्मिकों के प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण, कारोबार विकास कक्षों की स्थापना और केसीसी योजनाओं के प्रचार के लिए सीडीएफ से रु.4.86 करोड़ की राशि मंजूर की गई. प्रयोजन के अनुरूप अनुदान या उदार शर्तों वाले ऋण या अनुदान-सह-उदार शर्तों वाले ऋण के रूप में सहायता प्रदान की गई. पैक्स को उपलब्ध कराई गई सहायता का उनके जमा संग्रहण, ऐसे लेखों में वृद्धि आदि पर अनुकूल प्रभाव पड़ा.

71. दो दशकों से अधिक की अवधि में, बैंक का विकास वालंटियर वाहिनी कार्यक्रम 10,015 क्लबों के माध्यम से 30,000 ग्रामों से अधिक को शामिल करते हुए, 495 जिलों में फैल चुका है. चुने हुए कृषक क्लबों को स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया गया है. कुल मिलाकर, अब तक 1,423 क्लबों ने 12,234 स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन किया है.

बैंकों का पर्यवेक्षण

72. वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने 298 बैंकों (17 रास बैंकों, 191 जिमस बैंकों और 90 क्षेग्रा बैंकों) का सांविधिक निरीक्षण तथा रासकृग्राவि बैंकों सहित 10 शीर्ष स्तरीय संस्थाओं का निरीक्षण किया. क्षेग्रा बैंकों के बकाया ऋणों और अग्रिमों में सकल एनपीए के प्रतिशत में लगातार सुधार होता रहा और वह 31 मार्च 2001 के 18.84 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2003 को 14.44 प्रतिशत रह गया. इसके अतिरिक्त, 98 बैंकों (10 रास बैंकों और 88 जिमस बैंकों) का शीघ्र निरीक्षण भी किया गया. निरीक्षणों से ज्ञात हुआ कि आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का अनुचित प्रयोग/ कार्यान्वयन, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियां, अपूर्ण आंतरिक जांच और नियंत्रण तथा कमज़ोर ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्थाएं आदि कमियां इन बैंकों/संस्थाओं की कार्यप्रणाली में बनी रहीं.

73. पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में बैंक का मार्गदर्शन और निदेशन करने के प्रयोजन से गठित पर्यवेक्षण बोर्ड (बॉस) (रास बैंकों, जिमस बैंकों और क्षेग्रा बैंकों के लिए) ने वर्ष के दौरान निरीक्षण के निष्कर्षों और अनुप्रवर्तन रिपोर्टों की समीक्षा की. पर्यवेक्षण बोर्ड ने कई सहकारी बैंकों, विशेष रूप से जो लंबे समय से 1 लाख रुपये की न्यूनतम पूंजी बनाये नहीं रख सके हैं, की खराब होती वित्तीय स्थिति और अधिकांश क्षेग्रा बैंकों के अल्प ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) पर चिंता व्यक्त की. पर्यवेक्षण बोर्ड ने सहकारी बैंकों द्वारा अपने तुलन-पत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए किये जाने वाले अतिरिक्त प्रकटनों की जांच करने का भी सुझाव दिया है. पर्यवेक्षण बोर्ड ने अतिरिक्त

प्रकटनों के जरिए राज्य सहकारी बैंकों और जिमस बैंकों के वित्तीय विवरणों में संतुलन और पारदर्शिता लाने के लिए 'समान लेखा प्रणाली' आरंभ करने की सिफारिश की.

74. वर्ष के दौरान, पर्यवेक्षण बोर्ड ने जिन मसलों पर चर्चा की उनमें अन्य बातों के साथ-साथ दिवालिया सहकारी बैंकों की समीक्षा, कुछ सहकारी बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षणात्मक और विनियामक कार्रवाई करने के लिए ट्रिगर प्वाइंट्स का निर्धारण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यनिष्पादकता की प्रायोजक बैंक-वार समीक्षा इत्यादि शामिल थे.

75. 31 मार्च 2004 को, 7 राज्य सहकारी बैंक और 143 जिमस बैंक संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम शेयर पूंजी अपेक्षा का पालन नहीं कर रहे थे. इन बैंकों की अस्तियों के मूल्य में कुल क्षरण 31 मार्च 2004 को रु.8,841.71 करोड़ था. वर्ष के दौरान, 4 जिमस बैंकों ने बैंकों के रूप में कार्य करना बंद कर दिया क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय जारी रखने के लिए लाइसेंस हेतु उनके आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया था.

76. वर्ष के दौरान, सहकारी बैंकों के लिए आंतरिक जांच और शाखा नियंत्रण से संबंधित मैनुअल को अद्यतन किया गया. 'लेखा परीक्षा मूल्यांकन पैमानों' को पर्यवेक्षणात्मक मूल्यांकन मानदंडों के अनुरूप लाने की दृष्टि से, पैमानों को सुनिर्धारित किया गया ताकि सांविधिक लेखा परीक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सहकारी बैंकों का सही वित्तीय आकलन सुनिश्चित हो सके .

संगठन एवं प्रबंध

77. वर्ष के दौरान, नाबार्ड के निदेशक मंडल की सात बैठकें आयोजित की गईं, जबकि कार्यपालक समिति, आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋणों को स्वीकृत करने वाली समिति और लेखा परीक्षा समिति की क्रमशः छह, सात और पांच बैठकें हुईं.

78. श्री योगेश नंदा, अध्यक्ष, 30 जून 2003 को सेवानिवृत्त हुए. श्रीमती रंजना कुमार को अध्यक्ष और श्री वाई.एस.पी.थोरात को प्रबंध निदेशक के रूप में क्रमशः दिनांक 21 नवंबर 2003 और 17 मार्च 2004 से नियुक्त किया गया. सर्वश्री एस.एस.आचार्य, आर.बालकृष्णन और अमरेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक ने क्रमशः 1 जून, 1 अगस्त और 1 अक्तूबर 2003 से कार्यपालक निदेशकों के रूप में कार्यभार ग्रहण किया.

79. 31 मार्च 2003 को नाबार्ड की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर-दिसंबर 2003 के दौरान नाबार्ड के वित्तीय निरीक्षण का छठा दौर पूरा किया.

प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि

80. वर्ष के दौरान, कार्यमूलक, व्यवहार संबंधी और तकनीकी विषयों पर राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ में 88 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 1,637 अधिकारी शामिल हुए. कृषि-व्यवसाय और कृषि प्रसंस्करण, ग्रामीण आवास, कंप्यूटर आधारित परियोजना मूल्यांकन और जोखिम विश्लेषण पर भी कार्यक्रम आयोजित किये गये. इसके अतिरिक्त 653 अधिकारियों को 216 टेलरमेड और कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्ज एक्स्चेंज, वाटरशेड विकास में परिस्थितिकीय संभावनाएं जैसे क्षेत्रों के ऑफ-द-शेल्फ प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता दौरों, कार्यशालाओं आदि में नामित किया गया. साथ ही राष्ट्रीय बैंक प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ और आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद में ग्रुप 'बी' और 'सी' के कर्मचारियों के लिए 76 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 1348 कर्मचारियों ने भाग लिया.

81. वर्ष के दौरान, बैंक के 114 अधिकारियों और सहयोगी संस्थाओं के 15 कार्मिकों को विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक्सपोजर दौरों, संगोष्ठियों इत्यादि हेतु प्रतिनियुक्त किया गया. विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंध से संबंधित नवीनतम गतिविधियों से परिचित होने के लिए 21 अधिकारियों की एक टीम ने साऊथ अफ्रीकन रिज़र्व बैंक में बैंक पर्यवेक्षण पर कार्यक्रम में भाग लिया. इसी प्रकार, ग्रामीण ऋण वितरण में बैंक रक्यात इण्डोनेशिया द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न ऋण नवोन्मेषी और संसाधन संग्रहण प्रथाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए 12 अधिकारी 'बैंक रक्यात इंडोनेशिया' के दौरे पर भेजे गए. नाबार्ड की अध्यक्ष और नाबार्ड, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य बैंकों

के नौ अधिकारियों ने फरवरी 2004 में ढाका में 'एशिया-पेसिफिक रीजनल माइक्रो क्रेडिट समिट' में भाग लिया.

82. वर्ष के दौरान, दो प्रतिनिधि मंडलों अर्थात एनआईबीएम, पुणे में बैंकिंग और विकास पर अन्तर-राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने आए नौ देशों के 13 प्रतिभागियों की एक टीम और 'डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना' के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने नाबार्ड का दौरा किया. संसदीय राजभाषा समिति ने गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा/निरीक्षण किया .

भर्ती / पदोन्नति

83. बैंक ने भर्ती, कैरियर विकास और कार्यनिष्पादन प्रबंध में कुशल कार्यनीति अपनाकर अपने हितों के विभिन्न फील्डों और क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया जिससे कि संगठन अपने मिशन में कामयाब हो सके. कुल 121 व्यक्तियों की अधिकारी संवर्ग में भर्ती की गई और 55 स्टाफ सदस्यों को लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया. भर्ती किए गए 121 अधिकारियों में से 74 को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त है. सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नतियों, दोनों में, उन सभी ग्रेडों में बैंक ने आरक्षण देना जारी रखा जिनमें कि भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप अजा/अजजा के लिए आरक्षण देना स्वीकार किया गया है.

अन्य विषय

84. वर्ष के दौरान, 15 क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों का निरोधक सतर्कता निरीक्षण किया गया. बैंक में कर्मचारियों को सतर्कता के प्रति जागरूक बनाने के लिए नवंबर 2003 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया.

85. बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे. उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में महिलाओं का यौन-उत्पीड़न रोकने के लिए प्रधान कार्यालय में एक केन्द्रीय शिकायत समिति और क्षेत्रीय कार्यालयों में 19 क्षेत्रीय शिकायत समितियां गठित की गईं.

86. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ सहयोग के लिए फरवरी 2004 में एक कारपोरेट रिलेशन्स सेल गठित किया गया ताकि उनसे संबंधित गतिविधियों के मामले में अच्छा और प्रभावी तालमेल बनाया जा सके. इसमें मुख्य रूप से वाटरशेड विकास, स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन, छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने आदि पर ज्यादा जोर दिया गया.

87. वर्ष 2003-04 के दौरान, प्रधान कार्यालय ने 14 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कोलकाता स्थित आंचलिक लेखा-परीक्षा कक्ष ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के 3 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया. वर्ष के दौरान, प्रधान कार्यालय के 15 विभागों का भी निरीक्षण किया गया. बैंक के निवेश-कार्यों से संबंधित लेनदेन की निर्धारित तिमाही रिपोर्टें नियमित रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी गईं.

88. बैंक ने अपने दैनंदिन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना जारी रखा. नाबार्ड की हिन्दी गृह-पत्रिका 'सृजना' को विभिन्न संस्थाओं से छह पुरस्कार प्राप्त हुए. बैंक के वेबसाइट की रूपरेखा हिन्दी में भी तैयार की गई.

I ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य और नीतिगत मुद्दे

वर्ष 2003-04 के दौरान विश्व और घरेलू दोनों आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन परिलक्षित हुए. जहां एक ओर कई घटनाओं ने एशियाई, अमेरिकी और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कुछ सीमा तक प्रभावित किया, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा. इसके विपरीत, अच्छे मानसून से, विशेष रूप से 2003-04 के दौरान, देश में कृषि क्षेत्र में उत्पादन, उपभोग और निवेशों में वृद्धि हुई.

वैश्विक और एशियाई अर्थव्यवस्थाएं

1.2 पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी आक्रमणों, इराक में युद्ध, एशिया में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) महामारी आदि जैसे कई झटके लगने के बावजूद, विश्व अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है और उसमें विस्तार हुआ है, जैसा कि विश्व के सकल घरेलू उत्पाद और व्यापार की मात्रा में बेहतरी से परिलक्षित होता है. विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 2002-04 के दौरान, 1.6 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि हुई है. विश्व की आर्थिक बेहतरी यद्यपि सर्वव्यापी थी, किन्तु इसकी गति और प्रकृति में अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत अंतर रहा. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद, 2004 में, पिछले दो वर्षों की तुलना में, 1.8 प्रतिशतता बिन्दु अधिक रहने का अनुमान है. अन्य उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, 2004 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि 2002 और 2003 में यह क्रमशः 4.6 और 6.1 प्रतिशत थी. विश्व व्यापार की मात्रा में 2004 में, 2002 की तुलना में, 3.7 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि हुई. विकसित अर्थव्यवस्थाओं एवं उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता कीमतों में परिवर्तन भी नियंत्रण में था (तालिका 1.1).

तालिका 1.1: विश्व अर्थव्यवस्था पर विहंगम दृष्टि

(वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन)

वृद्धि दर	2002	2003	2004*
क. सकल घरेलू उत्पाद (वास्तविक)			
विश्व	3.0	3.9	4.6
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	1.7	2.1	3.5
अन्य उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	4.6	6.1	6.0
i. एशिया (विकासशील देश)	6.4	7.8	7.4
ii. अफ्रीका	3.5	4.1	4.2
iii. मध्य पूर्व	4.2	5.4	4.1
iv. पश्चिमी गोलार्द्ध	-0.1	1.7	3.9
ख. विश्व व्यापार की मात्रा (माल और सेवाएं)	**3.1**	**4.5**	**6.8**
ग. उपभोक्ता कीमतें			
i. विकसित अर्थव्यवस्थाएं	1.5	1.8	1.7
ii. अन्य उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	6.0	6.1	5.7

** अनुमानित*

स्रोत : वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ, अप्रैल, 2004

1.3 सकल घरेलू उत्पाद में, उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में, 2002 की तुलना में, 2003 और 2004 में काफी अधिक वृद्धि देखने में आई, जिससे घरेलू मांग और निर्यात दोनों में काफी वृद्धि प्रतिबिम्बित होती है (तालिका 1.2). उपभोग, व्यापार संभावनाओं और पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि की दृष्टि से, विशेष रूप से सार्स प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में, बेहतरी उल्लेखनीय थी. किन्तु अनुमान है कि चीन में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर में मामूली गिरावट आई और 2004 में यह 0.6 प्रतिशत बिन्दु घटकर 8.5 प्रतिशत रह गया. 2004 में उपभोक्ता कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन में, इंडोनेशिया को छोड़कर, सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में वृद्धि होने का अनुमान है.

तालिका 1.2: एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर विहंगम दृष्टि

(वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन)

देश	वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद			उपभोक्ता कीमतें		
	2002	2003	2004*	2002	2003	2004*
चीन	8.0	9.1	8.5	-0.8	1.2	3.5
इंडोनेशिया	3.7	4.1	4.8	11.9	6.6	5.0
मलयेशिया	4.1	5.2	5.7	1.8	1.1	2.2
पाकिस्तान	4.4	5.5	5.4	2.9	3.6	4.0
फिलिपीन्स	4.4	4.5	4.5	3.1	3.1	3.9
थाइलैंड	5.4	6.7	7.0	0.6	1.8	2.2

**अनुमानित*

स्रोतः वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ, मई, 2004

तालिका 1.3: चयनित कृषि जिन्सों का विश्व उत्पादन

(मिलियन टन)

क्षेत्र	चावल		गेहूं		अनाज		दलहन		तिलहन		रेशायुक्त फसलें	
	2002	2003*	2002	2003*	2002	2003*	2002	2003*	2002	2003*	2002	2003*
एशिया	516.4	534.8	253.3	243.9	983.0	995.3	27.8	25.9	56.0	59.6	15.3	16.2
अफ्रीका	16.9	19.1	16.4	19.6	116.1	127.5	9.3	9.3	7.3	7.4	1.8	2.0
यूरोप	3.2	3.2	211.8	154.2	436.9	355.3	7.9	7.4	12.9	14.5	0.8	0.8
उत्तर मध्य अमेरिका	12.1	11.5	63.5	90.2	369.9	435.5	6.6	7.0	18.9	18.5	3.9	4.1
दक्षिण अमेरिका	19.6	20.1	18.1	23.2	103.4	122.7	4.0	4.2	17.8	20.6	1.3	1.3
आस्ट्रेलिया	1.3	0.4	10.1	24.9	18.8	38.0	1.1	2.6	0.5	0.7	0.4	0.3
विश्व	**569.5**	**589.1**	**573.5**	**556.3**	**2,029.1**	**2,075.3**	**56.7**	**56.5**	**114.0**	**122.0**	**23.5**	**24.7**

**अनंतिम* *स्रोतः एग्रीकल्चर डाटाबेस, एफएओ, 2004.*

1.4 मुख्य रूप से चावल और मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि के कारण 2003 में विश्व में धान्यों के उत्पादन में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई. जहां 2003 में धान्यों के कुल उत्पादन में उत्तर मध्य अमेरिका(17.7 प्रतिशत), आस्ट्रेलिया(102.1 प्रतिशत) और दक्षिण अमेरिका (18.7 प्रतिशत) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, वहीं यूरोप में इनके उत्पादन में तीव्र गिरावट (-18.7 प्रतिशत) आई. इसके अलावा, 2003 में, 2002 की तुलना में, जहा. विश्व में चावल का उत्पादन 3.4 प्रतिशत बढ़ा, वहीं गेहूं के उत्पादन में 2.3 प्रतिशत की कमी आई. यद्यपि, 2003 में, 2002 में प्राप्त उत्पादन-स्तर की तुलना में, विश्व में तिलहनों और रेशेदार फसलों के उत्पादन में क्रमशः 7.0 और 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं दलहनों के उत्पादन में मामूली कमी (-0.4 प्रतिशत) आई(तालिका 1.3).

1.5 भारत के संदर्भ में, जहाँ अधिकांश खाद्यान्न और गैर-खाद्यान्न फसलों के संबंध में, देश खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से, पहले और दूसरे स्थान पर है, वहीं उत्पादकता की दृष्टि से भारतीय कृषि, विश्व के अन्य देशों की तुलना में, कम उपज से ग्रस्त है(तालिका 1.4). कुछ फसलों की उत्पादकता न केवल कम है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से एक ही स्तर पर बनी हुई है. अतः उत्पादकता के इस अंतर को पूरा करने के लिए संस्थागत सेटिंग्स के विभिन्न भागों से नीतियों को समन्वित रूप से मिश्रित करके सभी तरह के प्रयास किये जाने की आवश्यकता है.

तालिका 1.4: प्रमुख कृषि फसलों में भारत का विश्व में स्थान

फसल	क्षेत्र	उत्पादन	पैदावार
चावल	1	2	52
गेहूं	1	2	38
मोटे अनाज	3	4	125
दलहन	1	1	138
तिलहन	2	5	147
कपास	1	4	77
गन्ना	2	2	31

स्रोतः 1. खाद्य और कृषि संगठन
2. मुद्रा और वित्त रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक, 2001

भारतीय अर्थव्यवस्था

अ. आर्थिक परिदृश्य

1.6 वर्ष 2003-04 के दौरान भारत ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. वर्ष 2003-04 के दौरान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2002-03 के दौरान यह 4 प्रतिशत थी. यह वृद्धि दर मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर के कारण संभव हुई है, जो कि वर्ष 1988-89 के बाद सर्वाधिक है. यह कृषि क्षेत्र में लौटती हुई मजबूती का सबूत है. कृषि के अलावा, उद्योग और सेवा क्षेत्रों ने भी गति बनाये रखी है और इन क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पादों की वृद्धि 2002-03 के दौरान के क्रमशः 6.4 और 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 के दौरान क्रमशः 6.5 और 8.0 प्रतिशत हो गई है. सेवा

क्षेत्र के वास्तविक घरेलू उत्पाद की वृद्धि के वर्ष 2003-04 के दौरान दसवार्षिक औसत (7.5 प्रतिशत) को पार कर लेने का अनुमान है. कृषि और अनुषंगी गतिविधियों का हिस्सा 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के 31.5 प्रतिशत से घटकर 2001-02 के दौरान 24.3 प्रतिशत रह गया और 2003-04 के दौरान यह और भी कम होकर 22.2 प्रतिशत रह गया. सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के हिस्से में लगातार वृद्धि हुई और यह 1992-93 के 47.5 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 के दौरान 56.1 प्रतिशत हो गया. उद्योग क्षेत्र का हिस्सा प्रमुख रूप से अपरिवर्तित 21 से 22 प्रतिशत के बीच रहा. क्षेत्रों के हिस्से में परिवर्तन उन दीर्घावधि ढांचागत परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल रहे हैं.

1.7 फैक्टर कॉस्ट पर सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत की दर, 2002-03 के दौरान बढ़कर 24.2 हो गई, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 23.5 थी. मार्च 2004 के अंत में विदेशी मुद्रा भण्डार 107.4 बिलियन अमेरिकी डालर था, जो कि अच्छी स्थिति है (तालिका 1.5). भारतीय रुपये के मूल्य में अमेरिकी डालर की तुलना में वृद्धि हुई क्योंकि इसमें 2003-04 के दौरान 5.3 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि 2002-2003 के दौरान यह 1.5 प्रतिशत थी. डालर की औसत विनिमय दर 2003-04 के दौरान रु. 45.95 रही, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह रु. 48.40 थी.

तालिका 1.5ः चुनिंदा आर्थिक संकेतक

संकेतक	2001-02	2002-03	2003-04*
वृद्धि			
(अ) समग्र सकल घरेलू उत्पाद (%)	5.8	4.0[Q]	8.2[A]
(आ) कृषि और अनुषंगी गतिविधियों से उत्पन्न सकल घरेलू उत्पाद (%)	6.5	-5.2[Q]	9.1[A]
(इ) कृषि उत्पादन (%)	7.6	-15.6	19.3[P]
(ई) खाद्यान्न उत्पादन (%)	8.2	-18.2	21.0[P]
(उ) औद्योगिक उत्पादन (%)	2.7	5.7	6.9
निर्यात (%)	-1.6	20.3	17.1
सकल घरेलू बचत (सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में)	23.5[P]	24.20[Q]	उन
सकल घरेलू पूंजी निर्माण (सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में)	23.1[P]	23.3[Q]	उन
थोक मूल्य सूचकांक द्वारा आंकी गई मुद्रा स्फीति (%)	1.6	6.5	4.6
सकल बजटीय घाटा (स.घ. उत्पाद का %)	6.2	5.3	4.6[P]
व्यापार संतुलन (बिलियन अमेरिकी डालर)	-7.6	-7.5	-13.7
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमेरिकी डालर)	51.0	71. 9	107.4
विदेशी ऋण (बिलियन अमेरिकी डालर)	96.0	104.6	112.1[@]

[P] : अनंतिम अनुमान, [A] : अग्रिम अनुमान,
उन : उपलब्ध नहीं, [Q] : त्वरित अनुमान, [@] : दिसंबर 2003 के अंत में
स्रोतः 1. आर्थिक सर्वेक्षण 2003-2004
2. मंथली रिव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सीएमआईई, फरवरी और मई 2004

आ. निर्धनता की दर

1.8 योजना आयोग के, एनएसएसओ के पचपनवें चक्र (जुलाई 1999-जून 2000) पर आधारित, नवीनतम निर्धनता-अनुमानों के आधार पर, निर्धनता की दर कुल जनसंख्या के 38.9 प्रतिशत (1987-88) से घटकर 26.1 प्रतिशत (1999-2000) रह गई है. यह मुख्यतः बेहतर आर्थिक विकास, वास्तविक मजदूरी में सुधार और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रसार के कारण हुआ है. ग्रामीण गरीबों की कुल संख्या इस अवधि के दौरान 232 मिलियन से घटकर 193 मिलियन रह गई. पिछले वर्षों में गरीबी की दर में कमी आने के बावजूद, गरीबी-अनुपातों में काफी अधिक अंतर-राज्य विसंगतियां अब भी बनी हुई हैं. 1983 में बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे थी. जहां तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने 1999-2000 तक अपने निर्धनता-अनुपातों को घटाकर लगभग आधा कर लिया था, वहीं बिहार और उड़ीसा देश के निर्धनतम राज्य बने रहे, जिनकी क्रमशः 43 और 47 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे थी. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में गरीबी का अनुपात 2007 के अंत तक घटाकर 19.3 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है (तालिका 1.6).

इ. मुद्रास्फीति

1.9 थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर मापी जाने वाली मुद्रास्फीति की दर, वार्षिक औसत के आधार पर, 2003-04 के दौरान 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 6.5 प्रतिशत थी. औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाने वाली मुद्रास्फीति अप्रैल 2003-फरवरी 2004 की

तालिका 1.6ः भारत में निर्धनता की दर

(प्रतिशत)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
1987-88	39.1	38.2	38.9
1993-94	37.3	32.4	36.0
1999-00	27.1	23.6	26.1
2006-07*	21.1	15.1	19.3

** लक्ष्यित*
स्रोतः दसवीं पंचवर्षीय योजना, खंड.1, आयोजना आयोग, भारत सरकार.

अवधि के दौरान कुछ कम होकर 3.9 प्रतिशत रही (पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 4 प्रतिशत थी), जबकि कृषि कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अप्रैल 2003-फरवरी 2004 के दौरान 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

ई. व्यापार संभावनाएं

1.10 भारत के व्यापार कार्यनिष्पादन में, विशेष रूप से निर्यातों में, सुधार हुआ है, किन्तु विश्व निर्यातों में इसके हिस्से में 1992-2002 की अवधि के दौरान 0.3 प्रतिशतता बिन्दु की ही वृद्धि हुई है. निर्यात वृद्धि दरों की दृष्टि से भारत का कार्यनिष्पादन अब तक बेहतर रहा है क्योंकि यह अमेरिका और अन्य विकसित देशों में आई मंदी, नब्बे के दशक के बाद के भाग में पूर्वी एशियाई देशों में आये संकट और हाल ही में फैली उस सार्स महामारी से भी कुछ हद तक बचा रहा है, जिसने पूर्वी एशिया के प्रमुख देशों की आर्थिक संभावनाओं पर काफी प्रतिकूल असर डाला था. व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देने और अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में मात्रात्मक बाधाओं एवं प्रशुल्कों को समाप्त करने के लिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की जनवरी 2004 में हुई बैठक में वर्ष 2016 तक दक्षिण एशियाई निर्बन्ध व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के गठन के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये गये. भारत से होने वाले कुल निर्यातों में 2003-04 के दौरान 17.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2002-03 के दौरान यह 20.3 प्रतिशत थी (मूल्य, कस्टम आधार पर, अमेरिकी डालर में). अप्रैल 2003 में निर्यातों में 3.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के बाद, सितंबर 2003 में इनमें 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और दिसंबर 2003 में ये अत्यधिक बढ़कर 42.7 प्रतिशत हो गये. 2003-04 के दौरान आयातों में भी 22.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2002-03 के दौरान यह 19.4 प्रतिशत थी.

उ. रोजगार

1.11 देश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या अपने जीवन-यापन के लिए कृषि पर निर्भर है. इसके बाद सेवा(23 प्रतिशत) और उद्योग (17 प्रतिशत) क्षेत्रों का स्थान आता है (तालिका 1.7). पिछले एक दशक के दौरान कृषि क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या लगभग एक समान रहने के बावजूद, कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र के हिस्से में कमी आई है, जबकि उद्योग और सेवा के हिस्से में सुधार हुआ है. इसके अलावा, यह माना गया है कि कुल 397 मिलियन कामगारों में से, केवल 27.96 मिलियन कामगार संगठित क्षेत्र में हैं. इनके अलावा, लगभग 160 मिलियन उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जबकि 130 मिलियन से भी अधिक या तो स्वरोजगार में हैं अथवा असंगठित क्षेत्र में हैं.

तालिका 1.7: रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

(प्रतिशत)

क्षेत्र	1983	1993-94	1999-00
कृषि	68.45	64.75	59.84
उद्योग	14.34	15.55	17.43
सेवा	17.21	19.70	22.73

स्रोतः रोजगार के अवसरों पर टास्कफोर्स की रिपोर्ट, जुलाई, 2001 से प्राक्कलित.

ऊ. लघु उद्योग

1.12 सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यातों की दृष्टि से, लघु उद्योग (लउद्योग) क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है. लघु उद्योगों के मामले में, जनवरी 2004 में जारी किये गये, तीसरे अखिल भारतीय उद्योग-गणना विवरण में यह बताया गया है कि 2002-03 के दौरान, पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों प्रकार की, लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 4.6 प्रतिशत बढ़कर 110.1 लाख हो गई, जबकि 2001-02 के दौरान यह 105.2 लाख थी. इसी अवधि के दौरान, वर्तमान कीमतों पर, उत्पादन का मूल्य रु. 2,82,270 करोड़ से 10.5 प्रतिशत बढ़कर रु. 3.11.993 करोड़ हो गया, लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार 24.9 मिलियन व्यक्ति से बढ़कर 267.1 मिलियन व्यक्ति हो गया और निर्यात रु. 71, 244 करोड़ से 20.7 प्रतिशत बढ़कर रु. 86,013 करोड़ हो गये. लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (भारि बैंक) ने, कपूर समिति और गुप्ता समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का आकलन करने और, विशेष रूप से बड़े कारपोरेट्स के साथ इस क्षेत्र के बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजेज को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है.

ए. मुद्रा और ऋण नीति 2003-04 : ग्रामीण परिप्रेक्ष्य

1.13 ग्रामीण क्षेत्र में ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के प्रयोजन से, रिजर्व बैंक की मुद्रा और ऋण नीति में बहुत से उपाय प्रस्तावित किये गये हैं. इस संबंध में जो नीतिगत घोषणाएं की गई

हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :- (i) ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई डीलरों के मामले में भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण वितरण मानदण्ड लागू करना, (ii) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आस्थगित ब्याज की राशि पर ब्याज न लगाना; (iii) सहकारी बैंकों के गैर-प्रतिभूतियुक्त ऋण वितरणों की सीमा को बढ़ाना, तत्काल प्रभाव से सहकारी बैंकों में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रारंभ करना और सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने निदेशकों एवं सहयोगी संस्थाओं को ऋण न देना. ऋण नीति में बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं को स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन का प्रावधान करने और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रक्रियाओं को सरल करने की अवधारणा जैसे उपाय शामिल हैं. ऋण नीति में की गई घोषणा के अनुसार, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु अल्पावधि एवं मध्यावधि उपाय सुझाने के लिए प्रो.वी.एस व्यास की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक ने ''कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्रवाह'' पर सलाहकार समिति का गठन किया है.*

ऐ. कृषि और ग्रामीण क्षेत्र

क. वर्षा की स्थिति

1.14 वर्ष 2003 में दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर) के दौरान कुल 92.2 सें.मी. (वर्ष 2002 में 67.3 सें.मी) वर्षा हुई जो 91.3 सें.मी. की दीर्घावधि औसत वर्षा से 2 प्रतिशत अधिक है. देश के कुल 36 मौसम विज्ञानाधारित उपमंडलों में से 33 में सामान्य से लेकर अधिक वर्षा हुई, जबकि 2002 में केवल 15 मौसम विज्ञानाधारित उपमंडलों में ऐसा हुआ था. स्थान और समय के हिसाब से वर्षा का वितरण संतुलित रहा और बीच की वर्षारहित अवधियां लंबी नहीं खिंचीं. वर्ष 2002 में जहां 44 प्रतिशत जिलों और सकल फसली क्षेत्र के 37 प्रतिशत हिस्सों में सामान्य/अधिक वर्षा हुई थी, वहीं 2003 में 75 प्रतिशत जिलों और 92 प्रतिशत सकल फसली क्षेत्र में सामान्य/अधिक वर्षा हुई. पिछले वर्ष के 21 उपमंडलों की तुलना में वर्ष 2003 में केवल तीन उपमंडलों अर्थात् कर्नाटक के उत्तरी और अंदरूनी दक्षिणी भाग और केरल में कम वर्षा (26 से 35%) हुई. संयोगवश, जून और जुलाई 2003 के बुआई के महीनों में वर्षा दीर्घावधि औसत का क्रमशः 109 और 107 प्रतिशत हुई. उत्तरपूर्वी मानसून में भी सामान्य वर्षा हुई और इस प्रकार संचयी वर्षा दीर्घावधि औसत से 9 प्रतिशत अधिक हुई. 18 उपमंडलों में सामान्य/अधिक वर्षा हुई (वर्ष 2002-03 के दौरान तदनुरूप अवधि में 10 उपमंडलों में ऐसा हुआ था) जबकि शेष उपमंडलों में कम या छिटपुट वर्षा हुई या बिलकुल ही नहीं हुई.

1.15 वर्ष 2002-03 में कुल 267 मौसम विज्ञानाधारित सूखा प्रभावित जिलों में से 62 जिलों में 2003-04 में भी नमी की विकट कमी बनी रही. ये क्षेत्र कर्नाटक (16 जिले), तमिलनाडु (9 जिले), केरल (7 जिले), पंजाब (5 जिले) और महाराष्ट्र (4 जिले) में अवस्थित थे.

ख. फसल क्षेत्र

1.16 दक्षिण-पश्चिम मानसून के संतोषप्रद होने के कारण, खरीफ 2003 में बोए गए क्षेत्र में वृद्धि करने में सहायता मिली और खरीफ 2002 की अपेक्षा बोए गए चावल, मोटे अनाजों, दलहन और तिलहन के क्षेत्र में क्रमशः 12,11,22 और 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई. दक्षिण पश्चिम मानसून के देर से जाने और उसके बाद उत्तर-पूर्व मानसून की सामान्य वर्षा के कारण उत्तर में तापमान के मध्यम बने रहने से रबी फसलों के बारे में भी अनुकूल संभावनाएं बनीं. इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्रमुख फसलों की खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई (तालिका 1.8).

---

* *18 मई 2004 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित 'मुद्रा एवं ऋण नीति' में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु कदम.*

- *शीत गृहों सहित भंडारण इकाइयों, जो कि कृषि उत्पाद/उत्पादनों के भंडारण के लिए डिजाइन की गई हैं, को दिया गया ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत 'अप्रत्यक्ष कृषि वित्तपोषण' माना जाएगा भले ये इकाइयां कहीं भी स्थापित की गई हों.*
- *कृषि उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋणों को निदर्शित करने वाले प्रतिभूतियुक्त विलेखों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले निवेश को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत 'कृषि हेतु वितरित ऋण' माना जाएगा बशर्ते कि प्रतिभूतियुक्त ऋणों की व्यवस्था मूलतः बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई हो.*
- *बैंकों को रु.50,000 तक के कृषि ऋणों और कृषि व्यापार के मामले में रु.5,00,000 तक के ऋणों के मामले में मार्जिन/जमानत संबंधी अपेक्षाओं से छूट देने की स्वतंत्रता दी गई.*
- *कृषि ऋणों के संदर्भ में अनुत्पादक आस्तियों से संबंधित मानदंडों को आसान बनाया गया है. अब से अल्प-अवधि की फसलों के लिए दिए गए ऋण को तभी अनुत्पादक आस्ति माना जाएगा जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज की चुकौती नियत तारीख के बाद फसल के दो मौसमों की अवधि तक नहीं की जाती है. लंबी अवधि की फसलों के लिए दिए गए ऋण को तभी अनुत्पादक आस्ति माना जाएगा जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज की चुकौती नियत तारीख के बाद फसल के एक मौसम की अवधि तक नहीं की जाती है.*
- *'आधारभूत सुविधा क्षेत्र' की परिभाषा को बढ़ाकर उसमें 'कृषि संबंधी आधारभूत सुविधाओं' को शामिल कर लिया गया है. नई परिभाषा में, (i) कृषि प्रसंस्करण और कृषि के लिए निविष्टियों की आपूर्ति की परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य; (ii) प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, फल, सब्जी और फूल जैसी जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुओं के भंडारण और संरक्षण के लिए तथा गुणवत्ता की जांच की सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य शामिल है.*

तालिका 1.8ः खरीफ और रबी मौसमों के अंतर्गत प्रमुख फसलों की खेती का क्षेत्र							
							(मिलियन हेक्टे.)
फसल	**खरीफ (क)**		**रबी (ख)**		**कुल क्षेत्र (क+ख)**		
	2002	**2003**	**2002-03**	**2003-04***	**2002-03**	**2003-04***	**% अंतर**
चावल	31.5	35.5	3.6	3.9	35.1	39.4	12.3
गेहूं	इ	इ	24.8	27.3	24.8	27.3	10.1
मोटे अनाज	19.9	22.8	6.9	7.0	26.8	29.8	11.2
दलहन	9.9	12.2	12.4	15.0	22.3	27.2	22.0
तिलहन	13.6	15.4	8.4	9.9	22.0	25.3	15.0
कपास	7.0	7.4	–	–	7.0	7.4	5.7
गन्ना	4.4	4.1	–	–	4.4	4.1	-6.8

** अनंतिम,* स्रोतः मंथली रिव्यू ऑफ इंडियन इकोनामी, सीएमआईई, अक्तूबर 2003 और अप्रैल 2004

ग. फसल उत्पादन की संभावनाएं

1.17 मानसून के अनुकूल होने के परिणामस्वरूप वर्ष 2003-04 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 210.8 मिलियन टन हो गया. वर्ष 2002-03 में यह 174.2 मिलियन टन था. इस प्रकार इसमें 21% की भारी वृद्धि दर्ज हुई (तालिका 1.9). सभी खाद्यान्नों में मोटे अनाजों के उत्पादन में सर्वाधिक (45.5%) वृद्धि हुई, इसके बाद दलहन (34.2%). चावल (18.8%) और गेंहूं (11.7%) का स्थान रहा. वर्ष 2003-04 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का हिस्सा कम हो गया, वहीं मोटे अनाजों, दलहन और गेंहूं के उत्पादन में वर्ष 2001-02 की तुलना में सुधार हुआ (चार्ट 1.1). वर्ष 2003-04 में तिलहनों (65.8%) और कपास (55.2%) के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई. किंतु दक्षिण-मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में सूखे के कारण लगातार दूसरे वर्ष गन्ना के उत्पादन में गिरावट आई.

घ. कृषि निविष्टियां

i. बीज

1.18 सरकार ने बेहतर उत्पादकता के लिए किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति करने की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. वर्ष 2002 में राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य बीज उद्योग के लिए ऐसा समुचित वातावरण तैयार करना था कि वह उपलब्ध और संभावित अवसरों का उपयोग करने में सक्षम हो सके, किसानों के हितों की रक्षा कर सके तथा जैव विविधता को संरक्षण दे सके. आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में बीज बैंक योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य गुणवत्ता पूर्ण बीजों की आपात्कालीन जरूरतों को पूरा करना था. वर्ष 2002-03 में ब्रीडर बीजों और फाउंडेशन बीजों

चार्ट 1.1
कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रमुख फसलों का हिस्सा

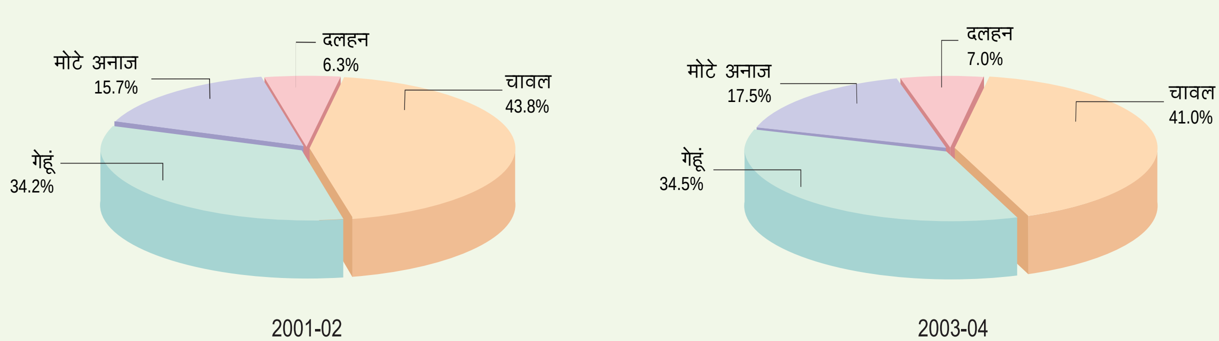

19 CMYK

तालिका 1.9: कृषि उत्पादन			
			(मिलियन टन)
फसल	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04***
चावल	93.3	72.7	86.4 (18.8)
गेहूं	72.8	65.1	72.7 (11.7)
मोटे अनाज	33.4	25.3	36.8 (45.5)
कुल अनाज	**199.5**	**163.1**	**195.9 (20.1)**
दलहन	13.4	11.1	14.9 (34.2)
कुल खाद्यान्न	**212.9**	**174.2**	**210.8 (21.0)**
तिलहन	20.7	15.1	25.0 (65.8)
गन्ना	297.2	281.6	244.8 (-13.1)
कपास**	10.0	8.7	13.5 (55.2)

**कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तृतीय अग्रिम आकलन*
***170 कि.ग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठें*
स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2003-04 भारत सरकार
कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वर्ष 2002-03 से प्रतिशत अंतर दिखाते हैं.

का उत्पादन क्रमशः 0.5 और 6.0 लाख क्विंटल अनुमानित था और प्रमाणित/गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण 117.0 लाख क्विंटल तक पहुंच जाने का अनुमान था.

ii. उर्वरक

1.19 उर्वरक के घरेलू उत्पादन में वर्ष 2002-03 की तुलना में वर्ष 2003-04 में मामूली गिरावट आई. वर्ष 2003-04 के दौरान कुल एन + पी + के की आयात आवश्यकता 2.0 मिलियन टन होने की जानकारी मिली है. यद्यपि वर्ष 1980-81 और 1999-2000 की अवधि के दौरान उर्वरक का उपयोग तीन गुना हो गया है, किंतु वर्ष 2000-01 से उर्वरक का उपयोग अस्थिर रहकर 16.1 मिलियन टन (2002-03) से 17.5 मिलियन टन (2003-04) के बीच रहा है. इसके

ड्रिप सिंचाई के उपयोग से जल का अधिकतम उपयोग

परिणामस्वरूप प्रति हेक्टर उर्वरक का उपयोग वर्ष 2001-02 के 90.1 कि.ग्रा. की तुलना में वर्ष 2002-03 में घटकर 84.8 कि.ग्रा.हो गया (तालिका 1.10).

iii. सिंचाई

1.20 देश में कुल संभावित सिंचाई क्षमता 139.9 मिलियन हेक्टेयर आंकी गई है जिसमें से अबतक केवल 68 प्रतिशत का ही उपयोग हुआ है. मुख्य रूप से कुछ बाधाओं, जैसे राज्य सरकारों के पास संसाधनों के अभाव के कारण नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सिंचाई क्षमता के निर्माण की प्रगति धीमी रही (1.8 से 1.9 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष). अगले दशक तक अनाज उत्पादन को दुगुना करने के राष्ट्रीय कृषि नीति के अधिदेश के अनुसार, विभिन्न विकासात्मक कदम उठाने और वित्तीय प्रोत्साहन देने की दृष्टि से लघु सिंचाई क्षेत्र नाबार्ड के लिए प्रमुख थ्रस्ट क्षेत्र बन गया है. लघु सिंचाई की संरचनाओं में निवेश से दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के निर्माण की उम्मीद है. नाबार्ड राज्यों के भूगर्भजल विभागों, राज्य बिजली बोर्डों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के प्रतिनिधियों, अग्रणी जिला प्रबंधकों, सहभागी बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, किसानों और अन्य संबंधित एजेंसियों के लिए संवर्धन और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता रहा है.

1.21 वर्ष 1994 में किए गए भूगर्भजल आकलन के अनुसार भूगर्भजल का समग्र उपयोग केवल 45 प्रतिशत था. तथापि, देश के 7,063 में से 599 ब्लाकों/ ताल्लुकों / मंडलों / वाटरशेडों में भूगर्भजल का सीमा से अधिक दोहन किया गया है या उसके उपयोग का स्तर अंतिम स्थिति पर

तालिका 1.10: उर्वरक संबंधी आंकड़े								
								(मिलियन टन)
वर्ष	**उत्पादन**			**खपत**				**आयात**
	N	**P_2O_5**	**जोड़**	**N**	**P_2O_5**	**K_2O**	**जोड़**	**N+P+K**
2000-01	11.0	3.7	14.7	10.9	4.2	1.6	16.7	2.1
2001-02	10.8	3.9	14.7	11.3	4.4	1.7	17.4	2.4
2002-03	10.6	3.9	14.5	10.5	4.0	1.6	16.1	1.8
2003-04*	10.6	3.6	14.2	11.3	4.4	1.8	17.5	2.0

**: अनुमानित*
स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2003-2004.

CMYK

पहुंच चुका है जहां से आगे विकास करना कठिन है.* अति-दोहन वाले क्षेत्र अधिकांशतः हरियाणा, तमिलनाडु और राजस्थान में हैं जहां समग्र उपयोग का स्तर क्रमशः 120, 86 और 72 प्रतिशत तक पहुंच गया है. गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों में उपयोग का स्तर 43 और 59 प्रतिशत के बीच है और वहां चेतावनी के संकेत मिल चुके हैं. इसके अलावा, लगभग सभी राज्यों में कई अति-दोहन वाले क्षेत्र हैं. देश के 599 डार्क ब्लॉकों में जहां भूगर्भजल की नई संरचनाओं के लिए बैंक ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता, वहां जमीन के भीतर पाइपलाइन बिछाने, ड्रिप और स्प्रिंक्लर प्रणाली लगाने, पंपसेटों को बदलने आदि जैसे जल संरक्षण संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाना चाहिए.

iv. फार्म पावर

1.22 वर्ष 1999-2000 में 2.58 लाख ट्रैक्टरों की बिक्री हुई थी, वह घटकर वर्ष 2000-01 और वर्ष 2001-02 में क्रमशः 2.56 लाख और 2.25 लाख टैक्टर रह गई. वर्ष 2002-03 में ट्रैक्टरों की बिक्री बढ़कर 2.38 लाख हो गई. किंतु अब उम्मीद है कि ट्रैक्टर उद्योग में परिवर्तत आएगा, क्योंकि वर्ष 2003 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान देश के 36 मौसम विज्ञानाधारित उप-मंडलों में से 33 में सामान्य/अधिक वर्षा हुई. अपनी कृषि मशीनीकरण की नीति के एक अंग के रूप में नाबार्ड केवल उन्हीं ट्रैक्टरों और पावर टिलरों के लिए वित्तपोषण करने पर जोर देता रहा है जो नाबार्ड की पहल पर प्रारम्भ किए गए न्यूनतम कार्य निष्पादन मानदंडों (एमपीएस) पर खरे उतरते हों, ताकि किसानों को गुणवत्ता युक्त कृषि उपकरणों की आपूर्ति हो. अब तक, ट्रैक्टरों के 45 और पावर टिलरों के 8 मॉडल न्यूनतम कार्यनिष्पादकता मानदंडों के तहत पात्र पाए गए हैं. ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत में ट्रैक्टरों और पावर टिलरों के जिन मॉडलों की बिक्री होती है उन सभी को इन मानदंडों के तहत लाया जाए.

v. ग्रामीण ऋण

1.23 वर्ष 2002-03 के दौरान सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों और क्षेग्रा बैंकों द्वारा दिए गए कृषि ऋणों की कुल प्रमात्रा वर्ष 2001-02 के दौरान दिए गए रु.62,045 करोड़ की कुल प्रमात्रा की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़कर रु.69,560 करोड़ हो गई. वर्ष 2003-04 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए ऋणप्रवाह में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इसके रु.80,000 करोड़ होने का अनुमान है. दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल ऋण प्रवाह रु.7,36,570 करोड़ होने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है, जो नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के रु.2,29,956 करोड़ के ऋण प्रवाह का लगभग तिगुना है.

ङ. कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण

1.24 वर्ष 1993-94 की कीमतों पर वर्ष 1995-96 से 2002-03 की अवधि में कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण रु.14,895 करोड़ और रु.18,657 करोड़ के बीच रहा (चार्ट 1.2). इसी अवधि में कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशों का हिस्सा 6.6 प्रतिशत बिन्दु बढ़कर 75.7 प्रतिशत हो गया, किंतु सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा उतना ही घटा. तथापि, सार्वजनिक निवेश, वर्ष 2000-01 के रु.3,927 करोड़ की अपेक्षा काफी बढ़कर वर्ष 2002-03 में रु.4,538 करोड़ हो गया. यह वृद्धि 15.6 प्रतिशत की रही. इसी अवधि में निजी निवेश भी रु.12,979 करोड़ से बढ़कर रु.14,119 करोड़ (8.8% की वृद्धि) हो गया. सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में कृषि में निवेश वर्ष 1995-96 के 1.6 से घटकर वर्ष 2002-03 में 1.3 हो गया. भारत सरकार ने कृषि में सार्वजनिक खर्च के स्थिर हो जाने के कारणों का पता लगाने के लिए 'कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण' पर एक समिति का गठन किया. पैनल ने कृषि में पूंजी निवेश की गणना में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), वर्षा-आधारित क्षेत्रों में राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम (एनडब्ल्यूडीपीआरए), आदि पर होने वाले खर्च को शामिल करने का सुझाव दिया है.

---

* जीईसी 1997 के भूगर्भजल आकलन मानदंडों के अनुसार, दस राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल) में पूरे हुए आकलन के आधार पर 774 ब्लाकों/ तालुकों / बेसिनों / वाटरशेडों / उप-इकाइयों को डार्क/क्रिटिकल और अति-दोहन वाली श्रेणी में रखा गया है.जब नए मानदंडों के अनुसार सभी राज्यों का आकलन पूरा हो जाएगा, तो अति-दोहन वाली इकाइयों की संख्या और बढ़ेगी.

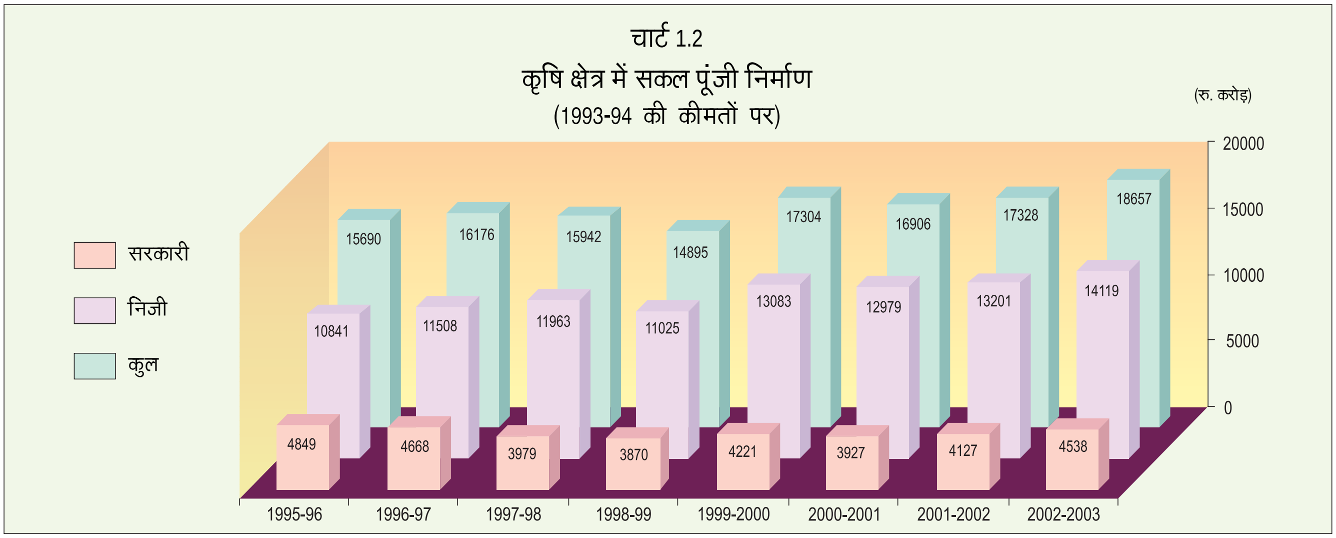

1.25 वर्तमान कीमतों पर, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निजी क्षेत्र पूंजी निर्माण 1995-96 के रु.14,605 करोड़ से बढ़कर 2001-02 में रु.26,569 करोड़ हो गया. इसी अवधि में संस्थागत ऋण के सहयोग से इस प्रकार के पूंजी निर्माण का हिस्सा 59.6 से बढ़कर 81.1 प्रतिशत हो गया, जिससे कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में वित्तीय संस्थाओं की प्रमुख भूमिका स्पष्ट होती है.

च. फसल बीमा

1.26 रबी 1999-2000 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नामक योजना शुरू की. इस योजना का लाभ सभी किसान (ऋणकर्ता और गैर-ऋणकर्ता) ले सकते हैं चाहे उनकी जोत का आकार कितना भी क्यों न हो. वर्तमान में यह योजना 23 राज्यों और 2 संघशासित प्रदेशों में कार्यान्वित की गई है. खरीफ 2003 के अंत तक इस योजना में कुल 509.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वाले कुल 328 लाख किसान शामिल हैं. कृषि और सहकारिता विभाग ने 'कृषि आय बीमा योजना' नामक एक नई योजना तैयार की है ताकि उत्पाद और बाजार जोखिम, दोनों को बीमा कवर प्रदान करने की प्रणालियों को समेकित कर किसानों को आय-सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके. यह योजना प्रायोगिक आधार पर रबी 2003-07 के दौरान दो फसलों - धान और गेहूं - को कवर करते हुए 12 राज्यों के 18 जिलों में कार्यान्वित की गई है.

ओ. कृषि - संबद्ध क्षेत्र

क. पशुपालन और डेरी

1.27 भारत में पशुधन की संख्या विश्व में सर्वाधिक है. भारत में विश्व की कुल भैंसों का 57 प्रतिशत और पशुधन संख्या का 16 प्रतिशत है. वर्ष 2002-03 में 86.4 मिलियन टन दूध का उत्पादन कर भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध-उत्पादक देश बन गया. वर्ष 1990-91 में प्रति व्यक्ति 176 ग्राम प्रति दिन दूध उपलब्ध था जो 2002-03 में बढ़कर 226 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो गया. राष्ट्रीय विज़न में वर्ष 2010 तक 96 मिलियन टन दूध के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. वर्ष 2002-03 में सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन क्षेत्र का हिस्सा 5.4 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान में इसका हिस्सा 27.7 प्रतिशत रहा.

पूरक आय के लिए मछलीपालन

1.28 दूध और डेरी उत्पादों का निर्यात 2003-04 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, बढ़कर 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि 2002-03 के दौरान इसी अवधि में 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर था. विश्व की औसत दुग्ध-उत्पादन वृद्धि दर 1.48 प्रतिशत थी और विश्व के अधिकांश अन्य देशों में इसकी वृद्धि स्थिर रही. इसकी तुलना में भारत की वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत वार्षिक रही, जो इस बात का अच्छा संकेत है कि भविष्य में भारत के, मिल्क पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, मक्खन, चीज आदि जैसे दुग्ध-उत्पादों के, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों और मध्यपूर्व के देशों के उभरते बाजारों में प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरते की प्रबल संभावना है जैसी कि अंतरिम बजट 2004-05 में घोषणा की गई है, डेरी उद्योग को बढ़ावा देने और इस आर्थिक गतिविधि के सभी पहलुओं को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से, सरकार समुचित बजट-सहायता के साथ, एक नेशनल कैटल डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना करने का विचार कर रही है (बाक्स 1.1). 8 जुलाई 2004 को घोषित केन्द्रीय बजट की कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित मुख्य मुख्य बाते बॉक्स 1.2 में दी गई हैं.

ख. मत्स्यपालन

1.29 विश्व में भारत मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में दूसरे स्थान पर है. मत्स्यपालन क्षेत्र का कुल सकल घरेलू उत्पाद में 1.1 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में इसका 5.4 प्रतिशत का योगदान है. साथ ही, मत्स्यपालन का सकल घरेलू उत्पाद 14 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जो कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर से अधिक है. कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में मत्स्यपालन क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में भी सुधार हुआ और वह 2001-02 के दौरान 5.4 प्रतिशत हो गया, जबकि 1993-94 में यह 3.9 प्रतिशत था. मत्स्य उत्पादन 2002-03 के दौरान 6.2 मिलियन

बाक्स 1.1

अंतरिम बजट 2004-05 - कृषि और ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य मुख्य बातें

- नाबार्ड में कृषि आधारभूत सुविधा और ऋण निधि को कार्यशील बनाया जाना है. प्राइम ब्याज दर से 2 प्रतिशत-बिन्दु कम दर पर, इस निधि से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
- प्रोफेसर वी. एस. व्यास की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है. यह समिति फसल ऋण खातों के संबंध में अनुत्पादक आस्तियों और जहां कृषि-आय के मौसमीपन और अनिश्चितता पर पूर्ण रूप से काबू नहीं पाया जा सका है वहां कृषकों के लिए ऋणों के प्रावधानीकरण के समाधान सुझाएगी.
- वैयक्तिक अनुरोध पर मौजूदा किसान क्रेडिट कार्ड में संशोधन किया जाना है, ताकि उसे एटीएम मशीन पर उपयोग किया जा सके.
- जिन जिलों में पूर्व में प्रायोगिक आधार पर कृषि आय बीमा योजना को लागू किया गया था, उन जिलों के अलावा 100 और जिलों में आगामी खरीफ सीजन से इसे लागू किया जाना है.
- जिन राज्यों में स्वयं सहायता समूह संवर्धन कार्यक्रम को अभी गति पकड़नी है, उनमें नाबार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर, स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन अभियान चलाएगा. प्रथम चरण में सघन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चलाया जाना है.
- चाय उद्योग के पुनरुज्जीवन के लिए एक विशेष पैकेज, जिसमें (i) एक वर्ष की ऋण-स्थगन अवधि के साथ 5 वर्ष में चुकौतीयोग्य विशेष मीयादी ऋण, (ii) छोटे चाय उत्पादकों के लिए बैंक द्वारा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर रु. 2 लाख तक की नयी कार्यशील पूंजी सीमाएं उपलब्ध कराना, और (iii) चाय क्षेत्र में ऋण सुधार योजना की साध्यता का पता लगाना शामिल हैं.
- अन्य स्टेकहोल्डर्स के परामर्श से, चीनी उद्योग के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज घोषित. चीनी मिलों को अस्थायी राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजन से, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय बैंक से परामर्श कर बैंक एवं अन्य ऋणवितरण एजेंसियां, चीनी मिलों द्वारा लिये गये ऋणों की पुनः संरचना की जांच करेंगी.
- सहकारी ऋण संरचना का पुनरुद्धार, जिसमें 15,000 करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित है, जिसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना है.
- पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयोजन से, सरकारों को एक नेशनल कैटल डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना पर विचार करना है.
- लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण तक आसान पहुंच के प्रयोजन से, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना का उदारीकरण. संतोषजनक ट्रैक रिकार्ड वाले उधारकर्ताओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण की सीमा 1 मार्च 2004 से 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जानी है.

बॉक्स 1.2

केंद्रीय बजट 2004-05 : कृषि और ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य-मुख्य बातें

- तीन वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह दोगुना करना. 18 जून 2004 को घोषित कृषि ऋण नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और सहकारी बैंकों को जिम्मेदार बनाना.
- समुचित विनियमन व्यवस्था की प्रणाली सहित सहकारी बैंकिंग प्रणाली में अपेक्षित सुधारों के परीक्षण के लिए कार्यदल की नियुक्ति. कार्य दल द्वारा 31 अक्तूबर 2004 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना.
- अपने नियंत्रणाधीन क्षेग्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन के लिए प्रायोजक बैंकों को पूर्णतः जवाबदेह बनाना, व्यवस्था संबंधी नए मानदंडों को अपनाने वाले और विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करने वाले क्षेग्रा बैंकों का अपनी पुनः संरचना के लिए निधि प्राप्त करने का पात्र होना.
- आरआईडीएफ की पुनः स्थापना और वर्ष 2004-05 के दौरान रु. 8,000 करोड़ की समूह निधि.
- वर्ष 2004-05 के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को रु. 2,800 करोड़ प्रदत्त ताकि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक मार्च 2006 तक बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा सके.
- कृषि से प्रत्यक्षतः जुड़ी जल बॉडीज़ की मरम्मत, उनके नवीकरण और उनकी पुनः स्थापना के लिए रु. 100 करोड़ की एक पायलट परियोजना की, देश के पांच क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच जिलों में शुरुआत.
- प्रति इकाई रु. 20,000 की औसत लागत से अजा/ अजजा के लिए एक लाख सिंचाई इकाइयों की, रु.100 करोड़ की राष्ट्रव्यापी जलसंग्रहण परियोजना शुरू करना. नाबार्ड द्वारा आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना. सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से 50% पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराना.
- वर्तमान वर्ष में बाढ़ और क्षरण से सुरक्षा के लिए रु. 30 करोड़ के आवंटन से एक कार्यक्रम शुरू करना.
- वर्ष 2011-12 तक बागवानी उत्पादों को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करना.
- राज्यों को आनंद मॉडल का अनुकरण करने और बागवानी के विकास के लिए राज्यस्तरीय सहकारी समिति स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना.
- किसान तिलहन उत्पादन की ओर उन्मुख हों, इसकी सुविधा प्रदान करने के लिए बेहतर बीज-प्रौद्योगिकी और मूल्य समर्थन नीति को बढ़ावा देना.
- परिपक्व स्वयं सहायता समूहों को उपभोक्ता/उत्पादन ऋण से छोटे-छोटे उद्यमों की ओर ले जाना. 31 मार्च 2007 तक 5.85 लाख समूहों को नाबार्ड, सिडबी, बैंकों और अन्य एजेंसियों द्वारा बैंक ऋण से जोड़ना.
- कृषि व्यापार को तेजी से बढ़ावा देने के लिए छोटे किसानों के कृषि व्यापार कन्सॉर्टियम को अतिरिक्त पूंजी देना, कृषि उत्पाद बाजारों में सुधार और कृषि-व्यापार को बढ़ावा देने के उपाय शुरू करना.
- शुष्क भूमि और असिंचित क्षेत्रों में खेती पर विशेष ध्यान देते हुए जैव प्रौद्योगिकी, टीका और डायग्नोस्टिक्स जैसे नए क्षेत्रों तक कृषि अनुसंधान का विस्तार. वर्ष 2004-05 के लिए रु.1000 करोड़ का आवंटन.
- रबी 2003-04 में 12 राज्यों के 19 जिलों में शुरू की गई कृषि आय बीमा की प्रायोगिक योजना को खरीफ 2004 के लिए लागू करना. ट्रायल आधार पर 20 रेनगॉज स्टेशनों में कृषि बीमा कं. द्वारा मौसम बीमा शुरू करना.
- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के परामर्श से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं बनाने, उन्हें लागू करने, उनका स्वामित्व लेने, उन्हें परिचालित करने और उनका रखरखाव करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन.
- कॅयर, हैंडलूम, हस्तशिल्प, रेशमपालन, चर्म शिल्प, मिट्टी के बरतन बनाने आदि परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए रु.100 करोड़ की निधि की स्थापना.
- ट्रैक्टरों, डेरी मशीनरी और फावडा, बेलचा, हंसिया आदि औजारों को उत्पाद शुल्क से छूट. प्रोसेस्ड मीट, पोल्ट्री और फिशरी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 16%. बागवानी की मशीनरी और चाय-कॉफी बागानों से संबंधित मदों पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रामीण आवास के लिए बैंक ऋण की चुकौती के मानदंडों को फसल चक्र के अनुकूल बनाने के लिए उसका संशोधन.
- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल विकास योजना शुरू करना और विभिन्न एजेंसियों से निधि उपलब्ध कराकर 7-10 वर्षों में उसे पूरा करना.
- 15 प्रतिशत सब्सिडी पर, पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के तहत रु.1 करोड़ की उच्चतम ऋणसीमा सहित एसएसआई योजना के संवर्धन के लिए रु. 135.24 करोड़ का प्रावधान.

टन के स्तर तक रहा जिसमें 3.0 मिलियन टन समुद्री मत्स्यपालन से और 3.2 मिलियन टन अंतर्देशीय मत्स्यपालन से था. यद्यपि मूल्य की दृष्टि से मत्स्य उत्पादन देश के खाद्य उत्पादन का केवल 3.2 प्रतिशत है, किन्तु समुद्री उत्पाद के निर्यातों से होने वाला अर्जन (जनवरी 2004 के अंत में 1,066 मिलियन अमेरिकी डालर) कृषि क्षेत्र के निर्यातों (जनवरी 2004 के अंत में 5,641 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का 18.9 प्रतिशत था. मत्स्य निर्यात की वर्तमान मात्रा (0.47 मिलियन टन) कुल मत्स्य उत्पादन की केवल 7.6 प्रतिशत है, जबकि विश्व स्तर पर यह औसतन 11 प्रतिशत है.

औ. कृषि व्यापार

क. निर्यात

1.30 अंतर-राष्ट्रीय कृषि-व्यापार में भारत का हिस्सा ऐतिहासिक रूप से कम रहा है और वर्तमान में यह लगभग एक प्रतिशत है. देश के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का मूल्य 1990-91 के 18.5 प्रतिशत से काफी गिरकर 2002-03 में 13.1 प्रतिशत रह गया, जब कि इसी अवधि में कृषि-आयात 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गया (तालिका 1.11). अप्रैल-फरवरी 2003-04 के दौरान कुल निर्यातों में कृषि निर्यातों का हिस्सा घटकर 11.7 प्रतिशत रह गया, जो कि 2002-03 की इसी अवधि के दौरान 12.9 प्रतिशत था. कृषि-निर्यातों की वृद्धि दर अप्रैल 2003-फरवरी 2004 में घटकर 7.1 प्रतिशत रह गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 14.1 प्रतिशत थी. अप्रैल 2003-जनवरी 2004 के दौरान पण्य-वार, निर्यात में वृद्धि, कैश्यूनट शैल लिक्विड की न्यूनतम (-) 81.3 प्रतिशत से लेकर रॉ काटन(जिसमें अवशिष्ट भाग भी शामिल है) की अधिकतम 721.5 प्रतिशत तक के बीच रही. जनवरी 2004 के अंत की निर्यात-निष्पादकता की स्थिति से पता चलता है कि अनाजों, मूंगफली, तिलहनों, ताजा फलों/सब्जियों, डेरी, मुर्गीपालन और पुष्पोद्यान उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई, जबकि कुछ कृषि और कृषि-प्रसंस्कृत वस्तुओं अर्थात् चाय, मसालों, तंबाकू, प्रसंस्कृत फलों और रसों, बासमती चावल आदि के निर्यात में कमी आई.

ख. आयात

1.31 कुल राष्ट्रीय आयातों में खाद्य पदार्थों और उससे संबंधित उत्पादों के आयात का हिस्सा अप्रैल 2003-फरवरी 2004 के दौरान 4.8 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 4.6 प्रतिशत था. जिन मदों के आयात में वृद्धि हुई, वे थीं : फल और गिरीदार फल, दूध एवं क्रीम, वनस्पति तेल आदि, जबकि दालों, अनाज से बनी हुई वस्तुओं, चावल, मसालों आदि के मामले में गिरावट देखने में आई. कृषि आयातों की दृष्टि से वनस्पति तेल सबसे बड़ी मद रही, जिसका हिस्सा अप्रैल 2003-फरवरी 2004 के दौरान कुल कृषि आयात का 75.4 प्रतिशत था. कृषि आयातों की कुल राशि अप्रैल 2003-फरवरी 2004 के दौरान 3,282.2 मिलियन अमेरिकी डालर रही, जबकि अप्रैल 2002-फरवरी 2003 के दौरान यह 2,529.6 मिलियन अमेरिकी डालर थी. इस प्रकार इसमें 29.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

ग. विश्व व्यापार संगठन - नवीनतम स्थितियां

1.32 जनरल एग्रीमेन्ट ऑन ट्रेड एण्ड टैरिफ के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत ने उरुग्वे राउण्ड नेगोशियेशन्स के तहत हस्ताक्षरित, कृषि-करार (एओए) पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके परिणामस्वरूप 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी. कृषि-करार निष्पादित

तालिका 1.11ः कृषि निर्यात और आयात

(रु. करोड़)

वर्ष	कृषि निर्यात	कुल निर्यात	कृषि आयात	कुल आयात
1990-91	6,012.8(18.5)	32,527.3	1,205.9(2.8)	43,170.8
1995-96	20,397.7(19.2)	1,06,353.4	5,890.1(4.8)	1,22,678.1
1999-00	25,313.7(15.9)	1,59,095.2	16,066.7(7.5)	2,15,528.5
2000-01	28,657.4(14.2)	2,01,356.5	12,086.2(5.3)	2,28,306.6
2001-02	29,728.6(14.2)	2,09,018.0	16,256.6(6.6)	2,45,199.7
2002-03*	33,126.5(13.1)	2,52,790.0	17,100.2(5.8)	2,96,596.9

** अनंतिम. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल निर्यात/आयात में कृषि-निर्यात/आयात का हिस्सा दर्शाते हैं.*

होने से कृषि-जिन्सों के लिए न्यूनतम बाजार-पहुंच, प्रशुल्केतर बाधाओं (एनटीबी) का हटाया जाना, कृषि क्षेत्र के लिए घरेलू सहायता और निर्यात-सब्सिडी, इसकी सीमा में आ गईं. कोटा, उगाहियों, न्यूनतम आयात कीमतों, विवेकाधिकार-आधारित लाइसेंसिंग आदि जैसी मौजूदा प्रशुल्केतर बाधाएं या तो समाप्त की जानी थीं या फिर प्रशुल्कीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रशुल्कों में परिवर्वर्तित की जानी थीं. इसके अनुसरण में, भारत ने मार्च 2001 तक 1,429 मदों के मामले में मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) हटा दिये थे, जिनमें से 208 मदें कृषि क्षेत्र से संबंधित थीं. मात्रात्मक प्रतिबंधों को धीरे-धीरे समाप्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय कृषि की सुरक्षा के प्रयोजन से, भारत सरकार ने कई अन्य उपाय भी किये. गेहूं, चावल, चीनी और स्किम्ड मिल्क पाउडर, मुर्गीपालन-उत्पादों आदि जैसे कई कृषि-उत्पादों में आयात शुल्क बढ़ा दिये गये. विभिन्न खाद्य परिरक्षकों और योगजों, दुग्ध पाउडर, शिशु दुग्ध आहार आदि जैसे 131 उत्पादों के आयात की अनुमति, घरेलू उत्पादों के मामले में लागू अधिदेशात्मक भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की शर्त पर दी गई.

1.33 नवंबर 2001 में दोहा, कतर में चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 'दोहा घोषणा' में बाजार-पहुंच में पर्याप्त सुधार करने, सभी प्रकार की निर्यात-सब्सिडी कम करने एवं धीरे-धीरे उन्हें समाप्त कर देने और व्यापार बिगाड़ने वाली घरेलू सहायता में काफी कमी लाने की दृष्टि से व्यापक बातचीत पर बल दिया गया. इससे भारत से कृषि-निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी क्योंकि वर्तमान में यूरोपीय संघ द्वारा भारी सब्सिडी के कारण भारतीय कृषि-उत्पाद विश्व-बाजार में अप्रतिस्पर्धात्मक हो जाते हैं. तथापि सितंबर, 2003 में कैनकुन, मैक्सिको में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों का पांचवें मंत्री स्तरीय सम्मेलन, विकासशील देशों की चिंता के मुद्दों का समाधान निकालने में असफल रहा, विशेष रूप से उन मुद्दों का जो कि विकसित देशों में कृषकों को उपलब्ध कराई जाने वाली कृषि-सब्सिडी कम करने और धीरे-धीरे उन्हें समाप्त करने से संबंधित हैं. इसके परिणामस्वरूप, इस मामले में एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि विकासशील देशों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों से इतर मुद्दों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया, जबकि विकसित देश सिंगापुर बैठक में उठाये गये मामलों अर्थात निवेश, प्रतियोगिता, सरकारी प्रापण में पारदर्शिता और व्यापार-सुगमीकरण पर चर्चा करना चाहते थे.

घ. विपणन सुविधाएं

1.34 भारत सरकार, कृषि उत्पादों के विपणन के प्रयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत विनियमित बाजारों को सहायता उपलब्ध कराती है ताकि आधारभूत सुविधाओं और ग्रामीण गोदामों की स्थापना हो सके. यदि ग्रामीण हाटों और अन्य व्यापार गतिविधियों से मूल्य संवर्धन होता है तो नाबार्ड उनके वित्तपोषण के लिए भी बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है. कृषि विपणन से जुड़े केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठनों में, रबड़, काफी, चाय, तंबाकू, मसाला, नारियल और बागवानी के विशेषज्ञ विपणन बोर्डों के अलावा, कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम और भारतीय जूट निगम शामिल हैं. स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों की सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क भी कृषि विपणन में सहायता करता है.

1.35 भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण और विकास के प्रयोजन से, एक अंतर-मंत्रालयीन कार्य दल का गठन किया था. कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट जून 2002 में प्रस्तुत की, जिसमें सुधार के कई उपायों की रूपरेखा दी गई थी. कार्य दल द्वारा सुझाये गये कुछ सुधार-उपायों में, सीधे विपणन और ठेके पर खेती के संवर्धन हेतु राज्य कृषि उत्पाद एवं विपणन समिति अधिनियम में संशोधन करना, निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में कृषि बाजारों का विकास करना, समस्त कृषि जिन्सों को शामिल करने के लिए वायदा व्यापार का प्रसार करना, किसानों को बाजार-उन्मुख प्रसार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना आदि शामिल हैं. दो राज्यों अर्थात कर्नाटक और महाराष्ट्र ने कृषि उत्पाद एवं विपणन समिति अधिनियम को पहले ही संशोधित कर दिया है.

ङ. खाद्यान्नों का प्रापण और स्टाक

1.36 खाद्यान्नों का प्रापण 2003-04 के दौरान घटकर 36.5 मिलियन टन रह गया, जबकि 2002-03 के दौरान यह 38.1 मिलियन टन था. इसका मुख्य कारण यह था कि इस अवधि में गेहूं का प्रापण 19.1 मिलियन टन से घटकर 15.8 मिलियन टन रह गया था.तथापि इसी अवधि में चावल का प्रापण 19 मिलियन टन से बढ़कर (8.9 प्रतिशत) 20.7 मिलियन टन हो गया, भारतीय खाद्य निगम और राज्य स्तरीय एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का स्टाक 1 जून 2002 के 64.8 मिलियन

टन के उच्चतम स्तर से घटकर 1 मार्च 2004 को 22.8 मिलियन टन रह गया था. किन्तु खाद्यान्नों का स्टाक 1 जनवरी और 1 अप्रैल को (15.6 मिलियन टन) बनाए रखने के मानदण्ड से अभी भी ऊपर (16.8 मिलियन टन) है. स्टाकों में अत्यधिक कमी का कारण 2002-03 और 2003-04 के रबी विपणन सीजन में गेहूं का कम प्रापण होना था. पिछले वर्ष की तुलना में, खाद्यान्नों का उठाव, 2003-04 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान, टार्गेटेड प्रॉडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत 13 प्रतिशत अधिक और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 28 प्रतिशत अधिक था.

अं. कृषि सुधार पहलें

1.37 प्राकृतिक संसाधनों के समन्वित, कुशल और धारणीय उपयोग, कृषि-प्रसंस्करण और मूल्य-संवर्धन के प्रोत्साहन, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, निर्यातोन्मुखता आदि के ध्येय से कृषि में सुधार निर्देशित हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्यों ने सुधार की दिशा में पहलें की हैं, ताकि उनके कृषि क्षेत्र का सामान्य रूप से और कृषि-प्रसंस्करण, विपणन एवं कृषि से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के विकास आदि का विशेष रूप से सुदृढ़ीकरण हो सके.

क. कृषि विपणन

1.38 कृषि विपणन में निजी सहभागिता में सहायता के प्रयोजन से, भारत सरकार ने 'कृषि उत्पाद विपणन, विकास और विनियमन अधिनियम, 2003' का नमूना मसौदा राज्य सरकारों में परिचालित किया, ताकि उनके संबंधित कृषि उत्पाद विपणन अधिनियमों में समुचित संशोधन किये जा सकें. कृषि विपणन में निजी सहभागिता को अनुमति प्रदान करने में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब अग्रणी रहे हैं.

1.39 कृषि-बाजारों की स्थापना और प्रबंध में निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से, राज्य सरकारों द्वारा उनकी कृषि विपणन समितियों के माध्यम से विभिन्न परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं. इस संबंध में, आंध्र प्रदेश में 'रितु बाजार' और 'रितु बंधु पाठकम' योजना नामक एक अभिनव परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जो कि औने-पौने दामों में कृषकों के उत्पादों की बिक्री रोकने के प्रयोजन से, कृषकों के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने/कृषकों के उत्पाद विपणन समिति के पास गिरवी रखने में कृषकों की सहायता करती है. महाराष्ट्र सरकार ने अपने कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में अप्रैल 2003 में संशोधन किया, ताकि कृषक अपने उत्पाद बिचौलियों के बिना ही उपभोक्ताओं को सीधे बेच सकें. महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य भंडारण रसीद प्रणाली और कृषकों को बाजार-उन्मुख विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग भी आरंभ किया है. कर्नाटक ने अपने कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन किया है, ताकि एक 'राष्ट्रीय समन्वित उत्पाद बाजार' की स्थापना हो सके, जिसका, स्वामित्व और प्रबंध स्वायत्त संस्था के रूप में, नेशनल डेरी डेवलपमेन्ट बोर्ड (एनडीडीबी) के पास रहेगा. उड़ीसा में पांच अलग-अलग स्थानों पर जिला प्रशासन के कार्यक्षेत्र में 'मॉडल कृषक बाजार' स्थापित किए जाएंगे, ताकि कृषकों को उनके उत्पाद के विपणन के लिए अवसर उपलब्ध हो सकें.

ख. सिंचाई और जल आपूर्ति

1.40 जल का संरक्षण और प्रबंध सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, कई राज्यों ने सिंचाई क्षेत्र में सुधार आरंभ किये हैं. आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश भूमि, जल और वृक्ष अधिनियम, 2002 नामक एक अधिनियम बनाया है, जिसके अंतर्गत माइक्रो सिंचाई प्रणालियों की स्थापना से, सभी संवर्गों के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये होगी. इष्टतम जल-प्रबंध के प्रयोजन से, उड़ीसा सरकार ने अधिक 'पानी पंचायतों' के गठन को प्रोत्साहित किया था. कर्नाटक ने भी वर्ष 2000 में कर्नाटक सिंचाई अधिनियम में संशोधन किया. इससे लगभग 1,712 जल उपयोगकर्ता संघों की स्थापना कराके उन्हें जल-संरचनाओं के रखरखाव के प्रयोजन से संसाधन-संग्रहण का प्राधिकार मिल गया है. टपक और छिड़काव सिंचाई अपनाकर जल का उपयोग अधिक कुशलता से करने के लिए एक 'राज्य जल नीति' भी तैयार की गई. इस प्रकार के निवेशों के मामले में शत प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है. पंजाब ने हल्की मृदाओं, असमतल स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में और फसलों एवं धान से इतर फसलों की खेती के लिए टपक/छिड़काव सिंचाई आरंभ की थी. झारखण्ड में कृषकों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से 'ग्राम भागीरथी योजना' कार्यान्वित की जा रही है. सिंचाई के अंतर्गत कमाण्ड एरिया में वृद्धि के प्रयोजन से, राज्य में कार्यान्वित की जा रही समस्त लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, पहलें की जा रही हैं.

ग. कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन

1.41 कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से, झारखण्ड ने 'झारखण्ड औद्योगिक नीति' की घोषणा की, जिसमें कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है. कृषि खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के साथ निष्पादित सहमति-ज्ञापन के तहत, सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से, तीन जिलों अर्थात हजारीबाग, लोहरदगा और रांची में कृषि निर्यात अंचल स्थापित किये गये हैं. मध्य प्रदेश में सरकार ने प्याज, लहसुन, आलू, मसालों और गेहूं के लिए तीन जिलों में कृषि निर्यात अंचल बनाने के लिए कार्रवाई आरंभ की है. मध्य प्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया है, ताकि पूर्व निर्धारित दरों पर प्रसंस्करण/विपणन आदि के लिए कृषकों से कृषि उत्पाद खरीदने के इच्छुक प्रसंस्करणकर्ताओं/कंपनियों के साथ ठेका खेती करार निषापादित किये जा सकें. उत्तर प्रदेश सरकार ने, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयोजन से, एक नीति पैकेज की घोषणा की. इसके मुख्य प्रोत्साहन/प्रस्ताव, व्यापार पर कर से छूट, आसान शर्तों पर भूमि की उपलब्धता, उद्यम पूंजी निधि की स्थापना, कोल्ड चेन का विकास, ठेके पर खेती का सुदृढ़ीकरण आदि हैं. आम, आलू और बासमती चावल के लिए कृषि निर्यात अंचलों की योजना भी तैयार की जा रही है. अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए बासमती चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से, सरकार द्वारा एक 'बासमती फाउण्डेशन' की स्थापना की गई. इसी प्रकार, महाराष्ट्र में आम (अलफान्सो और केसर), प्याज, संतरे, अनार और केले के लिए कृषि निर्यात अंचलों की स्थापना की जा रही है.

1.42 उत्पादन और उपभोक्ता दोनों ही स्तरों पर सब्सिडीयुक्त पैकेजिंग और प्रशीतित भंडारण उपलब्ध करा कर कृषि-निर्यातों के संवर्धन के लिए पंजाब का योजना बनाने का विचार है. आंध्र प्रदेश में 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग' के मामले में एक राज्य नीति तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न उत्पादन के मामले में प्रोत्साहन (माइक्रो सिंचाई प्रणाली, संकर बीजों के उत्पादन, फसल की कटाई के बाद की सुविधाओं के संवर्धन पर सब्सिडी) और प्रसंस्करण से संबंधित सब्सिडी-योजनाओं (ब्याज सब्सिडी, मुद्रांक शुल्क पर सब्सिडी, मशीनीकृत ग्रेडिंग और पैकेजिंग पर सब्सिडी आदि), रियायती विद्युत प्रशुल्क, बाजार-उपकर की अदायगी से छूट आदि उपलब्ध कराना है. कर्नाटक में कृषि-व्यवसाय समुदाय के लाभ के प्रयोजन से, पांच खाद्य और कृषि-प्रौद्योगिकी पार्क्स (एफएटीपी), अनुपूरक सेवाओं सहित, स्थापित किये जा रहे हैं. ठेके पर खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, 'फूड कर्नाटक लिमिटेड' नामक एक विशिष्ट प्रयोजन माध्यम को, कृषकों और निजी क्षेत्र के बड़े खाद्य उत्पादकों के बीच साझेदारी निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है. जम्मू और कश्मीर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि फलों एवं सब्जियों की 'शेल्फ लाइफ' का परिरक्षण करने एवं उसे बढ़ाने, कट फ्लावर्स की वाणिज्यिक खेती आरंभ करने और औषधीय एवं सगंध फसलों के वाणिज्यिक उपयोग के प्रयोजन से, नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी का संवर्धन किया जाए. फलोत्पादकों को समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के प्रयोजन से, एक बाजार सहयोग योजना भी आरंभ की गई है.

घ. वन और आदिवासी विकास

1.43 आंध्र प्रदेश सरकार ने व्यापक आदेश जारी किये हैं, जिनके अनुसार निम्न कोटि के वनों में, 'संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम' आरंभ कर स्थानीय लोगों की सहभागिता से, सुधार किया जाना है. ये आदेश मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित हैं : (I) अन्तर-क्षेत्र समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, राज्य, जिला और समन्वित आदिवासी विकास प्राधिकरण स्तर पर समितियों का गठन, (II) संयुक्त वन प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधित वनों से प्राप्त संपदा के उपभोग के अधिकार की हिस्सेदारी और (III) तेंदु-पत्ता जैसे वन-उत्पाद के एकत्रीकरण में वन संरक्षण समितियों की भूमिका के लिए उनको प्रोत्साहन प्रदान करना आदि. केरल में, आदिवासियों के लिए 'न्यू बेसिक नीड्स पैकेज' की घोषणा की गई है जिसके तीन घटक अर्थात् निर्धन आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं आवासन और स्वच्छता हैं. भूमिहीन आदिवासियों के पुनर्वास पर भी बल दिया गया है.

II विकास कार्य

अपने विकास कार्य के एक भाग के रूप में नाबार्ड ने वाटरशेड विकास, पिछड़े इलाकों के समेकित विकास, औषधीय फसलों की खेती, कृषि-निर्यात क्षेत्रों, कृषि क्लिनिक्स तथा कृषि व्यापार केंद्रों, कृषक सेवा केंद्रों को प्रोत्साहन देने, रोजगार में वृद्धि के लिए गैर कृषि गतिविधियों के विकास, माइक्रो फाइनांस संस्थाओं / स्वयं-सहायता समूहों (स्वससमूहों) के माध्यम से ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली के विस्तार, महिला सशक्तीकरण तथा पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने का कार्य जारी रखा. ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास तथा कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में अनुसंधान और विकास के लिए सहायता देने का कार्य भी निरंतर जारी रहा. बैंक द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों तथा ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के अपने मिशन के अनुसरण में, भारत सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को बैंक द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया गया है.

कृषि क्षेत्र

अ. वाटरशेड विकास

2.2 वर्ष 1999-2000 के दौरान रु.200 करोड़ की समूह निधि से नाबार्ड में स्थापित वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यू डी एफ) से वाटरशेड विकास हेतु सामूहिक सहभागिता दृष्टिकोण के संदेश के प्रचार-प्रसार की ओर लक्षित वाटरशेड विकास कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा मिला. अब तक 10 राज्यों के 103 जिलों की पहचान की जा चुकी है तथा उनमें से 77 में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है. कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही हैं *अर्थात्* क्षमता निर्माण चरण तथा पूर्ण कार्यान्वयन चरण. वर्ष के दौरान क्षमता निर्माण चरण के अंतर्गत रु.2.72 करोड़ की अनुदान सहायतायुक्त 54 वाटरशेड परियोजनाएं मंजूर की गईं, जिससे मंजूर की गई परियोजनाओं की कुल संख्या 274 और अनुदान सहायता की कुल राशि रु.13.12 करोड़ हो गई. वर्ष के दौरान 70 परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए रु.68.56 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई.वर्ष के दौरान जारी रु.5.06 करोड़ को मिलाकर अब तक कार्यान्वयक एजेंसियों को रु.11.47 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है. क्षमता निर्माण चरण के दौरान इन परियोजनाओं में 0.24 लाख हैक्टेयर का क्षेत्र आएगा और अंततः पूर्ण कार्यान्वयन चरण में आने पर यह 2.57 लाख हैक्टेयर हो जाएगा. अब तक 37 परियोजनाएं पूर्ण कार्यान्वयन चरण में प्रवेश कर चुकी हैं.

2.3 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अपनाए गए दृष्टिकोणों के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से मई 2003 में रांची, झारखंड में, ''वाटरशेड परियोजनाओं के अनुप्रवर्तन एवं मूल्यांकन तथा वाटरशेड विकासोत्तर कार्यनीति'' विषय पर राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला बैंक द्वारा आयोजित की गई, जिसमें गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों तथा अन्य विकास एजेंसियों ने भाग लिया. इस कार्यशाला का उद्देश्य था - अन्य राज्यों को सामूहिक सहभागिता पद्धति की प्रभावशीलता और उसके सकारात्मक प्रभावों के महत्व के बारे में समझाना तथा इस प्रकार उन्हें वाटरशेड विकास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना.

खराब हो चुकी जमीन पर लहलहाते पेड़.

वाडी पौधशाला - महिला सशक्तीकरण की ओर कदम

आ. पिछड़े ब्लॉकों का समेकित विकास

2.4 भिन्न-भिन्न ऋण और विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं को मिलाकर पिछड़े ब्लॉकों के समेकित विकास हेतु एक प्रायोगिक परियोजना जुलाई 2003 में प्रारंभ की गई, जिसमें 10 अपेक्षाकृत पिछड़े ब्लॉक शामिल किए गए हैं. जिनमें से एक आंध्रप्रदेश में, एक तमिलनाडु में, दो गुजरात में, दो महाराष्ट्र में और चार कर्नाटक में हैं.

2.5 इन ब्लॉकों में, स्वयं सहायता समूहों के गठन, ऋण वितरण में तेजी लाने के लिए वर्तमान स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने, विकास वालंटियर वाहिनी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को कृषक क्लबों में संगठित करने, इस समय चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने तथा चयनित ब्लॉकों के समेकित विकास के लिए नवोन्मेषी पहल जैसे ठोस प्रयास किए जा रहे हैं. इन ब्लॉकों में जरूरी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए आरआईडीएफ से सहायता प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श चल रहा है. शिक्षित बेराजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उनकी उद्यमिता एवं दक्षता के विकास हेतु ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आरईडीपी) के माध्यम से कई प्रकार की नई पहलें की गईं. इसके अतिरिक्त उपर्युक्त दस में से हर ब्लॉक में एक-एक वाटरशेड विकास परियोजना लागू करने तथा डब्ल्यूडीएफ के अनुदान घटक में से जनजातियों के विकास की **''वाडी परियोजना''** जैसी परियोजना गुजरात के पंचमहाल जिले के जम्बूघोड़ा ब्लॉक में भी चलाने का निर्णय लिया गया. ''वाडी'' दो या तीन एकड़ का, स्थानीय क्षेत्र के अनुरूप, फलों की फसल का एक छोटा बाग होता है, जिसकी बाड़ पर वानिकी रोपण होता है. जनजाति विकास में ''वाडी'' प्रयोग बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है.

इ. कृषि क्लिनिक तथा कृषि व्यापार केंद्र

2.6 भारत सरकार ने वर्ष 2001-02 में कृषि / पशु चिकित्सा स्नातकों द्वारा कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यापार केंद्रों की स्थापना नामक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य था - प्रौद्योगिकी अंतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वर्तमान विस्तार तंत्र की कमियों को पूरा करना, कृषकों को निवेश तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने के राज्य एजेंसियों के प्रयासों में सहयोग करना तथा कृषि स्नातकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना. भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि क्लिनिकों तथा कृषि व्यापार केंद्रों के लिए दिए जाने वाले ऋणों को, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ''प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम'' के रूप में वर्गीकृत किया है. अब तक 12 राज्यों में 4,168 स्नातकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिनमें से 802 ''कृषि-उद्यमियों'' ने देश के विभिन्न भागों में कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्र प्रारंभ कर दिए हैं. इनमें से अधिकांश आंध्रप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में हैं.

2.7 कृषि क्लिनिकों की स्थापना हेतु वित्त की व्यवस्था, बैंक वित्त हेतु दी जाने वाली प्रतिभूतियों, योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं आदि की जांच करने के लिए नाबार्ड ने कुछ राज्यों में एक अध्ययन किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पाया गया कि अधिकांश कृषि-स्नातक बैंक ऋण हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं थे. कुछ बैंक शाखाओं को योजना के बारे में जानकारी कम थी तथा उवर्रक, कीटनाशक आदि के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी. नाबार्ड ने कार्यशालाओं तथा डीएलसीसी, एसएलबीसी आदि उपलब्ध मंचों के माध्यम से बैंकरों को, कृषि - क्लिनिक्स और कृषि व्यापार केन्द्र की स्थापना के प्रयोजन से, ऋण सहायता प्रदान करने के मामले में जागरूक बनाने का प्रयास किया.

ई. कृषि प्रयोजन हेतु भूमि की खरीद का वित्तपोषण

2.8 यह योजना वर्ष 2001-02 से चल रही है तथा इसका उद्देश्य है - लघु एवं सीमांत कृषकों को कृषि भूमि / परती भूमि / बंजर भूमि की खरीद, विकास तथा उस पर खेती के लिए वित्त प्रदान करना तथा साथ ही अन्य संबद्ध गतिविधियों की स्थापना करने अथवा उनके विविधीकरण के लिए भूखंड की खरीद हेतु वित्तपोषण. वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल रु.41.50 करोड़ का संवितरण हुआ, जिसका अधिकांश हिस्सा अर्थात् रु.20.38 तथा रु.11.92 करोड़

बांस - बहु-उपयोगी और चिरनवीन संसाधन

क्रमशः हरियाणा एवं पंजाब में हुआ जबकि केरल, तमिलनाडु तथा मध्यप्रदेश में क्रमशः रु.3.19 करोड़, रु.2.37 करोड़ तथा रु.1.95 करोड़ का संवितरण हुआ.

2.9 वर्ष 2002-03 में कर्नाटक एवं हरियाणा में किए गए अध्ययनों के अतिरिक्त तमिलनाडु के तंजौर तथा, मदुरै जिलों में वर्ष 2003-04 में एक निवेश-विशिष्ट अध्ययन किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ योजना के धीमे कार्यान्वयन के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया. अध्ययन में यह पाया गया कि बाजार-दर पर आधारित भूखंड की वास्तविक खरीद कीमत, रजिस्ट्रार / उप-रजिस्ट्रार के रिकार्ड के आधार पर औसत पंजीकरण मूल्य से काफी अधिक थी जिसके कारण अधिक नकद अदायगी की मांग की गई. योजना के प्रति जागरूकता का अभाव भी इसकी धीमी प्रगति का एक कारण रहा.

उ. बांस की खेती का विकास

2.10 बांस की खेती के उन्नयन के लिए नेशनल मिशन ऑन बैम्बू टेक्नोलॉजी एण्ड ट्रेड डेवलपमेंट द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के अनुरूप नाबार्ड ने बांस-क्षेत्र को विशेष दर्जा प्रदान किया है. बांस विकास हेतु नाबार्ड की नीति का उद्देश्य ''वानिकी मानसिकता'' को ''खेती मानसिकता'' में बदलकर बांस की खेती, प्रसंस्करण तथा विपणन को मुख्य धारा में लाना है. बैम्बू मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में दो मिलियन हैक्टे. भूमि को बांस-रोपण के अंतर्गत लाने की योजना है. इसके लिए बैंक ने, केंद्रीकृत तथा विकेंद्रीकृत तंत्र के अंतर्गत नर्सरी के वित्तपोषण के लिए एक भावी आयोजना तैयार की है, जिसमें संभावना वाले राज्यों में दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान रु.1,000 करोड़ की निवेश लागत से तीन लाख हैक्टेयर भूमि में बांस-रोपण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी. परिचालनगत तथा नीतिगत मुद्दों को व्यवस्थित करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में एक **बैम्बू-कक्ष** गठित किया है, तथा एक नीतिगत दस्तावेज भी तैयार किया है, जिसमें बांस की खेती की उत्पादनपूर्व, रोपण तथा उत्पादन-पश्चात् अवस्थाओं हेतु अपेक्षित प्रोत्साहक एवं ऋण सहायता इंगित की गई है.

ऊ. औषधीय और सगंध फसलों की खेती

2.11 औषधीय और सगंध फसलों के संरक्षण और उनकी खेती को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति के अनुसरण में नाबार्ड ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाए, जिनमें निर्माताओं और व्यापारियों की राज्य-वार निर्देशिका तैयार करना और अधिक मांग वाली प्रजातियों की 45 बैंक साध्य मॉडल योजनाएं तैयार करना शामिल है.

2.12 देश में औषधीय और सगंध फसलों की खेती के संवर्धन के प्रति बैंक अधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से, औषधीय सगंध फसलों के क्षेत्र में काम कर रहे ख्यातिप्राप्त संस्थानों के माध्यम से 8 'प्रशिक्षण-सह-परिचयात्मक कार्यक्रम' आयोजित किए गए, जिनमें देश भर से 191 सहभागियों ने भाग लिया. इन कार्यक्रमों से औषधीय

भारत की संपदा - सर्पगंधा

और सगंध फसलों के संवर्धन के लिए राज्य-विशिष्ट कार्ययोजनाएं तैयार करने में सहायता मिली.

2.13 किसानों द्वारा उगाई जाने वाली औषधीय और सगंध फसलों के लिए लाभकारी कीमतें और एक स्थिर बाजार सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने रिलायंस लाइफ सायंसेज, ग्यूफिक, कावा बायोटेक, नेचरल रेमेडीज, झंडु फार्मास्युटिकल्स जैसे कारपोरेट घरानों से बातचीत शुरू की. इसके परिणामस्वरूप ठेका खेती प्रणाली के माध्यम से बैफ, पुणे के मार्गनिर्देशन में, गुजरात के वाड़ी परियोजना क्षेत्र में *बिक्सा* और *पचौली* की खेती शुरू हुई. औषधीय और सगंध फसलों का वित्तपोषण कई राज्यों में वित्तमान और इकाई लागत के निर्धारण के साथ ही आरंभ हो गया. इन फसलों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने के लिए एक तंत्र भी विकसित किया गया है.

ए. कृषि-निर्यात क्षेत्र

2.14 कृषि-निर्यात के महत्व को समझते हुए एपेडा ने 48 कृषि-निर्यात क्षेत्र अधिसूचित किए हैं, जिनके अंतर्गत 193 जिले आते हैं और इन क्षेत्रों में विकास के लिए 20 फसलों की पहचान की है. 119 जिलों में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों ने उक्त प्राधिकरण के नोडल अधिकारियों के साथ कृषि निर्यात क्षेत्रों के संवर्धन के लिए समन्वय करना जारी रखा. नाबार्ड ने अधिसूचित कृषि-निर्यात क्षेत्रों के अंतर्गत सभी गतिविधियों के लिए अपनी सभी ग्राहक संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधा दी. बैंक-वित्त की पहुंच को और अधिक विस्तार देने के उद्देश्य से नाबार्ड ने एक विशेष पुनर्वित्त पैकेज विकसित किया, जिसे ठेका-खेती की सभी व्यवस्थाओं (कृषि निर्यात क्षेत्र के बाहर और भीतर) के लिए उपलब्ध कराया गया, जिससे व्यावसायिक फसलों का उत्पादन बढ़ा और किसानों के लिए विपणन के नए क्षेत्र निर्मित हुए. इस पैकेज में औषधीय और सगंध फसलों की जैव खेती के लिए ठेकागत व्यवस्थाएं भी शामिल हैं.

2.15 वर्ष के दौरान कृषि-निर्यात क्षेत्रों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित करने के अलावा आधार स्तर के उद्यमियों और किसानों के बीच बेहतर पारस्परिक समझ विकसित करने के लिए जिला-स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया. इसके अलावा, कृषि-निर्यात क्षेत्रों के लिए एक नीतिगत ढांचा विकसित करने के लिए एपेडा और निर्यात-आयात बैंक के साथ नियमित बैठकें की गईं. बैंक ने, लखनऊ स्थित रा.बैं.स्टाफ महाविद्यालय और बर्ड में, ग्राहक बैंकों के लिए, कृषि निर्यात क्षेत्रों पर सेंसिटाइजेशन कार्यशालाएं भी आयोजित की.

ऐ. कृषक सेवा केंद्रों का वित्तपोषण

2.16 नाबार्ड ने कृषक सेवा केंद्रों के वित्तपोषण की एक योजना शुरू की है, जिसे महिन्द्रा कृषि विहार भी कहा जाता है. ये विहार महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी महिन्द्रा शुभलाभ सर्विसेज लि. के सहयोग से स्थापित किए गए हैं. ये केंद्र किसानों को सेवाओं का एक समन्वित पैकेज उपलब्ध कराते हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए विस्तार-सेवाएं और उत्पादों के विपणन की व्यवस्था शामिल हैं. अब तक महिन्द्रा शुभलाभ सर्विसेज़ लि. ने 9 चुने हुए राज्यों में 44 कृषक सेवा केंद्र खोले हैं, जिनमें से 3 चालू वर्ष के दौरान खोले गए. इसके परिणामस्वरूप किसानों को रु.10 करोड़ की राशि के वित्तपोषण हेतु बैंकों के साथ ताल-मेल व्यवस्था हुई है.

ओ. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहल - आईटीसी का ई-चौपाल

2.17 कृषि व्यापार क्षेत्र की बहु-उत्पाद वाली कंपनी आईटीसी लि. ने **''ई-चौपालों''** की स्थापना के माध्यम से भारतीय किसानों को शक्ति संपन्न बनाने और उनकी आर्थिक हैसियत को ऊपर उठाने में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया. ई-चौपाल, आईटी का इस्तेमाल कर, जानकारी देने की सेवा उपलब्ध कराने वाले कियोस्क हैं, जो मुख्यतः किसान / स्थान विशेष से संबंधित जानकारी और तत्काल सूचना उपलब्ध कराते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर निर्णय लेने और फारवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज का मेल बैठाने में सहायता मिलती है, जिसके कारण उत्पादकता बढ़ती है और गुणवत्ता बेहतर होती है और बेहतर कीमत वसूल होती है.

2.18 आईटीसी लि. ने 2,150 ई-चौपालों की स्थाना की है, जिनसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 12,000 गांव कवर होते हैं. आने वाले कुछ वर्षों में 10,000 और ई-चौपालों की स्थापना की जाएगी, जिससे एक लाख गांव कवर हो जाएंगे.

2.19 मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जाने वाली **''डायग्नोस्टिक्स फॉर ई-चौपाल''** (ई-चौपाल के लिए नैदानिकी) नामक परियोजना के लिए नाबार्ड ने आईटीसी लि. को रु.9 लाख की अनुदान-सहायता मंजूर की है. इस परियोजना का उद्देश्य, कृषि विश्वविद्यालयों के निष्णातों

बेहतर निर्णय लेने में सहायक - सूचना तकनीक

की सहायता से क्षेत्र की प्रमुख फसलों के उत्पादन और सुरक्षा के लिए एक आईटी-आधारित व्यावहारिक हैण्डबुक और निदान के साधनों का विकास करना है.

2.20 ई-चौपालों के 20 चुने हुए संचालकों को, आईटीसी-आईबीडी के निकट समन्वय से, किसानों को दी जाने वाली निविष्टियों के भंडारण के लिए, प्रायोगिक आधार पर, रिवॉल्विंग फंड सहायता देने का निर्णय लिया गया है. यह परियोजना मध्य प्रदेश में, मुख्य रूप से सोया की फसल के लिए कार्यान्वित की जाएगी. इस परियोजना का उद्देश्य बैंकरों को यह यकीन दिलाना है कि ई-चौपालों के संचालकों का वित्तपोषण करना एक बैंक-साध्य प्रस्ताव है.

औ. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्ज़ एक्सचेंज लि.

2.21 खुली आम लाइसेंस श्रेणी में अधिकतम जिन्सों (कमोडिटीज़) को शामिल करने के उद्देश्य से नाबार्ड, जीवन बीमा निगम, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और क्रिसिल ने संयुक्त रूप से नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्ज़ एक्सचेंज (एनसीडेक्स) लिमिटेड की स्थापना की, जिसने 15 दिसंबर 2003 से व्यापार शुरू कर दिया. (बॉक्स 2.1). एक्सचेंज की शेयर पूंजी में नाबार्ड का अंशदान 30 प्रतिशत या रु.25 करोड़ में से जो भी कम हो, उस सीमा तक है. एनसीडेक्स एक गैर-व्यापारिक संस्थान है जो विभिन्न कृषि-उत्पादों की कीमत का पता लगाने, कीमतों के रुझान से संबंधित जानकारी तथा जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्लैटफार्म उपलब्ध कराता है, जिससे किसानों के लिए उनके उत्पादन के संबंध में योजना बनाना और उत्पाद की सही समय पर बिक्री करना संभव हो पाता है. एनसीडेक्स

बॉक्स 2.1

एनसीडेक्स - मुख्य विशेषताएं

- कंपनी रजिस्ट्रार, मुंबई के पास निबंधित कंपनी **एनसीडेक्स** एक गैर -व्यापारिक हित वाला एक्सचेंज है जो व्यापार में व्यावसायिकता और पारदर्शिता लाएगा. इसकी पहुंच राष्ट्रव्यापी होगी और इसके प्रस्तावों में सुसंगतता होगी.
- इस कंपनी की **प्राधिकृत शेयर पूंजी** रु.30 करोड़ है और अब तक की जारी इक्विटी पूंजी रु.22 करोड़ है. नाबार्ड ने इक्विटी में रु.4.39 करोड़ का अंशदान किया है.
- एनसीडेक्स के **निदेशक मंडल** में 16 सदस्य हैं जो विभिन्न जिन्सों के विशेषज्ञ हैं.
- **जिन्सों का वायदा व्यापार** : एनसीडेक्स ने पहले चरण में, सोयाबीन और सोया तेल, रेपसीड / मस्टर्ड और रेपसीड /मस्टर्ड तेल,क्रूड पाम तेल और आरबीडी पामोलिन, कपास, सोना और चांदी इन छह जिन्सों का व्यापार शुरू कर दिया है. जैसे-जैसे एक्सचेंज सुस्थापित होते हुए अनुभव प्राप्त करेगा, वैसे-वैसे चरणबद्ध रूप से अन्य जिन्सों का भी व्यापार आरंभ कर दिया जाएगा.
- **निवेशक शिक्षण** : 15 अगस्त 2003 से NCDEX.COM के नाम से वेबसाइट ने काम करना शुरू कर दिया है.

वायदा व्यापार के फायदे

- वायदा व्यापार से उत्पादकों, उपभोक्ताओं और निर्यातकों को जिन्सों की संभावित कीमत की जानकारी मिलती है और वे वायदा अनुबंध कर सकते हैं.
- वायदा व्यापार से राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत मूल्य ढांचा एकीकृत होता है और इस प्रकार जिन्सों की कीमतों में स्थिरता आती है तथा कीमतों में अचानक बहुत अधिक घट-बढ़ में कमी आती है.
- वायदा व्यापार से कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलता है और व्यापार करने वालों के बीच स्पर्धा की भावना बढ़ती है.

में नाबार्ड की भागीदारी से कृषि ऋण के समन्वयन, कृषि उत्पादों और वायदा बाज़ारों के प्रतिभूतिकरण और वायदा बाजारों तथा राज्य/ जिला स्तरीय विपणन सहकारी समितियों और कृषकों/उत्पादकों के संगठनों के समन्वयन में सहायता मिलेगी.

अं. भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड

2.22 वर्ष 2002-03 के केंद्रीय बजट में किसानों के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कारपोरेशन की स्थापना की घोषणा के अनुसरण में, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड नाम से एक नयी कंपनी स्थापित की गयी और उसे 20 दिसंबर 2002 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत

निबंधित किया गया. कंपनी की प्राधिकृत पूंजी रु.1,500 करोड़ और प्रदत्त पूंजी रु.200 करोड़ है. इक्विटी में नाबार्ड का अंशदान 30 प्रतिशत है जबकि जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी का 35 प्रतिशत और अन्य चार सहायक बीमा कंपनियों में से प्रत्येक का अंशदान 8.75 प्रतिशत है. इस कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकार की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में काम करना था. जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही बीज फसल बीमा की प्रायोगिक योजना को भी भारतीय कृषि बीमा कंपनी को सौंप दिया जाएगा. सभी सहभागी राज्यों से प्राप्त दावों के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कंपनी का दायित्व खाद्यान्न फसलों और तिलहन फसलों के मामले में प्रीमियम के 100 प्रतिशत तक और वार्षिक व्यावसायिक / बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम के 150 प्रतिशत तक होगा. शेष दावों को राज्य और केन्द्रीय सरकारें बराबर अनुपात में वहन करेंगी.

अः कार्यशालाएं

क. जैव कृषि

2.23 जैव कृषि के क्षेत्र की विशाल संभावना को प्रणालीबद्ध रूप से विकसित करने और उसका दोहन करने और सभी संबंधित एजेंसियों में इसके प्रति और अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से नाबार्ड ने जनवरी 2004 में गुवाहाटी में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-कृषि पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया. इस सेमिनार में एपेडा, निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, वित्तपोषक संस्थाओं, कमोडिटी बोर्डों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सीएसआईआर, राज्यों के संबंधित विभागों और गैर-सरकारी संगठनों आदि ने भाग लिया.

ख. पशुपालन

2.24 उच्च संभावना वाले राज्यों में डेरी फार्मिंग पर किए गए अध्ययन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में नाबार्ड ने ऋण के माध्यम से डेरी विकास पर भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, पटना और रांची में डेरी उद्योग, अनुसंधान संगठनों, वित्तीय संस्थाओं, विकास एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के लाभ के लिए, राज्य स्तरीय सेमिनारों का आयोजन किया. सेमिनारों में बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज को मजबूत करने और निर्यात बाजार के लिए दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया गया. इसी प्रकार उच्च संभावना वाले राज्यों में भेड़ पालन पर किए गए एक विशेष अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर भेड़, बकरी और सूअर पालन में निवेश की परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा अनुप्रवर्तन पर बंगलूर और चेन्नई में कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें बकरी पालन की सेमी-इन्टेन्सिव प्रणाली, कम उम्र की भेड़ों और सूअरों को मोटा बनाने, गांवों में मीट प्रसंस्करण, ऊन प्रसंस्करण और कालीन बुनाई की इकाइयों जैसे नवीन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया.

ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र

अ. स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना

2.25 माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2003 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और अन्य छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की. तदनुसार नाबार्ड ने भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से छोटे उधारकर्ताओं के व्यापक दायरे के लाभ के लिए स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना (बॉक्स 2.2) तैयार की ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेषकर गैर-कृषि और सेवा क्षेत्रों में उनकी निवेश और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा किया जा सके. इस योजना को सितम्बर 2003 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों में और नाबार्ड ने सहकारी बैंकों तथा क्षे.ग्रा.बैंकों में परिचालित किया. 31 मार्च 2004 तक 106 क्षे.ग्रा बैंकों, 20 वाणिज्य बैंकों और 21 सहकारी बैंकों ने इस योजना को शुरू कर दिया था और रु.64.26 करोड़ की ऋण सीमा के 28,925 कार्ड जारी कर दिए थे.

आ. जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना

2.26 वर्ष 1993-94 में पांच जिलों में शुरू की गई जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना (ड्रिप) के कार्यान्वयन से उत्साहित होकर नाबार्ड ने इस परियोजना को 20 राज्यों के 75 और जिलों में लागू कर दिया है. इनमें वर्ष के दौरान चयनित 16 जिले भी शामिल हैं. मार्च 2003 तक कुल 4.29 लाख इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं जिनसे 43 जिलों में करीब 9.18 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर निर्मित हुए. विभिन्न चरणों (तालिका 2.1) के अंतर्गत कार्यक्रम में आने वाले जिलों पर पड़े प्रभाव से पता चलता है कि ऋण प्रवाह और रोजगार के अवसर बढ़ाने में इस परियोजना से बहुत सहायता मिली.

बॉक्स 2.2

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना - एक झलक

- योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छोटे कारीगर, हथकरघा बुनकर, सेवा प्रदाता, मछुआरे, स्वरोजगार में नियोजित व्यक्ति, रिक्शाचालक, अन्य माइक्रो-उद्यमी आदि शामिल हैं.
- लाभार्थियों को लैमिनेटेड क्रेडिट कार्ड और पासबुक प्रदान की जाती हैं जिन्हें नकदी के आहरण के समय प्रस्तुत करना होता है.
- योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा का स्वरूप मीयादी ऋण / रिवाल्विंग कैश क्रेडिट सहित कम्पोजिट ऋण का है. यह केवल मीयादी ऋण या कैश क्रेडिट या दोनों का मिला-जुला स्वरूप हो सकता है.
- निवेश की जरूरतों के लिए मीयादी ऋण होगा जिसे उपयुक्त किस्तों में 5 वर्ष में चुकाना होगा.
- परिचालन-चक्र/निवेश के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए रिवाल्विंग कैश क्रेडिट सीमा निर्धारित करनी होगी.
- कम्पोजिट ऋण के अंतर्गत प्रति उधारकर्ता रु.25,000/- की सीमा होगी. उपयुक्त मामलों में बैंक उच्चतर सीमाएं निर्धारित करने पर विचार कर सकता है.
- ग्राहकों का चयन बैंक के विवेक पर निर्भर है. कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध रहता है बशर्ते खाते का परिचालन संतोषजनक हो और कार्ड का वार्षिक आधार पर नवीकरण कराना होगा.
- स्वयं सहायता समूह अपने नाम पर कार्ड ले सकते हैं और चुकौती के लिए वे संयुक्त रूप से और अलग-अलग जिम्मेदार होंगे.
- कार्ड धारक स्वतः ही समूह बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं जिसका प्रीमियम बैंक और उधारकर्ता द्वारा समान रूप से दिया जाता है.
- प्रतिभूति, मार्जिन, ब्याज दर और विवेकपूर्ण मानदण्ड भा.रि.बैंक/ नाबार्ड के मार्गनिर्देशों के अनुसार होंगे.
- कम्पोजिट ऋण योजना के अधीन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों पर पात्र बैंकों को नाबार्ड का पुनर्वित्त उपलब्ध है.

आरईडीपी - बिजली के घरेलू उपकरणों की मरम्मत

क. लक्ष्योन्मुख परियोजना प्लानिंग फैसिलिटेटर्स की परामर्शी बैठक

2.27 जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना सहभागिता दृष्टिकोण पर आधारित है और उसकी आयोजना प्रक्रिया बहुत जटिल होती है. ड्रिप जिलों के लिए एक कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देने के लिए जेटीजेड, जर्मनी के फेसिलिटेटर्स ने प्रशिक्षण संस्थानों के कुछ संकाय सदस्यों और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के अधिकारियों के लिए एक ''लक्ष्योन्मुख परियोजना प्लानिंग (जीओपीपी)'' कार्यशाला आयोजित की जो उनके द्वारा विकसित प्रणाली पर आधारित थी. अक्तूबर 2003 में राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ में एक अनुवर्ती कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें, नाबार्ड में, लक्ष्योन्मुखी परियोजना प्लानिंग (जीओपीपी) को आन्तरिक रूप से अपनाने हेतु मास्टर ट्रेनर के तौर पर 5 संकाय सदस्यों के एक कोर ग्रुप की पहचान की गई. इसके अतिरिक्त अन्य बहु-स्टेकहोल्डर वाली परियोजनाओं के लिए इस प्रणाली की उपयोगिता को देखते हुए आने वाले वर्ष में इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित करने का विचार है.

तालिका 2.1 : ड्रिप का प्रभाव

(रु.करोड़ में)

क्र. सं.	ब्यौरे	चरण I (6 जिले)			चरण II (9 जिले)			चरण III (8 जिले)			चरण IV (20जिले)	संचयी - (43 जिले)
		1993-94	2002-03	संचयी	1999-00	2002-03	संचयी	2001-02	2002-03	संचयी	2002-03	2002-03 तक
1.	साऋव्य	26.52	133.69	963.66	147.21	240.11	863.58	234.13	259.00	493.13	756.38	3,076.75
2.	पुनर्वित्त वितरण	7.93	29.93	268.71	31.22	38.15	179.92	43.15	77.31	120.45	109.17	678.25
3.	स्थापित इकाइयां (लाख)	0.10	0.24	2.17	0.19	0.26	0.98	0.19	0.22	0.41	0.70	4.29
4.	रोजगार सृजन (लाख व्यक्ति)	0.19	0.68	4.68	0.37	0.64	2.12	0.54	0.47	1.01	1.37	9.18

साऋव्य : सामान्य ऋण व्यवस्था

ख. प्राथमिक ऋण प्रदाता संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

2.28 ड्रिप के अंतर्गत प्राथमिक ऋण प्रदाता संस्थाओं और अन्य सहभागी एजेन्सियों के अधिकारियों का प्रशिक्षण नाबार्ड का थ्रस्ट क्षेत्र रहा है. इस प्रयोजन के लिए बर्ड और राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, बोलपुर/मंगलूर की सेवाएं ली गईं. इन प्रशिक्षण संस्थानों के प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए और प्राथमिक ऋण प्रदाता संस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम का समय पर संचालन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यालयों के 58 अधिकारियों के लिए छह दिन के तीन प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.

ग. ग्रामीण हाटों को सुदृढ़ करना

2.29 ग्रामीण बाज़ार के आधारभूत ढ़ांचे को मज़बूत बनाने के प्रयोजन से इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को परियोजना लागत के 80 प्रतिशत या अधिकतम रु.3 लाख तक की अनुदान सहायता ग्रामीण हाटों को सुदृढ़ करने के लिए प्रदान की जाती है. अतिरिक्त सुविधाएं/स्थायी दुकानें बनाने के लिए इस योजना में पंचायती राज संस्थाओं/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से रु.2 लाख तक की सुलभ ऋण सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है. नाबार्ड ने अभी तक 14 ग्रामीण हाटों के विकास के लिए रु.26.24 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की है.

2.30 हाल के वर्षों में ड्रिप के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों में क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण, क्लस्टर विकास, ऋण प्रदान के अभिनव उपायों, उभरते हुए और उच्च वृद्धि के उप-क्षेत्रों के विकास, ऋण से जुड़े संवर्धन कार्यक्रमों, आदि के जरिए ऋण सघनीकरण के प्रयासों पर विशेष जोर दिया जाएगा. विपणन के आधारभूत ढाचे के सृजन और आरईडीपी के आयोजन में सहायता करने के अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी विकास, उन्नयन, हस्तान्तरण और पार्टनर संस्थाओं के क्षमता निर्माण के लिए लगातार प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा.

ङ. ग्रामीण क्लस्टरों का विकास

2.31 भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड ने 1999-2004 तक की अवधि के दौरान चरणों में 50 ग्रामीण क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव किया था. नाबार्ड ने 18 राज्यों में 65 क्लस्टरों की पहचान की और 55 क्लस्टरों में संवर्धन कार्यक्रम शुरू किए. इन क्लस्टरों के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों में काजू प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प शामिल थे. इस कार्यक्रम से 16,000 कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लाभान्वित होने का अनुमान है. क्लस्टरों में विभिन्न प्रकार के सहयोग को समर्थन देने के लिए अब तक रु.1.55 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की जा चुकी है. इस कार्यक्रम के प्रभाव के आकलन के लिए दस चुने हुए क्लस्टरों में नाबार्ड द्वारा कराए गए फील्ड अध्ययन से पता चला कि सहभागी एजेन्सियों के साथ समन्वय और अन्य संवर्धनात्मक सहयोगों में फैसिलिटेटर के रूप में नाबार्ड की भूमिका से सामाजिक सशक्तीकरण, कौशल उन्नयन, बाजार पहुंच में सुधार, रोजगार सृजन और समूह निर्माण हुआ जिसके द्वारा ऋण तक पहुंच में वृद्धि हुई (बॉक्स 2.3).

बॉक्स 2.3

क्लस्टर विकास - प्रभाव

- लाभार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन आया तथा अब वे क्लस्टर के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेरित हैं.
- क्लस्टर में गतिविधियों को बढ़ाने के अवसरों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई.
- महिला-पुरुष समानता तथा सामाजिक सशक्तीकरण.
- अधिकांश क्लस्टरों में शिल्पकारों की एसोसिएशन का गठन तथा सामूहिक मोल-भाव के महत्व को मान्यता.
- 100 स्वयं सहायता समूहों का गठन, जिनमें से अधिकांश औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े.
- लगभग रु.2 करोड़ के बैंक ऋण का संवितरण हुआ.
- संवर्धन के प्रयास जिनके परिणामस्वरूप 2,000 नई इकाइयां स्थापित हुईं.
- प्रौद्योगिकी और दक्षता उन्नयन तथा उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता में सुधार.
- 3,400 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार निर्मित.
- रोजगार के लाभप्रद स्रोत के रूप में हस्तशिल्प की पुनः स्थापना.
- ग्रामीण क्लस्टर से शहरी क्षेत्र में पलायन रुका.
- दलालों को हटाना, सीधे विपणन तथा नए प्रचलनों से परिचय.
- क्लस्टरों के सदस्यों की आय में 50 से 100% की वृद्धि हुई.
- लाभार्थियों ने चुकौती के नैतिक नियमों को आत्मसात किया.
- क्लस्टर उत्पादों का निर्यात तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी.

ई. मूल इकाइयां (मदर यूनिट)

2.32 ग्रामीण क्षेत्रों में उचित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के रूप में ग्रामीण औद्योगिक/गैर-कृषि क्षेत्र इकाइयों के विकेंद्रीकरण द्वारा सब-कोन्ट्रैक्टिंग और अनुषंगीकरण की सहायता के लिए नाबार्ड ने मूल इकाई संकल्पना विकसित की है. वर्ष के दौरान, रु.4.89 लाख की अनुदान सहायता वाले बांस शिल्प के विकास की परियोजना यूरेव्यू इण्डिजिनस साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी सेंटर, वायनाड़ जिला, केरल को मंजूर की गई और रु.9.91 लाख संवितरित किए गए (इसमें पिछले वर्षों के कमिटमेंट भी शामिल हैं). इस प्रकार 30 मूल इकाइयों के लिए संचयी मंजूरियां और संवितरण क्रमशः रु.3.33 करोड़ और रु.1.88 करोड़ के रहे. अब तक 7087 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 3400 इकाइयां स्थापित की गई हैं. इस प्रकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष अनुमानतः 8500 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में मदद मिली.

उ. ग्रामीण उद्यमिता विकास

2.33 अपने उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार अर्जित करने के लिए ग्रामीण बेरोजगार युवाओं की क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए नब्बे के दशक के प्रारंभ में ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आरईडीपी) शुरू किया गया था. इन वर्षों के दौरान आरईडीपी के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में हजारों उद्यम स्थापित हुए हैं. कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इसे संस्थागत रूप दिया गया तथा ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों एवं चुनिंदा स्वैच्छिक संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औप्रसंस्थानों) जैसी तकनीकी एजेंसियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के कार्य से जोड़ा गया है.

2.34 वर्ष के दौरान रु.5.63 करोड़ की अनुदान सहायता से 1,216 आरईडीपी चलाए गए जिनमें 31,319 शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवा शामिल हुए. वर्ष 1990 में कार्यक्रम प्रारंभ होने से लेकर अब तक कुल 5,456 आरईडीपी को सहायता प्रदान की गई जिससे 1.52 लाख ग्रामीण युवा लाभान्वित हुए. इनमें से 3,900 कार्यक्रम गत पांच वर्षों में मंजूर किए गए जिनमें एक लाख से अधिक ग्रामीण युवा प्रशिक्षित हुए. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रु.11.91 करोड़ की संचयी अनुदान सहायता प्रदान की गई.

ऊ. हथकरघा बुनकरों के कौशल को बढ़ाना

2.35 आय एवं रोजगार का संभावनापूर्ण जरिया होने के कारण हथकरघा क्षेत्र हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यद्यपि पुरानी तकनीक तथा बुनाई के परंपरागत डिजाइनों के कारण हथकरघा क्षेत्र को अपने उत्पादों के विपणन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी उपभोक्ता इस क्षेत्र में पर्याप्त रुचि रखते हैं तथा इसमें घरेलू एवं अंतर-राष्ट्रीय बाजार में स्थापित होने की बहुत अधिक क्षमता है. अतः फैशन के बदलते प्रचलनों को ध्यान में रखते हुए नए डिजाइन तैयार करने तथा उनकी विपणनीयता बढ़ाने के लिए हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान, नाबार्ड ने हथकरघा बुनकरों हेतु कौशल उन्नयन तथा डिजाइन विकास (सुधा) नाम की एक योजना शुरू की.

2.36 योजना के अंतर्गत, शीर्ष हथकरघा सहकारी विपणन संघ, शीर्ष क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों, पंजीकृत सहकारी समितियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों जैसे पात्र संस्थानों को प्रति परियोजना रु.5 लाख की एकबारगी अनुदान सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है. योजना के अंतर्गत रु.10.71 लाख की अनुदान सहायता के चार कार्यक्रम संस्वीकृत किए गए. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, बेंगलूर के सहयोग से सूती साड़ियों, चादरों एवं मेजपोश जैसे कुछ चुने हुए उत्पादों में 250 नए डिजाइन तैयार करने के लिए तामिलनाडु हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि. (को-ऑपटैक्स) को रु.5 लाख की सहायता भी इसमें शामिल है.

ए. महिला सशक्तीकरण

क) ग्रामीण महिलाओं को सहायता

2.37 स्वयंसेवी एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों, सहकारी तथा अन्य पंजीकृत संस्थाओं द्वारा समर्थित महिला उद्यमियों की संवर्धनात्मक और ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1993 में प्रारंभ की गई गैर कृषि क्षेत्र विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं को सहायता (अरविंद) योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान रु.3.99 लाख अनुदान सहायता की चार परियोजनाएं मंजूर की गईं. इनको मिलाकर परियोजनाओं की कुल संख्या 128 हो गई जिनके लिए कुल रु.2.99 करोड़ की सहायता दी गई और इनसे 9,813 महिलाएं लाभान्वित हुईं.

ख. गैर कृषि उत्पादों के विपणन हेतु सहायता

2.38 महिला उद्यमों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए विपणन के महत्व को समझते हुए, ग्रामीण महिलाओं के गैर कृषि उत्पादों का विपणन (महिमा) नामक एक योजना वर्ष 1997 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य गांवों की गरीब महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन में लगी एजेन्सियों को सहायता प्रदान करना था. वर्ष के दौरान रु.11.70 लाख की अनुदान सहायता की 7 परियोजनाएं मंजूर की गईं, जिन्हें मिलाकर, इस योजना के अंतर्गत रु.59.26 लाख की सहायता से 26 परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं.

ग. महिला विकास कक्ष

2.39 ऋण एवं सहायक सेवाओं के जेंडर संबंधी मामलों में, संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों में महिला विकास कक्षों की स्थापना हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने की एक योजना 1995 में प्रारंभ की गई. महिला विकास कक्षों की स्थापना हेतु अब तक 66 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 27 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, 4 राज्य सहकारी बैंकों तथा 3 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को सहायता प्रदान की जा चुकी हैं. उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के आधार पर एक संशोधित प्रोत्साहन योजना तैयार की गई, जिसके अंतर्गत 8 बैंकों (7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा 1 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई. वर्ष के दौरान बैंकों को रु.17.70 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई, जिसे मिलाकर संचयी संवितरण कुल रु.2.42 करोड़ हो गया. वर्ष के दौरान महिला विकास कक्ष वाले बैंकों द्वारा महिलाओं को ऋण प्रदान करने में वृद्धि हुई, जो गत वर्ष के कुल 8.9% संवितरण की तुलना में बढ़कर 10.3% हो गया.

लकड़ी के एक ही कुंदे से बनी मूर्ति - दिल्ली हाट

2.40 बैंकों में महिला विकास कक्षों के बेहतर एवं प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए बर्ड, लखनऊ में, इन बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तीन अभिविन्यास (ओरियण्टेशन) संगोष्ठियां आयोजित की गईं. इसके अतिरिक्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए बैंकरों, गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु 23 जेंडर अभिविन्यास कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों के महिला विकास कक्षों के प्रमुख कर्मियों के लिए माइक्रो-उद्यम प्रबंधन विषयक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, बर्ड के माध्यम से आयोजित किया गया.

घ) क्षेत्र-कार्यक्रमों के माध्यम से महिला विकास (देवता)

2.41 क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का विकास (देवता) नामक कार्यक्रम का उद्देश्य महिला-विशिष्ट गतिविधियों एवं क्लस्टरों को प्रोत्साहन देना है, ताकि महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित कर और स्थायी आजीविका के लिए उद्यमों की स्थापना में उनकी मदद कर, रोज़गार पैदा किया जा सके. इस कार्यक्रम का उद्देश्य है - सुदृढ़ कार्यान्वयन और प्रत्यक्ष प्रभाव के लिए क्षमता निर्माण, नेटवर्किंग तथा सेवाओं के एकीकरण के माध्यम से महिलाओं द्वारा स्वयं बताई गई जरूरतों का समाधान. कार्यक्रम के अंतर्गत 3,271 महिलाओं की प्रशिक्षण/दक्षता उन्नयन एवं अन्य क्षमता निर्माण संबंधी आवश्यकताओं को 3 वर्षों के दौरान पूरा करने के लिए 03 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रु.31.98 लाख की राशि संस्वीकृत की गई. इसमें सहयोगी एजेंसियां हैं - महिला विकास निगम, अग्रणी बैंक, गैर-सरकारी संगठन, प्रशिक्षण संस्थान तथा कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न सरकारी विभाग, आदि.

ऐ. विपणन / अन्य पहलें

2.42 उद्यमों को बनाए रखने में चूंकि विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः ग्रामीण शिल्पियों एवं महिला उद्यमियों के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान, विपणन पर बहुत अधिक बल दिया गया (बॉक्स 2.4). इस दिशा में नाबार्ड ने एक महत्वपूर्ण

बॉक्स 2.4

गैर कृषि उत्पादों के विपणन के लिए किए गए नव प्रयास

- दिल्ली हाट में आयोजित ''नाबार्ड उत्सव'' में 15 राज्यों की 48 एजेंसियों के 110 दस्तकारों, जिनमें 40 महिलाएं थी, ने अपने-अपने हस्तशिल्पों का प्रदर्शन किया, जिससे गैर-स्थानीय, शहरी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी पहुंच बनी और उन्हें प्रोत्साहक प्रयासों के माध्यम से नवोन्मेषों के संबंध में विचार-विमर्श करने का अवसर मिला. मीडिया में इस प्रदर्शनी को बहुत कवरेज मिला तथा प्रदर्शनी में लगभग रु.14.91 लाख की बिक्री हुई.
- कर्नाटक में महिला विकास कक्षों की सहायता से ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन में सहयोग के लिए बेंगलूर में एक प्रदर्शनी-सह-बिक्री कार्यक्रम आयोजित किया गया.
- उड़ीसा के एक गैर-सरकारी संगठन, ''श्रावणी'' जिसे नाबार्ड सहायता प्रदान करता है, के मार्गदर्शन में शिल्पश्री स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा हाथ से तैयार किए गए शुभकामना कार्ड विभिन्न विकास एजेंसियो को ''नव वर्ष'' के शुभकामना संदेश के रूप में भेजे गए.
- क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सूचित किया गया है कि वे बैंक के विभिन्न प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त दस्तकारों/उद्यमियों के उत्पादों का उपयोग कारपोरेट्स वित्तीय संस्थानों तथा सरकारी एजेंसियों में प्रोत्साहित करें.
- आंध्र प्रदेश के ड्वाकरा समूहों को मलेशिया में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने के लिए सहायता दी गई ताकि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन में मदद मिल सके.
- मुंबई के नरसी मानजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के सहयोग से गैर-सरकारी संगठन पार्टनरों हेतु ग्रामीण गैर कृषि उत्पादों के विपणन विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.
- विभिन्न राज्यों में, भिन्न - भिन्न स्थानों पर विभिन्न हाट बाजारों तथा बिक्री / मेलों में नाबार्ड से सहायता प्राप्त विभिन्न दस्तकारों की भागीदारी हेतु स्टॉल प्रायोजित करना.
- ड्रिप जिलों में 09 क्रेता -विक्रेता बैठकें तथा ग्रामीण गैर कृषि उत्पादों के लिए तीन प्रदर्शनी -सह- बिक्री आयोजित की गई.
- एनपीआरआई के अंतर्गत क्लस्टर विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ऑक्सीडाइजड धातु शिल्प और टाई एंड डाई वस्त्रों के डिजाइन विकास और इनमें विविधता लाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का सहयोग लिया गया. क्लस्टर उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए 10 प्रदर्शनी-सह-बिक्री भी आयोजित की गई.
- नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित दस्तकारों के उत्पादों की ई-सूची बैंक की वेबसाइट में प्रदर्शित की गई है.

पहल करते हुए, नई दिल्ली के ''दिल्ली हाट'' में नाबार्ड उत्सव का आयोजन किया. एक अन्य पहल के रूप में राज्य-मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों तथा अन्य महिला उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी-सह-बिक्री आयोजित की गई. बैंक के विभिन्न महिला-विशिष्ट कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए 'ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण - नाबार्ड की भूमिका' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई.

ओ. पर्यावरण संरक्षण

2.43 नाबार्ड वर्ष 1998 से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित अन्य कार्यकलापों के लिए चयनित आधार पर गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों आदि को संवर्धनात्मक अनुदान के रूप में सहायता देता रहा है. अब तक 16 एजेंसियों को रु.39.90 लाख की वित्तीय सहायता दी गयी है जिसमें वर्ष के दौरान स्वीकृत चार परियोजनाओं को दी गयी रु.5.20 लाख की सहायता भी शामिल है. इन परियोजनाओं के भाग के रूप में आने वाले क्रियाकलापों में वाटरशेड के बाद का विकास, जैव/कार्बनिक उर्वरकों का संवर्धन तथा सौर ऊर्जा का प्रयोग शामिल हैं. वर्ष के दौरान पर्यावरण के प्रति जागरूकता के बारह कार्यक्रम चलाए गए. ''पर्यावरण सुरक्षा-नाबार्ड की पहलें'' नामक एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई जिससे नाबार्ड की योजनाओं एवं सरोकारों से संबंधित सूचना का व्यापक रूप से प्रसार हो सके.

औ. तकनीकी, अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन (गैर-कृषि क्षेत्र) कक्ष

2.44 नाबार्ड ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों में तकनीकी, अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन (टीएमई) कक्षों की स्थापना के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराना जारी रखा. अब तक 57 बैंकों (39 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 5 राज्य सहकारी बैंकों, 10 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और 3 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों) को अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है. वर्ष के दौरान रु.15.94 लाख की राशि जारी की गई जिसे मिलाकर संवितरण की संचयी राशि रु.187.86 लाख हो गई है.

अं. प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम

क. प्राथमिक ऋण संस्थाओं के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम

2.45 प्राथमिक ऋण संस्थाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों) के ऋण पोर्टफोलियो के विविधीकरण की आवश्यकता को देखते हुए नाबार्ड, इन बैंकों के अधिकारियों के लिए ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु निधि उपलब्ध कराता रहा है. वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ऐसे 47 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 1,109 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया.

ख. परिचयात्मक बैठकें

2.46 बैंकों, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, विकास और संवर्धन एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के अधिकारियों को नाबार्ड की गैर-कृषि क्षेत्र योजनाओं और कार्यक्रमों से अवगत कराने और उन्हें अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु एक मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला/ब्लॉक स्तर पर वर्ष के दौरान 120 परिचयात्मक बैठकें आयोजित की गईं. अब तक ऐसी 1,498 गोष्ठियां आयोजित की गई हैं.

सूक्ष्म ऋण (माइक्रो फाइनांस) संबंधी पहल

2.47 नाबार्ड द्वारा सूक्ष्म ऋण के संदर्भ में की गई पहल अत्यधिक सफल रही है और स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम बन गया है. वर्ष 1992 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरंभ किया गया यह कार्यक्रम आज राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है जिसके तहत 10 लाख से भी अधिक सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया है जिससे महिलाओं का सामाजिक - आर्थिक सशक्तीकरण हुआ है.

2.48 वर्ष के दौरान 3,61,731 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण दिलाया गया जबकि वर्ष 2002-03 के दौरान यह संख्या 2,55,882 थी. इसके साथ ही अब तक कुल 10,79,091 समूहों को बैंक ऋण से जोड़ दिया गया है. इस कार्यक्रम की उल्लेखनीय विशेषता है कि इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी (90%) रही है तथा ऋणों की अदायगी (95%) समय पर हो जाती है. मार्च 2004 तक इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के 167 लाख गरीब परिवार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से सूक्ष्म ऋण प्राप्त कर सके.

2.49 वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम में हर दृष्टि से विकास हुआ. बैंक ऋण से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में आंध्र प्रदेश में 79,037 से बढ़कर 1,04,238, तमिलनाडु में 35,701 से 51,851, कर्नाटक में 25,146 से 41,688, उत्तर प्रदेश में 20,582 से 25,514, पश्चिम बंगाल में 15,504 से 19,038 तथा केरल में 6,253 से बढ़कर 12,716 हो गई. माइक्रो फाइनांस को मजबूती और विस्तार प्रदान करने के लिए नाबार्ड ने पार्टनर एजेंसियों की क्षमता निर्माण के लिए सक्रिय सहायता प्रदान की, अधिक गरीबी वाले राज्यों में कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए और प्रायोगिक परियोजनाओं के जरिए अभिनव दृष्टिकोण अपनाया गया.

अ. पार्टनर एजेंसियों की सहायता

2.50 संवर्धन अनुदान सहायता के जरिए गैर-सरकारी संगठनों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, कृषक क्लबों और वालंटियरों को अच्छे स्वयं सहायता समूह के गठन और पोषण तथा विभिन्न पार्टनरों की क्षमता के निर्माण में नाबार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जिससे स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और क्रेडिट लिंकेज के अच्छे परिणाम सामने आए हैं. पिछले वर्षों में स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं के रूप में कार्य करने वाली पार्टनर संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या से इस कार्यक्रम का पूरे देश में विस्तार हुआ है. नाबार्ड द्वारा अपनी पार्टनर संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता और स्वयं सहायता समूह संवर्धन / लिंकेज में उनकी प्रगति को तालिका 2.2 में दर्शाया गया है.

तालिका 2.2: स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम में विभिन्न पार्टनरों को प्रदान की गई अनुदान सहायता

(रुपये लाख में)

एजेंसी	वर्ष के दौरान मंजूरी			संचयी मंजूरियां			संचयी प्रगति		
	सं.	राशि	स्वससमूहों की संख्या	सं.	राशि	स्वससमूहों की संख्या	जारी राशि	गठित स्वससमूह	लिंक्ड स्व.स.समूह
सहकारी बैंक	28	116.03	14,750	29	124.03	15,550	10.53	3,697	946
क्षे.ग्रा. बैंक	23	64.88	7,895	90	275.76	35,045	93.23	31,042	15,535
गैर-सरकारी संगठन	221	473.88	37,268	785	1512.18	1,15,279	696.72	75,186	38,599
कृषक क्लब	-	-	-	-	-	-	24.95	6,994	4,281
वैयक्तिक ग्रामीण वालंटियर	60	7.65	600	185	24.90	1,850	2.28	652	274
योग	332	662.44	60,513	1,089	1936.87	1,67,724	827.71	1,17,571	59,635

2.51 यद्यपि सहकारी बैंकों ने अपेक्षाकृत देर से शुरुआत की लेकिन उन्होंने बड़ी तेजी से माइक्रो फाइनांस क्षेत्र में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है. कई राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित सहकारी समिति अधिनियमों में ऐसे संशोधन किए गए हैं जिससे सहकारी बैंक स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और पोषण के कार्य कर सकते हैं. स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम में बीदर (कर्नाटक), मुगवेरिया और हुगली (पश्चिम बंगाल) जैसे जि.म.स. बैंकों की पथ प्रदर्शक निष्पादकता से प्रभावित होकर कई जि.म.स. बैंकों ने भी स्वयं सहायता प्रायोजक संस्थाओं की भूमिका अदा करने में गहरी रुचि दिखाई है. इसी तरह स्वयं सहायता प्रायोजक संस्थाओं के रूप में कार्य करने वाले क्षे.ग्रा. बैंकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नाबार्ड उनके इस प्रयास में उनके स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है.

2.52 नाबार्ड के विकास वालंटियर वाहिनी कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक शाखाओं द्वारा प्रायोजित कुछ सफल कृषक क्लब अब स्वयं सहायता प्रायोजक संस्थाओं की प्रभावी भूमिका अदा कर रहे हैं. वर्ष के दौरान प्रायोजक बैंकों की समन्वयकर्ता शाखाओं के माध्यम से अच्छे स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन, पोषण और क्रेडिट लिंकेज के लिए 119 क्लबों को रु.2.43 की अनुदान सहायता प्रदान की गई. वर्ष के दौरान कृषक क्लबों ने 1229 स्वससमूहों का संवर्धन किया जिनमें से 409 को क्रेडिट से जोड़ा गया है.

2.53 ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करने में सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध वैयक्तिक ग्रामीण वालंटियरों को प्रोत्साहित करने की प्रायोगिक योजना से प्राप्त सकारात्मक फीडबैक के आधार पर यह निश्चय किया गया कि इस योजना को उन 13 राज्यों में लागू किया जाए जिनमें बड़ी संख्या में ग्रामीण गरीब हैं.तदनुसार उड़ीसा और बिहार राज्यों में समूहों के संवर्धन और पोषण के लिए वर्ष के दौरान उनके एक-एक क्षे.ग्रा. बैंक से प्राप्त दो प्रस्तावों को मंजूर किया गया.

2.54 नाबार्ड ने नये स्वससमूहों के संवर्धन और पोषण, अन्य आधारभूत सुविधाओं और प्रशासनिक खर्चों की अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए चयनित आधार पर गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता देना जारी रखा.

आ. स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं को रिवाल्विंग निधि सहायता

2.55 नाबार्ड अत्यधिक चयनित आधार पर ऐसे गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह महासंघों और ऋण संघों को रिवाल्विंग निधि सहायता (आरएफए) के रूप में ऋण प्रदान करता है जो स्वयं सहायता समूहों या गरीब व्यक्तियों को आगे ऋण देने के लिए वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करते हैं. वर्ष के दौरान दो गैर सरकारी संगठनों *अर्थात* फ्रेण्ड्स ऑफ वर्ल्ड विमेन बैंकिंग, इण्डिया (रु.7.40 करोड़, आगे छोटे गैर सरकारी संगठनों को ऋण प्रदान करने के लिए) और कलन्जिआम डेवलपमेंट फाइनेन्सियल सर्विसेज (रु.1 करोड़, आगे स्वससमूहों को ऋण देने के लिए) को कुल रु.8.40 करोड़ का आरएफए मंजूर किया गया. संचयी रूप से 32 एजेन्सियों को रु.27.32 करोड़ का आरएफए मंजूर किया गया, जिसमें से रु.15.20 करोड़ 29 एजेन्सियों को जारी किया गया. आरएफए के साथ अनुदान सहायता की राशि भी प्रारंभिक वर्षों में आधारभूत विकास और प्रशिक्षण जरूरतों तथा परिचालनात्मक कमी को पूरा करने के लिए मंजूर की गई जिसकी संचयी राशि रु.50.04 लाख (मंजूर) और रु.42.54 लाख (जारी) थी.

इ. पार्टनर संस्थाओं का क्षमता निर्माण

2.56 माइक्रो फाइनांस के क्षेत्र में बैंकों के अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और सरकारी एजेन्सियों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता दौरे आयोजित/प्रायोजित करना जारी रखा. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 2.44 लाख सहभागी शामिल हुए.

- चयनित रिसोर्स गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए कुल 4635 जागरूकता निर्माण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें बचत और ऋण प्रबंधन के कौशल को अभिप्रेरित करने के लिए 1,59,082 सहभागियों को शामिल किया गया.
- मुख्य कार्यपालक अधिकारियों सहित गैर-सरकारी संगठनों के लिए जागरूकता-सह-पुनश्चर्या कार्यक्रम (206) आयोजित किए गए, जिनमें 7,362 सहभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किय गया.

स्वयं सहायता समूह की पहल पर वित्तपोषण - पशुपालन

- विभिन्न वाणिज्य बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों के 312 संकाय सदस्यों के लिए 13 प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.
- बैंकरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (925) आयोजित किए गए, जिनमें वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षे.ग्रा. बैंकों के 26,273 अधिकारी शामिल हुए.
- माइक्रो फाइनांस की पहल में आगे रहने वाले बैंकों और संस्थाओं के लिए वर्ष के दौरान 23 जागरूकता दौरे आयोजित किए गए, जिनमें 386 बैंक अधिकारियों/गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया.
- स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम में अधिक बैंक अधिकारियों को शामिल करने के प्रयोजन से ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति के सदस्यों के लिए आस-पास के स्वयं सहायता समूह देखने हेतु 641 फील्ड दौरे आयोजित किए गए जिनमें 10,028 अधिकारी शामिल हुए.
- विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में माइक्रो फाइनांस पर कार्यक्रम (163) आयोजित किए गए, जिनमें 5958 सरकारी अधिकारी शामिल हुए.
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में माइक्रो फाइनांस संबंधी पहल के बारे में जागरूकता निर्मित करने के लिए 33 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1303 सहभागी शामिल हुए.
- छह प्रशिक्षण-सह-जागरूकता दौरे आयोजित किए गए, जिनमें 122 नए जिला विकास प्रबंधक/ जिला विकास अधिकारी शामिल हुए.

2.57 विद्यमान प्रशिक्षण कार्यनीतियों/मॉड्यूल, अपनाई गई प्रणालियों, पाठ्यक्रम की अवधि और शामिल विषयों की समीक्षा करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों को शामिल करते हुए जनवरी 2004 में लखनऊ में प्रशिक्षण कार्यनीतियों पर एक राष्ट्रीय परामर्शी बैठक आयोजित की गई ताकि नाबार्ड बदलते परिवेश के साथ विद्यमान माड्यूलों को परिमार्जित कर सके.

ई. प्रकाशन और प्रचार

2.58 वर्ष के दौरान नाबार्ड ने दो प्रकाशन अर्थात 'सेविंग ग्रेस' और 'अक्षय पत्र' प्रकाशित किये. अनुभव बाँटने, जागरूकता पैदा करने, क्षमता-निर्माण और माइक्रो फाइनान्स के प्रेक्टिश्नर्स में, उसकी उत्तम प्रथाओं से संबंधित जानकारी के प्रसार के माध्यम से, इन प्रकाशनों ने विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की सहायता की. स्वयं सहायता समूह की संकल्पनाओं पर ''लूमिनस लिंक'' नामक एक सीडी कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में डब की गई.

उ. प्रगति के विशेष प्रयास

2.59 मार्च 2004 तक ऋण से जोड़े गये कुल स्वससमूहों में आन्ध्र प्रदेश के 36 प्रतिशत, तमिलनाडु के 14 प्रतिशत, कर्नाटक के 10 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के 7 प्रतिशत थे जो कि मिलकर कुल क्रेडिट लिंकेज का 67 प्रतिशत बनता है और जिनको वितरित किया गया बैंक ऋण कुल का 81 प्रतिशत रहा (चार्ट 2.1). माइक्रो फाइनांस कार्यक्रम में असमान वृद्धि को समान करने के लिए ऐसे 13 राज्यों को प्राथमिकता वाले राज्यों (तालिका 2.3) के रूप में चयनित किया गया है जिनमें स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम की प्रगति धीमी रही और गरीबी अत्यधिक है. इन राज्यों में अपनाई गई विशेष कार्यनीतियाँ निम्नानुसार हैं :

- स्वससमूहों का संवर्धन करने वाली एजेन्सियों के दायरे को बढ़ाना;
- कारपोरेट स्तर पर बैंकों की सहायता तय करना;
- सहकारी बैंकों की सहभागिता बढ़ाना;
- स्वयं सहायता समूह संवर्धकों के रूप में कार्यक्रम में ग्राम समुदायों, जन संस्थाओं, ग्रामीण वालंटियरों और व्यक्तियों को सम्मिलित करना;
- विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर अधिक जोर देना;
- स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और पोषण के लिए पार्टनर संस्थाओं को बड़े स्तर पर सहायता प्रदान करना;
- ग्रामीण जनों में स्वयं सहायता समूह संवर्धन की संकल्पना और दृष्टिकोण का प्रसार.
- ''स्वयं को आँकने'' के साधनों का प्रचार करके विद्यमान स्वयं सहायता समूहों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना;

चार्ट 2.1

स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ना-संचयी वृद्धि

(31 मार्च 2004 की स्थिति)

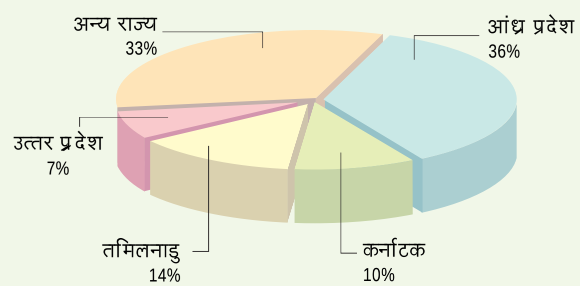

तालिका 2.3: स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ना - संचयी वृद्धि (31 मार्च की स्थिति)			
राज्य	**2002**	**2003**	**2004**
असम	1,024	3,477	10,706
बिहार	3,957	8,161	16,246
छत्तीसगढ़	3,763	6,763	9,796
गुजरात	9,496	13,875	15,974
हिमाचल प्रदेश	5,069	8,875	13,228
झारखंड	4,198	7,765	12,647
महाराष्ट्र	19,619	28,065	38,535
मध्यप्रदेश	7,981	15,271	27,095
उड़ीसा	20,553	42,272	77,588
राजस्थान	12,564	22,742	33,846
उत्तर प्रदेश	33,114	53,696	79,210
उत्तरांचल	3,323	5,853	10,908
पश्चिम बंगाल	17,143	32,647	51,685
योग	1,41,804	2,49,462	3,97,464

2.60 काफी समय तक शुरू किए जाते रहे इन प्रयासों से सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में से 13 राज्यों में सकारात्मक परिणाम देखेने को मिले तथा इससे वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों की संख्या जो 31 मार्च 2002 को 1,41, 804 थी वह 31 मार्च 2004 को बढ़कर 3,97,464 हो गई. असम, बिहार और उड़ीसा राज्यों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिली.

2.61 इन 13 राज्यों में से 10 में सर्वाधिक संख्या में ग्रामीण निर्धन रहते हैं. कार्यक्रम को बढ़ाने के प्रयासों में स्टेकहोल्डरों के साथ लक्ष्यों के साहचर्य की स्थापना, बैंकों द्वारा समूहों के समुचित मूल्यांकन और समुचित प्रबंध सूचना प्रणाली निर्मित करने के माध्यम से उत्तम स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्य नीतियों के प्रतिपादन पर बल दिया जाएगा. जैसी कि 2004-05 के अंतरिम केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी, इन 13 राज्यों में से तीन राज्यों *अर्थात्* मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश में सघन अभियान शुरू किये जाएंगे, जिसके अंतर्गत समूहों के संवर्धन के लिए बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों के एनिमेटर्स का प्रशिक्षण, विशेष प्रचार अभियान शुरू करना, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को पड़ोस के राज्यों के परिचय दौरे कराना, बैंकरों को प्रशिक्षण देना आदि शामिल रहेगा.

ऊ. नवोन्मेषी प्रायोगिक परियोजनाएं

2.62 माइक्रो-फाइनांस के क्षेत्र में तेज गति से विकास हो रहा है और उसमें कई परिवर्तन भी हो रहे हैं. नाबार्ड ने कार्यक्रम की पहुंच और इसके स्थायित्व में वृद्धि के लिए कई उपाय आरंभ किए हैं.

2.63 बोलिविया की माइक्रो फायनेन्स संस्थाओं द्वारा अपनायी जा रही "विनियामक और पर्यवेक्षी क्रियाविधि" के अध्ययन हेतु किये गए बोलिविया दौरे से प्राप्त अनुभव के आधार पर, राष्ट्रीय बैंक ने, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों के संदर्भ में, ग्रामीण बैंकिंग में शाखा-स्वचालनीकरण और स्मार्ट कार्ड्स लागू करने की प्रक्रिया आरंभ की है, तदनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी-युक्त सेवाओं का उपयोग करने वाली ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की सेवाओ की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक प्रायोगिक परियोजना श्री विशाखा ग्रामीण बैंक के साथ आरंभ की गई है (बाक्स 2.5).

2.64 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने के कार्यक्रम में, बैंकों के प्रयासों के पूरक के रूप में नाबार्ड, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संवर्धित समूहों के वित्तपोषण के लिए पोस्ट ऑफिस जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा, जिसकी सफलता के बाद माइक्रो फाइनांस कार्यक्रम को उन क्षेत्रों में भी ले जाने के रास्ते खुलेंगे, जहां बैंकों का ब्रांच नेटवर्क अपर्याप्त है. केंद्रीय वित्त मंत्री के वर्ष 2003-04 के बजट भाषण (बॉक्स 2.6) में की गई घोषणा के अनुरूप तमिलनाडु में 200 स्वयं सहायता समूहों को ऋण के लिए ग्रामीण पोस्ट आफिसों से जोड़ने की प्रायोगिक परियोजना को आरंभ किया गया.

2.65 पिछड़े क्षेत्रों में संवर्धित स्वयं सहायता समूहों में व्याप्त अशिक्षा के कारण लेखा बहियां लिखने के लिए स्थानीय स्कूली बच्चों का उपयोग किया जा रहा था. इस कमी को पूरा करने के

बाक्स 2.5

प्रोसेसर/मेमोरी कार्ड्स के संबंध में प्रायोगिक परियोजना

नाबार्ड ने एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है, जिसमें बहुत से स्वयं सहायता समूह खातों की ट्रैकिंग, अनुप्रवर्तन और सर्विसिंग के लिए प्रोसेसर/मेमोरी कार्ड्स के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है. इस योजना का प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के समय की बचत करना है. इस प्रणाली में, प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के लेन-देन के मामले में फील्ड से एकत्रित किए गए आँकड़ो को, प्रबंध सूचना प्रणाली रिपोर्टें तैयार करने के प्रयोजन से, शाखा स्तर पर समेकित किया जाएगा, जिनका उपयोग शाखा का स्टाफ स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करने और त्वरित ऋण-संयोजन एवं वसूली सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, प्रभावी रूप से कर सकता है. इस प्रकार की पहली प्रायोगिक परियोजना आंध्र प्रदेश में श्री विशाखा ग्रामीण बैंक में आरंभ की गई है, जो कि स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण में अग्रणी बैंकों में से एक है. आशा है कि ग्रामोन्मुख प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से, बैंक, ग्रामीण ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में मूल्य-संवर्धन कर सकेंगे और उनकी पहुँच को सतत रूप से बढ़ा सकेंगे.

बॉक्स 2.6

पोस्ट ऑफिसों से स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने की प्रायोगिक परियोजना

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि **''मैं कृषि ऋण के फ्रेंचाइजिंग के पूरे मसले पर नए सिरे से भी विचार करूंगा जिसमें पोस्ट ऑफिस का माध्यम भी शामिल है''.**

अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में नाबार्ड ने डाक और तार विभाग को एक प्रायोगिक परियोजना मंजूर की, जिसमें ग्रामीण गरीबों को ऋण वितरण में एजेंसी के रूप में पोस्ट ऑफिस के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करने की व्यवहार्यता और सामर्थ्य की जांच करना था. गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संवर्धित 200 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए (तमिलनाडु के कांचीपुरम और पुडुकोट्टइ जिलों में चयनित पोस्ट ऑफिसों के साथ जोड़कर) रु.34 लाख की रिवाल्विंग निधि सहायता तथा प्रचार और जागरूकता निर्माण के प्रारंभिक व्यय को पूरा करने के लिए रु.50,000/- की अनुदान सहायता प्रदान की गई. परियोजना की अवधि 31 मार्च 2007 को समाप्त होगी.

लिए नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों में बही खातों और लेखांकन के लिए वैकल्पिक पद्धति शुरू करने की एक प्रायोगिक परियोजना मंजूर की (बॉक्स 2.7).

2.66 नाबार्ड ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले में तीन अनाज बैंकों की स्थापना के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की (बॉक्स 2.8).

बॉक्स 2.7

कंप्यूटर मुंशी की नियुक्ति

स्वयं सहायता समूहों में बही खाते और लेखांकन (उच्च लेखांकन सहित) के लिए कंप्यूटर मुंशी के रूप में कुशल ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण की अभिनव और स्वतः चलने वाली वैकल्पिक प्रणाली के अंतर्गत दूर दराज के क्षेत्रों में 10 कंप्यूटर मुंशी यूनिटें (8 झारखंड के 4 जिलों और 2 उड़ीसा के एक जिले में) स्थापित करने के लिए रु.6.10 लाख की अनुदान सहायता दी गई. 100 से 300 स्वयं सहायता समूहों की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति कंप्यूटर और साफ्टवेयर से लैस होंगे.

यह परियोजना दो वर्ष तक कार्यान्वित की जाएगी. परियोजना के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन गैर-सरकारी संगठन (प्रदान) द्वारा किया जाएगा और वे ही आवश्यक प्रशिक्षण और सहायता भी देंगे.

बॉक्स 2.8

अनाज बैंक और स्वयं सहायता समूह

अनाज बैंकों और स्वयं सहायता समूहों के बीच सहक्रिया की संभावनाओं को समझते हुए, नाबार्ड ने सर्वाधिक वंचित इलाकों में अनाज के रूप में बचतों के मुद्राकरण और अनाज बैंकों में सहभागितामूलक प्रबंधन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की. उड़ीसा के कालाहांडी जिले में थुआमुल रामपुर ब्लॉक के 17 गांवों को शामिल करते हुए तीन अनाज बैंकों की स्थापना के लिए कालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक को भंडारघरों के निर्माण और 100 क्विंटल अनाज के क्रय के लिए रु.3.78 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई.

स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को नकद और सामान, दोनों रूपों में बचत करना और ऋण लेना होता है. इसके बदले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनाज बैंक के स्टॉक और समूहों की नकद बचत के समक्ष उन्हें ऋण उपलब्ध कराएगा और गैर-सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और क्षमता-निर्माण तथा अनाज बैंकों की स्थापना और प्रबंध में सहायता करेगा.

उम्मीद है कि इस परियोजना से गरीब लोग वस्तु के रूप में बचत कर सकेंगे और ऐसी बचतों के समक्ष संसाधन जुटा सकेंगे और बोने के लिए बीज तथा विपत्ति के समय उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ, अपने प्रबंध और अपनी सहभागिता वाली खाद्यान्न सुरक्षा प्रणालियों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे.

2.67 बैंक फॉर एग्रिकल्चर एण्ड एग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ज्, थाईलैंड के एक्सपोजर दौरे से प्राप्त अनुभवों के आधार पर नाबार्ड ने संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से मध्यस्तरीय ग्राहकों के वित्तपोषण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की अवधारणा निश्चित कर ली है. मुंबई में एक परामर्शी कार्यशाला आयोजित की गई और सहभागी बैंकों के इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए. दिशानिर्देशों में दी गई नमनीयता से सहभागी बैंकों के लिए काफी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, जिससे जमीनी यथार्थ और संभावना के संदर्भ में इस प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित किया जा सके. नाबार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परिचालनात्मक लागतों के लिए रु.3 लाख की अनुदान सहायता प्रदान करेगा.

2.68 पिछले चार वर्षों के दौरान स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से ऋण दिलाने के कार्यक्रम में जो तेजी आई है, उससे कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और इन समूहों के सुव्यवस्थित विकास और स्थायित्व

के लिए कार्यनीतियां प्रतिपादित की जा रही हैं. समूह के स्तर पर रखी जाने वाली खाताबहियों की गुणवत्ता में सुधार लाने और ग्रामीण शाखाओं के ऑटोमेशन में, समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने पर विशेष ध्यान देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं. स्वयं सहायता समूहों और बैंकों के बीच सुदृढ़ प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना के लिए नाबार्ड ग्रामीण वालंटियरों के सहयोग से ''बेयरफुट बुककीपरों'' के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया में है. परिपक्व समूहों को माइक्रो-उद्यमों के रूप में विकसित करने के लिए चुने हुए जिलों में परिपक्व समूहों के सदस्यों में ऐसे उद्यमों के संवर्धन के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने का विचार है.

ए. एशिया प्रशांत क्षेत्रीय माइक्रो शिखर सम्मेलन

2.69 फरवरी 2004 में, माइक्रो क्रेडिट समिट, वाशिंगटन, डीसी की ओर से बांग्लादेश के ढाका शहर में परिषदों का एशिया प्रशांत क्षेत्रीय माइक्रो क्रेडिट शिखर-सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी पीकेएसएफ, बांग्लादेश ने की. इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया. नाबार्ड की अध्यक्ष ने उद्घाटन-सत्र को संबोधित करते हुए अपनी संस्थागत कार्ययोजना प्रस्तुत की जिसमें माइक्रो फाइनान्स कार्यक्रम की पहुँच, किफायत व स्थायित्व में सुधार करने की कार्यनीतियों पर प्रकाश डाला गया. इसके बाद इससे सम्बद्ध एक कार्यशाला सत्र भी चलाया गया जिसका विषय था - *'बैंकिंग के लाभ अपनी दहलीज पर लेने के लिए भारत की 120 लाख गरीब महिलाएं क्यों स्वयं सहायता समूहों की व्यवस्था को व्यवहार में लाना पसंद करती हैं?'* नाबार्ड ने इस शिखर-सम्मेलन में एक प्रदर्शनी भी लगाई जिसमें स्वयं सहायता समूह दृष्टिकोण, अब तक किए गए प्रयासों एवं परिणामों पर रोशनी डाली गई.

ऐ. माइक्रो फाइनांस की सहायता के लिए संसाधन

क. माइक्रो फाइनांस विकास निधि

2.70 नाबार्ड व भारतीय रिज़र्व बैंक में से प्रत्येक के रु.40 करोड़ के आरंभिक अंशदान और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चुने गए 11 वाणिज्य बैंकों के रु.20 करोड़ के अंशदान से नाबार्ड में स्थापित माइक्रो फाइनांस विकास निधि दिनांक 07 मार्च 2003 से पूरी तरह काम करने लगी. इस निधि का उपयोग माइक्रो फाइनांस की विविध पहलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जिसमें स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण से जोड़ने के कार्यक्रम के तहत क्षमता-निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है. नाबार्ड ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी वर्ष के दौरान निधि से हुए पूरे खर्च की लाभ में से प्रतिपूर्ति कर दी जाए. इससे प्रतिवर्ष निधि का अथशेष रु.100 करोड़ बना रहेगा. वर्ष के दौरान, नाबार्ड द्वारा सामान्य रूप से माइक्रो फाइनांस के संवर्धन और विकास के लिए, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण से जोड़ने के कार्यक्रम की वृद्धि के लिए विभिन्न कदम उठाने हेतु इस निधि से रु.7.05 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया. माइक्रो फाइनांस विकास निधि का उपयोग माइक्रो फाइनांस संस्थाओं को परिक्रामी निधि सहायता के रूप में 3.22 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी किया गया है.

ख. बाह्य एजेंसियों के साथ सहयोग

2.71 स्विस एजेंसी फार डेवलपमेंट को-ऑपरेशन (एसडीसी) की सहायता से स्थापित ऋण और वित्तीय सेवा निधि से वर्ष के दौरान माइक्रो फाइनांस नवप्रवर्तनों के लिए रु. 16.33 लाख की राशि का उपयोग किया गया. इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण संबंधी कदमों एवं विशिष्ट अध्ययनों के लिए तकनीकी सहयोग हेतु नाबार्ड-जीटीजेड परियोजना के तहत रु.46.40 लाख की राशि का उपयोग किया गया. जीटीजेड से प्राप्त संचयी प्रतिपूर्ति रु.5.20 करोड़ रही. नाबार्ड - जीटीजेड परियोजना के अंतर्गत वित्तीय घटक 31 दिसंबर 2003 को पूरा हो गया.

महिला स्वयं सहायता समूह कार्यशाला - पापड़ बनाने का प्रशिक्षण

अनुसंधान और विकास गतिविधियां

2.72 राष्ट्रीय बैंक ने अनुसंधान और विकास निधि की स्थापना गहन अध्ययन करने, व्यावहारिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी-आधारित नई पहलों के संवर्धन, व्यावसायीकरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयोजन से प्रौद्योगिकी के फील्ड स्तर पर अंतरण और ग्राहक संस्थाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की थी.

अ. निधि का उपयोग

2.73 वर्ष के दौरान, 6.70 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग अनुसंधान परियोजनाओं/अध्ययनों (रु.0.27 करोड़), प्रशिक्षण (रु.5.51 करोड़), नाबार्ड पीठ इकाइयों (रु.0.32 करोड़), संगोष्ठियों के आयोजन एवं प्रासंगिक लेख तैयार करने (रु.0.38 करोड़) जैसी गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध कराने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों द्वारा स्थापित तकनीकी, अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन कक्षों (कृषि क्षेत्र) एवं आदिवासी ऋण विशेषज्ञ कक्षों (रु.0.12 करोड़) और अन्यों (रु.0.10 करोड़) के लिए मदद प्रदान करने के लिए किया गया. अब तक के रु.71.75 करोड़ के संचयी संवितरण में से, एक प्रमुख भाग (62 %) का उपयोग प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए किया गया, जिसके बाद परियोजनाओं/अध्ययनों (17%), तकनीकी, अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन कक्षों के सुदृढ़ीकरण/ आदिवासी ऋण विशेषज्ञ कक्षों की स्थापना (10%) का स्थान रहा. ग्रामीण विकास से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय बैंक ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी वर्ष में अनुसंधान और विकास निधि से होने वाले व्यय का पुनर्भरण नाबार्ड के लाभ में से किया जाए, ताकि किसी भी वर्ष में इस निधि का अथशेष रु.50 करोड़ बना रहे.

आ. अनुसंधान परियोजनाएं और अध्ययन

क. मंजूर की गई परियोजनाएं/अध्ययन

2.74 वर्ष के दौरान, इस निधि में से रु.52.23 लाख की कुल अनुदान राशि की चौदह अनुसंधान परियोजनाओं/अध्ययनों को मंजूरी प्रदान की गई, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं : (i)सूक्ष्म-वित्त और ग्रामीण रोजगार - कर्नाटक में संभाव्यताओं का मूल्यांकन, (ii) महाराष्ट्र में बीटी कपास की खेती की आर्थिकी, (iii) आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम् जिले में ग्रामीण आवास वित्त का अध्ययन, (iv) तमिलनाडु के मदुरै जिले में समुदाय आधारित जल-कुण्डों की तकनीकी-आर्थिकी, (v) तमिलनाडु में मछुआरिनों के स्वयं सहायता समूहों का निष्पादकता-विश्लेषण और (vi) केरल एवं तमिलनाडु के भिन्न-भिन्न कृषि-जलवायु अंचलों में कृषि-वानिकी प्रणालियों में *एकेकिया मंगियम* के श्रेष्ठ प्लान्टिंग स्टाक का मूल्यांकन.

ख. पूर्ण हुई परियोजनाएं / अध्ययन

2.75 वर्ष के दौरान, अनुसंधान और विकास निधि के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत पांच अनुसंधान परियोजनाएं/अध्ययन पूर्ण हुए.

2.76 *साल्वाडोरा* चारा-घास आधारित भूमि उपयोग प्रणाली का प्रयोग करते हुए लवण-प्रभावित काली मिट्टियों के प्रबंधन पर सेन्ट्रल सॉइल सेलिनिटी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, आणंद द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला कि क्षारीय बंजरभूमियों को पुनः हरा-भरा करने और उनसे आयोत्पादन के लिए *साल्वाडोरा पर्सिका* का प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह अत्यधिक लवण-सहिष्णु प्रजाति है और उन क्षारीय काली मिट्टियों में खूब उगती है, जहां कृष्य फार्मिंग लगभग असंभव है.

2.77 विभिन्न भूमि-उपयोग प्रणालियों के अंतर्गत नीला फुलनू *(एगेरेटम एसपीपी)* के नियंत्रण द्वारा पारिस्थितिकी-बहाली के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर को सौंपी गई परिचालनात्मक अनुसंधान परियोजना में यह देखने में आया कि *एगेरेटम* खर-पतवार (जो कि भूमि-उपयोग प्रणाली में पारिस्थितिकी-असंतुलन उत्पन्न करती है और चारागाह एवं ग्रासलैण्डस की उत्पादकता लगभग 90-100 प्रतिशत तक कम कर देती है) को मानसून के आगमन के समय ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट एवं ऐट्राजीन डालने और *केसिया तोरा* के बीजों की छिटक बुवाई से नियंत्रित किया जा सकता है.

मिट्टी के बांध बनाकर वर्षा जल का संचय

2.78 ''उड़ीसा में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच निधियों का प्रवाह'' नामक जो अध्ययन मैसर्स मोड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को सौंपा गया था उससे, *अन्य बातों के साथ-साथ*, यह पता चला कि : (I) औपचारिक ऋण के प्रमुख स्रोत वाणिज्य बैंक हैं, जिनके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का स्थान आता है, (II) ऋण जमा अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम था, (III) लक्ष्यों की प्राप्ति और वसूली-दरों की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निष्पादकता (58%) वाणिज्य और सहकारी बैंकों की निष्पादकता (40% से कम) की तुलना में बेहतर थी.

2.79 तमिलनाडु में नेलपाथुर गांव में भूमि विखण्डन और उत्पादकता पर उसके प्रभाव के अध्ययन का जो कार्य इंदिरा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेन्ट रिसर्च, मुंबई को सौंपा गया था, उससे यह संकेत मिला कि विखण्डन का अधिकांश महत्वपूर्ण फसल-क्रमों के उत्पादन में तकनीकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और तकनीकी क्षमता के संवर्धन में खेत के आकार ने सकारात्मक भूमिका अदा की थी.

2.80 ''तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में चयनित वाटरशेडों के प्रभाव-आकलन'' पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर को सौंपे गये अध्ययन ने यह साबित कर दिया कि वाटरशेड विकास गतिविधियों का भूमिगत जल के पुनर्भराव पर काफी प्रभाव पड़ा, जिससे भूमिगत जल तक अधिक पहुंच बनी और इस प्रकार सिंचित क्षेत्र, सिंचाई/फसल सघनता और फसल-पद्धति के विविधीकरण में विस्तार हुआ. अतः अध्ययन में यह सुझाव दिया गया कि अंतः स्रवण तालाबों जैसी जल संग्रहण संरचनाओं के विकास पर सार्वजनिक और निजी निवेशों के माध्यम से ध्यान केन्द्रित किया जाए. इसके अलावा, अध्ययन से यह संकेत भी मिला कि ऑफ-फार्म और गैर- कृषि गतिविधियों में विशेष रूप से भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई. एक कंप्यूटर साफ्टवेयर 'वाडियाम' विकसित किया गया, ताकि वाटरशेड विकास कार्यक्रम के प्रभाव के आकलन में मदद मिल सके.

इ. संगोष्ठियां, सम्मेलन और कार्यशालाएं

2.81 आधारभूत लेखों और 79 संगोष्ठियों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं की कार्यवाहियों के प्रकाशन के प्रयोजन से, रु.47.45 लाख की अनुदान सहायता विभिन्न विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और अन्य एजेंसियों को स्वीकृत की गई, ताकि विचार-विमर्श से सामने आई सिफारिशों के प्रसार में मदद मिल सके. इन संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के विषयों में शामिल थे - जैव-कृषि; भोजन, जल और जीविका की सुरक्षा हेतु भूमि-देखभाल-आंदोलन; दीर्घकालिक निर्धनता; विकास नीति; प्रौद्योगिकी को ग्रामीण विकास हेतु व्यवहार में अपनाने योग्य बनाना.

ई. प्रासंगिक लेख

2.82 वर्ष के दौरान, कृषि ऋण और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में नीतिगत मुद्दों के बारे में जानकारी तैयार करने और प्रसारित करने हेतु प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा प्रासंगिक लेख तैयार किये जाने के प्रयोजन से, राष्ट्रीय बैंक ने 13 विषयों की पहचान की. इनमें से प्रमुख थे : (i) भारतीय कृषि में जोखिम एवं अनिश्चितताएं और ऋण की भूमिका, (ii) कृषि ऋण में नई पहलें-किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रकरण-अध्ययन, (iii) भारत में जैव कृषि : संगतता, समस्याएं और बाधाएं, (iv) कृषि विकास में निजी-सार्वजनिक भागीदारियों के मामले में पहलें और संभावनाएं, (v) इक्कीसवीं शताब्दी की आरंभिक अवधि में कृषि के विकास के लिए प्रबंधकीय कार्यनीति और (vi) चावल उत्पादन प्रणाली की बदलती पद्धति एवं नीतिगत परिदृश्य. इसके अलावा, वर्ष के दौरान चार प्रासंगिक लेख अर्थात् (i) असम के जोरहाट जिले में संसाधन-उपयोग और उत्पादकता पर किरायेदारी प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन, (ii) कृषि - बाजार-संयोजन : भारतीय संदर्भ में एक अवधारणात्मक ढांचे का मूल्यांकन और विकास, (iii) कृषि प्रसार - निजी क्षेत्र की सहभागिता; और (iv) वस्तुओं की कीमतें और निवेश-व्यवहार्यता एवं चुकौती पर उनका प्रभाव - भारतीय इलायची के संदर्भ में, भी प्रकाशित किए गए.

उ. तकनीकी, अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन कक्ष

2.83 नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में तकनीकी अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन कक्षों (एफएस) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहन देना जारी रखा, जिसका प्रयोजन नई और अभिनव योजनाओं/परियोजनाओं के माध्यम से ऋण-वितरण में विविधीकरण को प्रोत्साहन देना, बैंकों के फील्ड स्टाफ में जानकारी के प्रसार हेतु प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का आयोजन करना, योजनाओं के प्रभावी निरूपण, मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन में सहायता करना और ऋण के बेहतर पुनः उपयोग के लिए प्रभावी तरीके आरंभ करना था. अब तक 120 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 9 राज्य सहकारी बैंकों और 14 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकोंने इस सुविधा का लाभ उठाया है. इसके अलावा, तकनीकी, अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन कक्ष (कृषि क्षेत्र), स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं संयोजन और विकास वालंटियर वाहिनी कार्यक्रम के अंतर्गत कृषक क्लबों के गठन से भी जुड़े हुए थे.

ऊ. आदिवासी ऋण विशेषज्ञ

2.84 यह योजना 1996-97 में आरंभ की गई थी और इसमें आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी बैंकों में आदिवासी ऋण विशेषज्ञ की नियुक्ति हेतु पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुदान उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई थी, ताकि उन्हें उन गतिविधियों की पहचान और वित्तपोषण में मदद मिले, जो कि आदिवासी समुदायों के सदस्यों द्वारा की जा सकती हैं. सहकारी बैंकों को मंजूर किए गए आठ आदिवासी ऋण विशेषज्ञों (चार राज्य सहकारी बैंकों में पाँच और तीन राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से प्रत्येक में एक-एक) की अवधि वर्ष के दौरान समाप्त हो गई.

ए. नाबार्ड पीठ इकाई योजना

2.85 बैंक ने, नाबार्ड पीठ इकाई योजना के अंतर्गत आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम्; जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर; इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली; वैकुण्ठ मेहता नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव मैनेजमेन्ट, पुणे और इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेन्ट, आणंद में स्थापित पांच पीठ इकाइयों को मदद देना जारी रखा. वर्ष के दौरान पीठ इकाइयों द्वारा पूर्ण किए गए महत्वपूर्ण अनुसंधान अध्ययनों में (i) ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों और पुलों का प्रभाव-मूल्यांकन; (ii) अकोला और वाशिम जिलों में जिला ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन; (iii) ठेका खेती, सहकारी समितियों के लिए ब्याज-दर संसरचना और व्यवहार्य ब्याजदर निर्धारण के बारे में तकनीकी- आर्थिक साध्यता का अध्ययन ; (iv) किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मूल्यांकन; (v) पशुधन-बाजार की समस्याएं, संभावनाएं और नीतिगत सुधार; (vi) सिंचाई के मामले में ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का वित्तपोषण; (vii) राजकोषीय वसूली से संबंधित मुद्दे; (viii) कृषि बाजार सहयोग नीतियां-नई व्यवस्था में प्रवृत्तियां और निहितार्थ; एवं (ix) भारत में अंतर-क्षेत्रीय वृद्धि संयोजन-नीति और उदारीकृत सुधारों के लिए निहितार्थ शामिल थे.

ऐ. प्रशिक्षण गतिविधियां

2.86 उपर्युक्त गतिविधियों के अलावा, निधि का उपयोग ग्राहक संस्थाओं *अर्थात्* वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और राज्य सरकारों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए भी किया जा रहा है. इस प्रकार के प्रशिक्षण-कार्यक्रम कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (भारतीय रिजर्व बैंक), पुणे; आईआईबीएम, गुवाहाटी; एनसीएमडीएआरडीबी, बेंगलूर; बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ और नाबार्ड के मंगलूर एवं बोलपुर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा आयोजित किए गए.

ओ. अनुसंधान निष्कर्षों का उपयोग

2.87 अनुसंधान और विकास निधि में से सहायता-प्रदत्त अनुसंधान अध्ययनों/परियोजनाओं और प्रासंगिक लेखों के निष्कर्षों को, अधिक प्रसार, अनुवर्ती कार्रवाई एवं नीति-निर्माण में उपयोग के लिए, प्रधान कार्यालय में विभिन्न विभागों, बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों / उप कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य सरकारों के संबंधित विभागों, अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों, वित्तपोषक एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को भेजा गया. निष्कर्षों का उपयोग बैंक की व्यवसाय नीतियों से संबंधित आधारभूत लेख तैयार करते समय भी किया गया.

ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई) के कार्मिकों को प्रशिक्षण

2.88 ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आर एफ आई) की प्रभावोत्पादकता को सुधारने में अपनी भूमिका के एक भाग के रूप में नाबार्ड ने बोलपुर और मंगलूर में *आरटीसी* नामक दो प्रशिक्षण संस्थान तथा बर्ड, लखनऊ स्थापित किए हैं जहां ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाता है. आर टी सी और बर्ड ने वर्ष के दौरान कुल 429 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 11,145 प्रतिभागियों ने भाग लिया जबकि पिछले वर्ष 364 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें प्रतिभागियों की संख्या 8,884 थी. अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा इस क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए भी नाबार्ड तकनीकी और वित्तीय सहायता देता है.

अ. कार्यक्रम का विविधीकरण

2.89 आरटीसी और बर्ड अपनी ग्राहक संस्थाओं की विशिष्ट और बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कार्यक्रमों को अद्यतन करने के निरंतर प्रयास करते रहे हैं. ग्राहक संस्थाओं से प्राप्त फीडबैक तथा संस्थाओं द्वारा किए गए विशिष्ट अध्ययनों के निष्कर्षों

को आत्मसात कर उन्हें अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा में शामिल किया जाता है. बर्ड और आर टी सी के प्रशिक्षण कैलेंडरों को अंतिम रूप देने के लिए सिलेबस/शैक्षिक परामर्शदायी समितियां गठित हैं, जिनमें ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं से भी सदस्य शामिल रहते हैं और वे प्रशिक्षण के नए विषयों की पहचान भी करते हैं. वर्ष के दौरान आरटीसी और बर्ड द्वारा शुरू किए गए नए कार्यक्रमों में ट्रेजरी और निवेश, आस्ति, देयता एवं नेटवर्क प्रबंधन, लघु और सूक्ष्म उद्यम प्रबंधन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडल में प्रायोजक बैंकों के नामिती निदेशकों के लिए निधि और निवेश प्रबंधन तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर सेमिनार का आयोजन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल थे.

2.90 नाबार्ड ने अपनी ग्राहक संस्थाओं के कार्मिकों के प्रतिभागिता-शुल्क में सहायता के रूप में अंशदान भी किया. ग्राहक संस्थाओं के 377 और 393 अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्रमशः कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे को रु.20.77 लाख और एनसीएमडीएआरडीबी, बेंगलूर को रु.13.98 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई.

2.91 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा स्थापित क्रमशः कनिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों (जेएलटीसी) तथा कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थानों (एसीएसटीआई) प्रशिक्षण पद्धति में सुधार हेतु नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंक कार्मिक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता योजना (साफ्टकोब) के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है. वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत 27 प्रशिक्षण संस्थान कवर किए गए तथा 12,292 प्रतिभागियों के लिए 656 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहकारिता विकास निधि (सीडीएफ) से जेएलटीसी एवं एसीएसटीआई को रु.3.16 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई.

आ. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था

2.92 नाबार्ड ने वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी को तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास और प्रबंधन संस्थान (एमडीएमआई), शिलांग को अनुदान उपलब्ध कराए. वर्ष 2003-04 के दौरान आईआईबीएम और एमडीएमआई को क्रमशः रु.16.01 लाख और रु.7.20 लाख की अनुदान सहायता दी गई.

जिला विकास कार्यालय

2.93 वर्ष के दौरान पांच राज्यों में आठ नए जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) कार्यालय खोले गए जिन्हें मिलाकर ऐसे कार्यालयों की संख्या 338 हो गई. साथ ही, 103 जिलों को पड़ोस के जिला विकास प्रबंधक कार्यालयों से संबद्ध किया गया है, जिससे अब देश के 77 % जिलों को जिला विकास प्रबंधकों की सेवाएं प्राप्त हो रही हैं. जिन शेष जिलों में जिला विकास प्रबंधकों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां का विकास कार्य राष्ट्रीय बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त जिला विकास अधिकारी देख रहे हैं.

महत्वपूर्ण दौरे एवं विचार विमर्श

2.94. छह संसदीय समितियों ने नाबार्ड के साथ कृषि ऋण और कृषि विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया. ये समितियां थीं (i) कृषि हेतु संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दल I एवं II. (ii) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण प्राक्कलन समिति (लोकसभा) के अध्ययन दल I एवं II (iii) वित्त पर स्थायी समिति (iv) शहरी और ग्रामीण विकास हेतु स्थायी समिति (v) अ.जा./अ.ज.जा, कल्याण संबंधी समिति (vi) मानव संसाधन विकास - जेंडर बजट विश्लेषण हेतु स्थायी समिति.

III कारोबारी परिचालन

सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेग्राबैंकों), अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (अप्राशसबैंकों) तथा कृषि विकास वित्त कंपनियों (एडीएफसी) को, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए, उनके संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राष्ट्रीय बैंक पुनर्वित्त प्रदान करता है. राष्ट्रीय बैंक ने ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (ग्राआसुविनिधि/आरआईडीएफ) के तहत राज्य सरकारों को बुनियादी ढांचों के निर्माण की उनकी परियोजनाओं के लिए भी पुनर्वित्त प्रदान किया है. ग्राआसुविनिधि परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज हुई है और इससे इन क्षेत्रों में लोग निजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हुए है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है. ग्राआसुविनिधि का यह अधिदेश अब से नवनिर्मित लोक नायक जयप्रकाश नारायण निधि/कृषि आधारभूत सुविधा और ऋण निधि (एआईसीएफ) द्वारा पूरा किया जाएगा और इसमें मुख्यतः कृषि पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा.

3.2 राष्ट्रीय बैंक परामर्शी सेवा (नैबकॉन्स) 17 नवंबर 2003 से एक अलग कंपनी के रूप में पंजीकृत की गई हैं. इसका पूरा स्वामित्व बैंक के पास है. यह कंपनी ग्राहकों द्वारा इसे सौंपे गए परामर्श कार्यों को अपनी मूल संस्था की आधारिक क्षमता और बहुविषयी परियोजनाओं में अपनी विशेषज्ञता के आधार पर पूरा करती है.

3.3 नाबार्ड द्वारा वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान उपलब्ध कराई गई कुल वित्तीय सहायता क्रमशः रु.18,138 करोड़, रु.18,573 करोड़ और रु.18,931 करोड़ थी. इस खण्ड में बैंक के पुनर्वित्त और ऋण परिचालनों की समीक्षा, आधार स्तर पर इसके प्रभाव, संसाधन जुटाने और उनका प्रबंधन करने तथा इसकी सहायक संस्था द्वारा प्रदान की गई परामर्श सेवाओं का ब्यौरा दिया गया है.

लोक नायक जय प्रकाश नारायण निधि

3.4 माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय ने 3 फरवरी 2004 को अंतरिम बजट पेश करते हुए दीर्घावधि वित्तीयन के विभिन्न प्रदाताओं से संसाधनों के सक्षम एकीकरण के लिए रु.50,000 करोड़ की लोक नायक जय प्रकाश नारायण निधि/कृषि आधारभूत सुविधा और ऋण निधि (एआईसीएफ) की स्थापना करने की घोषणा की ताकि विभिन्न दीर्घकालीन ऋणदाताओं से संसाधनों को प्रभावी रूप से बढ़ाकर संसाधन प्रवाह को सुगम बनाया जा सके और इसे कृषि/देहाती बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा सके. तीन घटकों (बॉक्स 3.1) से बनी इस निधि का उपयोग कृषि के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित कर और मजबूत बनाकर कृषि क्षेत्र की क्षमता, उत्पादकता तथा लाभप्रदता को बढ़ाने तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा देकर कृषि का विविधीकरण तथा मूल्य संवर्धन करके ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा. इस निधि के परिचालन के लिए राष्ट्रीय बैंक नोडल एजेंसी है. इस निधि के लिए बैंकिंग प्रणाली से उन्हीं शर्तों पर संसाधनों का संग्रहण किया जाएगा जो शर्तें ग्राआसुविनिधि के लिए लागू थीं और इसके लिए बाज़ार से उधार लेकर भी संसाधन जुटाए जाएंगे.

आधार स्तरीय ऋण प्रवाह

3.5. अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2003-04 में कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया गया कुल आधार स्तरीय संवितरण रु.80,000 करोड़ (रु.52,000 करोड़ उत्पादन तथा रु.28,000 करोड़ निवेश ऋण) होने का अनुमान है जो गत वर्ष के संवितरणों के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक है. वर्ष 1999-2003 की अवधि में, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों के आधार स्तरीय ऋण में क्रमशः 11,25 तथा 20 प्रतिशत की वृद्धि प्रति वर्ष हुई. जहां वाणिज्य बैंकों के हिस्से में वृद्धि (50 से 57%) हुई, वहीं सहकारी बैंकों का हिस्सा घट गया (43% से 34%), जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुल ऋण प्रवाह में अपने हिस्से में थोड़ा सा सुधार किया (तालिका 3.1).

तालिका 3.1: एजेन्सी-वार आधार स्तरीय ऋण प्रवाह

(रु.करोड़)

एजेन्सी	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
सहकारी बैंक	15,957	18,260	20,718	23,524	23,636
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2,460	3,172	4,220	4,854	6,070
वाणिज्य बैंक	18,443	24,733	27,807	33,587	39,774
अन्य एजेंसियां	-	103	82	80	80
जोड़	**36,860**	**46,268**	**52,827**	**62,045**	**69,560**

बॉक्स 3.1

लोक नायक जय प्रकाश नारायण निधि - घटक

अ. राज्य सरकारों के माध्यम से

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्त

राज्य सरकारें, राज्य स्वामित्व के निगम और उपक्रम, पंचायती राज संस्थाएं तथा अन्य स्थानीय निकाय, विभिन्न निवेशों, जैसे लघु सिंचाई सरंचनाओं, जल बचत प्रणालियों, जल-मग्न क्षेत्रों के सुधार, वाटरशेड/बंजर भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास, सरकारी क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, बुनियादी विपणन सुविधाओं, पशुधन विकास हेतु बुनियादी सुविधाओं, बागान और बागवानी विकास इत्यादि के लिए वर्तमान में 6.50% प्रति वर्ष की दर से ऋण लेने के लिए पात्र हैं. प्रारंभिक निधीयन की व्यवस्था आरआईडीएफ-IX के अंतर्गत दिए गए ऋणों के लिए लागू ब्याज दरों पर उन वाणिज्यिक बैंकों से की जाएगी, जिनका कृषि ऋण वितरण कम रहा हो. आगामी जरूरतों को इसी स्रोत से तथा नाबार्ड द्वारा बाजार से उधार लेकर पूरा किया जाएगा. वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक तीन वर्षों के लिए रु.30,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है.

आ.कृषि, वाणिज्यिक आधारभूत सुविधाओं तथा

चुनिंदा सह-वित्तपोषण में निवेश के लिए पुनर्वित्त

कारपोरेटों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तियों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली, बैंकों द्वारा वित्तपोषित, परियोजनाओं के लिए बैंकिंग तंत्र को पुनर्वित्त उपलब्ध रहेगा. इस घटक के अंतर्गत पात्र प्रयोजन/प्राथमिकता क्षेत्र हैं : कृषि परिसंपत्तियों तथा वाणिज्यिक आधारभूत सुविधाओं में निवेश, फसलोत्तर प्रबंधन, कृषि विपणन तथा लघु सिंचाई, वाटरशेड विकास, वानिकी, कृषि-क्लिनिक, जैव-प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े निवेश. फिलहाल, तीन वर्षों (2004-07) के लिए रु.18,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं जो 5.50 से लेकर 6.75% प्रति वर्ष तक की दरों पर प्रदान किए जाएंगे, तथापि वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत ऋण कर्ताओं को कृषि निवेशों को चालू पीएलआर से 2 प्रतिशत कम दर पर उपलब्ध कराया जाएगा.

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बैंक, अन्य पार्टनरों के परामर्श से संयुक्त रूप से परियाजनाओं की पहचान तथा उनका निर्माण, आवश्यक तकनीकी निविष्टियां उपलब्ध कराने, परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और साध्यता अध्ययन करने, कृषि ऋण वितरण के क्षेत्र में प्रशिक्षण के जरिए संस्थाओं के क्षमता निर्माण तथा मॉडल योजनाएं तैयार करने और उन्हें प्रसारित करने जैसे उपाय करेगा.

इ. विकासात्मक उपाय तथा जोखिम प्रबंधन

निधि के अंतर्गत रु.2,000 करोड़ की राशि विकासात्मक उपायों और जोखिम प्रबंधन संबंधी पहलों के लिए निर्धारित की गई है, नामतः फार्म प्रौद्योगिकी का प्रसार, सूचना प्रौद्योगिकी लिंकेज का समन्वयन, कृषक क्लबों का विस्तार, सहभागितामूलक वाटरशेड/बंजर भूमि विकास, कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन तथा प्रमाणन के लिए उपाय, पशुधन का उच्चश्रेणीकरण तथा विकास, ऋण जोखिम कम करना, आदिवासी विकास आदि.

सहकारी बैंकों के जरिए ऋण प्रवाह में हुई अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के कारण ही बाजार में उनके हिस्से में गिरावट आई.

3.6 इस अवधि के दौरान कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए आधार स्तरीय ऋण-प्रवाह के उप-क्षेत्र-वार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जहां लघु सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन तथा मत्स्यपालन जैसे कुछ क्षेत्रों में सावधि ऋणों का प्रवाह लगभग स्थिर रहा, वहीं यह बागान तथा बागवानी, भूमि विकास तथा हाइटेक कृषि के लिए इसमें वृद्धि हुई. (तालिका 3.2)

3.7 मौसमी कृषि परिचालनों हेतु अल्पावधि ऋणों के लिए अगस्त 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सभी राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों में कार्यान्वित कर दी गई है. योजना के कार्यान्वयन से अल्पावधि उत्पादन ऋण हेतु आधारस्तरीय ऋण प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिली है. वर्ष 2003-04 के दौरान, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्य बैंकों ने क्रमशः 48.78 लाख, 12.74 लाख और 30.73 लाख कार्ड जारी किए. योजना की शुरुआत से लेकर अब तक बैंकिंग तंत्र द्वारा जारी किए गए 413.79 लाख (तालिका 3.3) कार्डों में से सहकारी बैंकों का हिस्सा सर्वाधिक (59%) रहा, उसके बाद वाणिज्य बैंकों का (32%) तथा क्षेग्रा बैंकों का हिस्सा (9%) रहा. सहकारी बैंक और क्षेग्रा बैंक अपने फसली ऋण संवितरणों का अधिकांश

तालिका 3.2: कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए उप-क्षेत्रवार आधारस्तरीय ऋण प्रवाह							
							(रु.करोड़)
क्रम सं.	**क्षेत्र / उप-क्षेत्र**	**1998-99**	**1999-2000**	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**	**वृद्धि** दर (%)**
I	फसल ऋण (अल्पावधि उत्पादन ऋण)	23,903	28,965	33,314	40,509	45,586	17.7
II	सावधि ऋण (मध्यावधि और दीर्घावधि निवेश ऋण)	12,957	17,303	19,513	21,536	23,974	15.6
i.	लघु सिंचाई	1,790	2,346	1,821	1,845	1,976	1.0
ii.	भूमि विकास	217	319	290	307	393	12.2
iii.	कृषि मशीनीकरण	3,936	3,889	4,125	3,847	3,600	1.0
iv.	बागान और बागवानी	767	777	754	765	1,195	9.1
v.	पशुपालन	1,996	2,119	2,190	2,221	2,637	6.2
vi.	मत्स्यपालन	448	405	319	508	539	6.1
vii.	हाई-टेक कृषि *	1,339	1,360	2,088	2,257	2,268	16.9
viii.	अन्य@	2,464	6,088	7,926	9,786	11,366	42.4
	जोड़ (I+II)	**36,860**	**46,268**	**52,827**	**62,045**	**69,560**	**16.9**

** केवल वाणिज्य बैंक ** वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर (1998-99 से 2002-03)*

@: इसमें स्टोरेज और मार्केट यार्ड्स, बैलों तथा बैलगाड़ियों और बायो गैस इत्यादि का संवितरण शामिल है.

हिस्सा किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से ही जारी कर रहे हैं. इससे प्रकट होता है कि यह योजना किसानों को बिना किसी झंझट के फसल ऋण उपलब्ध करवाने की दिशा में एक व्यापक रूप से स्वीकार्य तंत्र के रूप में उभरकर सामने आई है.

3.8 योजना की राज्य-वार समीक्षा करने से पता चला कि पूरे देश में सहकारी बैंकों द्वारा जारी कार्डों में से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा राज्यों का हिस्सा 82 प्रतिशत रहा जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पूरे देश में जारी कार्डों में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों का हिस्सा 84 प्रतिशत रहा और वाणिज्य बैंकों द्वारा पूरे देश में जारी कार्डों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब राज्यों का हिस्सा 69 प्रतिशत रहा. झारखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रगति धीमी रही. इन राज्यों में तेजी लाने के लिए वर्ष के दौरान बैंकरों के साथ बैठकें करके विशेष प्रयास किए गए.

तालिका 3.3: एजेंसी-वार और वर्ष-वार जारी किसान क्रेडिट कार्ड				
				(लाख)
वर्ष	**सहकारी बैंक**	**क्षे.ग्रा.बैंक**	**वाणिज्य बैंक**	**जोड़**
1998-99	1.56	0.06	6.22	7.84
1999-00	35.95	1.73	13.66	51.34
2000-01	56.14	6.48	23.90	86.52
2001-02	54.36	8.34	30.71	93.41
2002-03	45.79	9.64	27.0	82.43
2003-04	48.78	12.74	30.73	92.25
ज़ोड	**242.58**	**38.99**	**132.22**	**413.79**

3.9 योजना के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने और सभी पात्र किसानों को इसमें कवर करने के लिए राष्ट्रीय बैंक ने कुछ कदम उठाए जैसे बैंकरों के लिए ओरिएन्टेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, केसीसी सुविधा के प्रभावी उपयोग पर कृषकों को शिक्षित करने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ''किसान क्रेडिट कार्ड-कृषकों का मार्गदर्शन'' का प्रकाशन, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख मेघदूत पोस्ट कार्डों के जरिए प्रचार के लिए डाक माध्यम का उपयोग और विभिन्न प्रचार उपायों के लिए सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना. योजना के सुस्थापित हो जाने के साथ ही अब बैंकों द्वारा केसीसी परिचालनों की क्वालिटी को सुधारने, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सावधि ऋण उपलब्ध कराने की संभावनाओं का पता लगाने, केसीसी धारकों के लिए स्मार्ट कार्ड शुरू करने, आदि जैसे कार्यों पर जोर देना होगा.

उत्पादन ऋण

अ. अल्पावधि पुनर्वित्त

क. राज्य सहकारी बैंक

i. मौसमी कृषि परिचालनों के लिए पुनर्वित्त सहायता

3.10 वर्ष 2003-04 की राष्ट्रीय बैंक की पुनर्वित्त नीति में कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने की गति में तेजी लाने पर जोर देना जारी रहा. वर्ष 2002-03 के दौरान रास बैंक लगभग रु.20,000 करोड़ के ही ऋण वितरित कर सके, जबकि दसवीं योजना में वर्ष 2003-04 के दौरान रु.30,493 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित था. अतः इसे पूरा करने के लिए उन्हें कृषि के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाना होगा.

3.11 यह जानते हुए कि खरीफ 2002 के सूखे का प्रभाव अब भी महसूस किया जाएगा, 2003-04 के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त नीति निर्धारित करते समय कुछ रियायतें प्रदान की गईं जिससे बैंकों के सम्मुख खड़ी प्रतिकूल नकदी प्रवाह की गंभीरता और वसूली की समस्याओं को कम किया जा सके. बैंकों की पात्रता के अनुसार सीमाओं की मंजूरी के संबंध में नाबार्ड/रास बैंक द्वारा पिछले वर्ष मंजूर सीमा पर पहुंचे अधिकतम बकाए तक सीमित न रखने का जो नीतिगत निर्णय बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 11 (1) का पालन न करने वाले जिमस बैंकों के मामले में खरीफ 2002 के लिए लिया गया था, वह क्रिटिकल पुनर्वित्त सहायता के साथ वर्ष 2003-04 के दौरान भी जारी रहा. अनुत्पादक आस्तियों (एनपीए) या वसूली निष्पादकता में से किसी एक का पालन करने के आधार पर मौसमी कृषि परिचालन सीमाओं की मंजूरी के लिए सहकारी बैंकों की पात्रता की गणना जारी रही. तथापि, अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) के अंतर्गत रास बैंक के प्रति कुछ जिमस बैंकों की चूक की प्रवृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि जो जिमस बैंक लगातार 3 माह से अधिक अवधि से चूक कर रहे हैं, उनकी ओर से संबंधित रास बैंक को आहरण की अनुमति न दी जाए.

रागी की कटाई

3.12 वर्ष 2003-04 (जुलाई-मार्च) के दौरान 213 जिमस बैंकों की ओर से 17 रास बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों के लिए रु.7,314.28 करोड़ की सकल अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की गईं. वर्ष 2002-03 (जुलाई-जून) के दौरान 234 जिमस बैंकों की ओर से 18 रास बैंकों को रु.6,746.67 करोड़ की ऋण सीमाएं मंजूर की गई थीं. वर्ष 2003-04 के लिए मंजूर ऋण सीमाओं में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी) के लिए रु.950.98 करोड़, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एनपीडीपी) के लिए रु.68.46 करोड़ और आदिवासी विकास (डीटीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासियों की उत्पादन ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए रु.246.98 करोड़ भी शामिल थे.

3.13 कुल सकल ऋण सीमाओं में दक्षिणी क्षेत्र (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) तथा उत्तरी क्षेत्र (हरियाणा, पंजाब और राजस्थान) के रास बैंकों का प्रत्येक क्षेत्र में हिस्सा लगभग 34 प्रतिशत रहा, जबकि मध्य क्षेत्र (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश), पश्चिमी क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र) और पूर्वी क्षेत्र (बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल) का हिस्सा वर्ष के दौरान क्रमशः 14, 11 और 7 प्रतिशत रहा.

3.14 नाबार्ड द्वारा कतिपय रियायतें देने के बावजूद पूर्वोत्तर क्षेत्र के सहकारी बैंकों द्वारा पुनर्वित्त का उपयोग पहले की तरह कम ही रहा. वर्ष के दौरान केवल मेघालय और नागालैण्ड रास बैंकों को क्रमशः रु.2 करोड़ और रु.0.97 करोड़ की सकल ऋण सीमाएं मंजूर की गईं.

3.15 वर्ष 2003-04 (जुलाई-मार्च) के दौरान रास बैंकों का अधिकतम बकाया रु.5,321.84 करोड़ रहा. जो कि स्वीकृत ऋण सीमाओं का 73 प्रतिशत था. 11 रास बैंकों के मामले में मंजूर ऋण सीमाओं के उपयोग का स्तर 70 से 90 प्रतिशत के बीच और 6 रास बैंकों के मामले में 70 प्रतिशत से कम था.

ii. अल्पावधि कृषि/संबद्ध और विपणन कार्यकलापों का वित्तपोषण

3.16 सहकारी बैंकों के लिए अल्पावधि कृषि/संबद्ध और विपणन कार्य-कलापों के वित्तपोषण हेतु एक नई ऋण लाइन शुरू की गई जो प्रारंभिक तौर पर वर्ष 2003-04 (अप्रैल-मार्च) के लिए थी. इससे आशा थी कि सहकारी बैंकों को लिक्विडिटी प्राप्त होगी और वे कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने में अपनी उच्च लागत वाली निधियों को प्रभावी रूप से कम कर सकेंगे तथा मौखिक पट्टेदारों/किराएदार कृषकों को ऋण उपलब्ध करा सकेंगे.

3.17 नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21(1)(i) और (ii) के अंतर्गत ऐसे प्रयोजन भी पुनर्वित्त के पात्र हैं, जो नाबार्ड द्वारा मंजूर विद्यमान पुनर्वित्त सुविधाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं. मोटे तौर पर इनमें शामिल प्रयोजन हैं, (i) सोने की जमानत और फसलों पर प्रभार से भिन्न जमानत पर कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण, (ii) संबद्ध कृषि कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, (iii) कृषि निविष्टियों की खरीद और वितरण, कृषि/संबद्ध उत्पादों के विपणन, लघु वन-उत्पादों आदि के संग्रहण और विपणन के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, (iv) कृषि के वाणिज्यिकीकरण, निर्यात, मूल्यवर्द्धन आदि के लिए उच्च वित्तमान वाले कृषकों को अल्पावधि ऋण सहायता आदि. वर्ष के दौरान नई ऋण व्यवस्था के अंतर्गत हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में सात रास बैंकों (अप्रैल-मार्च) को रु.484.09 करोड़ की सकल ऋण सीमाएं मंजूर की गईं. सीमाओं का रु.195.48 करोड़ तक उपयोग किया गया.

iii मौसमी कृषि परिचालनों के लिए जिमस बैंकों को सीधे अल्पावधि पुनर्वित्त

3.18 बैंकों द्वारा सामान्यतः कृषि के लिए और विशेष रूप से फसली ऋण के लिए ली जा रही ब्याज दरों को कम करने की जरूरत पर माननीय प्रधान मंत्री और माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने जोर दिया था. भारतीय बैंक संघ ने वाणिज्य बैंकों को सूचित किया कि 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से फसल ऋण जारी किए जाएं. इस संबंध में नाबार्ड अधिनियम, 1981 में संशोधन किया गया, ताकि राज्य सरकारों की सहमति से जिमस बैंकों को बैंक द्वारा सीधे पुनर्वित्त दिया जा सके. जैसा कि भारत सरकार ने सूचित किया, नाबार्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से जिमस बैंकों को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सीधे पुनर्वित्त प्रदान करने की योजना तैयार की और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की सहमति मांगी है.

iv. बुनकरों को पुनर्वित्त सहायता

3.19 हथकरघा क्षेत्र में रोजगार सृजन की, विशेषकर ग्रामीण समुदाय के पिछड़े और गरीबतम वर्ग के लिए, व्यापक संभाव्यता तथा साथ ही महत्वपूर्ण निर्यात अर्जक के रूप में इसकी संभावना को देखते हुए नाबार्ड ने बुनकर सहकारी समितियों के उत्पादन/प्रापण और विपणन कार्यकलापों के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा. प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों (पीएचडब्ल्यूसीएस) के उत्पादन और विपणन कार्यकलापों, क्षेत्रीय/शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों के प्रापण और विपणन परिचालनों के लिए रास बैंकों/जिमस बैंकों को कार्यशील पूंजी ऋण सीमाओं की मंजूरी से संबंधित नीति, कुछ संशोधनों को छोड़कर, पहले की भांति जारी रही.

पोचमपल्ली में एक क्लस्टर में बुनाई में लगा कारीगर

3.20 बुनकर सहकारी समितियों के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर-चूककर्ता, ठीक-ठाक चल रही तथा पात्र प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां वित्तीय सहायता से वंचित न रह जाएं, यह निश्चय किया गया कि उन जिमस बैंकों को क्रिटिकल पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाए जिन्होंने वसूली/एनपीए मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया था.

3.21 वर्ष 2003-04 (अप्रैल-मार्च) के दौरान बुनकर सहकारी समितियों के उत्पादन/प्रापण और विपणन कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए संबंधित जिमस बैंकों की ओर से सात रास बैंकों को सकल रु.520.60 करोड़ (वर्ष 2002-03 के दौरान रु.550.94 करोड़) की अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की गईं जिस पर अधितम बकाए रु.309.75 करोड़ (स्वीकृत सीमाओं का 59%) रहे. जिन पांच राज्यों (आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिनाडु और पश्चिम बंगाल) में सहकारी हथकरघा आंदोलन पर्याप्त रूप से विकसित है उनका हिस्सा वर्ष के लिए नाबार्ड द्वारा मंजूर कुल सीमाओं में लगभग 99 प्रतिशत था. यार्न के व्यापार के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर समितियों की ओर से रास बैंकों को मंजूर ऋण सीमाएं रु.11.86 करोड़ की थीं. इसके समक्ष रु. 8.50 करोड़ का अधिकतम उपयोग किया गया जो कि मंजूर कुल ऋण सीमा का 72 प्रतिशत है.

v. राज्य हस्तशिल्प/हथकरघा विकास निगमों का वित्तपोषण

3.22 राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों और राज्य हथकरघा विकास निगमों की कार्यशील पूंजी जरूरतों का वित्तपोषण करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और रास बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने और राज्य हथकरघा विकास निगमों के वित्तपोषण के मामले में रास बैंकों को सहायता प्रदान करने की नीति कुछ मामलों में संशोधनों को छोड़कर, वर्ष के दौरान भी जारी रही.

vi. औद्योगिक सहकारी समितियों, श्रम ठेका/वन श्रम सहकारी समितियों और ग्रामीण कारीगरों का वित्तपोषण

3.23 औद्योगिक सहकारी समितियों (बुनकरों से भिन्न), श्रम ठेका/वन श्रम सहकारी समितियों और साथ ही पैक्स/कृषक सेवा समिति/लैम्प्स के कारीगर सदस्यों की कार्यशील पूंजी जरूरतों के वित्तपोषण के लिए जिमस बैंकों/जिऔस बैंकों की ओर से रास बैंकों को पुनर्वित्त सहायता संबंधी नीति, कुछेक परिमार्जनों, जैसे रास बैंकों और जिमस बैंकों के लिए न्यूनतम वसूली/एनपीए के निर्धारण, के साथ जारी रही ताकि ये बैंक कुटीर, ग्राम और लघु प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों के उत्पादन और विपणन कार्यकलापों का वित्तपोषण कर सकें. कुटीर, ग्राम और अत्यंत लघु औद्योगिक सहकारी समितियों के प्रापण और विपणन कार्यकलापों में लगे क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय फेडरेशनों के वित्तपोषण के लिए त्रिस्तरीय संरचना में रास बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने हेतु भी यही नीति अपनाई गई. वर्ष 2003-04 के दौरान औद्योगिक सहकारी समितियों को रु.18.64 करोड़ की राशि उत्पादन एवं विपणन गतिविधियों के लिए मंजूर की गई, जिसके समक्ष रु. 1.50 करोड़ का उपयोग किया गया. ग्रामीण कारीगरों को प्राकृऋसमितियों के माध्यम से वित्तपोषण करने के लिए रु.9.92 करोड़ की ऋण सीमाएं मंजूर की गईं. इसके समक्ष रु.9.87 करोड़ उपयोग किया गया. उर्वरकों की खरीद एवं विपणन के लिए रासबैंकों को रु.36.88 करोड़ मंजूर किया गया. इसके समक्ष रु. 3.36 करोड़ का उपयोग हुआ.

ख. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3.24 वर्ष 2003-04 (जुलाई-मार्च) के दौरान मौसमी कृषि परिचालनों के लिए 123 क्षेग्रा बैंकों को मंजूर अल्पावधि ऋण सीमाएं रु.1,346.62 करोड़ की थीं, जिसमें रु.116.34 करोड़ ओपीपी और रु.43.72 करोड़ डीटीपी के लिए था. क्षेग्रा बैंकों को मंजूर ऋण सीमाओं में रु.288.17 करोड़ के साथ आन्ध्र प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा रहा जिसके बाद रु.275.03 करोड़ के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान रहा. वर्ष 2003-04 (जुलाई-मार्च) के दौरान क्षेग्रा बैंकों के अधिकतम बकाए रु.924.70 करोड़ के रहे जो कि मंजूर ऋण सीमाओं का 69 प्रतिशत बैठते हैं. वर्ष के दौरान अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालनों से भिन्न) प्रयोजनों के लिए क्षेग्रा बैंकों को मंजूर सकल ऋण सीमाएं रु.86.02 करोड़ रहीं.

3.25 कृषि में निवेश के वित्तपोषण के लिए योजनाएं तैयार करने में बैंकों को प्रोत्साहित करने की नाबार्ड की नीति के मद्देनज़र, मध्यावधि मीयादी ऋण के समर्थन के लिए रास बैंकों/क्षेग्रा बैंकों को मंजूर ऋण सीमाएं वर्ष के दौरान भी कम रहीं. कैलेण्डर वर्ष 2003

के दौरान रु.0.68 करोड़ की ऋण सीमाएं दो क्षेग्रा बैंकों अर्थात् मध्य प्रदेश में रायगढ़-सिहोर क्षेग्रा बैंक और पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी क्षेग्रा बैंक को मंजूर की गईं.

i. फसलों के विपणन का वित्तपोषण

3.26 'बंधक वित्तपोषण और विपणन ऋण के क्षेत्रों में कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण और विकास संबंधी विशेषज्ञ समिति' की सिफारिश को अंतर-मंत्रालय टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित करने के अनुसरण में फसलों के विपणन के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड ने क्षेग्रा बैंकों हेतु अलग से ऋण की लाइन शुरू की जिसमें व्यक्तिशः कृषक की ऋण पात्रता अधिकतम रु.5 लाख तक और ऋण की अधिकतम अवधि एक वर्ष थी.

आ. मध्यावधि पुनर्वित्त

क. मध्यावधि (गैर-योजनाबद्ध)

3.27 अनुमोदित कृषि निवेश प्रयोजनों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड से मध्यावधि (एमटी) ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए अब तक वे ही सहकारी बैंक और क्षेग्रा बैंक पात्र थे जिनके अतिदेय (सभी ऋणों और अग्रिमों के अंतर्गत) 30 जून को कुल मांग के 50 प्रतिशत से अधिक न रहे हों या जिनके एनपीए 31 मार्च को पिछले वर्ष के दौरान उस तारीख को उनके बकाया ऋणों और अग्रिमों के 20% से अधिक न रहे हों. यही नीति वर्ष के दौरान जारी रही. वर्ष 2003 के दौरान एक क्षेग्राबैंक को रु.0.68 करोड़ की ऋण सीमा मंजूर की गई.

ख. मध्यावधि (परिवर्तन/रिफेजमेंट/रिशिड्यूलमेंट) पुनर्वित्त

3.28 प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन असिंचित क्षेत्रों में फसलों की हानि 50% या उससे अधिक रही, उन क्षेत्रों में कृषकों को ऋण संबंधी राहत प्रदान करने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने की नाबार्ड की नीति जारी रही. प्राकृतिक आपदाओं के कारण उधारकर्ताओं के अल्पावधि (मौकृप) ऋणों को मध्यावधि ऋण में बदलने के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिनाडु में सात रास बैंकों को रु.288.02 करोड़ की राशि मंजूर (जुलाई-मार्च) की गई. इस राशि के समक्ष सकल आहरण रु.229.52 करोड़ के रहे.

इ. राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण

3.29 सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए नाबार्ड ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 27 के अंतर्गत दीर्घावधि ऋण प्रदान करना जारी रखा. वर्ष के दौरान विभिन्न सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए पात्रता मानदण्डों को युक्तिसंगत बनाया गया जिसमें वसूली प्रबंधन पर अधिक जोर था. पूर्वोत्तर क्षेत्र की अलग तरह की समस्याओं के मद्देनज़र इस क्षेत्र की संस्थाओं के मामले में इन पात्रता मानदण्डों को उदार बनाया गया (तालिका 3.4). वर्ष के दौरान छह राज्य सरकारों को रु.39.54 करोड़ के सकल ऋण मंजूर किए गए, जिन पर 31 मार्च 2004 तक आहरण रु.85.12 करोड़ के रहे, जिसमें कि पिछले वर्ष की मंजूरी पर किए गए आहरण भी शामिल थे.

ई. पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज दरें

3.30 विविध प्रयोजनों के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिए जाने वाले पुनर्वित्त पर ब्याज की दरों की समीक्षा की गई और वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान उन्हें दो बार घटाया गया. 13 फरवरी 2004 से लागू दरें निम्नानुसार हैं :-

क. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के औसत बकाया ऋणों से मौकृ परिचालनों के अंतर्गत नाबार्ड से राज्य सहकारी बैंक की औसत उधारी का प्रतिशत 35

तालिका 3.4ः शेयरपूंजी में अंशदान हेतु राज्य सरकारों को ऋण - पात्रता मानदंड

(रु.लाख)

संस्था	अतिदेय (%)	एनपीए (%)	वार्षिक सीमा	संचयी सीमा
रासबैंक (त्रिस्तरीय)	25	10	400	-
जिमस बैंक/रासबैंक (द्विस्तरीय)	50	20	300	-
प्राकृऋ समिति	60	-	0.50-0.75	2
कृसे समिति	60	-	-	3
दीआब समिति	75	-		2-2.5
रासकृग्रावि बैंक	35	-	400	-
प्रासकृग्रावि बैंक	50	-	75	-

नोट : कृसे समिति के लिए, एकरूप संचयी सीमा रु.3 लाख

से कम, 35 से 40 और 40 तथा उससे अधिक होने पर, मौक़ परिचालनों हेतु पुनर्वित्त पर ब्याज की निर्धारित दरें क्रमशः 5.25, 5.5 और 5.75 प्रतिशत वार्षिक हैं. तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में मौक़ परिचालनों के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को दिए जाने वाले पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 5.25 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गई है और प्रोत्साहनमूलक पुनर्वित्त मानदंडों के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के लिए ब्याज दर 5.50 प्रतिशत वार्षिक है.

ख. मौक़ परिचालनों से इतर अन्य विविध प्रयोजनों के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को दिए जाने वाले पुनर्वित्त पर वार्षिक ब्याज दरें निम्नानुसार हैं :

i. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में, मत्स्यपालन, शीर्ष/क्षेत्रीय सहकारी बुनकर समितियों द्वारा वस्त्रों के प्रापण/ विपणन और यार्न के व्यापार, प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की उत्पादन और विपणन गतिविधियों के लिए 5.75 प्रतिशत.

ii. फसलों के विपणन, प्राथमिक समितियों द्वारा वनों के गौण उत्पादों के संग्रह / विपणन, प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों (बुनकरों की समितियों से इतर) और ग्रामीण दस्तकारों की कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों के लिए 6 प्रतिशत.

iii. शीर्ष / क्षेत्रीय सहकारी बुनकर समितियों द्वारा वस्त्रों के प्रापण / विपणन और यार्न के व्यापार, शीर्षस्थ समितियों द्वारा वनों के गौण उत्पादों के संग्रह / वितरण, खुदरा व्यापार के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रापण, भंडारण और वितरण तथा शीर्षस्थ औद्योगिक सहकारी समितियों (बुनकरों की समितियों से इतर), राज्य हथकरघा विकास निगमों और राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों की कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों के लिए 6.25 प्रतिशत.

iv. थोक व्यापार के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रापण, भंडारण और वितरण हेतु 6.50 प्रतिशत.

ग. सहकारी बैंकों को अनुमोदित अल्पावधि कृषि / संबद्ध और विपणन गतिविधियों के वित्तपोषण, अनुमोदित कृषि-प्रयोजनों के वित्तपोषण हेतु मध्यावधि (गैर-योजनाबद्ध) ऋण सीमाओं और सहकारी प्रसंस्करण समितियों में शेयरों की खरीद के वित्तपोषण हेतु मध्यावधि ऋण सीमाओं के लिए ब्याज दर : 5.75 प्रतिशत.

घ. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अल्पावधि (मौक़ परिचालन), मछलीपालन के वित्तपोषण हेतु मध्यावधि (गैर-योजनाबद्ध) ऋण सीमाओं पर ब्याज दर : 5.75 प्रतिशत; अल्पावधि (मौक़ परिचालनों से इतर) पर : 6.25 प्रतिशत और फसलों के विपणन पर : 6 प्रतिशत.

ङ. प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों, राज्य हथकरघा विकास निगमों और राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों की कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों के वित्तपोषण के लिए वाणिज्य बैंकों हेतु अल्पावधि पुनर्वित्त पर ब्याज दर : 6.25 प्रतिशत.

उ. ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था

3.31 ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था के अंतर्गत नाबार्ड ने वर्ष 2003-04 में पंद्रह अनुप्रवर्तन अध्ययन किए. बैंकों की मूल्यांकन और अनुप्रवर्तन प्रणालियों से संबंधित मुख्य अवलोकनों और उनमें पाई गई प्रमुख त्रुटियों से, संबंधित राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अवगत कराया गया ताकि वे बड़ी राशियों के अग्रिमों के मूल्यांकन और उनके अनुप्रवर्तन तंत्र की गुणवत्ता में सुधार ला सकें.

ऊ. अन्य नीतिगत पहलें

क. कैश क्रेडिट (बंधक / दृष्टिबंधक) सीमाएं

3.32 वर्ष 2003-04 में नकद ऋण सीमाओं के माध्यम से सहकारी चीनी कारखानों को कार्यशील पूंजी संबंधी सहायता प्रदान करने के बारे में नीतिगत दिशानिर्देश, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए, मौटे तौर पर पहले जैसे ही रहे. चीनी के क्षेत्र में महाराष्ट्र में राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के एक्सपोजर के उच्च स्तर को कम करने के लिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड द्वारा जिस व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया, उसके अनुसरण में, वर्ष के दौरान इन बैंकों द्वारा चीनी मिलों के मौसम-पूर्व व्ययों के लिए दी जाने वाली ऋण सीमाओं में 33.33 प्रतिशत की कटौती की गई. वर्ष 2003-04 के लिए नाबार्ड द्वारा घोषित नीति के तहत, सहकारी बैंकों द्वारा, इथानोल के उत्पादन और को-जेनरेशन के लिए सहकारी चीनी मिलों के 'डाउनस्ट्रीम डिविजनों' को मंजूर अग्रिमों को सेक्टोरल एक्सपोजर मानदंडों के लिए गणना में लेने से छूट दी गई है. तथापि, राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए इंडिविजुअल यूनिट एक्सपोजर मानदंडों

के लिए इस प्रकार के अग्रिमों को गणना में लेना जारी रहा. वर्ष के दौरान सहकारी चीनी मिलों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए रु.45 करोड़ की ऋण सीमाएं मंजूर की गईं, जिसका पूरा उपयोग किया गया.

ख. बफर स्टॉक रखना

3.33 वर्तमान स्टॉक में से 20 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखने से संबंधित भारत सरकार की घोषणा के अनुसार नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अनुदेश दिया कि वे बफर स्टॉकों पर कोई मार्जिन न रखें. नाबार्ड ने उन्हें यह परामर्श भी दिया कि वे इस प्रकार के स्टॉक पर मार्जिन रिलीज करने के समक्ष चीनी मिलों को अतिरिक्त ऋण सीमाएं मंजूर करें और बफर स्टॉकों के समक्ष शत प्रतिशत आहरण सुनिश्चित करें अर्थात् मार्जिन राशि के बदले उपलब्ध राशि का उपयोग चीनी कारखानों द्वारा खरीदे गए गन्ने की कीमत के भुगतान से इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाए.

निवेश ऋण

अ. पुनर्वित्त के आहरण के लिए पात्रता मानदंड

क. रास बैंक, रासकृग्रावि बैंक और क्षेग्रा बैंक

3.34 वर्ष 2003-04 के लिए योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नाबार्ड से पुनर्वित्त के आहरण के लिए पात्रता मानदंडों को पिछले वसूली मानदंडों के स्थान पर अनुत्पादक आस्ति (एनपीए) से जोड़ा गया. तदनुसार, इन एजेंसियों में से 15 प्रतिशत या उससे कम सकल एनपीए वाली एजेंसियां पुनर्वित्त का अप्रतिबंधित आहरण कर सकती हैं; जबकि 15 प्रतिशत से अधिक सकल एनपीए वाली एजेंसियां पिछले वर्ष के 30 जून को समाप्त वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि या पिछले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान दिए गए कुल ऋण की राशि या पूर्ववर्ती 3 वर्षों में वसूल की गई / उधार दी गई औसत राशि में से जो भी अधिक रही हो, की सीमा तक पुनर्वित्त आहरित करने के लिए पात्र थीं. इसके अलावा, 31 मार्च 2003 को एनपीए / दिए गए उधार की स्थिति में सुधार के मामले में उच्चतर पात्रता पर विचार किया गया.

ख. अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक

3.35 केवल वही अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक पुनर्वित्त सुविधा के लिए पात्र थे, जिन्हें 31 मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा में 'ए' श्रेणी मिली हो, जिन्होंने 31 मार्च 2002 को समाप्त होनेवाले पिछले तीन वर्षों में लगातार शुद्ध लाभ अर्जित किया हो और जिनकी संचित हानियां न हों. जिन बैंकों के एनपीए 31 मार्च 2002 को बकाया कुल ऋणों और अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक न हों, उनकी पुनर्वित्त की पात्रता अप्रतिबंधित थी.

ग. वाणिज्य बैंक

3.36 जिन वाणिज्य बैंकों के सकल एनपीए 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों के 15 प्रतिशत तक रहे हों, उनकी पात्रता अप्रतिबंधित रहेगी. किन्तु कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों के 15 से 20 प्रतिशत के बीच (20 प्रतिशत को शामिल करते हुए) और 20 प्रतिशत से अधिक एनपीए वाले बैंकों की, पुनर्वित्त आहरण की पात्रता, वर्ष 2001-02 के दौरान के उनके प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों (मीयादी ऋणों) के क्रमशः 30 और 20 प्रतिशत तक सीमित थी.

3.37 एनपीए की गणना पूरे बैंक के लिए की जाएगी. कुल आहरणों को राज्य-वार आबंटित पुनर्वित्त कार्यक्रम के अधीन रखा गया. यदि 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार एनपीए की स्थिति में या 2002-03 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण-संवितरण की स्थिति में कोई सुधार हुआ तो उच्चतर पात्रता के लिए उस पर विचार किया गया.

आ. पुनर्वित्त सहायता

3.38 वर्ष के दौरान निवेश प्रयोजनों के लिए नाबार्ड द्वारा पिछले वर्ष के रु.7,418.77 करोड़ की तुलना में कुल रु.7,605.29 करोड़ का पुनर्वित्त संवितरित किया गया और इस प्रकार संवितरित पुनर्वित्त में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई. पुनर्वित्त में अत्यल्प वृद्धि का मुख्य कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्य बैंकों की पर्याप्त लिक्विडिटी रही. इसमें राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की ऋण देने की कम क्षमता का भी योगदान रहा.

तालिका 3.5: एजेंसी-वार पुनर्वित्त संवितरण			
			(रुपये करोड़)
एजेंसी	2001-02	2002-03	2003-04
रासकृग्रावि बैंक	2,731.84	2,853.50	2,544.14
रास बैंक	1,089.06	1,783.73	1,736.50
क्षेग्रा बैंक	1,178.21	1,538.63	1,589.35
वाणिज्य बैंक	1,608.05	1,241.54	1,713.60
कृविवि कम्पनी/ प्राशस बैंक	75.75	1.37	21.70
कुल	**6,682.91**	**7,418.77**	**7,605.29**

क. एजेंसी-वार संवितरण

3.39 नाबार्ड द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान प्रदान की गई कुल पुनर्वित्त सहायता में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का हिस्सा सर्वाधिक (33%) रहा. उसके बाद राज्य सहकारी बैंकों (23%), वाणिज्य बैंकों (23%) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (21%) का स्थान रहा. (तालिका 3.5/चार्ट 3.1)

3.40 नाबार्ड पहले की ही तरह, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों / राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से योजनाबद्ध ऋण को, खासकर उन राज्यों में जहां राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक वित्तीय रूप से कमजोर थे, प्रोत्साहन देता रहा ताकि सहकारिताओं के सदस्यों की निवेश ऋण संबंधी जरूरतें पूरी की जा सकें. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को संवितरित पुनर्वित्त में कमी आई और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संवितरित पुनर्वित्त में थोड़ी वृद्धि हुई, जबकि वाणिज्य बैंकों को संवितरित पुनर्वित्त में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई (तालिका 3.5). परिणामतः राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का हिस्सा पिछले वर्ष के 39 प्रतिशत से कम होकर 33 प्रतिशत रह गया, जबकि वाणिज्य बैंकों का हिस्सा पिछले वर्ष के 17 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया.

3.41 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संवितरित कुल पुनर्वित्त में से आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 68 प्रतिशत का दावा किया, राज्य सहकारी बैंकों को संवितरित कुल पुनर्वित्त में से हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्थित राज्य सहकारी बैंकों ने 60 प्रतिशत का दावा किया और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को संवितरित कुल पुनर्वित्त में से हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्थित राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने 72 प्रतिशत पुनर्वित्त लिया.

ख. पुनर्वित्त का स्थानिक वितरण

3.42 विभिन्न राज्यों में पुनर्वित्त के प्रवाह में काफी अंतर रहा. उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पुनर्वित्त राशि (रु.1,221.79 करोड़) ली. उसके बाद तमिलनाडु (रु.733.10 करोड़) और पंजाब (रु.676.18 करोड़) का स्थान रहा. इन तीनो राज्यों ने वर्ष के दौरान संवितरित पुनर्वित्त का 35 प्रतिशत लिया. दक्षिणी क्षेत्र ने कुल संवितरित पुनर्वित्त का 28.5 प्रतिशत लिया, जिसके बाद उत्तरी क्षेत्र (23.4%), मध्य क्षेत्र (22%) पूर्वी क्षेत्र (14.1%) और पश्चिमी क्षेत्र (10.4%) का स्थान रहा. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुल रु.122.62 करोड़ का पुनर्वित्त संवितरण (कुल संवितरण का 1.6%) हुआ.

चार्ट 3.1

एजेंसी-वार पुनर्वित्त संवितरण

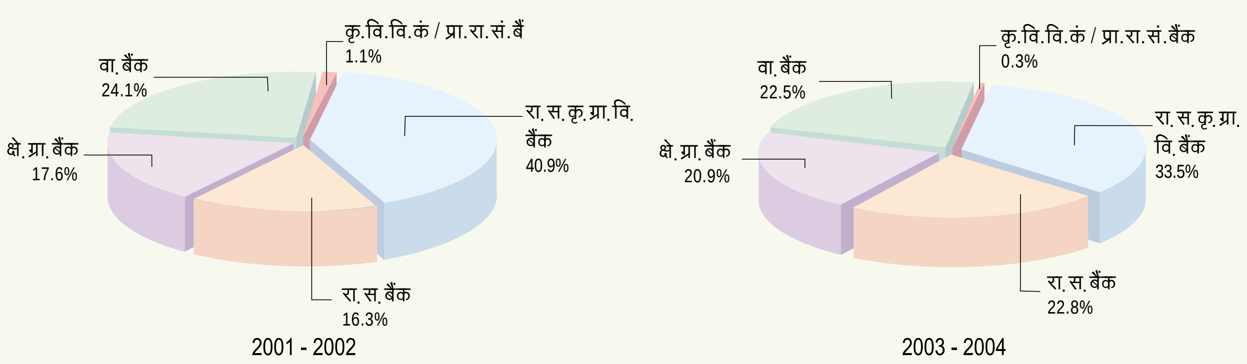

ग. क्षेत्र-वार संवितरण

3.43 वर्ष के दौरान सर्वाधिक पुनर्वित्त (31.1%) गैर-कृषि क्षेत्र (ग्रामीण आवास सहित) के लिए दिया गया, जिसके बाद क्रमशः पशुपालन (11.1%), कृषि मशीनीकरण (10.9%), लघु सिंचाई एवं भूमि विकास (11%) और स्वयं सहायता समूह (9.3%), बागवानी और फलोद्यान, भंडारण और मार्केट यार्ड, एसजीएसवाई, अजा/अजजा कार्रवाई योजना आदि जैसे कार्यकलाप (8.1%) का स्थान रहा. अन्य सभी गतिविधियों के लिए मिलाकर पुनर्वित्त 18.5% रहा (तालिका 3.6/चार्ट 3.2).

3.44 ग्रामीण आवास थ्रस्ट क्षेत्र के अंतर्गत था और उसके लिए 2003-04 के दौरान संवितरित पुनर्वित्त पिछले वर्ष की तुलना में 34% बढ़ा और स्वयं सहायता समूह के लिए 13 प्रतिशत बढ़ा. कृषि निर्यात क्षेत्रों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए बैंक की पहल से संवितरित पुनर्वित्त 2002-03 के रु.45 करोड़ से बढ़कर 2003-04 में रु.343 करोड़ हो गया.

i. लघु सिंचाई

3.45 नाबार्ड की स्थापना के काल से ही लघु सिंचाई नाबार्ड के लिए थ्रस्ट क्षेत्र रहा है. इस क्षेत्र के विकास के लिए पहले आधारस्तरीय ऋण का उच्चतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वित्त की प्रमात्रा में वृद्धि करने और उस पर ब्याज की दरें कम करने, जिला-स्तर पर कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से जागरूकता पैदा करने और बैंकरों और किसानों को प्रेरित करने, लघु लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा के दायरे में लाने आदि जैसे कई उपाय किए गए. तथापि, इस क्षेत्र में ऋण-प्रवाह को और अधिक बढ़ाने के लिए ग्रामीण ऋण संस्थाओं द्वारा झेली जा रही विविध बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है.

तालिका 3.6: पुनर्वित्त का प्रयोजन-वार संवितरण

(रु.करोड़)

प्रयोजन	राशि		
	2001-02	2002-03	2003-04
लघु सिंचाई	691.06	854.97	651.45
भूमि विकास	134.62	250.69	185.56
कृषि मशीनीकरण	1358.89	992.60	827.51
बागान और बागवानी	280.34	292.03	250.75
डेरी विकास	821.18	909.19	669.15
मुर्गीपालन	69.81	76.21	87.51
भेड़/बकरी/सूअर पालन	105.85	109.60	90.95
मछलीपालन	36.35	34.73	23.24
वानिकी	16.09	12.40	10.94
भंडार और मार्केट यार्ड	227.14	48.47	25.38
एस जी एस वाई	558.98	401.29	229.45
गैर-कृषि क्षेत्र	1115.65	1237.87	1332.98
ग्रामीण आवास	500.25	769.53	1030.24
अजा / अजजा कार्ययोजना	130.54	112.08	73.61
स्वयं सहायता समूह	395.26	622.47	705.44
अन्य*	240.90	694.64	1411.13
कुल	**6682.91**	**7418.77**	**7605.29**

** में ग्रामीण गोदाम और कोल्ड स्टोरेज, दुपहिया वाहन, होम-स्टैंड खेती, ठेका खेती, पशुपालन अन्य आदि शामिल हैं.*

3.46 वर्ष के दौरान लघु सिंचाई के अंतर्गत (एसजीएसवाई को छोड़कर) पुनर्वित्त संवितरण रु.651.45 करोड़ रहा. संवितरण अधिकांशतः महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुआ जिन्होंने इस

चार्ट 3.2

पुनर्वित्त का प्रयोजनवार संवितरण

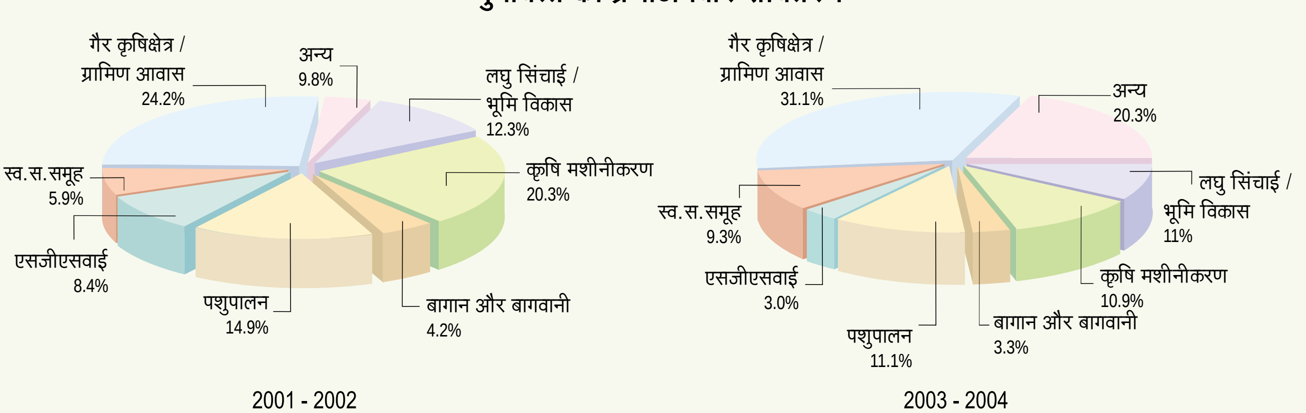

क्षेत्र के लिए किए गए संवितरण का 61 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया. इस क्षेत्र में पहले की तरह सर्वाधिक आहरण (60%) राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने किया, जिसके बाद राज्य सहकारी बैंकों (26%) का स्थान रहा.

3.47 काफी बड़े भूक्षेत्र, भूजल आकलन के हिसाब से सेमी-क्रिटिकल, क्रिटिकल, और ओवर-एक्स्प्लॉयटेड श्रेणियों के अंतर्गत आ गए हैं. ऐसे इलाकों में समुदाय-आधारित जल संचय / कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने तथा माइक्रो-सिंचाई प्रणालियों के लिए ऋण-सहायता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. आधार-स्तरीय ऋण प्रवाह में वृद्धि के लिए जिन कार्यक्षेत्रों में प्रयास तेज किए जाएंगे, वे हैं - जल संरक्षण के उपायों के प्रति चेतना जगाना और उन्हें प्रचारित करना तथा सहभागितामूलक सिंचाई प्रबंध को प्रोत्साहित करना, नहर कमान क्षेत्रों में भूतल जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करना और समर्थन देना, प्रति इकाई महत्तम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए जल के उपयोग की क्षमता में सुधार लाना, सक्षम प्रणालियों के प्रयोग के माध्यम से ऊर्जा-संरक्षण और ऋण- सहायता के माध्यम से गैर-पारंपरिक ऊर्जा-स्रोतों को बढ़ावा देना.

ii. कृषि मशीनीकरण

3.48 वर्ष के दौरान कृषि मशीनीकरण के लिए बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने की नीति में दो दृष्टियों से परिवर्तन किया गया, अर्थात् i. सेकंड हैंड ट्रैक्टरों की खरीद के वित्तपोषण के लिए पुनर्वित्त सुविधा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा और पंजाब के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में शुरू की गई. ii. स्वतंत्र इकाई के रूप में ट्रेलर के वित्तपोषण की जो सुविधा पहले से ही पंजाब, उड़ीसा और मध्यप्रदेश राज्यों में विद्यमान थी, उसे राजस्थान के लिए भी शुरू कर दिया गया.

3.49 भारत सरकार की पहल पर, कुछ वाणिज्य बैंकों, नामतः भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों के साथ ट्रैक्टर के लिए ऋण लेने वालों को कुछ खास ऐसी सुविधाएं देने के लिए समझौता-ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किए, जो सामान्यतः शहरी उपभोक्ताओं को दी जाती हैं. इन सुविधाओं में, कैश डिस्काउंट, मार्जिन 15 से घटाकर 10 प्रतिशत करना, वारंटी की अवधि में वृद्धि और बैंकों की शाखाओं द्वारा ऋण-आवेदनों के निपटान के लिए समय-सीमा का निर्धारण शामिल थे.

3.50 इस वर्ष के दौरान कृषि मशीनीकरण के लिए रु.827.51 करोड़ का पुनर्वित्त संवितरित किया गया. इस क्षेत्र में पिछले दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष पुनर्वित्त संवितरण में कमी आई. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने सर्वाधिक हिस्सा (रु.492.38 करोड़) प्राप्त किया. इस क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन पांच राज्यों ने पुनर्वित्त का अधिकांश (66%) हिस्सा प्राप्त किया.

iii. पशुपालन

3.51 वर्ष 2003-04 के दौरान पशुपालन के क्षेत्र में संवितरित पुनर्वित्त रु.949.52 करोड़ (अन्य पशुपालन प्रयोजनों के लिए रु.101.91 करोड़ को शामिल करते हुए) रहा. इस क्षेत्र में पुनर्वित्त का सबसे बड़ा हिस्सा (80%) राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने लिया. इस क्षेत्र में संवितरण गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में संकेंद्रित रहा.

iv. गैर-कृषि क्षेत्र

3.52 गैर-कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार के अवसर (प्रत्यक्ष और परोक्ष) प्रदान करने वाली, आय अर्जन कराने वाली और ग्रामीणों की जीवन-स्थितियों को सुधारने वाली सभी गतिविधियां, सामान्य मानदंडों के अधीन, स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा के भीतर निवेश ऋण के अंतर्गत नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र हैं. दुपहिया, तिपहिया और

पैडी ड्रम सीडर से धान की रोपाई.

चार पहियों वाले वाहनों की खरीद के लिए उद्यमियों को दिए गए ऋणों, व्यक्तियों को दिए गए शैक्षणिक ऋणों, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूलों, कालेजों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए प्रदत्त ऋणों, ग्रामीण उत्पादों के विपणन केंद्रों के लिए, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टरों, ग्रोथ सेंटरों, संचार नेटवर्कों के प्रवर्तन आदि के लिए बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराया गया. बैंकों को न केवल नई इकाइयों के वित्तपोषण के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराया गया, बल्कि वर्तमान इकाइयों के आधुनिकीकरण, विस्तार, नवीकरण और विविधीकरण के वित्तपोषण के लिए भी पुनर्वित्त उपलब्ध कराया गया.

3.53 गैर-कृषि क्षेत्र (ग्रामीण आवासन सहित) के अंतर्गत रु.2,363.22 करोड़ के पुनर्वित्त का संवितरण हुआ, जिसमें से 35 प्रतिशत राज्य सहकारी बैंकों ने लिया. ग्रामीण आवासन जिसे कि थ्रस्ट क्षेत्र में शामिल किया गया था, उसका हिस्सा गैर-कृषि क्षेत्र के कुल पुनर्वित्त में काफी महत्वपूर्ण (44%) रहा. वर्ष 2003-04 में ग्रामीण आवास के लिए संवितरण, वर्ष 2001-02 के मुकाबले दोगुना हो गया. इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने कुछ नीतिगत कदम उठाए, जो कि इस प्रकार थे - (i) वाणिज्य बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए व्यक्तिशः ऋण सीमा को बढ़ाकर रु.10 लाख (नए निर्माण के लिए) और रु.3 लाख (मरम्मत / नवीकरण के लिए) करना, (ii) नए घरों के निर्माण और मरम्मत - दोनों मामलों में 'वर्षा-जल संचय संरचनाओं' और 'सैनिटरी लैट्रिनों' के निर्माण की लागत को परियोजना लागत में शामिल करना, (iii) समग्र उच्चतम सीमा के भीतर नवीकरण, और (iv) गैर-वेतनभोगी ऋणकर्ताओं के लिए 'लचीली चुकौती-समय अनुसूचियां' बनाना. ग्रामीण गृहनिर्माण के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की भी सहायता ली गई (बॉक्स 3.2). इस क्षेत्र में वित्तपोषण को बैंकों ने कारोबार के नए अवसर के रूप में लिया है और इसमें सक्रिय भागीदारी दिखाई है (बॉक्स 3.3).

3.54 गैर-सरकारी संगठन सक्रिय रूप से कमज़ोर वर्गों से संबंधित विभिन्न सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक मसलों में योगदान कर रहे हैं इसलिए नाबार्ड ने प्रयोग के तौर पर उनके साथ साझेदारी के रूप में एक नया ऋण उत्पाद विकसित किया है जिसका उद्देश्य स्वच्छता से बाशिंदगी, खराब पानी का निपटान और वर्षा जल के संरक्षण के समन्वय से ग्रामीण गरीबों को सुनियोजित निवास-स्थान प्रदान करना है (बॉक्स 3.4).

बॉक्स 3.2

ग्रामीण आवास - गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी

ग्रामीण गृहनिर्माण परियोजनाओं से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को कमजोर तबकों को ऋण देने के लिए अनुदान सहायता / दान या ऋण, या दोनों, प्रदान किए जाते हैं. इस प्रकार वे उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिकी के अंतरण और कम लागत वाली निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने में प्रेरक और सुविधाप्रदाता के रूप में बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं. वित्तीय सेवाओं की ओर अभिमुखीकरण, गैर-सरकारी संगठनों के लिए नया क्षेत्र है, इसलिए उनमें से कई वित्तीय संस्थाओं से सहायता की उम्मीद करते हैं.

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका :

- उधारकर्ताओं का प्रारंभिक चयन, आवेदन/दस्तावेज की व्यवस्था, चुकौती-क्षमता का मूल्यांकन आदि.
- कम लागत वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकी को उधारकर्ता तक पहुंचाना, कम लागत वाली निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाना और निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण.
- उधारकर्ताओं को माइक्रो-ऋण गतिविधियों का प्रशिक्षण.
- ऋण देना और उसकी वसूली करना.

3.55 जैव खेती, ठेका खेती, ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, दुग्ध-प्रसंस्करण, दुग्ध-प्रशीतन केंद्र, कसाई खानों के आधुनिकीकरण, कोल्ड स्टोरेज और ग्रामीण गोदाम जैसी अभिनव गतिविधियों में निवेश को प्रोत्साहित कर, नाबार्ड ने खाद्य और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र को और अधिक क्रियाशील बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए रु.50 करोड़ तक के परिव्यय वाली परियोजनाओं पर विचार किया जाता है, जबकि बागान, बागवानी, डेरी, मुर्गीपालन, मीट प्रोसेसिंग जैसे थ्रस्ट क्षेत्रों में अधिक परिव्यय वाली परियोजनाओं को चयनित आधार पर समर्थन दिया जाता है. संभावनायुक्त खाद्य-प्रसंस्करण गतिविधियों की पहचान करने, उनकी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, ऋण दिये जाने योग्य लोगों की पहचान करने, उद्यमियों में संभावनायुक्त गतिविधियों के बारे में चेतना जगाने, क्षेत्र-विशेष के लिए निवेश योजनाएं तैयार करने आदि कार्यों के लिए एक कार्य-दल गठित किया गया है. कुछ प्रौद्योगिकीय-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें भी भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को भेजी जा चुकी हैं.

बॉक्स 3.3

ग्रामीण आवास - अध्ययन

बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं के संबंध में नाबार्ड द्वारा किए गए अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

- गृह निर्माण ऋण को एक कारोबारी अवसर के रूप में पहचानने के बाद बैंकों ने ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने-अपने ऋण उत्पाद विकसित किए हैं तथा गृह निर्माण क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु, सुपरिभाषित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को विकसित कर लिया है.
- प्रस्तावों की गुणवत्ता और ऋणकर्ताओं की अदायगी क्षमता को समझने के लिए तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन किए जाते हैं.
- निर्माण के स्तर पर तथा ऋणों की वसूली के दौरान, दोनों समय, अनुप्रवर्तन प्रणाली अत्यंत सख़्त है. बैंक जमानत पर अत्यधिक बल देते हैं. ज़मीन और निर्मित की जाने वाली बिल्डिंग के अलावा, कृषि भूमि जैसी अन्य संपत्ति के रूप में बंधक द्वारा अतिरिक्त जमानत, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में मीयादी जमा रसीद, इंदिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र तथा तीसरी पार्टी की गारंटी की भी मांग की गई.
- ऋणों की वसूली के लिए टाई-अप होने के कारण वेतनभोगी वर्ग को सर्वाधिक वरीयता दी जाती है.
- ग्रामीण गृह निर्माण योजना लागू होने के बाद बैंकों की समग्र वसूली स्थिति में सुधार हुआ है.
- यद्यपि कुछ बैंकों ने कृषकों के लिए निश्चित राशि की इक्वेटेड मासिक किस्तें निर्धारित कर रखी हैं, फिर भी कुछ बैंकों में तिमाही, छमाही तथा वार्षिक चुकौती की रीति भी प्रचलित है.

3.56 आय और रोजगार के सृजन में गैर-कृषि क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं को देखते हुए नाबार्ड ने इसके प्रोत्साहन, विकास और वित्तीयन को अपना थ्रस्ट क्षेत्र बना रखा है, और तदनुसार इसने गत वर्षों में कई पुनर्वित्त उत्पाद विकसित किए हैं. गैर-कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पुनर्वित्त प्रवाह को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रस्तावित कार्यनीतियां इस प्रकार हैं : (i) सहभागिता दृष्टिकोण को तेज़ करना, (ii) स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के स्कोप को बढ़ाना, (iii) प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं के अधिकारियों का प्रशिक्षण, (iv) प्रशिक्षण के ज़रिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के अधिकारियों की मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन और पर्यवेक्षण क्षमताओं को बढ़ाना, (v) मार्जिन राशि के लिए सुलभ ऋण सहायता की योजना को अधिक आकर्षक बनाना, (vi) स्वयं सहायता समूहों के अत्यंत छोटे उद्यमियों के लिए ऋण से जुड़ी संवर्धन योजनाएं

बॉक्स 3.4

ग्रामीण निवासस्थान योजना

- नाबार्ड अधिनियम में यथापारिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा.
- चुकौती क्षमता वाले स्वस समूह सदस्य और अन्य व्यक्ति ऋण के लिए पात्र होंगे.
- वर्षा जल के संरक्षण के लिए ढांचों और स्वच्छता के प्रावधान सहित नये मकान बनाने, मरम्मत, विद्यमान आवास-स्थान के विस्तार और कार्यस्थल निर्मित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा.
- इकाई लागत रु.1.11 लाख तक होगी.
- परियोजना लागत के 10% तक मार्जिन राशि के साथ प्रति व्यक्ति ऋण राशि रु. 5,000 (न्यूनतम) और रु.1 लाख (अधिकतम) के बीच होगी.
- नाबार्ड से गैर-सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में और गैर-सरकारी संगठन से उधारकर्ता को ऋण के रूप में होगी. उधारकर्ता से गैर-सरकारी संगठन 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेगा जिसमें 5.5% हिस्सा 'नाबार्ड ग्रामीण निवासस्थान निधि' में जमा किया जाएगा जिसके लिए गैर-सरकारी संगठन द्वारा वाणिज्य बैंक में खाता रखा जाएगा तथा शेष 3.5% सेवा प्रभार के रूप में गैर सरकारी संगठन अपने पास रखेगा.
- चुकौती अवधि 10 वर्ष होगी जिसमें मंजूरी की तारीख से 12 माह तक की स्थगन अवधि भी शामिल है.

बनाना और (vii) ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के विकास के लिए केएफडब्ल्यू और एसडीसी जैसी अंतर-राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ और आगे सहयोग के अवसर जुटाना.

V. सूक्ष्म वित्त

3.57 वर्ष के दौरान 3,61,731 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया जबकि वर्ष 2002-03 में 2,55,882 समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया था. इन स्वयं सहायता समूहों को कुल रु.1,855.53 करोड़ का ऋण (पिछले वर्षों में वित्तपोषित 1,71,669 वर्तमान समूहों को फिर से दिए गए रु.697.79 करोड़ के ऋण सहित) दिया गया जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि रु.1,022.34 करोड़ थी. नाबार्ड ने वर्ष 2003-04 में 1,17,409 समूहों की सहायता के लिए कुल रु.705.44 करोड़ पुनर्वित्त प्रदान किया, जो कुल वितरित पुनर्वित्त का 9% बनता है, जबकि पिछले वर्ष 1,53,503 समूहों के लिए रु.622.47 करोड़ का पुनर्वित्त दिया गया था.

3.58 बैंक ऋण से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या 10,79,091 तक पहुंच गई जिन्हें कुल ऋण संवितरण रु.3,904.20 करोड़ का हुआ और पुनर्वित्त सहायता रु.2,124.24 करोड़ की थी (तालिका 3.7).

तालिका 3.7: स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम : संचयी प्रगति (31 मार्च की स्थिति)

वर्ष	वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह (सं.)	संवितरित बैंक ऋण (रु. करोड़)	पुनर्वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह (सं.)	संवितरित पुनर्वित्त (रु. करोड़)
2002	4,61,478	1,026.34	3,40,131	796.47
2003	7,17,360	2,048.67	4,93,634	1,418.80
2004	10,79,091	3,904.20	6,11,043	2,124.24

घ. सह-वित्तपोषण के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी

3.59 सह वित्तपोषण के अन्तर्गत कुल मिलाकर, 7 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें कुल रु.118.90 करोड़ की परिव्यय राशि लगी है. मीयादी ऋण रु.75.58 करोड़ के हैं तथा इसमें नाबार्ड का हिस्सा रु.35.97 करोड़ है (तालिका 3.8/बॉक्स 3.5). वर्ष के दौरान रु.0.64 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

ङ. पूंजी निवेश सब्सिडी योजना

i. कोल्ड स्टोरेज, प्याज गोदाम तथा ग्रामीण गोदाम

3.60 कोल्ड स्टोरेजों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी की मात्रा में भारत सरकार द्वारा संशोधन किया गया जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडी, 5,000 मी. टन की क्षमता वाले

बॉक्स 3.5

नाबार्ड की सह-वित्तपोषण संबंधी पहल

नाबार्ड ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर पहली बार सह-वित्तपोषण के तहत आंध्र प्रदेश वन विकास निगम (एपीएफडीसी) को, दो वानिकी परियोजनाएं (यूकेलिप्टस और बांस रोपण) मंजूर की हैं. ये दोनों क्रियाकलाप रंगारेड्डी, मेडक, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तथा खम्माम जिलों के शुष्क क्षेत्रों की बंजर भूमि में आरंभ किए जाएंगे. इनमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए, क्लोनल विकास और विशेष मृदा-आर्द्रता संरक्षण तकनीक अपनाई जाएगी. 5,530 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण हेतु यूकेलिप्टस की दो प्रजातियों - *यूकेलिप्टस कैमालडुलेनसिस एवं ई.टेरेटीकारनिस* का उपयोग किया जाएगा. आरंभिक 7 वर्ष में अनुमानतः प्रति हेक्टेयर रु.35,000 की लागत आएगी. 7वें, 13वें और 19वें वर्ष में इनकी कटाई से प्रति हेक्टेयर, प्रति कटाई रु.80,000/- की फसल प्राप्त होगी. इससे स्थानीय लोगों का विस्थापन रुकेगा तथा प्रति हेक्टेयर लगभग 100 श्रम दिवसों के वार्षिक रोज़गार का सृजन हो सकेगा. इसके साथ ही गैर-ईमारती वन उत्पाद से वृक्षारोपण क्षेत्र के आसपास के गांवो को लाभ होगा.

बांस परियोजना के लिए *डेन्ड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस* प्रजाति की श्रेष्ठ क्वालिटी की प्लान्टिंग सामग्री से वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे स्थानीय आबादी एवं कागज उद्योग की जरूरतों को पूरा किया जा सके. 5,300 हेक्टेयर में फैले इस वृक्षारोपण पर अनुमानतः प्रति हेक्टेयर रु.35,000 की लागत आएगी. इसकी पहली कटाई 5 वें वर्ष में तथा इसके बाद हर दूसरे वर्ष में होगी. इससे अनुमान है कि 8,000 घनमीटर/हैक्टेयर बांस की प्राप्ति से रु.40,000 की आय होगी.

पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के तहत वित्तपोषित वैज्ञानिक ग्रामीण गोदाम.

कोल्ड स्टोरेजों के लिए देय अधिकतम सब्सिडी की मात्रा तक सीमित कर दी गई है. इस प्रकार 5,000 मी.टन से अधिक क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के लिए 5,000 मी.टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की आनुपातिक लागत के 25% तक या रु.50 लाख, जो भी कम हो, की सब्सिडी देय होगी. साथ ही, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारत सरकार ने रु.10 लाख से रु.20 लाख तक के बीच तथा रु.20 लाख से अधिक वित्तीय परिव्यय की कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं पर क्रमशः 0.25 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत प्रक्रिया शुल्क प्रभारित करने का निर्णय लिया है. योजना के क्षेत्र में इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए नाबार्ड ने वर्ष के दौरान एक अध्ययन भी किया (बॉक्स 3.6).

3.61 वर्ष 2003-04 के दौरान 4.5 मीटर से कम आंतरिक ऊंचाई वाले गोदामों को सम्मिलित करने के लिए ग्रामीण गोदामों के वित्तपोषण हेतु परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया. साथ ही, सब्सिडी के भुगतान को, केवल गोदाम के ढांचे की निर्माण लागत से संबद्ध किया गया. विभिन्न पूंजी निवेश सब्सिडी योजनाओं में हुई प्रगति का विवरण तालिका 3.9 में दिया गया है.

3.62 निवेश सब्सिडी योजना पहले केवल दो वर्षों (2001-03) के लिए आरंभ की गई थी, उसे बढ़ाकर अगस्त 2003 तक कर दिया गया. इस योजना में निरंतर प्रगति हुई है तथा अब तक 19 राज्यों में 4,440 इकाइयां स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल क्षमता 86.62 लाख टन है. वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तपोषक बैंकों को रु.88.40 करोड़ सब्सिडी तथा रु.32.89 करोड़ पुनर्वित्त जारी किया गया, जिससे योजना के अंतर्गत, सब्सिडी तथा संवितरित पुनर्वित्त की संचयी राशि क्रमशः रु.149.16 करोड़ तथा रु.210.21 करोड़ हो गई. आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण गोदामों के निर्माण की काफी मांग थी.

ii. पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में ऑन-फार्म जल प्रबंधन योजना

3.63 पूर्वी भारत के 10 राज्यों में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001-02 में आरंभ की गई ऑन-फार्म जल प्रबंधन योजना जिसमें उथले नलकूपों, कुओं, लो लिफ्ट प्वाईंट्स और पम्पसेटों के निर्माण के लिए सब्सिडी का प्रावधान था, दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी लागू रही. नाबार्ड इस योजना के कार्यान्वयन से जुड़ा रहा है तथा उसने बैंकों

तालिका 3.8ः सह वित्तपोषण के तहत परियोजनाएं

(रु. करोड़)

परियोजना/फर्म	वित्तपोषक बैंक	कुल वित्तीय परिव्यय	मार्जिन	सब्सिडी	मीयादी ऋण	नाबार्ड का हिस्सा	ब्याज दर (%) प्रतिवर्ष
यूकलिप्टस वृक्षारोपण	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	26.49	7.47	शून्य	19.02	9.50	9.5
बांस रोपण	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	26.28	7.30	शून्य	18.99	9.51	9.5
टैनफ्लोरा इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्क	बैंक ऑफ बड़ौदा	18.43	13.11	4.24	5.33	2.66	11.5
एस.एस. फार्म्स एण्ड होल्डिंग्स इन्क.	आईएनजी वैश्य बैंक	2.77	1.00	शून्य	1.77	0.89	14.5
गुरुकृपा फ्लोरिटेक	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1.77	0.57	शून्य	1.20	0.60	13.5
हिरानाकेशी मिल्क प्रोसेसिंग	बैंक ऑफ इंडिया	18.69	4.67	शून्य	14.02	7.01	11.0
हरमेश्वर एग्रो प्रोडक्ट्स, पॉवर एण्ड यीस्ट (आई) लि.	भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक	24.47	9.22	शून्य	15.25	5.80	12.75

बॉक्स 3.6

पूंजी निवेश सब्सिडी योजना : कोल्ड स्टोरेज

कोल्ड स्टोरेजों तथा बागान उत्पादों के लिए स्टोरेजों के निर्माण, विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पूंजी निवेश सब्सिडी योजना, राष्ट्रीय बागान बोर्ड के साथ नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है. इस योजना के समग्र कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया. इसमें पांच राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के 18 जिलों के 38 कोल्ड स्टोरेजों को कवर किया गया.

अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि कुल स्वीकृत कोल्ड स्टोरेज इकाइयों में से लगभग 85% बड़े शहरों में नई इकाइयों के निर्माण के लिए थीं. लगभग 95% इकाइयां निजी क्षेत्र द्वारा तथा शेष सहकारी क्षेत्र द्वारा बनाई गयी हैं जिनकी प्रमुख वित्तपोषक एजेंसियां वाणिज्य बैंक हैं. गुजरात को छोड़कर, समग्रतः निर्मित कुल क्षमता, स्वीकृत क्षमता से कुछ ही अधिक (मात्र 7%) थी. उपयोग की गई क्षमता के 85% का उपयोग आलू के भण्डारण के लिए किया गया. आंध्र प्रदेश में मिर्च और हल्दी का भण्डारण अधिक हुआ है. निवेश लागत का 48% बैंक ऋण, सब्सिडी 20% तथा मार्जिन राशि 32% थी.

इस योजना से किसानों को हुए लाभ का मूल्यांकन 100 किसानों से प्राप्त की गई सूचनाओं के आधार पर किया गया. इस योजना के प्रमुख लाभार्थी लघु और सीमांत कृषक (52%) थे. इसके फलस्वरूप जल्दीबाजी में उत्पादों को बेचने से तो बचा ही गया, उत्पादों पर ज्यादा मूल्य मिलने, भण्डारण सुविधा की आसानी से तथा सामर्थ्य के अनुसार उपलब्धता के कारण लाभ में भी वृद्धि हुई. नमूना इकाइयों की आकलित वित्तीय प्रतिफल दर सब्सिडी के बगैर 14 प्रतिशत तथा सब्सिडी के साथ 19 प्रतिशत रही. लेकिन छोटी इकाइयों के मामले में यह दर क्रमशः 9 एवं 13 प्रतिशत रही. अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है कि जैसे-जैसे इकाइयों का आकार बढ़ा, निवेश की वित्तीय व्यवहार्यता में भी वृद्धि हुई. इकाइयों के क्षमता से कम उपयोग (69%) का प्रतिकूल प्रभाव वित्तीय व्यवहार्यता पर भी पड़ा. इससे वित्तीय प्रतिफल दर, सब्सिडी सहित एवं बगैर सब्सिडी क्रमशः 6 तथा 10 प्रतिशत रही. चुकौती दर 91% रही जो संतोषजनक है.

अध्ययन से पता चला कि मूल्य संवर्धन और उच्च संचय योग्य आय सुनिश्चित करने के लिए कोल्डस्टोरेज की मांग और वर्तमान क्षमता और सुविधाओं की उपलब्धता, आगे विस्तार की संभावना और समुचित बाजार लिंकेज के प्रावधान पर विचार करने की आवश्यकता है. भंडारण सुविधा सहित मध्यम और बड़े भंडार गृहों के निर्माण तथा भवन के ढांचे में कम निवेश से लाभप्रदता बढ़ेगी तथा निवेश की व्यवहार्यता में वृद्धि होगी. इससे इकाई की प्रति टन परिचालन और रखरखाव लागत को कम करने में भी सहायता मिलेगी. जैसी कि आंध्र प्रदेश में प्रथा है, अन्य जगहों पर भी बंधक रखकर वित्तपोषण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है.

और संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क कर ब्लॉकवार और जिला-वार आयोजनाएं तैयार की हैं. इन बैंकिंग आयोजनाओं में रु.115 करोड़ की सब्सिडी के साथ 1.65 लाख लाभार्थियों को वित्तपोषित किया जाना प्रस्तावित है.

तालिका 3.9: पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रगति

(रु.करोड़)

क्रम सं.	विवरण	कोल्ड स्टोरेज/प्याज गोदाम		ग्रामीण गोदाम		ऑन फार्म मिलियन उथले		जल प्रबंधन योजना नलकूप	
		वर्ष के दौरान	संचयी	वर्ष के दौरान	संचयी	वर्ष के दौरान	संचयी	वर्ष के दौरान	संचयी
1.	स्वीकृत परियोजनाएं (सं.)	308	807	1,811	2,806	29,546	56.861	81,874	1,29,588
2.	वित्तीय परिव्यय	272.68	946.86	474.55	1,188.38	61.46	115.06	–	–
3.	स्वीकृत बैंक ऋण	136.24	498.89	281.94	764.53	30.73	57.53	–	339.78
4.	सब्सिडी की राशि पात्र सब्सिडी	56.09	207.13	97.65	221.31	18.44	34.52	111.38	152.87
5.	स्वीकृत पुनर्वित्त	8.69	276.38	61.81	284.65	ला.न	ला.न	ला.न	ला.न

ला.न.: लागू नहीं

तालिका 3.10ः कृषि / गैर-कृषि क्षेत्र के लिए पुनर्वित्त पर ब्याज की दरें				
				(प्रतिशत प्रतिवर्ष)
ऋण राशि	सिक्किम व अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	अन्य क्षेत्र		
		लघु सिंचाई, शुभू खेती, भूमि विकास, बंजर भूमि विकास, स्वग्रास्व योजना,स्वस समूह, अजा/ अजजा कार्ययोजना, ऑर्गेनिक खेती, कृनि क्षेत्र / सऔ फसल / ग्रा आवास / कृषि मशीनीकरण के अंतर्गत ठेका खेती	गैर-कृषि क्षेत्र	एग्री-क्लिनिक्स, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण गोदाम और अन्य कार्यकलाप
रु.50,000 तक	5.50	5.50	5.50	5.50
रु.50,000 - रु.2 लाख तक	5.50	6.25	6.25	6.25
रु.2 लाख से अधिक	5.50	6.25	6.50	6.75

शुभू खेती : शुष्क भूमि खेती, स्वग्रास्व योजना : स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वस समूह : स्वयं सहायता समूह, अजा / अजजा कार्ययोजना : अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कार्ययोजना, कृनि क्षेत्र : कृषि निर्यात क्षेत्र, सऔ फसल : सगंध औषधीय फसल, ग्रा आवास : ग्रामीण आवास

iii. मिलियन उथले नलकूप कार्यक्रम

3.64 बिहार राज्य के 38 जिलों में कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2001-02 में आरंभ किये गए मिलियन उथले नलकूप कार्यक्रम में, 5 वर्षों की अवधि में, 2,17,111 नलकूप इकाइयों के द्वारा, 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाया जाना था. यह योजना बिहार सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है. वर्ष 2003-04 में, 1.60 लाख इकाइयां स्थापित करने के लिए लक्ष्य के समक्ष कार्यान्वयक एजेंसियों (वाणिज्य बैंकों और क्षेग्रा बैंकों) द्वारा 81,874 इकाइयां स्वीकृत की गईं. अब तक 1,29,588 इकाइयां वित्तपोषित की गई हैं जिनमें रु.242.70 करोड़ की राशि बैंक ऋण के रूप में दी गई है.

इ. ब्याज दरों में संशोधन

3.65 भारत सरकार द्वारा कृषि और लघु उद्योगों को दिए जा रहे महत्व, बैंक दरों में कमी तथा ब्याज दरों में आम तौर पर आ रही कमी को देखते हुए नाबार्ड ने पुनर्वित्त पर अपनी ब्याज दरों में वर्ष के दौरान चार बार संशोधन किया. सभी एजेंसियों के लिए पुनर्वित्त पर 13 फरवरी 2004 से लागू ब्याज दर का वर्तमान स्वरूप, तालिका 3.10 में दर्शाया गया है.

3.66 नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को दिये जा रहे अंतरिम वित्त पर, ब्याज दर 9.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई है जो 15 नवंबर 2003 से प्रभावी है.

3.67 वर्ष 2003-04 के दौरान 56 प्रतिशत पुनर्वित्त (कृषि मशीनीकरण, संस्थाओं इत्यादि को दिए गए ऋणों के लिए दिए गए पुनर्वित्त को छोड़कर) लघु कृषकों को दिए गए ऋण के लिए था. (तालिका 3.11)

ई. अनुप्रवर्तन/निवेश विशिष्ट अध्ययन

3.68 योजनाओं के सुचारु रूप से कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को समझने तथा उनके लिए कार्यान्वयन के दौरान ही निराकरण की कार्रवाई करने के लिए नाबार्ड विभिन्न निवेशों के अनुप्रवर्तन अध्ययन करता है.

3.69 वर्ष के दौरान 31 जिलोन्मुख अनुप्रवर्तन अध्ययन, 27 निवेश विशिष्ट अध्ययन तथा लघु सिंचाई, पशुपालन, बागान और बागवानी, कृषि मशीनीकरण जैसे बड़े निवेशों को लेकर 11 योजना विशिष्ट अध्ययन किए गए. अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सहित विभिन्न कार्यक्रमों के

तालिका 3.11ः छोटे किसानों को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त (2003-04)				
				(रु.करोड़)
प्रयोजन	**कुल संवितरण**	**छोटे किसानों को संवितरण@**	**छोटे किसानों के खातों की संख्या (लाख)**	**छोटे किसानों को सहायता (कुल संवितरण का %)**
लघु सिंचाई (आरईसी को छोड़कर) व भूमि विकास	837	496	4	59
विविधीकृत प्रयोजन*	5,905	3,285	38	56
कुल	**6,742**	**3,781**	**42**	**56**

@ इसमें एसजीएसवाई के उधारकर्ता शामिल हैं. ** कृषि मशीनीकरण, भंडारण, मार्केट यार्ड, वानिकी आदि के लिए पुनर्वित्त को छोड़कर.*

अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों में निवेश से अतिरिक्त आय का सृजन हुआ है तथा बड़ी संख्या में गरीब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ सके हैं.

3.70 इन अध्ययनों से योजनाओं के कार्यान्वयन में कई प्रक्रियागत खामियों तथा परिचालनात्मक अवरोधों का पता चला है जैसे तकनीकी मानदण्डों की अवहेलना, अपर्याप्त वित्तपोषण, अपर्याप्त चुकौती अवधि का निर्धारण, सब्सिडी जारी करने में देरी, ऋण वितरणोपरांत निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई में कमी, लाभार्थियों में जागरूकता, तकनीकी ज्ञान तथा कौशल उन्नयन में कमी, इत्यादि. विस्तार सेवाओं की अपर्याप्तता, लाभार्थियों का सही रूप से चयन नहीं किया जाना, कार्यान्वयक एजेन्सियों में समन्वय की कमी तथा अपर्याप्त तकनीकी इनपुट, अच्छी किस्म के पशुओं की अनुपलब्धता, चारे की अत्यधिक कीमत, अण्डे की कीमत में कमी इत्यादि ने भी इकाइयों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. इन अपर्याप्तताओं की सूचना बैंकों और संबद्ध विभागों को दे दी गयी ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें.

ड. आर्थिक प्रभाव

3.71 वर्ष के दौरान नाबार्ड ने नौ कार्योत्तर मूल्यांकन अध्ययन यथा लघु सिंचाई और ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र पर दो-दो तथा रेशम उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, मार्केट यार्ड, समुद्री मछली पालन और सेब की खेती पर एक -एक अध्ययन किए. इन निवेशों के आर्थिक प्रभाव से संबंधित विवरण तालिका 3.12 में दिए गए हैं.

3.72 केरल (कासरगोड और कन्नूर जिले) और पंजाब (भटिंडा, होशियारपुर, रोपड़ जिले) में लघु सिंचाई के बारे में किए गए अध्ययनों से पता चला कि सिंचाई की अधिक उपलब्धता के कारण फसलों की सघन खेती से उपलब्ध भू-स्रोतों का आदर्श उपयोग हुआ तथा वाणिज्यिक एवं उच्च मूल्य वाली फसलों में अधिक विविधता आई, जिससे उपज और आय में काफी वृद्धि हुई. इसके परिणामस्वरूप, इन निवेशों की वित्तीय प्रतिफल दर ऊंची रही (> 50%) जिससे सिंचाई में कृषि निवेश की बैंक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सकी.

3.73 हिमाचल प्रदेश (शिमला और किन्नौर जिले) में सेब की खेती के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि निवेश से औसत वार्षिक उपज 13.6 टन प्रति हेक्टेयर होने से निवल वृद्धिशील आय काफी ऊंची रही है. वित्तीय प्रतिफल दर 29 प्रतिशत होने से यह निवेश वित्तीय रूप से व्यवहार्य सिद्ध हुआ है. वार्षिक आवर्ती रोजगार सृजन 61 व्यक्ति दिवस प्रति हेक्टेयर रहा.

3.74 कर्नाटक (कोलार और तुमकूर जिले) में रेशम उत्पाद के मूल्यांकन से ज्ञात हुआ है कि कीटपालन गृहों की क्षमता का उपयोग 40% से कुछ अधिक ही हुआ है तथा रेशम के कोया का औसत वार्षिक उत्पादन 1,090 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर रहा. वर्ष के दौरान कोये के मूल्य कम रहने के बावजूद, अध्ययन हेतु चयनित किसानों को अधिक उत्पादकता स्तर के कारण बेहतर निवल आय प्राप्त हुई. इस प्रकार, रेशम उत्पाद में वित्तीय प्रतिफल दर 28 प्रतिशत रही और निवेश वित्तीय रूप से व्यवहार्य रहा. परंतु चुकौती तुलनात्मक तौर पर कम (46 प्रतिशत) रही. एक श्रम प्रधान क्रियाकलाप होने के कारण इसमें 735 व्यक्तिदिवस प्रति हेक्टेयर वार्षिक रोजगार का सृजन हुआ.

3.75 तमिलनाडु (कोयम्बटूर, मदुरै, विरुधुनगर और तिरुवल्लूर जिले) में कोल्ड स्टोरेज के बारे में किये गए अध्ययन से पता चला कि कृषकों के स्तर पर निवेश से फसलों का विविधीकरण हुआ एवं फसलों की सघनता में वृद्धि हुई और उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पादकता के स्तरों में वृद्धि हुई. पण्य कीमतों के स्थिरीकरण से कृषकों की कीमत जोखिम के विरुद्ध रक्षा करने में भी यह सफल रहा. प्रमुख रूप से इमली, सूखी मिर्च, आलू और फलों का भंडारण किया गया. निवेशक के स्तर पर औसत वार्षिक शुद्ध आय और वित्तीय प्रतिफल की दर (19%) प्रारंभिक स्तर पर ही रही, इसका कारण अपेक्षाकृत कम क्षमता उपयोग (70%) था. इसके बावजूद चुकौती निष्पादकता संतोषजनक (93%) थी.

3.76 गुजरात (राजकोट जिले) में मार्केट यार्ड पर अध्ययन से पता चला कि 33 कृषि पण्यों के विपणन के लिए आधारभूत ढांचे का सफल निर्माण हुआ और आसपास के 43 गांवों को विपणन सेवाएं उपलब्ध कराई गईं. इससे कृषकों को कीमत जोखिम के विरुद्ध अपनी रक्षा करने में सहायता मिली और मूल्य प्रसार में उनका हिस्सा बढ़ा. पण्य चढ़ाई-उतराई की अधिक मात्रा के साथ मार्केट यार्ड में प्राथमिक निवेश से अधिक शुद्ध आय की प्राप्ति हुई. निवेश

तालिका 3.12: निवेशों से लाभ

(प्रति इकाई)

क्र. सं. निवेश का प्रकार	राज्य / संदर्भ वर्ष	पूंजी लागत (रु.1000)	शुद्ध लाभान्वित क्षेत्र (हे.)	अतिरिक्त उत्पादन का सकल मूल्य (रु.1000)	शुद्ध वृद्धिशील आय (रु.1000)	अतिरिक्त रोजगार सृजन (व्यक्ति-दिवस)	एफ आर आर (%)	वसूली (%)
1.डगवेल, पंपसेट सहित	केरल/ 2000-01	36	0.89	32.3	25.7	67	>50	76
2.ट्यूबवेल	पंजाब/ 2001-02	141	2.50	136.6	95.2	324	>50	76
3.सेब की खेती	हिमाचल प्रदेश/ 2002-03	91	3.87	66.4	36.4	237	29	उ.न.
4.रेशम कीटपालन	कर्नाटक/ 2001-02	241	0.93	130.4	76.6	684	28	46
5.कोल्ड स्टोरेज	तमिलनाडु/ 2001-02	16,872	–	4,559.0	3,167.5	3,625	19	93
6.मार्केट यार्ड	गुजरात/ 2000-01	47,644	–	–	9,500.0	12,720	17	100
7.मैरीन फिशरीज	गुजरात/ 2000-01							
i. यांत्रिक नौकाएं		1,000	–	1,216	172	1,800	24	49
ii. मत्स्य जाल		100	–	481	84	900	21	61
iii.डीजल इंजन		480	–	685	164	864	24	73
8.ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र कार्य	केरल/ 2002-03							
i. फिश प्रोसेसिंग		41	–	43.2	23. 5	370	36	52
ii. कंक्रीट का काम		41	–	41.5	25.2	815	>50	54
iii.मैट बनाना		118	–	49.5	40.2	390	39	41
iv.फर्नीचर बनाना		111	–	84.6	52.3	440	48	37
v. ईंट-भट्ठा		330	–	218.5	73.2	2,400	28	33
vi. मल्टी कैटरिंग		342	–	192.4	177.4	590	>50	40
9. ग्रामीण गैर कर्षि क्षेत्र कार्य	मध्य प्रदेश/ 2002-03							
i. स्टोन क्रशिंग		1,452	–	591.4	386.8	2,890	32	65
ii. स्टील फैब्रिकेशन		200	–	239.0	164.7	2,160	>50	62
iii. पावरलूम		3,200	–	954.5	525.3	8,500	21	61
iv. हथकरघा		150	–	86.7	64..5	925	>50	55
v. सेवा क्षेत्र की गतिविधियां		250	–	89.5	58.6	1,250	21	59

उ.न.: उपलब्ध नहीं

से प्रति वर्ष 12,720 व्यक्ति दिवस के आवर्ती रोजगार सृजित (नियमित और तदर्थ) होने का अनुमान है.

3.77 गुजरात (जूनागढ़ जिले) में समुद्री मत्स्यपालन के अध्ययन से पता चला कि निवेश से काफी पर्याप्त शुद्ध वृद्धिशील आय की प्राप्ति हुई और वित्तीय प्रतिफल की दर भी संतोषजनक थी जोकि 21 से 24 प्रतिशत के बीच पाई गई. यह भी पाया गया कि निवेश के बाद की अवधि में कुल मत्स्यपालन दिवस और आवर्ती रोजगार में काफी वृद्धि हुई.

3.78 केरल (कोलन और अलापुज्हा जिलों) में ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वित्तपोषित निवेशों से संबंधित अध्ययन में विभिन्न कार्यकलाप शामिल किए गए. यद्यपि इन इकाइयों में क्षमता उपयोग तो 25 और 55 प्रतिशत के बीच रहा, किंतु वित्तीय प्रतिफल की दर 28 से लेकर 50

प्रतिशत से अधिक के बीच थी. पर्याप्त आय सृजन के बावजूद चुकौती निष्पादकता संतोषजनक नहीं थी. इसी प्रकार मध्य प्रदेश (उज्जैन जिले) में विभिन्न ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र कार्यकलापों के मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि इन कार्यकलापों से काफी शुद्ध आय प्राप्त हुई जिसमें वित्तीय प्रतिफल की दर 20 से 50 प्रतिशत के बीच थी और चुकौती निष्पादकता लगभग 60 प्रतिशत रही. चूक अधिकांशतः जानबूझकर की गई प्रकृति की थी क्योंकि पर्याप्त शुद्ध वृद्धिशील आय के बावजूद चुकौती नहीं हो रही थी.

3.79 मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों से नीति एवं परिचालनात्मक मुद्दों के बारे में बैंक के साथ-साथ कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को भी महत्वपूर्ण फीडबैक प्राप्त हुआ. परिचालनात्मक कमियां जैसे तकनीकी मानदण्डों का पालन न करना, ऋण वितरण के बाद बैंकों द्वारा अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई, अल्प-वित्तपोषण की घटनाएं, जानबूझकर चूक करने की उच्च दर आदि को, नीतियों की समीक्षा करने के लिए सहभागी बैंकों की जानकारी में लाया गया. राष्ट्रीय बैंक ने इन अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग संबंधित निवेश गतिविधियों के परियोजना मूल्यांकन के लिए प्रत्याशित जानकारी के रूप में किया.

भौतिक उपलब्धियां

3.80 वर्ष के दौरान निवेश ऋण के तहत संवितरित पुनर्वित्त रु.7,605.29 करोड़ को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय बैंक द्वारा निवेश उद्देश्यों के लिए 31 मार्च 2004 तक दी गई संचयी पुनर्वित्त सहायता कुल रु.72,589 करोड़ हो गई. विभिन्न गतिविधियों के तहत बैंक की सहायता के माध्यम से सृजित भौतिक इकाइयों के क्षेत्र-वार आकलन तालिका 3.13 में दिए गए हैं.

तालिका 3.13: वित्तपोषित एवं पूर्ण हुई इकाइयां

क्रम सं.	निवेश	इकाइयां	31 मार्च तक वित्तपोषित इकाइयां		31 मार्च तक पूर्ण हुई इकाइयां	
			2003	2004	2003	2004
1	लघु सिंचाई *					
	i. पंपसेट सहित नलकूप	हजार में	1,448	1,487	1,445	1,484
	ii. पंपसेट सहित खोदे गए कुएं	हजार में	2,041	2,045	2,039	2,043
	iii. परंपरागत लिफ्ट सहित खोदे गए कुएं	हजार में	1,526	1,664	1,521	1,658
	iv. वर्तमान कुओं पर पंपसेट	हजार में	2,223	2,271	2,220	2,268
2	भूमि विकास	हजार हैक्टे.	3,048	3,079	3,042	3,073
3	कृषि मशीनीकरण					
	i. ट्रैक्टर '	हजार में	1,194	1,216	1,193	1,215
	ii. पावर टिलर	हजार में	149	151	148	150
	iii. अन्य कृषि उपकरण	हजार में	472	512	470	510
4	बागान और बागवानी	हजार हैक्टे.	1,899	1,983	1,895	1,979
5	वानिकी #	लाख ईटीपी	2,315	2,319	2,314	2,318
6	भंडारण	हजार टन	16,375	16,379	16,369	16,373
7	मार्केट यार्ड	संख्या	1,999	2,011	1,997	2,007
8	डेरी विकास	हजार पशु	13,702	14,240	13,697	14,235
9	भेड़/बकरी पालन	हजार पशु	36,310	36,338	36,309	36,337
10	सूअर पालन	हजार पशु	1,620	1,624	1,618	1,622
11	मुर्गीपालन	लाख पक्षी	1,693	1,702	1,677	1,686
12	मत्स्य पालन					
	i. मशीनयुक्त नावें	संख्या	21,565	21,601	21,563	21,583
	ii. अन्य नावें	संख्या	72,543	72,586	72,541	42,584
	iii. खारे पानी में मछली पालन	हेक्टेयर	5,055	5,156	5,055	5,156
	iv. मीठे पानी में मछली पालन	हजार हेक्टेयर	351	354	350	353
13	कृषीतर क्षेत्र	हजार में	4,735	5,212	4,730	5,194
14	विविध $	हजार में	11,551	12,200	11,547	12,164

** केवल मुख्य निवेश मदें शामिल*
$ बैल, बैलगाड़ी आदि जैसे निवेश शामिल
 # यह माना गया कि संदर्भाधीन अवधि के अंत तक सभी पेड़ों की रोपाई हो गई है.
ईटीपी - एन्टायर ट्री प्लान्टेशन

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

अ. चालू परियोजनाएं

3.81 वर्ष के दौरान कुल नौ विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थी. इन परियोजनाओं की प्रगति पर आगे प्रकाश डाला गया है.

3.82 *केएफडब्ल्यू-नाबार्ड V - आदिवासी विकास कार्यक्रम - गुजरात* को बीएआईएफ, पुणे एवं ध्रुवा द्वारा 1994-95 से कार्यान्वित किया जा रहा है और इसमें वलसाड जिले के धरमपुर तालुका के डूंगर क्षेत्र के 8000 परिवारों एवं 2000 भूमिहीन महिलाओं और इसी से लगे हुए डांग जिले के 17 गांवों के 706 परिवारों के पुनर्वास के लिए धारणीय फलोद्यान उत्पादन हेतु प्रत्येक आदिवासी परिवार की बंजर/सीमांत भूमि में एक वाडी (फलोद्यान) विकसित करने की अवधारणा की गई है. वर्ष के दौरान सम्मिलित 767 परिवारों को मिलाकर वलसाड जिले में 13,663 परिवार इस योजना में शामिल हो चुके हैं और 162 गांवों को 'वाडी' के अंतर्गत शामिल किया गया है और 5,140 हेक्टेयर क्षेत्र में काजू एवं आम के साथ-साथ चहारदीवारी में ईंधन एवं चारे वाली प्रजातियों के पेड़ लगाए गए हैं. इन वाडियों में 182 टन काजू एवं 350 टन आम की फसल के साथ ही गांव स्तर पर 10 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की गई है और 180 भूमिहीन महिलाओं को पूरे वर्ष रोजगार प्राप्त हुआ है. बाहरी सहायता बंद होने के बाद कार्यक्रम जारी रखने के लिए दस आदिवासी सहकारी समितियों का पंजीकरण भी कराया गया है.

3.83 गुजरात में चालू कार्यक्रम की प्रतिक्रिया/परिणामों से उत्साहित होकर केएफडब्ल्यू, जर्मनी ने इसके विस्तार हेतु अतिरिक्त अनुदान सहायता उपलब्ध कराई है. *केएफडब्ल्यू-नाबार्ड V आदिवासी विशेष कार्यक्रम* के तहत निधि पूर्ति हेतु पात्र गतिविधियों में 700 वाडियों की स्थापना, मृदा संरक्षण उपाय, 4,800 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा में सुधार और 1,000 वाडियों के लिए सिंचाई की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जल संसाधनों का विकास सम्मिलित है.

3.84 *केएफडब्ल्यू - नाबार्ड IX - महाराष्ट्र में आदिवासी विकास कार्यक्रम* का उद्देश्य बायफ सोसाइटी, पुणे की सहयोगी संस्था महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर फॉर रूरल एरियाज (मित्रा) के माध्यम से ठाणे एवं नासिक जिलों के तीन पहाड़ी विकास खण्डों में विभिन्न आर्थिक एवं समाज कल्याण गतिविधियों द्वारा 14,000 आदिवासी परिवारों एवं 1,000 भूमिहीन महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है. यह परियोजना सितंबर 2000 में प्रारंभ हुई, जिसमें 160 गांवों के 5,676 परिवारों की 2,076 हेक्टेयर भूमि को वाडी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया और यह परियोजना क्षेत्र के परिवारों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में समग्र रूप से सुधार लाने में सहायक रही है (बॉक्स 3.7). यह देखने में आया है कि आदिवासी परिवारों के लिए जीविका का टिकाऊ साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से वाडी मॉडल बहुत प्रभावी है. देश के अन्य भागों में पात्र आदिवासी परिवारों की मदद के प्रयोजन से, राष्ट्रीय बैंक ने 50 करोड़ रुपये का अंशदान कर एक ''आदिवासी विकास निधि'' की स्थापना की है, जिसका उपयोग ऋण/अनुदान के रूप में इस प्रकार के परिवारों द्वारा किये जाने वाले, वाडी और अन्य टिकाऊ लघु उद्यमों की मदद के लिए किया जाएगा.

3.85 *इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आईजीडब्ल्यूडीपी), महाराष्ट्र - चरण II,* गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से ग्राम वाटरशेड समितियों (वीडब्ल्यूसी) द्वारा वाटरशेडों के पुनर्वास के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के पुनः सृजन हेतु एक एकीकृत कार्यक्रम है. 24 जिलों में कुल 118 वाटरशेड परियोजनाएं, 65 गैर सरकारी संगठनों की सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें से 64 पूरी हो चुकी हैं. वाटरशेड विकासोत्तर पहल के रूप में, वाटरशेड गांवों में प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के आयोजन हेतु दो कृषि विकास केन्द्रों (केवीके) को रु.8.8 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई. एक नवोन्मेषी ऋण वितरण प्रणाली के रूप में ऐसी ग्राम वाटरशेड समितियों (वीडब्ल्यूसी), जिन्होंने आईजीडीडब्ल्यूपी- महाराष्ट्र के तहत गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर वाटरशेड परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है, में से प्रत्येक को रु.5 लाख का ऋण मंजूर किया गया.

3.86 *आंध्र प्रदेश में चलाए जा रहे केएफडब्ल्यू - नाबार्ड - इण्डो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम* के अंतर्गत केएफडब्ल्यू ने आंध्र प्रदेश के चार चुने हुए जिलों अर्थात् अदिलाबाद, करीमनगर, मेडक एवं वारंगल में वाटर शेडों के पुनर्वास के प्रथम चरण हेतु अनुदान सहायता देने का वायदा किया. परियोजना में 30 वाटरशेडों के ट्रीटमेंट की अवधारणा की गई है जिससे धारणीय एवं समान रूप से कृषि एवं वन उत्पादनों में वृद्धि और स्थिरता लाई जा सके जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा. परियोजना के सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय में

बॉक्स 3.7

'वाडी'- आदिवासी विकास का प्रभावी मॉडल

केएफडब्ल्यू जर्मनी की सहायता से कार्यान्वित की जारी रही वाडी परियोजना (आदिवासियों के स्वामित्व वाली सीमांत एवं बंजर भूमि में धारणीय फलोद्यान) से आदिवासी समाज के सबसे कमजोर वर्गों में आशा का संचार हुआ है. परियोजना की दानदाताओं ने बहुत प्रशंसा की है, और इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आजीविका के लिए बाहर पलायन करने की आवश्यकता कम हुई है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप आदिवासियों, विशेष रूप से महिलाओं के उद्यमिता कौशल में वृद्धि हुई है और उनमें शक्ति संपन्नता बढ़ी है.

प्रभाव

आर्थिक विकास

- बंजर भूमि को उपजाऊ बागान में बदलना
- वाडी उत्पादों के प्रसंस्करण के माध्यम से व्यवसाय के नए अवसरों का सृजन
- सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना
- वाणिज्यिक फसलें लगाने से आय में वृद्धि
- स्थानीय रोजगार का सृजन और पलायन में कमी
- साहूकारों पर निर्भरता में कमी
- ऋण पात्रता एवं चुकौती में महत्वपूर्ण सुधार

पारिस्थितिक धारणीयता

- वनस्पति, वन-आवरण और जल संरक्षण में वृद्धि
- मृदा क्षरण में कमी
- सूक्ष्म जलवायु तथा वनस्पति एवं जीवजगत में सुधार
- मृदा में सूक्ष्म जैव गतिविधियों एवं उत्पादकता में सुधार

मानव विकास

- महिलाओं की कड़ी मेहनत में कमी
- सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से महिला उद्यमिता में वृद्धि
- महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण -निर्णय लेने, स्वयं सहायता समूहों के गठन आदि में वृद्धि
- संक्रामक रोगों के आवर्तन में कमी
- स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि
- जन संगठनों, ग्राम आयोजना समितियों, प्रबंधन हेतु सहकारी संस्थाओं के विकास के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन

एक कार्यक्रम सहायता इकाई स्थापित की गयी है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार के वन विभाग के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु छह गैर-सरकारी संगठनों का चयन किया गया है.

3.87 वाटरशेड समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए वाटरशेड आर्गेनाइजेशन ट्रस्ट शुरू किया गया जिस पर वर्ष 2003-04 के दौरान रु.10.7 लाख का व्यय हुआ. अगस्त 2003 में केएफडब्ल्यू /जीटीज़ेड संयुक्त मिशन ने वाटरशेड विकास कार्यक्रम के तहत परियोजना क्षेत्रों का दौरा किया और कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव की प्रशंसा की (बॉक्स सं.3.8).

3.88 *केएफडब्ल्यू - नाबार्ड - सेवा बैंक - ग्रामीण वित्तीय मध्यस्थों के पूंजीकरण* की परियोजना के तहत , ऋण देकर एवं बचत तथा साख समूहों के जिला संघों की इक्विटी में अंशदान करके ग्रामीण निर्धन महिलाओं की सूक्ष्म ऋण तक पहुंच में दीर्घकालीन सुधार हेतु केएफडब्ल्यू ने अनुदान सहायता देने का वायदा किया है. इसका समग्र उद्देश्य गुजरात में ग्रामीण वित्तीय क्षेत्र के ढांचागत विकास में सुधार लाना और ग्रामीण निर्धन महिलाओं के आय सृजन में योगदान करना है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके. वर्ष के दौरान केएफडब्ल्यू के सलाहकारों द्वारा ऋण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई.

3.89 ईयू-बायफ परियोजना - धारणीय विकास के लिए प्रौद्योगिकी हात्तांतरण की यूरोपीय यूनियन से सहायता प्राप्त इस परियोजना का उद्देश्य फलोद्यान विकास, पशु विकास, रेशम उत्पादन एवं समुचित ऑफ फार्म गतिविधियों आदि में सरल किंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाकर आय सर्जन गतिविधियों के संवर्धन द्वारा लघु / सीमांत कृषकों और भूमिहीन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना है. परियोजना का कार्यान्वयन बायफ, पुणे द्वारा पांच राज्यों, अर्थात् गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 216 गांवों में किया जा रहा है. इसमें गरीबी की रेखा के नीचे के 33,000 परिवार (अजा/अजजा सहित) शामिल हैं. अब तक 34,600 परिवारों को सहायता दी गई है. बहुत से जन संगठनों ने केन्द्रीय प्रापण / वितरण इकाइयों,

बाक्स 3.8
अप्पा की आंखों में चमक

अप्पाजी बानाजी मुथा की उम्र 35 वर्ष है , वे कक्षा 3 में ही रह गए थे. वे 5 एकड़ भूमि के स्वामी हैं. वाटरशेड परियोजना शुरू होने से पहले वे दैनिक मज़दूरी करते थे क्योंकि उनकी जमीन में स्थित कुएं से केवल चौथाई एकड़ ज़मीन की ही सिंचाई हो पाती थी. वाटरशेड विकास कार्यक्रम प्रारम्भ होने पर उन्होंने श्रमदान के माध्यम से इसमें सक्रिय सहयोग किया. इसका सुफल यह हुआ कि अब वे अपनी 5 एकड़ जमीन में प्याज, बैंगन, धनिया, गुलदाउदी, गेहूं और ज्वार की फसलें पैदा करते हैं. एक बार में ही उन्होंने 50 किग्रा बैंगन की फसल ली और उसे रु.10/- प्रति किग्रा बेचा. पिछले वर्ष उन्होंने 0.5 एकड़ में धनिये की फसल से रु.80,000/- की शुद्ध आय प्राप्त की. उनके तीन बच्चे स्कूल जाते हैं और पिछले दो वर्ष से उन्होंने अपना समस्त लाभ अपनी जमीन में लगाया है. उन्होंने जमीन को समतल कराया है. एक नए नलकूप पर रु.50,000/- खर्च किए हैं और अपने सुनहरे भविष्य की उनकी योजनाएं हैं. अप्पा जैसे किसानों के हाथ में दीप स्तंभ है जिससे अन्य किसान आकर्षित होते हैं और लाभदायक फसलें उगाने एवं अपने सुखमय जीवन के निर्माण के लिए प्रोत्साहित होते हैं.

प्रसंस्करण / विपणन केन्द्रों, स्वयं सहायता समूह संवर्धन मध्यस्थों एवं पशु प्रजनन केन्द्रों की स्थापना करके, कार्यक्रम को निरन्तरणीय बनाने की दिशा में पहल की है.

3.90 *नाबार्ड - जीटीजेड तकनीकी सहयोग - स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने* की परियोजना के तहत, स्वयं सहायता समूह - बैंक सहबद्धता कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए जीटीजेड ने तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है. इस सहयोगपरक परियोजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर अर्थात् स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं, प्राथमिक ऋण वितरक संस्थाओं और नाबार्ड के स्तर पर क्षमता में सुधार लाना है ताकि ग्रामीण निर्धनों की ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो सके और इस प्रक्रिया में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का दायरा बढ़ सके. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापरक ऋण वितरण सुनिश्चित हो सकेगा. इसका उद्देश्य जनता और स्वयं सहायता समूहों की और अधिक सहभागिता लेना और आधार स्तरीय संस्थाओं की स्थापना करना है. परियोजना के दूसरे चरण में, जीटीजेड द्वारा तकनीकी सहयोग के लिए यूरो 1.78 मिलियन का वायदा किया गया है.

बांस के शिल्प बनाने में जुटी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं

3.91 नाबार्ड - एसडीसी सहयोग - ग्रामीण वित्तपोषण में एचआईडी सहभागिता के तहत स्विस एजेन्सी फॉर डेवेलपमेंट एण्ड को-ऑपरेशन (एसडीसी) ने, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई) की प्रभावशीलता में सुधार के लिए, नाबार्ड के अपने एचआईडी प्रयासों में सहायता हेतु, अनुदान सहायता उपलब्ध कराई. इस परियोजना का उद्देश्य औपचारिक एवं अनौपचारिक ग्रामीण वित्तीय प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाना और नवोन्मेषों, विशेष रूप से ग्रामीण निर्धनों (खास तौर पर महिलाओं) की वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच बनाने के माध्यम से अपने मध्यस्थों की वित्तीय व्यवहार्यता तथा संगठनात्मक कार्यकुशलता में सुधार लाना है. परियोजना की कुल अनुमानित लागत रु.62.7 करोड़ है जिसे नाबार्ड एवं एसडीसी द्वारा क्रमशः 57.6 एवं 42.4 के अनुपात में वहन किया जाएगा. परियोजना के तहत नवोन्मेषों हेतु रु.2.8 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

आ. प्रक्रियाधीन परियोजनाएं

3.92 निम्नलिखित परियोजनाएं बातचीत एवं अन्तिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं :

- केएफडब्ल्यू जर्मनी ने चुने हुए परियोजना-निष्पादक गैर-सरकारी संगठनों को, यूरो 9.20 मिलियन (रु.51.52 करोड़) की अनुदान सहायता देने का वायदा किया है. यह अनुदान सहायता गुजरात में वाटरशेडों के पुनर्वास के लिए निवेश वित्तपोषण एवं परामर्श लागतों के लिए है. वर्ष के दौरान केएफडब्ल्यू के परामर्शदाताओं

ने जल-भूवैज्ञानिक मूल्यांकन हेतु एक अध्ययन किया. कार्यक्रम के लिए करार को अन्तिम रूप दिया जा रहा है.

- केएफडब्ल्यू जर्मनी ने गुजरात में आदिवासी विकास कार्यक्रम के चरण II के विस्तार के लिए यूरो 7.16 मिलियन (रु.40.10 करोड़) और राजस्थान में वाटरशेड विकास कार्यक्रम हेतु यूरो 15.83 मिलियन (रु.88.65 करोड़) की अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमति दे दी है. इसने वर्ष के दौरान जल-भूवैज्ञानिक मूल्यांकन अध्ययन भी किया.

- यूरो 19.94 मिलियन (रु.111.66 करोड़) का केएफडब्ल्यू-वाटरशेड विकास कार्यक्रम - महाराष्ट्र (चरण III) के लिए करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

- 'ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के विकास हेतु केएफडब्ल्यू - नाबार्ड' परियोजना के लिए केएफडब्ल्यू, जर्मनी यूरो 40 मिलियन (रु.224 करोड़) वित्तीय घटक के तहत और यूरो 1.20 मिलियन (रु.6.72 करोड़) तकनीकी घटक के तहत, अनुदान सहायता देने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गया है.

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के तहत ऋण

3.93 वर्ष 1995-96 में रु.2,000 करोड़ की कार्पस निधि से स्थापित 'ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ)' में वर्ष 2003-04 के दौरान, आरआईडीएफ -IX के लिए रु.5,500 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ. इसमें से 60 प्रतिशत कार्पस बाढ़ से सुरक्षा, सिंचाई, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए निर्धारित था. आरआईडीएफ -IX के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी, सामाजिक क्षेत्र आदि से संबंधित परियोजनाओं को कम प्राथमिकता मिली. माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2004-05 का अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय बैंक में रु.50,000 करोड़ की लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि/कृषि आधारभूत सुविधा और ऋण निधि की स्थापना की घोषणा की थी (बॉक्स 3.1). भारत सरकार ने अब तक लोनाजप्रना निधि के तहत राज्य सरकारों को ऋणों की मंजूरी के लिए वर्ष 2004-05 से शुरू करके तीन वर्ष के दौरान अर्थात 31 मार्च 2007 तक आधारभूत सुविधा घटक के लिए रु.30,000 करोड़ के आबंटन को अनुमोदित कर दिया है.

अ. परियोजनाओं को प्राथमिकता देना

3.94 आरआईडीएफ के तहत ऋण वितरण के दायरे को, धीरे-धीरे बढ़ाकर, ग्राम स्तरीय आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों, स्वस समूहों और अन्य पात्र संगठनों तक कर दिया गया है. इसके अलावा, इस निधि के ऋणों के लिए पात्र प्रयोजनों में भी विस्तार किया गया है और अब इसमें सूचना प्रौद्योगिकीयुक्त सेवाओं और नई गतिविधियों (प्रणाली सुधार), ऊर्जा क्षेत्र के तहत अति लघु पनबिजली उत्पादन, प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और वर्षा के जल का उपयोग करने हेतु ढांचों के निर्माण जैसी नवोन्मेषी परियोजनाओं को भी शामिल कर लिया गया है. निम्नलिखित क्षेत्रों के तहत आने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है :

क. सिंचाई क्षेत्र

i. अपूर्ण परियोजनाएं, ऐसी परियोजनाएं जहां हेडवर्क हो चुका है और वहां वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य किया जाना है, नहरों का सुधार और आधुनिकीकरण आदि.

ii. लघु सिंचाई परियोजनाएं जिनमें छोटे बांधों, बंधारों, बैराजों का निर्माण, डिस्ट्रिब्यूशन प्रणाली सहित सुरक्षित क्षेत्रों में नलकूपों की स्थापना, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियां और भू-जल रिचार्ज हेतु वर्षा के जल के उपयोग की परियोजनाएं शामिल हैं.

iii. मध्यम एवं बड़े स्तर की चालू सिंचाई परियोजनाएं, जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का निर्माण शामिल है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत मंजूर परियोजनाओं के मामले में लास्ट माइल सपोर्ट और नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं.

iv. बाढ़ से सुरक्षा के लिए नहरों की रिसेक्शनिंग और उन्हें गहरा करने तथा किनारों को मजबूत करने आदि की परियोजनाएं.

ख. कृषि और संबद्ध गतिविधियां

i. वाटरशेड / संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम.

ii. जल भराव वाले क्षेत्रों का सुधार, जल निकासी परियोजनाएं आदि.

iii. चयनित आधार पर पौध शालाओं, बीज फार्मों आदि की स्थापना.

iv. फसलोत्तर प्रौद्योगिकी - अर्थात कृषि निर्यात अंचलों में मंडी स्थल/संकुलों, खाद्य प्रसंस्करण पार्कों, कोल्ड चेन, सड़कों और पुलों का विकास आदि.

v. जैविक रूप से उत्पादित खाद्यों के परीक्षण एवं प्रमाणन की सुविधाओं का विकास.

vi. आधुनिक मृदा परीक्षण सुविधाओं एवं पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के सरकारी प्रयास की अनुपूर्ति करना.

vii. ग्रामीण जनता की क्षमता के निर्माण हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सूचना तकनीक पर आधारित परियोजनाएं.

viii. मत्स्यपालन की आधारभूत सुविधाओं का विकास.

ग. ऊर्जा क्षेत्र

3.95 ऊर्जा के क्षेत्र में प्रणाली सुधार, विशेष रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण, जल (लघु-पनबिजली), बायो-मास, सौर और पवन आदि जैसे ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करते हुए ऊर्जा का उत्पादन एवं सुदूर गांवों में वितरण.

आ. नियम और शर्तें

3.96 ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने के नियम एवं शर्तें वही रहीं जो कि आरआईडीएफ-VIII के लिए विगत वर्ष के दौरान थीं. राज्य सरकारों को दिए गए आरआईडीएफ ऋणों पर ब्याज-दर को, जो आरआईडी एफ-I के अन्तर्गत 13% थी, घटाकर आरआईडीएफ-IV और आरआईडीएफ-VII के अन्तर्गत क्रमशः 11.5% और 10.5% किया गया और फिर उसे आरआईडीएफ -VIII और IX अन्तर्गत बैंक दर से 2% ऊपर (उस समय विद्यमान बैंक दर पर 8.5%) निर्धारित किया गया.

इंदरम बीट में चेक डैम - आदिलाबाद जिला, आरआईडीएफ VI.

3.97 ब्याज दरों में गिरावट की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए आरआईडीएफ-IV से IX की असंवितरित राशि के संबंध में ब्याज-दरें रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से 01 नवम्बर 2003 से पुनर्निर्धारित की गईं. तदनुसार, आरआईडीएफ-IV से VII के अन्तर्गत संवितरित ऋणों पर ब्याज दरें 7% तथा आरआईडीएफ-VIII और IX हेतु 6.5% निर्धारित की गईं.

इ. परिचालन

क. मंजूरियां और संवितरण

3.98 वर्ष के दौरान आरआईडीएफ-IX के अन्तर्गत, रु.5,437.51 करोड़ के ऋण वाली 20,178 परियोजनाएं मंजूर की गईं, जिन्हें मिलाकर अब तक परियोजनाओं की कुल सं.1,73,014 और उनके लिए मंजूर राशि रु.34,678.07 करोड़ हो गई है. मंजूर की गई कुल राशि में से ग्रामीण सड़कों और पुलों का हिस्सा 46.8 प्रतिशत, सिंचाई परियोजनाओं का 35.4 प्रतिशत और अन्य का 17.8 प्रतिशत रहा. (तालिका 3.14) आरआईडीएफ सहायता क्षेत्र का दायरा भी

तालिका 3.14: आरआईडीएफ के तहत मंजूर की गई प्रयोजन-वार परियोजनाएं (31 मार्च 2004 की स्थिति)

(रु.करोड़)

प्रयोजन	आरआईडीएफ IX	हिस्सा (%)	आरआईडीएफ I से IX (कुल)	हिस्सा (%)
सिंचाई				
सं.	12,538	62.1	91359	52.8
राशि	2,314.88	42.6	12,288.79	35.4
ग्रामीण पुल				
सं.	523	2.6	8,877	5.1
राशि	468.87	8.6	4,192.81	12.1
ग्रामीण सड़कें				
सं.	2,124	10.5	39,121	22.6
राशि	1,180.90	21.7	12,034.92	34.7
अन्य *				
सं.	4,993	24.7	33,657	19.5
राशि	1,472.86	27.1	6,161.55	17.8
कुल				
सं.	**20,178**	**100.0**	**1,73,014**	**100.0**
राशि	**5,437.51**	**100.0**	**34,678.07**	**100.0**

**अन्य में शामिल हैं : वाटरशेड विकास, बाढ़ नियंत्रण, सीएडीए ड्रेनेज, अन्तर्देशीय जल मार्ग, ग्रामीण पेयजल, मृदा संरक्षण, वन विकास, रबड़ बागान, मत्स्यपालन, पशुपालन, बीज/कृषि/फलोद्यान फार्म, मार्केट यार्ड / गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नागरिक सूचना केंद्र, फूड पार्क, प्रणाली सुधार, छोटी जल विद्युत परियोजनाएं, इत्यादि.*

चार्ट 3.3

विभिन्न परियोजनाओं के तहत मंजूरियां और संवितरण

(31 मार्च 2004 की स्थिति)

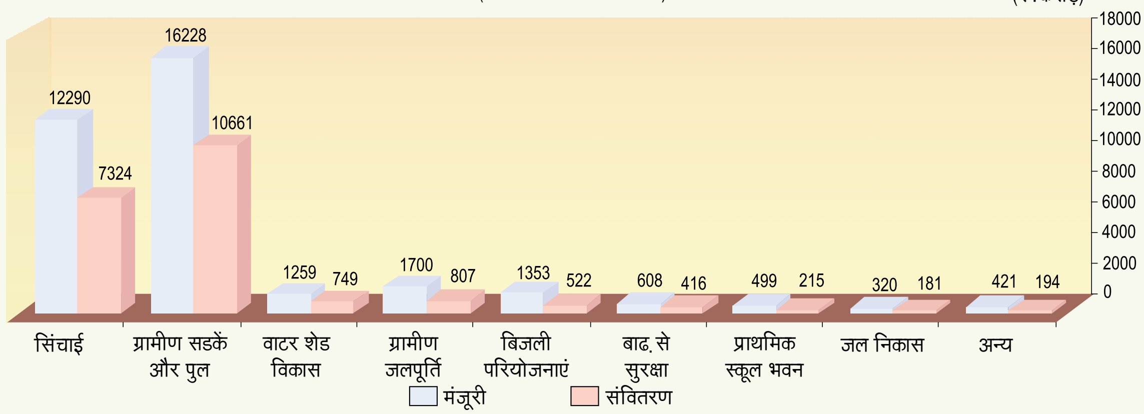

काफी बढ़ गया है और अब सिंचाई परियोजनाओं, वाटरशेड प्रबंध, मृदा संरक्षण, वन प्रबंधन, ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण जैसी ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं में विभिन्न प्रकार के निवेशों हेतु ऋण दिए जाते हैं (चार्ट 3.3). आरआईडीएफ के अन्तर्गत मंजूरियों और संवितरणों की खेप-वार स्थिति तालिका 3.15 में दी गई है. आरआईडीएफ-IX के अन्तर्गत, सिंचाई, कृषि और संबद्ध गतिविधियों, प्रणाली सुधार और बिजली क्षेत्र परियोजनाओं (मिनी हाइडेल) से संबंधित परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया.

3.99 आरआईडीएफ I, II और III के अन्तर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च 2003 को पूरी हो गई तथापि, कुछ विशेष मामलों में 31 मार्च 2004 तक आहरणों की अनुमति दी गई ताकि राज्य सरकार पूर्णता के निकट की परियोजनाओं को पूरा कर सकें. आरआईडीएफ IV से VII के अन्तर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च 2005 तक बढ़ाई गई है.

3.100 आरआईडीएफ -I से IX के अन्तर्गत 31 मार्च 2004 तक कुल रु.21,067.17 करोड़ के संवितरण किए गए (तालिका 3.15). आरआईडीएफ की सभी खेपों को एक साथ लिया जाए तो संवितरण और कुल मंजूरियों में नौ राज्यों का हिस्सा क्रमशः 72 प्रतिशत (चार्ट 3.4) और 69 प्रतिशत रहा. मंजूरियों से संवितरणों के अनुपात के राज्य-वार विश्लेषण से पता लगता है कि 94 प्रतिशत के साथ मिजोरम का नाम सूची में सबसे ऊपर है और इसके पश्चात्

तालिका 3.15ः विभिन्न खेपों के अन्तर्गत संचयी मंजूरियां और संवितरण
(31 मार्च 2004 की स्थिति)

(रु. करोड़)

आरआईडीएफ-खेप	कार्पस	परियोजनाओं की संख्या	राशि: संस्वीकृत	राशि: चरणबद्ध	राशि: संवितरित	संवितरण का %: संस्वीकृत	संवितरण का %: चरणबद्ध
I	2,000	4,167	1,910.54	1,910.54	1,760.87	92.2	92.2
II	2,500	8,166	2,658.88	2,658.88	2,397.75	90.2	90.2
III	2,500	14,350	2,718.45	2,718.45	2,444.30	89.9	89.9
IV	3,000	6,203	2,912.83	2,912.83	2,266.39	77.8	77.8
V	3,500	13,190*	3,513.92	3,513.92	2,711.79	77.2	77.2
VI	4,500	43,457	4,549.50	4,549.50	3,273.87	72.0	72.0
VII	5000	40,855	4,893.10	4,893.10	2,768.81	56.6	56.6
VIII	5,500	22,448	6,083.34	4,653.93	2,449.88	40.3	52.6
IX	5,500	20,178	5,437.51	1,682.75	993.51	18.3	59.0
कुल	34,000	1,73,014	34,678.07	29,493.90	21,067.17	60.8	71.4

**असम सरकार को मंजूर किए गए एक लाख उथले ट्यूबवेलों को एक एकल परियोजना के रूप में माना गया*

चार्ट 3.4

आरआईडीएफ के अंतर्गत संवितरण

(31 मार्च 2004 की स्थिति)

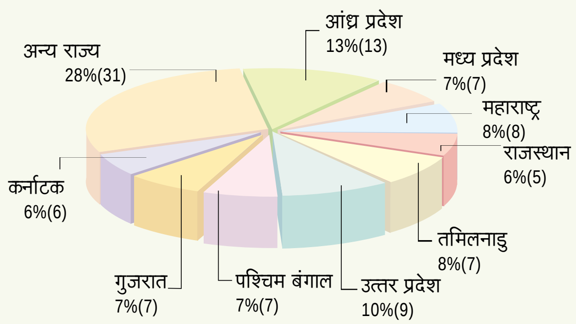

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं

सिक्किम (85%), राजस्थान (73%), उत्तर प्रदेश (70%), तमिलनाडु (69%) और कर्नाटक (68%) के नाम आते हैं. विभिन्न कारणों अर्थात् भूमि अधिग्रहण समस्याओं, निविदा-प्रक्रिया और निधियों के आहरण में विलंब, राज्य स्तर पर अपर्याप्त बजट सहायता तथा कार्यान्वयन विभागों में समन्वय की कमी आदि से आरआईडीएफ के अन्तर्गत, संस्वीकृत राशियों की तुलना में ऋणों का उपयोग कम रहा.

ख. पंचायती राज संस्थाओं को परियोजनाओं की मंजूरी

3.101 राष्ट्रीय बैंक ने आरआईडीएफ IX के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं / स्वयं सहायता समूहों, आदि द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली / कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को 2003-04 के दौरान कुल 43.20 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया. इनमें केरल की ब्लाक पंचायतों द्वारा कार्यान्वित लघु सिंचाई परियोजनाएं तथा पश्चिम बंगाल में जिला परिषदों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ग्रामीण सड़क और संयुक्त वन प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं. पश्चिम बंगाल सरकार को 29 नए ग्रामीण पुस्तकालयों के निर्माण तथा 91 ग्राम पंचायतों में वर्तमान ग्रामीण पुस्तकालय इमारतों के विस्तार / मरम्मत के लिए 1.16 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई.

ग. जमा राशियां

3.102 वर्ष के दौरान आरआईडीएफ के अंतर्गत 31 मार्च 2004 तक 2,158.69 करोड़ रुपये की जमाराशियां प्राप्त हुई, जिससे संचयी जमा राशि 18,304.06 करोड़ रुपये हो गई (तालिका 3.16). वर्ष के दौरान 2,229.34 करोड़ रुपये की जमा राशि को रिडीम किया गया.

घ. चुकौतियां

3.103 वर्ष 2003-04 के दौरान आरआईडीएफ ऋणों की चुकौती के रूप में राज्य सरकारों से 2,980.41 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई.

ई. रोजगार सृजन

3.104 आरआईडीएफ के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन के आधार का विस्तार हुआ तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा हुए (बाक्स 3.9).

ए. पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम को सहायता

3.105 पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा सिक्किम के लिए वर्ष 2000-01 हेतु 500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई और अनुवर्ती तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपये निर्धारित किए

तालिका 3.16: आरआईडीएफ के अंतर्गत वर्ष/खेप-वार संवितरण और प्राप्त जमाराशियां
(31 मार्च 2004 की स्थिति)

(रु. करोड़)

अ : वर्ष-वार

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
संवितरण	387.34	1,087.08	1,009.03	1,313.12	2,277.87	3,176.85	3,790.37	4,103.42	3,922.09
जमा राशियां	350.00	1,042.30	1,007.04	1,337.95	2,306.63	2,653.64	3,590.72	3,857.09	2,158.69

आ : खेप-वार

विवरण	आरआई डीएफ-I	आरआई डीएफ -II	आरआईडीएफ-III	आरआई डीएफ-IV	आरआईडीएफ-V	आरआई डीएफ-VI	आरआईडीएफ-VII	आरआई डीएफ- VIII	आरआईडीएफ-IX
संवितरण	1,760.87	2,397.75	2,444.30	2,266.39	2,711.79	3,273.86	2,768.81	2,449.88	993.51
जमा राशियां	1,586.56	2,225.00	2,308.02	1,412.53	2,641.66	3,097.36	2,482.61	2,093.38	456.94

बॉक्स 3.9
ग्रामीण आधारभूत सुविधाएं और रोजगार में वृद्धि

(लाख)

ग्रामीण आधारभूत सुविधा	
अतिरिक्त सिंचाई क्षमता	85.52 हैक्टेयर
ग्रामीण सड़क नेटवर्क	1.52 कि.मी.
ग्रामीण पुल	2.96 मीटर
सिंचाई में वृद्धि के कारण रोजगार सृजन	
• आवर्ती (नौकरियां)	44.59
• गैर-आवर्ती (व्यक्ति दिवस)	12,095
गैर-सिंचाई परियोजनाओं से	
• गैर-आवर्ती (व्यक्ति दिवस)	14,354

गए. इसके समक्ष, 31 मार्च 2004 तक क्रमशः 1,380.69 करोड़ रुपये और 733.15 करोड़ रुपये की राशि मंजूर और संवितरित की गई.

ऐ. परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन

3.106 चूंकि आरआईडीएफ के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाने वाली परियोजनाओं के पोर्टफोलियो में द्रुत गति से विस्तार हो रहा है, इसलिए उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के प्रणालीबद्ध और केंद्रित क्षेत्र-वार अनुप्रवर्तन का बड़ा महत्व है. अतः नाबार्ड, निधि के माध्यम से सहायता प्रदान की गई परियोजनाओं के प्रणालीबद्ध और निरन्तर अनुप्रवर्तन पर लगातार यथेष्ट जोर देता रहा है.

क. आंतरिक अनुप्रवर्तन

3.107 परियोजनाओं का सुगम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, आवधिक विवरणियों की डेस्क समीक्षा और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों, जिला विकास प्रबंधकों और इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं द्वारा किए गए फील्ड दौरों के माध्यम से अनुप्रवर्तन किया गया. वर्ष के दौरान फील्ड दौरों के माध्यम से 8,285 परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन किया गया. क्षेत्रीय अनुप्रवर्तन पर सात क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त 24 रिपोर्टों के प्रेक्षणों के आधार पर, वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के संबंधित विभागों को सूचित किया गया कि वे संबंधित मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करें.

ख. अनुप्रवर्तन अध्ययन - फीडबैक

3.108 वर्ष 2003-04 के दौरान बैंक ने हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई, केरल में वाटरशेड विकास, पश्चिम बंगाल में आंगनवाड़ी, नागालैण्ड में रबर बागान योजना और त्रिपुरा में मण्डी प्रांगण पर स्वयं अनुप्रवर्तन अध्ययन किए.

i. हिमाचल प्रदेश में किए गए अध्ययन से पता चला कि जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा निष्पादित योजनाओं को सबसे कम समय में पूरा किया गया, साथ ही गुणवत्ता में भी कमी नहीं आने दी गई. सृजित क्षमता का भी पूरा उपयोग किया गया. तथापि यह देखा गया कि पूरा लाभ उठाने के लिए इन जल उपयोगकर्ता संघों को संगठनात्मक और प्रबंधकीय कुशलता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है.

ii. केरल में वाटरशेड परियोजना पर किए गए अध्ययन से पता चला कि लाभार्थी समिति की सक्रिय सहभागिता से भूमि कटाव को रोकने की और हाई लैण्ड ट्रैक में जल रोकने की मजबूत और टिकाऊ संरचना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया.

iii. पश्चिम बंगाल में आंगनवाडी केन्द्रों पर किए गए अध्ययन से पता चला कि गरीब परिवारों के बच्चों के पोषण पर इन केन्द्रों का दूरगामी प्रभाव पड़ा था. कुछ व्यक्तियों ने ऐसे केन्द्रों के निर्माण हेतु भूमि दान की जिससे सामाजिक कार्यों में स्थानीय लोगों की सहभागिता प्रकट होती है.

iv. नागालैण्ड में रबर बागानों पर किए गए अध्ययन से पता चला कि झूम-डिग्रेडड बंजरभूमि में रबर की खेती करके उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया गया और इस प्रक्रिया में लोगों को लाभप्रद रोजगार भी मिला.

v. त्रिपुरा में मार्केट यार्ड परियोजनाओं पर किए गए अध्ययन से पता चला कि परियोजना से काफी संख्या में आवर्ती और गैर-आवर्ती रोजगार सृजित हुए और मार्केट शेड से किसानों और उनके उत्पादों को संरक्षण मिला, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके.

3.109 अपने स्वयं के प्रयासों की अनुपूर्ति के उद्देश्य से नाबार्ड ने छह राज्यों हेतु मंजूर की गई 205 परियोजनाओं के अनुप्रवर्तन एवं मूल्यांकन हेतु कृषि वित्त निगम (एएफसी) की सेवा ली जिनमें सिंचाई, वाटरशेड विकास, बाढ़ से सुरक्षा, ग्रामीण सड़क और

प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं. वाटरशेड परियोजनाओं से पेयजल और सिंचाई जल की उपलब्धता, भू-कटाव और सामुदायिक भूमि रखने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा जिसके कारण दुधारू पशुओं हेतु चारे की उपलब्धता में वृद्धि हुई और ग्रामीण मजदूरों का पलायन रुक गया. इससे फसल पैटर्न में भी बदलाव आया, जिसके परिणामस्वरूप लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि हुई. ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत निर्मित प्राथमिक स्कूल भवनों का रखरखाव अच्छा था, हालांकि कुछ मामलों में परियोजना कार्य, निधि के अभाव में रुका रहा लेकिन इससे लागत में कोई खास वृद्धि नहीं हुई. गुजरात में गोकुल ग्राम योजना के अंतर्गत छह ग्रामीण सड़कों और आठ प्राथमिक विद्यालयों के सामाजिक ऑडिट से संबंधित जो कार्य ओआरजी-मार्ग, बड़ौदा को सौंपा गया था, उससे पता चला कि गर्मी और मानसून के दौरान भी स्कूल में छात्रों की उपस्थिति में 20-25 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इससे आने-जाने के साधन में सुधार हुआ जिससे यात्रियों के आवागमन के साथ-साथ गांवों में कारोबारी गतिविधियों में भी सुविधा मिली.

3.110 नाबार्ड, निवेश के अन्य प्रभावों के आकलन हेतु निरंतर आधार पर निधि के अंतर्गत चयनित आरआईडीएफ परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन करता रहा है. वर्ष के दौरान चार राज्यों, अर्थात् गुजरात, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में मूल्यांकन-अध्ययन किए गए. अध्ययनों से पता चला कि परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल गांवों में ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा, वित्तीय संस्थाओं और अन्य जन उपयोगी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के परिणामस्वरूप जीवन स्तर में समग्रतः सुधार हुआ (बॉक्स 3.10).

बॉक्स 3.10

आरआईडीएफ परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन - फीडबैक

अध्ययनों से पता चला कि परियोजनाओं के पूरा होने में 2-3 महीने से लेकर 18 महीने तक का (अर्थात् औसतन 8.1 माह का) विलंब हुआ. न्यूनतम औसतन विलंब (5.4 महीना) पंजाब में और अधिकतम विलंब (11.7 माह) तमिलनाडु में हुआ. विलंब विभिन्न कारणों से हुए, जैसे भूमि के अधिग्रहण में विलंब, क्षतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित विवाद, अप्राधिकृत उत्खनन के कारण राजस्व प्राधिकारियों द्वारा की गई आपत्ति, बालू/मिट्टी के संग्रहण, वृक्षों के काटने में वन विभाग के प्रतिबंध; राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पोल हटाने/स्थानांतरित करने में आपत्ति/विलंब, ट्रान्सफार्मर को स्थानांतरित करने में विलम्ब, समय पर मजदूर उपलब्ध नहीं होने आदि के कारण विलंब.

ग्रामीण सड़कों में निवेश से प्रति कि.मी. निवल लाभ प्रति वर्ष रु.2.08 लाख (गुजरात) और रु.2.87 लाख (तमिलनाडु) के बीच रहा. निवेशों पर आर्थिक प्रतिफल दर (ईआरआर) 21.4 प्रतिशत (पंजाब) और 36.8 प्रतिशत (गुजरात) के बीच रही. समग्र आर्थिक प्रतिफल दर 26.1 प्रतिशत आंकी गई.

अध्ययनों से ग्रामीण सड़कों के विकास से अन्य कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों का भी पता चला. कृषि और घरेलू - दोनों प्रकार की परिसंपत्तियां रखने की शैली में परिवर्तन हुआ, काम मिलने के अवसर बढ़े एवं शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ी, जीवन-स्तर में सुधार हुआ, ऋण लेने की क्षमता, आदि भी बढ़ी. प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि आंध्र प्रदेश (19%) और तमिलनाडु (8%) में देखी गई. लाभार्थी गांवों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ और आवागमन की बेहतर सुविधा से प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमित रूप से गांवों में आ-जा सके. परिवहन और संचार में सुधार होने से यात्रा समय और यात्रा लागत में एवं बेहतर सड़क नेटवर्क से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई, यात्रा करने की बारम्बारता में वृद्धि हुई, पुलिस चौकसी और विकास से जुड़े विभागों जैसे, बैंकर्स, राजस्व अधिकारियों, शिक्षक, प्रसार अधिकारियों, इत्यादि की सेवाओं में सुधार हुआ.

फार्म गतिविधियों के बढ़ जाने के कारण ऋण की मांग में वृद्धि हुई. दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों ने भी विकसित और आधुनिक कृषि-आर्थिक तरीके अपनाए. निविष्टि-बाजार तक पहुंच में सुधार, परिवहन लागत में कमी, कृषि और बागवानी विभागों के विस्तार-कर्मचारियों के लाभ प्राप्त गांवों में अधिक बार जाने, आदि के कारण कृषि-आर्थिकी का स्वरूप बदला जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई.

आरआईडीएफ-II की खेप पूर्णता रिपोर्ट

3.111 एक समेकित खेप पूर्णता रिपोर्ट (टीसीआर) तैयार की गई जिसका उद्देश्य कार्यान्वयन के पहलुओं का परीक्षण और आरआईडीएफ II के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं से उपचित लाभ का आकलन करना था. वर्ष 1996-97 में शुरू की गई आरआईडीएफ-II के अंतर्गत कुल रु.2,658.88 करोड़ का ऋण संस्वीकृत कर 8,166 परियोजनाओं के लिए रु.2,397.75 करोड़ के संवितरण किये गये. 7,441 परियोजनाओं (पूरी की गई परियोजनाओं का 91%) के संबंध में परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्टें प्राप्त हुई, जिन्हें राज्यवार खेप पूर्णता रिपोर्टें तैयार करने के लिए समेकित किया गया. रिपोर्ट से पता चला कि खेप के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाओं से जमीन में नमी की स्थिति और गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने से संबंधित मुद्दों का समाधान हो सका, जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई की सुविधा, उन्नत प्रौद्योगिकी और बहुविध फसल प्रणाली को अपनाने के कारण अनुत्पादक अवधि में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई.

3.112 ग्रामीण इलाकों में आवागमन की बेहतर व्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों के अच्छे मूल्य मिलने में सहायता मिली है. खेतों से विपणन केन्द्रों तक आसान पहुंच से ईंधन की खपत तथा परिवहन लागत में भी कमी आई.

3.113 इस खेप के अंतर्गत लागू परियोजनाओं में श्रम की खपत बहुत अधिक थी. परिचालन एवं रखरखाव हेतु निर्माण चरण के दौरान गैर-आवर्ती रोजगार (2,330 लाख व्यक्ति दिवस) और साथ ही परियोजना क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से सहायक रोजगार उत्पन्न हुआ तथा सिंचाई प्रारंभ करने के उपरांत आवर्ती रोजगार (479 लाख व्यक्ति-दिवस) बढ़ा. कार्यान्वयन अवधि के दौरान निश्चित रोजगार उत्पन्न होने से आजीविका हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन भी रुका.

3.114 अनुप्रवर्तन अध्ययन एवं टीसीआर से यह ज्ञात होता है कि परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब हुआ है जिसके फलस्वरूप कुछ मामलों में काफी अधिक समय लगा. यह विलंब प्रमुखतः बजटीय सहायता, डिजाइनों अथवा मानदंडों में संशोधन, विवादों, निर्णय लेने में विलंब, कार्मिकों का बार-बार बदलना, आदि कारणों से हुआ और ऐसे विलंब को संबंधित राज्य सरकारों के विभागों द्वारा महत्त्वपूर्ण सांगठनिक मुद्दों के हल के माध्यम से परियोजना प्रबंधन में अपेक्षित परिवर्तनों से नियंत्रित किया जा सकता है.

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज

3.115 पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में ऋणों के अधिकाधिक प्रवाह के लिए नाबार्ड ने इन क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी बैंकों तथा क्षेग्रा बैंकों को कुछ छूट प्रदान करने की अपनी नीति जारी रखी. इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैं :

अ. उत्पादन ऋण

i. सहकारी बैंकों तथा क्षेग्रा बैंकों को मौसमी कृषि परिचालन हेतु अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर करने के लिए अतिदेयों/एनपीए से संबंधित निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुपालन पर जोर नहीं दिया गया.

ii. अन्य राज्यों (सिक्किम को छोड़कर) में 5.25 तथा 5.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दरों के समक्ष रास बैंकों को अल्पावधि (मौकृप) ऋण सीमा पर रियायती ब्याज दर (5.25% प्रतिवर्ष की न्यूनतम दर).

iii. आंतरिक ऋण योग्य संसाधन (आईएलआर) की स्थिति के अनुसार रास बैंकों के न्यूनतम सहभागिता मानदण्ड (एमआई) का कमतर निर्धारण.

iv. अन्य राज्यों (हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं सिक्किम को छोड़कर) में बैंकों से वसूल की जाने वाली 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के समक्ष रियायती ब्याज दर (5.75% प्रति वर्ष) पर सहकारी बैंकों को बुनकरों हेतु अल्पावधि वित्त.

नया अक्वाडक्ट-पूर्व गोदावरी जिला-आरआईडीएफ II.

बांस के करघे पर बुनाई.

आ. निवेश ऋण

i. अप्रतिबंधित पुनर्वित्त के आहरण हेतु सहकारी बैंकों तथा क्षेग्रा बैंकों के लिए मार्च 2002 को बकाया कुल ऋणों में से कुल एनपीए का प्रतिशत देश के शेष भागों के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत के समक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया. 25 प्रतिशत से अधिक एनपीए वाले बैंकों को 30 जून को समाप्त वर्ष में वसूल की गई राशि अथवा 31 मार्च को समाप्त पिछले वर्ष में दिये गये उधार अथवा पूर्वगामी तीन वर्षों में वसूल की गई/उधार दी गई औसत राशि में से जो भी अधिक हो, की सीमा तक पुनर्वित्त आहरित करने की अनुमति दी गई.

ii. पूर्वोत्तर में सभी वित्तीय संस्थाओं को थ्रस्ट क्षेत्र के लिए शतप्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान किया गया.

iii. देश के शेष भागों के लिए पुनर्वित्त पर ब्याज दर प्रतिवर्ष 5.50 से 6.75 प्रतिशत के बीच रही, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी एजेंसियों के लिए 5.50 प्रतिशत का निम्नतम स्लैब निर्धारित किया गया.

इ. ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि

3.116 वर्ष 2003-04 के दौरान आधारभूत सुविधा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों को रु.600 करोड़ आबंटित किए गए.

ई. प्रायोगिक योजना

3.117 पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण विकास बोर्ड/ग्राम विकास काउंसिल के माध्यम से ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए एक प्रायोगिक योजना नागालैंड में प्रारंभ की गई. योजना के कार्यान्वयन हेतु नागालैंड में कुल 25 ग्रा.वि. बोर्डों की पहचान की गई तथा नाबार्ड, नागालैंड सरकार तथा भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. रु.25 लाख (रु.1 लाख प्रति ग्रा.वि. बोर्ड) एक समूह-निधि का गठन किया जाना था जिसमें 40, 20, 20 तथा 20 प्रतिशत क्रमशः ग्रा.वि.बोर्ड, राज्य सरकार, नाबार्ड तथा केन्द्रीय सरकार का हिस्सा होगा. इस निधि का रखरखाव भारतीय स्टेट बैंक में होगा जिसके समक्ष भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संस्वीकृत निधि के गुणक में ऋण, ग्राम विकास बोर्ड के ऋण परिचालनों हेतु उपलब्ध होगा. निधि में अपने हिस्से के रूप में नाबार्ड, रु.5 लाख की मंजूरी के अतिरिक्त स्टेकहोल्डरों को परिचालनात्मक दिशानिर्देश तथा प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा. सफल सिद्ध होने पर इस योजना को बाद में अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी लागू किया जाना था.

उ. वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ का क्षमता निर्माण

3.118 पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ की क्षमता के निर्माण के लिए सहकारी बैंकों के कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत निम्नलिखित छूट प्रदान की गई :

i. रास बैंकों तथा रासकृग्रावि बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों के आवर्ती व्ययों की 90% प्रतिपूर्ति की जाती है जबकि देश के अन्य भागों में यह 60% है.

ii. देश के अन्य भागों हेतु निर्दिष्ट रास बैंकों तथा रासकृग्रावि बैंकों के कार्मिकों को प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के कार्मिकों तथा समुदायों के मुखियाओं के प्रशिक्षण पर किए गए व्ययों को भी प्रतिपूर्ति हेतु शामिल किया गया.

iii. एनसीएमडीएआरडीबी, बंगलूर में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सहकारी बैंकों के कार्मिकों के 50% यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति.

iv. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत सभी बैंकों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, गुवाहाटी के वार्षिक बजट के आवर्ती व्ययों के 15% की प्रतिपूर्ति.

नाबार्ड परामर्शी सेवा

3.119 नाबार्ड के निदेशक मंडल ने जून 2003 में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करते रहने हेतु व्यवसाय शुरू रखने के लिए नाबार्ड के संपूर्ण स्वामित्व में एक अनुषंगी इकाई की स्थापना का अनुमोदन किया. तदनुसार, दिनांक 17 नवंबर 2003 को नाबार्ड कंसल्टंसी सर्विसेस (प्रा) लिमिटेड (नैबकॉन्स) का पंजीकरण, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास किया गया. इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी रु.25 करोड़ है, जिसमें से रु.5 करोड़ का अंशदान पूर्णतः नाबार्ड द्वारा दिया गया है. नैबकॉन्स की रचना एक छोटी इकाई के रूप में की गई है, जो कृषि और ग्रामीण विकास, संस्था विकास, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में नाबार्ड की विशेषज्ञता और अनुभव पर निर्भर है. यह कंपनी व्यावसायिक रूप में लचीले, अनौपचारिक और शीघ्र जवाब की कार्य संस्कृति पर चलाई जाती है, जो अपने ग्राहकों को विशेषज्ञ और गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करती है.

अ. प्रबंधन

3.120 कंपनी का कारोबार नामित निदेशक मंडल अर्थात सर्वश्री आर बालावृष्णन, कार्यपालक निदेशक, ए.के.गर्ग और एस.एम.श्योकंद, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय द्वारा चलाया जाता है. श्री एस.एम.श्योकंद को निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, नाबार्ड से लिए गए एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव सहित आठ अधिकारियों का दल उनकी सहायता करता है.

आ. प्रगति

3.121 नैबकॉन्स ने बाजार में अपना एक स्थान बना लिया है, जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि 2003-04 के दौरान इसे 67 नियत कार्य मिले (वर्ष 2002-03 के दौरान 19) जिनका परामर्श शुल्क रु.1026.78 लाख था, जिनमें से रु.63.53 लाख के परामर्श शुल्क के 32 नियत कार्य वर्ष के दौरान पूरे किए गए (तालिका 3.17).

तालिका 3.17: नैबकॉन्स का ग्राहक प्रोफाइल

(रु.लाख)

क्रम सं.	ग्राहक संस्था	नियत कार्य 2002-03 संख्या	राशि	2003-04 संख्या	राशि
1	भारत सरकार	2	25.60	4	879.75
2	राज्य सरकार	1	1.50	19	55.88
3	अंतर-राष्ट्रीय निकाय	4	21.38	12	37.44
4	बैंक	4	7.93	5	10.65
5	कारपोरेट्स	4	13.50	17	27.51
6	व्यक्ति	4	4.09	10	15.55
	कुल	**19**	**74.00**	**67**	**1,026.78**

3.122 विभिन्न कार्यों को निष्पादित करते समय नैबकॉन्स का अनुभव बताता है कि उसने संगठन में उपलब्ध मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग किया है और बाजार की नवीनतम गतिविधियों से अधिकारियों को परिचित कराते हुए उनके कौशल को बढ़ाने में सहायता की है.

इ. ग्राहक और प्रभाव

3.123 कंपनी द्वारा दी गई गुणवत्तात्मक सेवाओं और नाबार्ड की ब्राण्ड इक्विटी के महत्व को समझते हुए ग्लोबल कन्सल्टेन्सी और बैंकिंग कारोबार में स्थापित बहुत सी फर्मों जैसे आरएबीओ बैंक तथा अन्र्स्ट एण्ड यंग इंडिया ने नैबकॉन्स से सहयोग में रुचि दिखाई है. अच्छी तादाद में ग्राहकों, जैसे - भारत सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, कारपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों, यूएनआईडीओ, एफएओ जैसे अंतर-राष्ट्रीय निकायों और व्यक्तियों ने नैबकॉन्स की सेवाएं मांगी हैं. बैंकों में से, जिन्हें कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के मूल्यांकन में तकनीकी विशेषज्ञताओं की आवश्यकता होती है, उन्होंने व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए नैबकॉन्स से संपर्क किया है. भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने विशेषतः नयी / नवोन्मेषी परियोजनाएं तैयार करने और चल रही परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए नैबकॉन्स से विशेषज्ञता चाही है. नैबकॉन्स द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों से नई नीति तैयार करने में मदद और वर्तमान नीति में अपेक्षित परिमार्जन और निवेश के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायता मिलेगी.

संसाधनों का प्रबंधन

3.124 सामान्य ऋण व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से उधारों को छोड़कर नाबार्ड के कुल वित्तीय संसाधन वर्ष 2002-03 के रु.6,495 करोड़ के समक्ष वर्ष 2003-04 के दौरान बढ़कर रु.7,416 करोड़ हो गए. संसाधनों में वृद्धि मुख्यतः वर्ष के परिचालनात्मक अधिशेष रु.1,121.83 करोड़, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड से प्राप्त रु.1,498 करोड़, गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड से प्राप्त रु.1,750 करोड़, करमुक्त बॉण्ड से प्राप्त रु.135.15 करोड़ और बैंकों से लिए गये रु.2500 करोड़ के उधार के कारण थी. भारत सरकार से उधार रु.26.16 करोड़ की चुकौती शिड्यूल के अनुसार वर्ष 2003-04 में की गई और चाय जमा योजना के अंतर्गत चाय कंपनियों द्वारा रु.25.51 करोड़ का आहरण किया गया. अल्पावधि परिचालन (उत्पादन और विपणन) के लिए सामान्य ऋण व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से उधारों में वर्ष 2003-04 के दौरान रु.1598 करोड़ की कमी आई. वर्ष 2003-04 के दौरान निवेश परिचालन (ग्रामीण अधारभूत सुविधा के विकास सहित) की सहायता के लिए लगाई गई निधियों और सहकारी समितियों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों में, कुल मिलाकर, रु.3,625 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि रु.5141 करोड़ की थी. उत्पादन और विपणन ऋण में पिछले वर्ष की रु.719 करोड़ की कमी के समक्ष वर्ष 2003-04 के दौरान रु.455 करोड़ की कमी आई. निधियों के स्रोत और उसके उपयोग के विवरण क्रमशः चार्ट 3.5 व 3.6 में दिये गये हैं.

निधियों के स्रोत

अ. पूंजी

3.125 31 मार्च 2004 को नाबार्ड की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु.5000 करोड़ रही. 31 मार्च 2004 को बैंक की चुकता पूंजी पिछले वर्ष के बराबर ही रु.2000 करोड़ रही (रु.550 करोड़ अभिदान भारत सरकार का और रु.1450 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक का).

आ. जमा

3.126 चाय कंपनियों से जमा की कुल बकाया राशि 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार रु.58.74 करोड़ थी. 31 मार्च 2004 को कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अपात्र किसानों के वित्तपोषण के लिए विशेष ऋण खाते के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकारों की बकाया राशि क्रमशः रु.2.13 करोड़ और रु.1.56 करोड़ थी. वर्ष के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा क्रमशः रु.0.4 करोड़ और रु.1 करोड़ की राशि विशेष ऋण खाते से निकाली गई.

3.127 नाबार्ड को आरआईडीएफ-V से IX तक के तहत वाणिज्य बैंकों से कुल रु.2158.69 करोड़ की जमा राशियां प्राप्त हुईं और 31 मार्च 2004 तक आरआईडीएफ I से VII तक के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों को रु.2229.33 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया. 31 मार्च 2004 को आरआईडीएफ जमा के अंतर्गत रु.12088.58 करोड़ बकाया था जबकि 31 मार्च 2003 को यह जमा रु.12159.23 करोड़ था.

चार्ट 3.5

निधियों के स्रोत

(रु. करोड़)

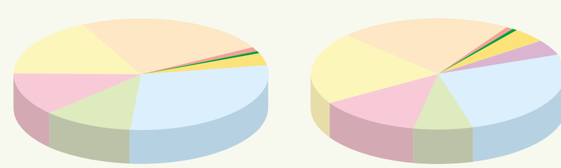

	2003	2004
पूंजी, प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	6,319 (12.6)	7,291 (13.0)
रा ग्रा ऋ (दी अ प) और (स्थिरीकरण) निधि	14,419 (28.8)	14,570 (26.1)
जमाराशियां, बॉण्ड और डिबेंचर	8,792 (17.5)	11,945 (21.4)
भा.रि.बैंक से उधार - सा. ऋण व्यवस्था	5,792 (11.6)	4,194 (7.5)
भारत सरकार से उधार	589 (1.2)	563 (1.0)
कारपोरेट जमाएं	- (-)	2,500 (4.5)
ग्रा.आ.सु.वि.निधि में जमाराशि	12,159 (24.3)	12,089 (21.6)
विदेशी मुद्रा ऋण	302 (0.6)	297 (0.5)
अन्य देयताएं/निधियां	1,699 (3.4)	2,440 (4.4)
	50,071	55,889

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं

तालिका 3.18ः नाबार्ड द्वारा बाजार से ली गई उधार की राशि
(दिनांक 31 मार्च की स्थिति)

वर्ष	कुल कार्यशील निधियां	बाजार से ली गई बकाया राशि*
1999	28,986	3,254(11.23)
2000	33,367	3,901(11.69)
2001	38,816	5,115(13.17)
2002	45,098	7,270(16.12)
2003	50,071	9,683(19.33)
2004	55,889	15,306(27.38)

** जमाराशियां (आरआईडीएफ जमाराशियों को छोड़कर), उधार (भारतीय रिज़र्व बैंक से सामान्य ऋण व्यवस्था के अंतर्गत लिये गये उधार को छोड़कर), बॉण्ड और विदेशी मुद्रा में उधार राशियां शामिल. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े बाजार से ली गई बकाया राशियों का कुल कार्यशील निधियों से प्रतिशत दर्शाते हैं.*

इ. उधार

3.128 नाबार्ड द्वारा ली गई उधार की राशि में, कुल कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में, काफी वृद्धि हुई जो 31 मार्च 1999 को 11.23 प्रतिशत थी और 31 मार्च 2004 को बढ़कर 27.38 प्रतिशत हो गई (तालिका 3.18).

i. बॉण्ड

क. पूंजी अभिलाभ बॉण्ड

3.129 आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के तहत पूंजी अभिलाभ बाण्डों (सीजीबी) से वर्ष के दौरान कुल रु.1,348.68 करोड़ प्राप्त हुए जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह राशि रु.1,226.85 करोड़ थी. इसके प्रारंभ (28 सितंबर 2000) से लेकर 31 मार्च 2004 तक पूंजी अभिलाभ बॉण्डों के तहत प्राप्त संचयी धनराशि 5,823.45 करोड़ रुपये की रही. इसकी औसत लागत 7.53 प्रतिशत है और इसमें 80,824 से अधिक निवेशक समाविष्ट रहे. वर्ष के दौरान रु.1,472.69 करोड़ के पूंजी अभिलाभ बॉण्डों का मोचन किया गया और 6.87 प्रतिशत की औसत लागत पर रु.4,350.72 करोड़ के पूंजी अभिलाभ बॉण्ड बकाया थे.

ii. प्राथमिकता / गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड

3.130 वर्ष के दौरान, रु.1,978 करोड़ के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड (पीएसबी) जारी किए गए, जबकि रु.480 करोड़ के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्डों का मोचन किया गया. मार्च 2004 को समाप्त वर्ष तक रु.1,750 करोड़ के गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड (एनपीएसबी) जारी किए गए. 31 मार्च 2004 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्डों और गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्डों के तहत क्रमशः रु.3,696.80 करोड़ और रु.1,803.50 करोड़ की राशि बकाया थी.

iii करमुक्त बॉण्ड

3.131 करमुक्त बाण्डों के माध्यम से 2003-04 के दौरान रु.285.15 करोड़ की राशि जुटाई गई. 31 मार्च 2004 को करमुक्त बाण्डों के तहत रु.1,150 करोड़ की राशि बकाया थी, जबकि 31 मार्च 2003 को यह राशि रु.1,014.85 करोड़ थी.

iv. सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बॉण्ड

3.132 जहां वर्ष 2003-04 के दौरान कोई सांविधिक तरलता अनुपात बॉण्ड जारी नहीं किए गए, वहीं वर्ष के दौरान रु.78 करोड़ के बॉण्डों का मोचन किया गया. 31 मार्च 2004 को एसएलआर बॉण्डों के तहत कुल रु.882.30 करोड़ की राशि बकाया थी.

ख. भारत सरकार से प्राप्त निधियां

3.133 वर्ष के दौरान, सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार की योजना के तहत भारत सरकार से कुल रु.100 करोड़ की राशि प्राप्त हुई. विदेशी सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं के तहत पूर्व में लिए गए ऋणों के परिपक्व होने पर, भारत सरकार को रु.26.09 करोड़ की राशि चुकाई गई.

ग. कारपोरेट उधार

3.134 वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से रु.2,500 करोड़ की राशि उधार ली गई.

घ. विदेशी मुद्रा में उधार

3.135 केएफडब्ल्यू, जर्मनी से विदेशी मुद्रा में लिया गया कुल उधार 31 मार्च 2004 को रु.297.01 करोड़ (यूरो 58.80 मिलियन) था जो कि काउन्टर पार्टीज के साथ निष्पादित जोखिम रक्षा करार के अंतर्गत संविदा दर के अनुरूप है. इस ऋण पर विदेशी मुद्रा जोखिम की प्रतिरक्षा 10 वर्ष के लिए 1.02 प्रतिशत जोखिम रक्षा लागत पर की गई है.

ड. भारतीय रिज़र्व बैंक से सामान्य ऋण व्यवस्था के अंतर्गत उधार

3.136 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति वर्ष संस्वीकृत की जा रही सामान्य ऋण व्यवस्था में से, नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसरण में, नाबार्ड विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि पुनर्वित्त उपलब्ध कराता रहा है. इस तरह के पुनर्वित्त के अंतर्गत समाविष्ट गतिविधियों में अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन), अन्य गैर-कृषि प्रयोजन और बुनकर सहकारी संस्थाओं का वित्तपोषण शामिल हैं. वर्ष 2003-04 (जुलाई-जून) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य ऋण व्यवस्था के अंतर्गत कुल रु.6,500 करोड़ की सीमा संस्वीकृत की थी. पिछले वर्ष भी यह राशि इतनी ही थी. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संस्वीकृत सीमा पर 31 मार्च 2004 को रु.4,193.60 करोड़ की राशि बकाया थी.

निधियों के उपयोग

अ. ऋण और अग्रिम

क. योजनाबद्ध ऋण वितरण

3.137 विशेष विकास डिबेंचरों में अंशदान एवं राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को दिए गए अंतरिम वित्त को सम्मिलित कर योजनाबद्ध ऋण के तहत बकाया राशि जो 31 मार्च 2003 को रु.25,416 करोड़ थी, वह 31 मार्च 2004 को बढ़कर रु.28,079 करोड़ हो गई. 2003-04 के दौरान बैंकों से प्राप्त चुकौतियां रु.4,950.29 करोड़ की रहीं.

ख. अल्पावधि, मध्यावधि और मध्यावधि (परिवर्तन) ऋण सहायता

3.138 भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये उधार में से सहकारी बैंकों के लिए वर्तमान ऋण व्यवस्था के अलावा, कृषि/सम्बद्ध और विपणन गतिविधियों के वित्तपोषण के प्रयोजन से, वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड सामान्य ऋण व्यवस्था नामक एक नई ऋण व्यवस्था शुरू की गई. आरंभिक तौर पर यह व्यवस्था वर्ष 2003-04 (अप्रैल-मार्च) के लिए परिचालित थी. 31 मार्च 2004 तक रु.165.73 करोड़ की राशि इसके तहत जारी की गई है. मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को (रु.4,706.18 करोड़) एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को (रु.588.03 करोड़) दिए गए कुल अल्प अवधि (एसटी) ऋणों और राज्य सहकारी बैंकों को (रु.278.73 करोड़) एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को (रु.25.02 करोड़) दिए गए अन्य अल्प अवधि ऋणों में, कुल मिलाकर, 8 प्रतिशत की कमी आई और 31 मार्च 2004 को ये घटकर रु.5,597.96 करोड़ रह गए, जबकि 31 मार्च 2003 को ये रु.6,053.21 करोड़ के थे.

3.139 मध्यावधि निवेश गैर-परियोजना ऋणों के अंतर्गत बकाया राशि 31 मार्च 2004 को रु.5.22 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2003 को यह राशि रु.9.41 करोड़ थी. प्राप्त चुकौतियों की कुल राशि रु.4.19 करोड़ थी. मध्यावधि (परिवर्तन) ऋणों के अंतर्गत 31 मार्च 2004 को बकाया राशि रु.633.43 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2003 को यह रु.370.18 करोड़ थी. वर्ष के दौरान, रु.312.57 करोड़ की चुकौतियां प्राप्त हुईं.

चार्ट 3.6

निधियों के उपयोग

(Rs.crore)

31 मार्च 2003 | 31 मार्च 2004

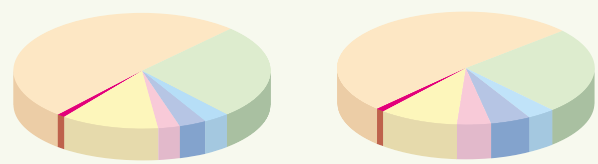

	2003	2004
रोकड़ और बैंक शेष	1,785 (3.6)	2,900 (5.2)
भारत सरकार की प्रतिभूतियां व अन्य निवेश	1,355 (2.7)	2,412 (4.3)
उत्पादन और विपणन ऋण	6,053 (12.1)	5,598 (10.0)
उत्पादन ऋण का मध्यावधि ऋण में परिवर्तन	370 (0.7)	633 (1.1)
अन्य निवेश ऋण	25,857 (51.6)	28,539 (51.1)
ग्रा.आ.सु.वि.निधि से ऋण	13,062 (26.1)	14,004 (25.1)
अचल और अन्य परिसम्पत्तियां	1,570 (3.2)	1,787 (3.2)
अन्य ऋण (मध्यावधि निवेश ऋण सहित)	19 (-)	16 (-)
	50,071	55,889

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं

ग. राज्य सरकारों को ऋण

i. गैर-परियोजना ऋण

3.140 वर्ष के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को गैर-परियोजना दीर्घावधि ऋणों के अंतर्गत रु.85.12 करोड़ संवितरित किए गए. इस अवधि के दौरान प्राप्त चुकौतियों की राशि रु.66.92 करोड़ थी. 31 मार्च 2004 को इन ऋणों के अंतर्गत बकाया राशियां रु.459.65 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2003 को यह राशि रु.441.45 करोड़ थी.

ii. ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत परियोजना ऋण

3.141 ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत राज्य सरकारों को दिये गये परियोजना ऋणों की राशि 31 मार्च 2004 को रु.14,003.59 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2003 को यह राशि रु.13,061.89 करोड़ थी.

iii. अन्य ऋण

3.142 अन्य ऋण 31 मार्च 2004 को रु.10.62 करोड़ के थे, जिनमें सहकारिता विकास निधि, ग्रामीण संवर्धन समूह निधि, कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्‌भवन निधि (एआरईआईएफ) और ऋण और वित्तीय सेवा निधि (सीएफएसएफ) जैसी विभिन्न निधियों के अंतर्गत बकाया राशियां शामिल थीं.

आ. अल्पावधि अधिशेष निधियों का निवेश

3.143 नाबार्ड ने अपनी अल्पावधि अधिशेष निधियों का निवेश मांग मुद्रा बाजार और वाणिज्य बैंकों की अल्पावधि जमाओं में किया. सरकार के खजाना परिचालनों के माध्यम से नाबार्ड ने अपनी अस्थायी अधिशेष निधियों का सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश भी जारी रखा. 31 मार्च 2004 को, राष्ट्रीय बैंक की अल्पावधि अधिशेष निधियों का अल्पावधि जमाओं, म्युचुअल फंड, सरकारी प्रतिभूतियों आदि में कुल निवेश रु.4,076 करोड़ था.

इ. सह-वित्तपोषण

3.144 बैंक ने अन्य बैंकों के साथ मिलकर सह-वित्तपोषण व्यवस्था आरंभ की है. वर्ष के दौरान, सह-वित्तपोषण परियोजनाओं के अंतर्गत रु.64 लाख की राशि संवितरित की गई.

आय और व्यय

3.145 वर्ष के दौरान नाबार्ड की कुल आय रु. 4,267.27 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह रु.4,046.40 करोड़ थी. इसमें से, 338.60 करोड़ रुपये की राशि आय कर के भुगतान (आस्थगित कर आस्ति को घटाकर) हेतु अनंतिम रूप से विनिर्दिष्ट की गई है और आय की शेष राशि में से, रु.600 करोड़ का अंशदान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसरण में विशेष प्रारक्षित निधि में किया गया है. नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 42 और 43 के अंतर्गत क्रमशः 124 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में और 25 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि में अंतरित की गई है.

3.146 रु.3,179.67 करोड़ की शेष आय (पिछले वर्ष रु.2,657 करोड़) में से, रु.2,806.84 करोड़ के कुल व्यय (पिछले वर्ष रु.2,522 करोड़) को पूरा करने के बाद, अधिशेष की राशि 389.97 करोड़ रुपये रही, जिसमें लाभ एवं हानि खाते को नामे डाले गये व्यय के समक्ष निधियों से 17.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 16.84 करोड़ रुपये) के आहरण शामिल थे. अधिशेष की राशि में से 4.76 करोड़ रुपये की राशि सहकारिता विकास निधि (पिछले वर्ष 12.68 करोड़ रुपये); 6.70 करोड़ रुपये की राशि अनुसंधान और विकास निधि (पिछले वर्ष 12.57 करोड़ रुपये); 7.05 करोड़ रुपये की राशि सूक्ष्म वित्त विकास निधि (पिछले वर्ष 1.94 करोड़ रुपये); 297.96 करोड़ रुपये की राशि प्रारक्षित निधि (पिछले वर्ष 111.28 करोड़ रुपये) और 13.62 करोड़ रुपये की राशि विदेशी मुद्रा जोखिम निधि (पिछले वर्ष 13.62 करोड़ रुपये), 9.88 करोड़ रु. की राशि निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि और रु.50 करोड़ की राशि आदिवासी विकास निधि में अंतरित की गई है.

परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

3.147 नाबार्ड विदेशी सहायता प्राप्त नौ परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है. वर्ष के दौरान विदेशी एजेंसियों से वास्तव में रु.32.41 करोड़ की राशि प्राप्त हुई जबकि संवितरित राशि रु.40.96 करोड़ थी (तालिका 3.19).

तालिका 3.19: विदेशी सहायता प्राप्त चालू परियोजनाएं
(31 मार्च 2004 को यथा स्थिति)

(राशि मिलियन) (रु.)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	प्रभावी तारीख की तारीख	समाप्ति सहायता	विदेशी	राष्ट्रीय बैंक का संवितरण 2003-04 के दौरान	राष्ट्रीय बैंक का संवितरण 31मार्च 04 तक संचयी	राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि 2003-04 के दौरान	राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि 31मार्च 04 तक संचयी
1.	केएफडब्ल्यू-नाबार्ड							
i.	V-गुजरात आदिवासी विकास कार्यक्रम *	23 दिसंबर 1994	30 दिसंबर 2007	यूरो 13.29 (डीएम 26)	38.22@	364.59	29.98	371.99*
ii.	गुजरात में आदिवासी विशेष कार्यक्रम *	19 दिसंबर 2002	30 दिसंबर 2007	यूरो 1.5	38.83	74.56 #	–	73.83
iii.	IX-महाराष्ट्र में आदिवासी विकास कार्यक्रम	2 जून 2000	30 दिसंबर 2010	यूरो 14.32 (डीएम 28)	38.37	81.70	56.85	104.34
iv.	IV-महाराष्ट्र में वाटरशेड विकास कार्यक्रम (चरण II)	7 अप्रैल 2000	30 दिसंबर 2005	यूरो 12.78 (डीएम 25)	62.79	470.71	59.53	493.54
v.	आंध्र प्रदेश में इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम	15 जुलाई 2002	30 दिसंबर 2011	यूरो 8.69 (डीएम 17)	1.59	2.67	5.76	5.76
vi.	सेवा बैंक - ग्रामीण वित्तीय मध्यस्थों का पूंजीकरण	28 जून 2002	31 दिसंबर 2009	यूरो 4.09	–	–	–	–
2.	सीईसी-बीएआईएफ परियोजना सतत विकास के लिए तकनीक का अंतरण	16 नवंबर 1995	31 दिसंबर 2004	ईसीयू 19.50	127.68	723.32	127.65	727.73
3.	राष्ट्रीय बैंक-जीटीजेड-तकनीकी सहयोग स्वसस की बैंकों से सहबद्धता	11 जनवरी 2000	31 दिसंबर 2003	यूरो 1.16 (डीएम 2.27)	4.64	50.17	10.87	51.96
4.	एनबी-एसडीसी सहयोग - ग्रामीण वित्तपोषण में एचआईडी -सहभागिता	1 अप्रैल 2000	31 मार्च 2005	स्विस फ्रैंक. 9.50	116.01	385.30	52.00	172.05

* *गुजरात में आदिवासी विशेष कार्यक्रम में से 2002-2003 और 2003-04 दौरान क्रमशः रु.35.73 मिलियन और रु.18.53 मिलियन की राशियाँ केएफडब्ल्यू से निधियों की वास्तव में प्राप्ति के बिनाही गुजरात में आदिवासी विकास कार्यक्रम में अंतरित कर दी गई हैं.*

@ *रु. 38.22 मिलियन की राशि में ऋण घटक के तहत संवितरित रु.7.5 मिलियन शामिल हैं.*

\# *आदिवासी विकास कार्यक्रम, गुजरात से अंतरित रु.35.73 मिलियन को जोड़कर*

IV ग्राहक संस्थाओं का क्षमता निर्माण

संस्था विकास

वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे सुधारों के मद्देनजर नाबार्ड ने अपना ध्यान ग्रामीण ऋण संस्थाओं की वृद्धि और विकास पर केंद्रित करना जारी रखा. इस संबंध में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निष्पादकता और इन संस्थाओं की स्थिति सुधारने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न विकासात्मक कदमों पर नीचे प्रकाश डाला गया है.

अ. सहकारी बैंक

4.2 सहकारी ऋण संस्थाएं, अल्पावधि (एसटी) और दीर्घावधि (एलटी) दोनों प्रकार की संरचनाओं में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण संवितरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही हैं. तथापि ये संस्थाएं, विशेष रूप से राज्य/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्रतिस्पर्धा और कम ब्याज दर के कारण ज्यादा दबाव में आ गई हैं.

4.3 वर्ष 2000 में तीन नये राज्य अर्थात छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल अस्तित्व में आए. छत्तीसगढ़ में शीर्ष स्तरीय सहकारी बैंकों की अल्पावधि और दीर्घावधि संरचना ने, मई 2001 से अलग-अलग कार्य करना प्रारंभ कर दिया है. उत्तरांचल में, अल्पावधि और दीर्घावधि संरचनाओं को मिलाकर, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक की शाखाओं को नवगठित उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से संबद्ध किया गया है. झारखण्ड में आठ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक कार्य करते रहे तथा बिहार राज्य सहकारी बैंक से संबद्ध रहे. झारखण्ड राज्य सरकार ने किसानों की अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण जरूरतों की पूर्ति के लिए (दो स्तरीय) समेकित संरचना के रूप में एक नए शीर्ष बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया है.

क. निष्पादकता

4.4 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां(पैक्स) आधार-स्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाएं हैं, ये सीधे ही अलग-अलग उधारकर्ताओं से व्यवहार करती हैं तथा अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण प्रदान करती हैं. यद्यपि इनके उधारकर्ता सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई फिर भी कुल सदस्य संख्या में इनका प्रतिशत 54 के न्यून स्तर पर बना रहा. 31 मार्च 2002 को पैक्स की जमाराशियों और उधारों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 10 और 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई. तथापि, वर्ष 2000-01 के दौरान जारी ऋणों में पिछले वर्ष की तुलना में हुई 10 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 4.1).

4.5 दिनांक 31 मार्च 2003 को राज्य सहकारी बैंकों और जिमस बैंकों की जमा राशियों और बकाया ऋणों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 8 और 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2002-03 के दौरान, इन बैंकों द्वारा जारी ऋणों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 11 और 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 4.2).

4.6 दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के उधारों और उनके द्वारा प्रदत्त ऋणों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 7 और 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि प्राथमिक

तालिका 4.1: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की वृद्धि (31 मार्च की स्थिति)

ब्यौरे	2000	2001	2002
संख्या (लाख)	1.01	0.99	0.98
सदस्य संख्या (लाख)	1,085	999	1,021
उधारकर्ता सदस्य (लाख)	425	465	555
स्वाधिकृत निधियां (रु.करोड़ में)	5,199	5,594	6,855
जमाएं (रु.करोड़ में)	12,284	13,481	14,846
उधार (रु.करोड़ में)	22,343	25,890	29,475
जारी ऋण* (रु.करोड़ में)	23,298	25,698	30,770

** अप्रैल-मार्च*

तालिका 4.2: अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की वृद्धि (31 मार्च की स्थिति) (रु.करोड़)				
ब्यौरे	रा.स.बैंक		जि.म.स.बैंक	
	2002	2003**	2002	2003**
संख्या	30	30	368	367
शेयर पूंजी	846(85)	897(90)	3,432(497)	3,657(518)
प्रारक्षित निधि	4,362	6,774	7,856	12,916
जमाएं	36,321	39,336	68,586	73,879
जारी ऋण *	34,663	38,642	55,915	64,665
बकाया ऋण	31,816	34,753	59,283	64,346

** अप्रैल - मार्च ** अनन्तिम आंकड़े*
कोष्ठक में बताई गई राशि राज्य सरकारों का अंशदान हैं

सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के उधारों और उनके द्वारा प्रदत्त ऋणों में क्रमशः 9 और 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 4.3).

ख. कार्य परिणाम

i. लाभप्रदता

4.7 वर्ष 2002-03 के दौरान कुल 30 राज्य सहकारी बैंकों में से 25 लाभ अर्जित कर रहे थे और उनका समग्र लाभ रु.496 करोड़ था. वर्ष 2002-03 के दौरान समग्रतः राज्य सहकारी बैंकों का लाभ रु.481 करोड़ था. वर्ष 2002-03 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का लाभ पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 92 और 8 प्रतिशत बढ़ा. यह वृद्धि मुख्यतः छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और मिजोरम राज्य सहकारी बैंकों में समग्र सुधार होने तथा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंकों के लाभ में हुई वृद्धि के कारण रही. घाटे में चल रहे राज्य सहकारी बैंकों के घाटे में 83 प्रतिशत की कमी आई. वर्ष 2002-03 के दौरान दो सौ सैंतीस जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लाभ अर्जित कर रहे थे और उनका कुल लाभ रु.743 करोड़ था. जबकि समग्र स्तर पर, जिमस बैंकों की शुद्ध हानियां रु. 158 करोड़ रहीं. घाटे में चल रहे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का घाटा 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ा. 2001-02 की तुलना में 2002-03 के दौरान लाभ अर्जित कर रहे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का लाभ 29 प्रतिशत तक कम हुआ जबकि हानि उठा रही संस्थाओं की हानियां 15 प्रतिशत तक कम हुईं. वर्ष 2002-03 के दौरान लाभ में चल रहे प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत बढ़ा जबकि हानि में चल रहे प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की हानि में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 4.4).

तालिका 4.3: दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना की वृद्धि (31 मार्च की स्थिति) (रु.करोड़)				
ब्यौरे	रासकृग्रावि बैंक		प्रासकृग्रावि बैंक	
	2002	2003**	2002	2003**
संख्या	20	20	768	768
शेयर पूंजी	676(89)	732(90)	856(122)	891(128)
प्रारक्षित निधि	1,808	2,159	1,637	1,868
जमा	571	545	330	302
उधार	14,845	15,906	10,321	11,198
जारी ऋण *	2,746	2,958	2,045	2,146
बकाया ऋण	14,147	15,384	9,982	10,819

** अप्रैल - मार्च ** अनन्तिम आंकड़े*
उड़ीसा और मणिपुर के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के मामले में पिछले वर्ष के ही आंकड़े पुनः दिए गए हैं.
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राज्य सरकारों का अंशदान हैं.

4.8 31 मार्च 2003 को राज्य सहकारी बैंकों की संचित हानियों की समग्र राशि पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत कम हुई जबकि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की हानियां 18 प्रतिशत बढ़ीं. 31 मार्च 2003 को राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की संचित हानियां उससे पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 31 और 19 प्रतिशत बढ़ीं (तालिका 4.5).

तालिका 4.4: कार्य परिणाम (रु.करोड़)					
एजेंसी/वर्ष	कुल	लाभ में (सं)	राशि	हानि में (सं.)	राशि
राज्य सहकारी बैंक					
2000-01	29	24	240	5	12
2001-02	30	24	258	6	87
2002-03	30	25	496	5	15
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक					
2000-01 #	367	247	598	117	483
2001-02 *	368	243	692	100	819
2002-03*	367	237	743	102	901
राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक					
2000-01	20	10	90	9	129
2001-02	20	9	86	11	180
2002-03	20	8	61	10	153
प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक					
2000-01	732	273	49	459	165
2001-02	768	191	47	577	294
2002-03 $	768	217	54	469	324

 # गुजरात के खेडा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने न लाभ न हानि की स्थिति बताई. असम में शिवसागर और बिहार में डाल्टनगंज जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लाइसेंस वापस ले लिए गए हैं. अतः इन जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के आंकड़े शामिल नहीं किए गए.
** शिवसागर (असम) तथा गोंडा (उत्तर प्रदेश) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द होने के कारण उनके आंकड़े शामिल नहीं किए गए. बिहार में लाभ/हानि उठानेवाले 25 जिमस बैंकों का ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं*
$ वर्ष 2002-03 के उड़ीसा और मणिपुर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों तथा उड़ीसा के 53 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. महाराष्ट्र के लाभ/हानि वाले प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं.

तालिका 4.5ः संचित हानियां (31 मार्च की स्थिति)				
				(रु. करोड़)
वर्ष	**रास बैंक**	**जिमस बैंक**	**रासकृग्रावि बैंक**	**प्रासकृग्रावि बैंक**
2001	492	3,217	907	1,157
2002	568	3,749	492 *	1,944*
2003	343	4,442	645 #	2,304 #

** महाराष्ट्र में 29 डीसीएआरएमडीबी की संचित हानियां. ये 2000-01 में ऐकिक संरचना के अंतर्गत महाराष्ट्र रासकृग्रावि बैंक की शाखाएं थीं, 01 अक्तूबर 2001 से संघीय संरचना बनने पर अब मार्च 2002 हेतु इन्हें प्रासकृग्रावि बैंकों में शामिल किया गया.*

 # मणिपुर और उड़ीसा रासकृग्रावि बैंक और उड़ीसा के प्रासकृग्रावि बैंक की 2002-03 की संचित हानियां 2001-02 की ही हैं.

4.9 वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न राज्यों में सहकारी बैंकों के लाभ में काफी भिन्नता रही. 31 मार्च 2003 को चंडीगढ़, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य सहकारी बैंकों के लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जबकि आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर के राज्य सहकारी बैंकों के लाभ में वृद्धि मामूली रही. हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंकों के लाभ काफी घटे. वर्ष 2001-02 के दौरान असम राज्य सहकारी बैंक लाभ में था लेकिन वर्ष 2002-03 के दौरान वह घाटे में रहा (तालिका 4.6).

तालिका 4.6ः राज्य सहकारी बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम
(31 मार्च की स्थिति)

(रु.करोड़)

राज्य	**लाभ/हानि (+)/(-)**		**कुल एन पी ए**		**बकाया ऋणों में (एनपीए) (%)**		**वसूली (%) जून के अंत में**	
	2001-02	**2002-03**	**2002**	**2003**	**2002**	**2003**	**2002**	**2003**
अंदमान और निकोबार	1.24	1.39	10.15	11.72	23.84	22.70	77.95	66.62
आंध्र प्रदेश	2.35	3.00	1,140.71	1,668.52	24.67	36.81	65.40	45.96
अरुणाचल प्रदेश	0.86	-0.66	40.84	40.84	73.73	73.73	20.17	19.32
असम	10.57	-7.52	150.17	178.92	61.35	67.49	19.88	24.69
बिहार	1.14	1.26	221.88	365.37	41.85	67.65	12.00	20.20
चंडीगढ़	1.49	2.34	2.85	3.79	31.91	37.10	62.32	61.95
छत्तीसगढ़	-4.95	0.90	14.03	13.96	14.51	8.64	95.98	87.32
दिल्ली	14.30	16.16	29.34	28.44	25.09	19.14	35.52	74.70
गोवा	1.04	0.21	82.99	91.13	25.22	28.26	59.58	65.73
गुजरात	3.76	4.19	83.91	127.29	4.59	5.89	90.52	91.29
हरियाणा	36.03	38.69	13.54	13.53	0.83	0.74	99.60	99.50
हिमाचल प्रदेश	31.57	17.64	53.84	57.76	14.41	14.10	70.68	68.89
जम्मू और कश्मीर	1.06	1.46	14.10	13.68	25.16	21.76	33.62	43.04
कर्नाटक	20.20	10.55	99.58	173.15	6.60	10.28	90.03	85.60
केरल	0.71	6.12	78.18	92.61	6.38	7.49	92.70	94.50
मध्य प्रदेश	-72.57	1.59	150.80	159.89	9.53	9.43	93.40	93.76
महाराष्ट्र	10.68	271.91	1,404.28	2,371.87	16.09	26.63	69.60	68.66
मणिपुर-3.05	-0.70	14.84	13.62	94.50	65.66	4.25	8.91	
मेघालय	2.95	2.99	19.63	20.02	22.01	22.36	35.90	38.97
मिज़ोरम	-1.45	0.22	9.85	11.86	29.06	25.12	39.17	47.59
नगालैण्ड	-2.25	-3.85	14.82	21.65	43.20	57.37	18.60	27.27
उड़ीसा	7.50	10.37	148.15	167.60	16.20	16.51	84.41	76.16
पांडिचेरी	1.46	1.77	8.42	8.17	11.32	8.55	69.46	78.21
पंजाब	19.24	21.01	59.79	61.16	3.41	2.81	96.22	93.93
राजस्थान	13.07	15.04	83.25	37.85	8.40	1.92	88.01	95.46
सिक्किम	1.09	0.24	0.06	0.13	3.45	6.18	43.30	76.06
तमिलनाडु	50.74	15.75	13.29	14.46	0.69	0.75	99.47	97.36
त्रिपुरा	-2.85	-1.84	37.85	40.42	37.14	35.70	28.95	31.33
उत्तर प्रदेश	17.07	23.70	355.57	391.70	12.95	14.63	74.87	70.55
पश्चिम बंगाल	8.17	26.74	64.36	71.30	7.52	5.27	83.22	84.79
अखिल भारतीय	**171.17**	**480.67***	**4,421.07**	**6,272.41**	**13.52**	**17.62**	**82.24**	**79.42**

वर्ष 2003 के आंकड़े अनन्तिम हैं. *अरुणाचल प्रदेश राज्य के एनपीए के आंकड़े गत वर्ष के ही हैं.* ** शुद्ध लाभ*

तालिका 4.7: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के राज्यवार कार्यपरिणाम
(31 मार्च की स्थिति)

(रु.करोड़ में)

राज्य	2001-02					2002-03					2002			2003		
	जि.म.स. बैंक (सं.)	लाभ		हानि		जि.म.स. बैंक (सं.)	लाभ		हानि		कुल एन पी ए	एन पी ए (बकाया ऋणों से %)	वसूली % (जून 2002)	कुल एन पी ए	एन पी ए (बकाया ऋणों से %)	वसूली % (जून 2003)
		सं.	राशि	सं.	राशि		सं	राशि	सं.	राशि						
आंध्रप्रदेश	22	13	34.38	9	63.52	22	10	28.25	12	98.52	1324.79	21.72	65.99	1580.21	25.28	33.00
असम	1	1	1.04	-	-	*	*	*	*	*	750.38	81.99	12.00	*	*	*
बिहार	24	उ.न	5.24	उ.न	21.62	24	उ.न	8.81	उ.न	32.76	265.76	63.26	29.51	उ.न	उ.न	24.45
छत्तीसगढ़	7	3	1.92	4	35.74	7	-	-	7	48.41	191.76	32.18	57.12	288.07	37.74	65.52
गुजरात	18	14	59.00	4	13.60	18	15	46.30	3	17.14	881.89	18.30	62.02	948.53	13.20	62.70
हरियाणा	19	19	32.68	-	-	19	17	29.12	2	3.42	115.19	3.68	79.26	167.44	4.71	78.91
हिमाचल प्रदेश	2	2	45.62	-	-	2	2	67.26	-	-	31.42	6.30	74.54	36.40	5.30	79.36
जम्मू-कश्मीर	3	1	0.03	2	6.51	3	उ.न	उ.न	उ.न	उ.न	64.23	32.10	44.18	65.77	29.21	36.13
झारखंड $	8	2	3.97	6	75.42	8	4	2.36	4	30.25	119.44	71.38	21.21	100.72	70.35	19.40
कर्नाटक	20	18	40.07	2	21.27	21	11	23.89	10	62.64	622.16	17.79	65.26	876.50	23.80	60.35
केरल	14	12	17.39	2	17.59	14	12	19.38	2	11.60	717.00	19.95	75.65	757.16	20.10	74.30
मध्यप्रदेश	38	21	17.74	17	72.03	38	24	25.45	14	92.80	810.52	28.15	60.81	897.44	27.56	62.15
महाराष्ट्र	30	21	151.68	9	331.92	30	22	178.59	8	309.67	3217.08	20.58	53.93	4019.58	25.02	51.57
उड़ीसा	17	10	11.12	7	9.13	17	13	10.12	4	6.36	415.22	26.79	57.50	436.43	22.85	53.02
पंजाब	19	19	68.88	-	-	19	19	84.90	-	-	202.08	6.00	87.46	234.36	5.96	88.88
राजस्थान	26	22	35.14	4	1.75	26	23	33.33	3	3.21	246.51	14.28	77.16	378.04	11.58	73.18
तमिलनाडु	23	14	81.58	9	65.70	23	11	71.06	11	119.00	1195.03	18.67	79.57	1418.41	20.21	63.68
उत्तरप्रदेश	51	28	45.62	22	79.09	50	29	60.80	21	64.26	987.41	31.18	48.69	उ.न	उ.न	उ.न
उत्तरांचल	9	8	17.78	1	0.72	9	9	24.06	-	-	40.24	9.95	82.48	43.27	9.56	80.85
प.बंगाल	17	15	21.35	2	3.13	17	16	28.95	1	1.18	183.52	17.75	75.37	216.75	17.53	78.04
अखिल भारत	**368**	**243**	**692.23**	**100**	**818.74**	**367**	**237**	**742.63**	**102**	**901.22**	**12381.63**	**22.18**	**66.42**	**12465.08**	**19.67**	**61.49**

** राज्य में कोई जिमस बैंक नहीं; उ.न. :उपलब्ध नहीं.*
कर्नाटक में बगलकोट जिमस बैंक 2002-03 में बनाया गया.
असम के शिवसागर जिमस बैंक तथा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिमस बैंक के लाइसेंस वर्ष 2002-03 में रद्द हो गये.
तमिलनाडु के नीलगिरि जिमस बैंक की वर्ष 2002-2003 की लाभ/हानि स्थिति उपलब्ध नहीं है.
वर्ष 2002-03 के आंकड़े अनन्तिम हैं.

4.10 हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तरांचल में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जहां सभी लाभ में थे) के लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (तालिका 4.7). अन्य राज्यों, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लाभ कमाने वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या तथा उनके लाभ की राशि में वर्ष 2001-02 की तुलना में वर्ष 2002-03 में वृद्धि हुई. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की हानियों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2002-03 में काफी वृद्धि हुई.

4.11 लाभ कमाने वाले अधिकांश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पंजाब और उत्तर प्रदेश को छोड़कर) के लाभ में वृद्धि हुई जबकि हानि में चल रहे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (गुजरात और तमिलनाडु को छोड़कर) की हानियां और भी बढ़ीं (तालिका 4.8). कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़कर, अन्य राज्यों के लाभ कमाने वाले प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने, गत वर्ष की तुलना में, अपने कार्यनिष्पादन में सुधार किया, जबकि केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की हानियां कम हुईं (तालिका 4.9).

ii. लागत और मार्जिन

4.12 वर्ष 2002-03 के दौरान, कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सकल मार्जिन से यह निर्दिष्ट होता है कि एक समूह के रूप में, रास बैंकों ने कुल 8.67 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किया है जबकि निधियों की लागत 6.26 प्रतिशत रही है. इस प्रकार रास बैंकों के लिए उपलब्ध सकल मार्जिन 2.41 प्रतिशत (0.56 प्रतिशत की विविध आय को

तालिका 4.8: रासकृग्राबि बैंकों के राज्य-वार कार्य-परिणाम
(31 मार्च की स्थिति)

(रु.करोड़)

राज्य	शाखाओं की संख्या	लाभ/हानि (+) / (-)		कुल एनपीए		बकाया ऋणों से एनपीए (%)		वसूली (%) 30 जून की स्थिति	
	2003	2001-02	2002-03	2002	2003	2002	2003	2002	2003
असम *	33	-0.94	-2.12	17.20	16.86	100.00	100.00	7.97	8.99
बिहार *	151	-16.73	-21.08	108.71	98.68	80.32	77.39	13.14	6.40
छत्तीसगढ़ @	2	0.38	2.98	5.35	10.73	3.92	6.50	53.30	31.13
गुजरात *	176	-8.63	-1.84	304.42	326.00	42.80	47.45	41.72	33.35
हरियाणा @	-	7.74	9.11	-	-	-	-	88.30	88.08
हिमाचल प्रदेश #	33	-1.61	0.92	43.47	51.24	25.39	26.9	56.30	56.23
जम्मू और कश्मीर *	38	-2.22	-2.65	12.97	12.91	44.46	46.92	36.91	42.96
कर्नाटक @	26	-24.79	-31.96	490.10	579.54	39.31	44.47	26.30	22.44
केरल @	14	9.79	10.42	31.41	74.92	2.24	5.10	84.54	79.77
मध्य प्रदेश @	7	1.08	1.38	80.53	97.91	9.53	9.10	46.11	43.57
महाराष्ट्र @		-70.02	-92.08	उ.न	455.44	उ.न	44.68	13.36	24.70
मणिपुर *	1	-0.31	उ.न	0.67	उ.न	100.00	उ.न	2.08	2.08
उड़ीसा @	5	-10.61	उ.न	95.92	101.24	94.10	89.91	7.93	6.68
पांडिचेरी *	2	0.08	-0.22	1.79	3.00	22.98	33.17	64.00	60.43
पंजाब @	-	25.57	20.75	-	-	-	-	90.43	88.32
राजस्थान @	7	18.71	8.91	23.58	87.17	2.09	7.28	63.89	63.89
तमिलनाडु @	20	-43.81	-0.42	505.85	556.27	42.55	43.94	45.67	33.45
त्रिपुरा *	5	-0.82	-0.91	7.32	7.75	60.26	63.84	51.08	40.39
उत्तर प्रदेश *	334	19.49	6.66	612.16	653.16	23.24	21.79	85.99	70.73
पश्चिम बंगाल #	4	3.34	-0.03	72.72	उ.न	16.51	उ.न	60.86	60.86
अखिल भारतीय	**858**	**-94.31**	**-92.18**	**2414.17**	**3132.82**	**18.45**	**20.36**	**55.13**	***49.19***

** ऐकिक संरचना @ संघीय संरचना # मिश्रित संरचना उ.न. - उपलब्ध नहीं*
छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के मामले में वर्ष 2002 के ही वसूली संबंधी आंकड़े वर्ष 2003 के लिए दिए गए हैं.

छोड़कर) रहा. वर्ष 2002-03 के दौरान रास बैंकों की औसत लेन-देन लागत 1.46 प्रतिशत और जोखिम लागत 1.47 प्रतिशत रही. समूह के रूप में रा स बैंकों ने पिछले वर्ष के 0.52 प्रतिशत के ऋणात्मक निवल मार्जिन की तुलना में 2002-03 में 0.04 प्रतिशत का धनात्मक निवल मार्जिन अर्जित किया. तथापि विभिन्न राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों के मार्जिनों में काफी अंतर रहा. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के

तालिका 4.9: प्रासकृग्राबि बैंकों के राज्य-वार कार्य-परिणाम
(31 मार्च की स्थिति)

(रु.करोड़)

राज्य	2001-02				2002-03*				एनपीए		बकाया ऋणों से एनपीए (%)		वसूली (%) 30 जून को स्थिति	
	लाभ		हानि		लाभ		हानि							
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	2002	2003*	2002	2003*	2002	2003*
छत्तीसगढ़	5	0.28	7	2.04	1	0.49	11	3.46	17.23	30.46	14.08	18.45	70.20	63.53
हरियाणा	29	3.84	57	26.07	6	6.06	80	56.36	390.78	472.99	28.47	29.27	62.16	63.21
हिमाचल प्रदेश	1	0.40	-	-	-	-	1	0.54	11.04	20.94	19.65	35.59	66.70	63.25
कर्नाटक	17	2.58	160	78.54	22	1.87	155	70.39	432.69	481.57	37.00	40.54	28.61	26.11
केरल	15	2.25	29	22.40	19	4.65	25	13.67	339.33	391.23	23.99	26.37	56.03	51.28
मध्य प्रदेश	9	0.66	29	18.20	9	0.84	29	17.05	143.53	168.14	18.57	17.03	61.02	56.37
महाराष्ट्र	3	8.00	26	54.73	उ.न	1.17	उ.न	111.20	484.77	उ.न	64.59	उ.न	30.49	21.56
उड़ीसा	3	0.02	50	5.09	उ.न	उ.न	उ.न	उ.न	59.32	53.48	84.47	74.22	21.40	35.77
पंजाब	50	14.60	37	36.69	69	18.48	18	12.50	290.66	391.83	18.03	23.33	66.26	66.26
राजस्थान	17	8.83	19	17.20	23	9.67	13	14.18	293.90	361.08	25.79	29.55	44.27	25.37
तमिल नाडु	32	2.92	149	26.79	61	7.48	120	19.51	449.74	531.49	39.00	42.03	43.48	36.29
पश्चिम बंगाल	10	2.54	14	6.28	7	3.77	17	4.75	84.22	105.60	24.15	25.72	60.42	52.64
योग	**191**	**46.92**	**577**	**294.03**	**217**	**54.48**	**469**	**323.61**	**2997.21**	**3008.81**	**30.03**	**29.65**	**48.08**	**43.93**

** अनंतिम आंकड़े उ.न. : उपलब्ध नहीं*

मामले में कार्यशील निधियों पर समग्र प्रतिफल 9.70 प्रतिशत था और निधियों की लागत 6.70 प्रतिशत थी. वर्ष 202-03 में कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में औसत लेनदेन लागत और जोखिम लागत क्रमशः 1.85 और 1.36 प्रतिशत थी. एक समूह के रूप में, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने पिछले वर्ष के 0.27 प्रतिशत के निवल मार्जिन की तुलना में वर्ष 2002-03 के दौरान क्रमशः 3.0 और 2.34 प्रतिशत का सकल और निवल मार्जिन अर्जित किया.

4.13 राज्य सहकारी बैंकों के लिए कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में हरियाणा में जोखिम लागत शून्य और नागालैंड में 6.43 के उच्च स्तर पर थी, जबकि औसत प्रतिशत 1.47 रहा. इसी प्रकार, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में, वर्ष 2002-03 के दौरान औसत जोखिम लागत 1.36 प्रतिशत थी, जबकि यह लागत पंजाब में शून्य से लेकर छत्तीसगढ़ में 4.37 प्रतिशत तक रही.

4.14 वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कार्यशील निधियों पर समग्र औसत प्रतिफल क्रमशः 8.24 और 9.66 प्रतिशत रहा. इन निधियों की औसत लागत क्रमशः 6.47 और 7.83 प्रतिशत रही. इस प्रकार रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों का निवल मार्जिन पहले की ही तरह, क्रमशः 1.54 और 1.80 प्रतिशत ऋणात्मक रहा. 20 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से आधे बैंकों का निवल मार्जिन धनात्मक और शेष का निवल मार्जिन ऋणात्मक रहा. 09 राज्यों में प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का मार्जिन ऋणात्मक रहा और केवल तीन राज्यों में ही इनका मार्जिन धनात्मक रहा.

iii. अनुत्पादक आस्तियां (एनपीए) और वसूली कार्यनिष्पादकता

4.15 बैंकों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आस्ति वर्गीकरण, आय की पहचान और प्रावधानन के विवेकपूर्ण मानदंडों को राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर 1996-97 से, और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों / प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों पर 1997-98 से लागू किया गया. समग्र स्तर पर पिछले वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2003 को राज्य सहकारी बैंकों के मामले में कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों से एनपीए प्रतिशत काफी बढ़कर 17.62 हो गया, जबकि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में यह प्रतिशत घटकर 19.67 रह गया (तालिका 4.10).

तालिका 4.10: बकाया ऋणों से अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत (31 मार्च की स्थिति)

एजेंसी	2001	2002	2003
रा स बैंक	12.73	13.52	17.62
जिमस बैंक	18.26	22.18	19.67
रासकृग्रावि बैंक	20.47	18.45	20.36
प्रासकृग्रावि बैंक	24.30	30.03	29.65*

** महाराष्ट्र के प्रासकृग्रावि बैंकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं.*

4.16 राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कुल अनुत्पादक आस्तियां 31 मार्च 2003 को क्रमशः रु.6,272.42 करोड़ और रु.12465.08 करोड़ आकलित थीं, जबकि 31 मार्च 2002 को इनकी अनुत्पादक आस्तियां क्रमशः रु.4,458.56 करोड़ और रु.12381.63 करोड़ आकलित की गईं थी. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की अनुत्पादक आस्तियां पिछले वर्ष के रु.2,414.17 करोड़ के मुकाबले रु.3,132.82 करोड़ तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की अनुत्पादक आस्तियां पिछले वर्ष के रु.3,045.85 करोड़ के मुकाबले रु.3,008.81 करोड़ आकलित की गईं (तालिका 4.11). इस प्रकार राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की अनुत्पादक आस्तियों में क्रमशः 41, 22 और 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 31 मार्च 2003 को प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की अनुत्पादक आस्तियों में पूर्व वर्ष की तुलना में मामूली कमी पाई गई. सहकारी बैंकों ने क्षतिग्रस्त आस्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया था.

4.17 बकाया ऋणों से अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत, जो पिछले वर्ष ही काफी अधिक था, 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और नागालैंड राज्य सहकारी बैंकों में और भी बढ़ गया परंतु छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर और पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंकों के मामले में घटा (तालिका 4.6).

4.18 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तरांचल के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में 31 मार्च, 2003 को बकाया ऋणों से

तालिका 4.11: सहकारी बैंकों की अनुत्पादक आस्तियों का वर्गीकरण (मार्च 2003 की स्थिति)*

(रु.करोड़)

आस्ति वर्गीकरण	रास बैंक	जिमस बैंक	रासकृग्रावि बैंक	प्रासकृग्रावि बैंक
अव-मानक	3,535.69	7100.02	2,073.41	1,772.06
संदिग्ध	2,434.11	4345.95	1,037.56	1,206.23
घाटे की आस्तियां	302.62	1019.11	21.83	30.52
कुल एनपीए	6,272.42	12,465.08	3,132.82	3,008.81
अपेक्षित प्रावधान	4,870.08	6,762.90	484.68	613.78
किया गया प्रावधान	5,690.70	7,310.65	497.20	621.62

** आंकड़े अनंतिम*

अनुत्पादक आस्तियों के प्रतिशत का स्तर कम था. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बकाया ऋणों से अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत जो 31 मार्च 2002 को 18 से अधिक था, 31 मार्च 2003 को और बढ़ गया. जिन राज्यों में 31 मार्च 2003 को अनुत्पादक आस्तियों का स्तर बहुत अधिक बना रहा, वे हैं - बिहार (31 मार्च 2002 को 63%), छत्तीसगढ़ (38%), झारखंड (70%), मध्य प्रदेश (28%) और उत्तर प्रदेश (मार्च 2002 को 31%) (तालिका 4.7).

4.19 राज्य सहकारी बैंकों की वसूली, जो पिछले दो वर्षों में 82 प्रतिशत पर स्थिर रही थी, जून 2003 के अंत में घटकर 79 प्रतिशत हो गई. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के स्तर पर भी, पिछले 3 वर्षों में वसूली में कमी की प्रवृत्ति रही और जून 2003 में यह गिरकर 61 प्रतिशत पर आ गई (तालिका 4.12). राशि की दृष्टि से, राज्य सहकारी बैंकों की वसूली रु.17,520 करोड़ (जून 2002) से घटकर रु.17,135 करोड़ (जून 2003) रह गई. इसी प्रकार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वसूली रु.25,758 करोड़ (जून 2002) से घटकर रु.25,527 करोड़ (जून 2003) रह गई. कुछ राज्य सहकारी बैंकों (गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल) की वसूली कार्यनिष्पादकता में थोड़ा सुधार हुआ. हालांकि जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य सहकारी बैंकों की वसूली की स्थिति में काफी सुधार हुआ, फिर भी उनकी वसूली का प्रतिशत काफी कम रहा (तालिका 4.6).

4.20 जून 2002 के अंत में 30 में से 11 और जून 2003 के अंत में 30 में से 10 राज्य सहकारी बैंकों की वसूली 80 प्रतिशत से अधिक थी (तालिका 4.13). 40 प्रतिशत से कम वसूली वाले राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 9 (जून 2002) से घटकर 7 (जून 2003) हो गई. जून 2003 के अंत में, 313 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जिनके आंकड़े उपलब्ध थे), में से 131 का वसूली-स्तर मांग के 60 प्रतिशत से कम था. आंध्र प्रदेश के कुल 22 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 16 का वसूली प्रतिशत 40 से कम और 5 का 40 से 60 प्रतिशत के बीच था; बिहार के 24 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 18 का वसूली प्रतिशत 40 से कम और 3 का 40 से 60 प्रतिशत के बीच था; झारखंड के 8 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 5 का 40 से कम और 1 का 40 से 60 प्रतिशत के बीच था और महाराष्ट्र के 30 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 10 का वसूली प्रतिशत 40 से कम और 09 का 40 से 60 प्रतिशत के बीच था (तालिका 4.14).

तालिका 4.12: मांग से वसूली का प्रतिशत
(30 जून की स्थिति)

एजेंसी	2001	2002	2003
रास बैंक	82	82	79
जिमस बैंक	67	66	61
रासकृग्रावि बैंक	58	55	49
प्रासकृग्रावि बैंक	53	48	44

तालिका 4.13: वसूली रेंज के अनुसार सहकारी बैंकों का वर्गीकरण
(30 जून की स्थिति)

वसूली %	रास बैंक (सं)		जिमस बैंक (सं)		रासकृग्रावि बैंक (सं)		प्रासकृग्रावि बैंक (सं)	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
40 से कम	9	7	69	69	7	9	276	359
40 से 60	2	3	83	62	6	4	210	186
60 से 80	8	10	139	115	3	5	169	138
80 और उससे अधिक	11	10	77	67	4	2	86	64
कुल	**30**	**30**	**368**	**313***	**20**	**20**	**741***	**747***

* शेष जिमस बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं.

4.21 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वसूली कार्य-निष्पादन, 30 जून 2003 की स्थिति में छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल में सुधरा था, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तरांचल में इसमें गिरावट आई. केवल कुछ ही राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल) में वसूली का प्रतिशत 75 से ऊपर था, जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर और झारखंड में वसूली की स्थिति खराब थी (तालिका 4.7).

4.22 लाभ अर्जित करने वाले अधिकांश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में अनुत्पादक आस्तियों का स्तर, हिमाचल प्रदेश (27%) और उत्तर प्रदेश (22%) को छोड़कर, कम था. 31 जून 2003 को राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वसूली कार्य निष्पादन पंजाब और हरियाणा (88%), केरल (80%) तथा राजस्थान (64%) में संतोषप्रद था. घाटे वाले राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की अनुत्पादक आस्तियां बहुत अधिक थीं और उनकी वसूली की स्थिति भी बहुत खराब (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) थी (तालिका 4.8). प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के मामले में, 31 मार्च 2003 को, हरियाणा (29%), हिमाचल प्रदेश (36%), कर्नाटक (41%), केरल (26%), महाराष्ट्र (31 मार्च 2002 को 65%), उड़ीसा (74%), राजस्थान (30%), तमिलनाडु (42%) और पश्चिम बंगाल (26%) में अनुत्पादक आस्तियों का स्तर काफी ऊंचा था.

तालिका 4.14ः राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वसूली के स्तर के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का वर्गीकरण
(30 जून 2003 की स्थिति)

वसूली (%)	रास बैंक	जिमस बैंक
<40	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, बिहार, मेघालय	जम्मू-कश्मीर(2), राजस्थान(2), बिहार(18), झारखंड(5), उड़ीसा(3), मध्यप्रदेश (3), छत्तीसगढ़ (1), गुजरात (2), महाराष्ट्र (10), आंध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (3), केरल (2), तमिल नाडु (2)
>40 और <60	आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिज़ोरम	हरियाणा (1), राजस्थान (5), बिहार (3), झारखंड (1), उड़ीसा (6), प.बंगाल (1), मध्य प्रदेश (10), छत्तीसगढ़ (2), गुजरात (5), महाराष्ट्र (9), आंध्र प्रदेश (5), कर्नाटक (4), तमिलनाडु (7), उत्तरांचल (3)
>60 और <60	हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार,उड़ीसा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, सिक्किम, चंडीगढ़, गोवा.	हरियाणा (10), हिमाचल प्रदेश (1), जम्मू और कश्मीर (1), पंजाब (2), राजस्थान (15), बिहार (1), उड़ीसा (8), प.बंगाल (10), मध्यप्रदेश (24), छत्तीसगढ़ (3), उत्तरांचल (2), गुजरात (5), महाराष्ट्र (6), आंध्र प्रदेश (1), कर्नाटक (9), केरल (7), तमिलनाडु (10)
>80	हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, प.बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु.	हरियाणा (8), हिमाचल प्रदेश (1), पंजाब (17), राजस्थान (4), प.बंगाल (6), मध्य प्रदेश (1), छत्तीसगढ़ (1), उत्तरांचल (4), गुजरात (6), महाराष्ट्र (5), कर्नाटक (5), केरल (5), तमिलनाडु (4)
कुल	**30**	**313* (367 में से)**

** बिहार और झारखंड के दो-दो तथा उत्तर प्रदेश के 50 जिमस बैंकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं.*

4.23 कम वसूली निष्पादकता और उसमें गिरावट की प्रवृत्ति चिंता का विषय थी. 20 में से केवल 2 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और 747 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से केवल 64 की वसूली 80 प्रतिशत से अधिक थी, जबकि 9 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और 359 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की वसूली बहुत कम, अर्थात् 40 प्रतिशत से कम थी (जून 2003). अन्य 186 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की वसूली 40 और 60 प्रतिशत के बीच थी. कर्नाटक के 177 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से 129 की वसूली 40 प्रतिशत से कम और 36 की 40 से 60 प्रतिशत के बीच थी; तमिलनाडु के 181 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से 103 की वसूली 40 प्रतिशत से कम और 62 की 40 से 60 प्रतिशत के बीच थी; और राजस्थान के 36 में से 29 की वसूली 40 प्रतिशत से कम और 5 की 40 से 60 प्रतिशत के बीच थी (तालिका 4.15).

4.24 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और प्रासकृग्राविबैंकों (दीर्घावधि संरचना) की वसूली में पिछले वर्ष की अपेक्षा 30 जून 2003 की स्थिति में और भी गिरावट आई और दो वर्षों (2001-2003 की अवधि) में इसमें क्रमशः 9 और 8 प्रतिशत बिन्दुओं की कमी आई. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के मामले में 30 जून 2003 को केवल हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी में वसूली 60 प्रतिशत से ऊपर रही. प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के मामले में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में औसत वसूली 60 प्रतिशत से अधिक रही.

तालिका 4.15ः रासकृग्राविबैंकों और प्रासकृग्राविबैंकों की वसूली के स्तर के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का वर्गीकरण
(30 जून 2003 की स्थिति)

वसूली (%)	रासकृग्राविबैंक	प्रासकृग्राविबैंक
< 40	छत्तीसगढ़, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु	हरियाणा (8), पंजाब (3), राजस्थान (29), उड़ीसा(43), छत्तीसगढ़ (6), मध्य प्रदेश(5), महाराष्ट्र (28), कर्नाटक (129), केरल (5), तमिलनाडु (103).
> 40 और < 60	हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा	हरियाणा (11), पंजाब (20), राजस्थान (5), उड़ीसा (11), छत्तीसगढ़ (6), मध्य प्रदेश(12), महाराष्ट्र (1), कर्नाटक (36), केरल (22), तमिलनाडु (62)
> 60 और < 80	केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी, प. बंगाल	हरियाणा (51), हिमाचल प्रदेश(1), पंजाब (20), राजस्थान (1), उड़ीसा(2), मध्य प्रदेश (21), कर्नाटक (11), केरल (15), तमिलनाडु (16)
> 80	हरियाणा, पंजाब	हरियाणा (16), पंजाब (44), राजस्थान (1), कर्नाटक (1), केरल(2)
कुल	**20**	**747 (768 में से)**

ग. चिंता के विषय

4.25 देश की सहकारिता प्रणाली लगभग एक सदी पुरानी है और यह ऋण के वितरण और कृषि और गैर-कृषि उत्पादों के विपणन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सहकारी ऋण संस्थाएं छोटे संसाधन आधार, वित्तपोषक एजेंसियों पर बहुत अधिक निर्भरता, बहुतों द्वारा नियंत्रण, असंतुलन, विविधीकरण और वसूली की खराब स्थिति, भारी संचित हानियों, व्यावसायिकता के अभाव, कम कुशल स्टाफ, कमजोर प्रबंध सूचना प्रणाली, कमजोर आंतरिक रोक व नियंत्रण प्रणाली और राजनीतिक तथा अफसरशाही के बार-बार हस्तक्षेप की समस्याओं से ग्रस्त हैं. 31 मार्च 2003 को 30 में से 5 राज्य सहकारी बैंक, 367 में से 102 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, 98,247 में से 43,511 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, 20 में 10 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और 768 में से 469 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (686 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के ही ब्यौरे उपलब्ध) घाटे में चल रहे थे. उसी तारीख को सहकारी ऋण संरचना (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को छोड़कर) का कुल घाटा रु.7,734 करोड़ था. इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार 367 में से 143 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 30 में से 7 राज्य सहकारी बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) का अनुपालन नहीं कर रहे थे. इसके अलावा, वसूली का स्तर बहुत कम होना और अनुत्पादक आस्तियों का स्तर बहुत ज्यादा होना भी चिंता का मुख्य विषय है. आधार स्तर की अधिकांश ऋण संस्थाएं (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) अपने वर्तमान और संभावित सदस्यों, जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं में भरोसा नहीं जगा पातीं. दीर्घावधि ऋण संरचना, निवेश ऋण के माध्यम से कृषि क्षेत्र में पूंजी के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है, किन्तु उसके पास मजबूत मूल्यांकन प्रणाली और प्रभावी अनुप्रवर्तन तंत्र और उपयुक्त ऋण नीतियों और पद्धतियों का अभाव है.

घ. आदर्श सहकारी समिति अधिनियम

4.26 आदर्श सहकारी समिति अधिनियम का सुझाव (चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति द्वारा) सहकारी ऋण संरचना के सुधार एवं पुनरुद्धार और इन संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण में कमी के प्रयोजन से दिया गया था. अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को न तो कोई नियम बनाने का अधिकार होगा और न ही वह अथवा रजिस्ट्रार, निदेशक-मण्डल के अधिक्रमण/वीटो/उप विधियों में संशोधन आदि के मामले में आदेश जारी कर सकेंगे. यद्यपि कुछ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान ने आदर्श अधिनियम की खास बातों को अपनाने के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिये हैं, किन्तु आदर्श अधिनियम के अनुसार सहकारी सुधारों का कार्यान्वयन अथवा वर्तमान राज्य सहकारी अधिनियमों में संशोधन सुविस्तृत रूप से नहीं हुआ है. राष्ट्रीय बैंक ने कपूर समिति और विखे पाटिल समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में सहकारिताओं के पुनरुद्धार के लिए एक योजना तैयार की है, जिसकी घोषणा माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2004-05 के अंतरिम बजट में की. इस योजना के अंतर्गत सहायता का लाभ लेने के लिए पात्र बनने के प्रयोजन से, राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे कार्यप्रणाली, कार्यनिष्पादकता और शासन में सुधार लाने के लिए सहकारी सुधारों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करें.

ङ. प्रबंधन

4.27 राष्ट्रीय बैंक, नीति के तौर पर सहकारी बैंकों का प्रबंधन विधिवत् निर्वाचित बोर्डों द्वारा किये जाने की आवश्यकता पर जोर देता रहा है. किन्तु चूंकि कुछ सहकारी बैंकों में निर्वाचित प्रबंधन-बोर्डों के अधिक्रमण की घटनाएं जारी रहीं, अतः 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार, 30 राज्य सहकारी बैंकों में से 9 राज्य सहकारी बैंकों और 367 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से (विवरण केवल 358 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से उपलब्ध) 132 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में बोर्डों का अधिक्रमण हुआ था. इसी प्रकार, दीर्घावधि संरचना के मामले में 20 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से 8 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और 768 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से 378 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में बोर्डों का अधिक्रमण हुआ था (तालिका 4.16).

च. सहकरिता विकास निधि

4.28 राष्ट्रीय बैंक ने 1992-93 में एक सहकारिता विकास निधि का गठन किया था. सहकारी संस्थाओं के कामकाज में सुधार के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में 'प्रयोजन के अनुसार' अनुदानों अथवा ऋणों अथवा अनुदान-सह-ऋणों के जरिये सहायता देना इसका उद्देश्य है. प्रति वर्ष राष्ट्रीय बैंक के लाभ में से अंशदान

तालिका 4.16ः अधिक्रमित हुए निर्वाचित बोर्ड
(31 मार्च 2003 की स्थिति)

विवरण	रास बैंक	जिमस बैंक	रासकृग्रावि बैंक	प्रासकृग्रावि बैंक
कुल (संख्या)	30	367	20	768
जिनमें बोर्ड कीं अधिक्रमण में हैं (संख्या)	9	132	8	378
अधिक्रमित बोर्डों का %	30	37*	40	49

** केवल रिपोर्टिंग बैंकों के मामले में.*

के माध्यम से इस निधि की राशि में वृद्धि की जाती है. वर्ष के दौरान कुल 4.86 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी, जिसमें सहकारी बैंकों के कर्मियों के प्रशिक्षण (रु.3.23 करोड़), कंप्यूटरीकरण (रु.0.75 करोड़), व्यवसाय विकास कक्षों की स्थापना (रु.0.37 करोड़), किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रचार की लागत (रु.0.25 करोड़) और अन्य गतिविधियों (रु.0.26 करोड़) के लिए सहायता शामिल है. वर्ष के दौरान किये गये संवितरणों (अनुदान और ऋण) की कुल राशि रु.4.38 करोड़ थी, जिसमें पिछली स्वीकृतियों के लिए किये गये संवितरण भी शामिल हैं. सहकारिता विकास निधि के तहत अब तक की गयी स्वीकृतियों और संवितरणों का संचयी योग क्रमशः रु.62.18 करोड़ और रु.50.87 करोड़ है.

4.29 आधारभूत सुविधा के मामले में, बहुत से राज्यों में, चयनित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को उपलब्ध कराई गई सहायता का उनके जमा संग्रहण प्रयासों, जमा खातों में वृद्धि पर समग्र रूप से सकारात्मक प्रभाव हुआ था और जनसाधारण में आत्मविश्वास का स्तर बढ़ा था. मोटरसाइकिलों की खरीद हेतु फील्ड स्टाफ (केवल दीर्घावधि संरचना) को उपलब्ध कराई गई सहायता ने फील्ड स्टाफ की गतिशीलता में सुधार किया है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक-उधारकर्ता संबंधों, फील्ड अनुप्रवर्तन और पर्यवेक्षण आदि में बेहतरी आई है, जैसा कि वाहन सहायता उपलब्ध कराने के बाद मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों व जम्मू और कश्मीर और नागालैण्ड राज्य सहकारी बैंक के मामले में पहले की तुलना में अधिक वसूली से स्पष्ट है. इसी प्रकार, कंप्यूटरीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई सहायता से प्रबंध सूचना प्रणाली में सुधार, सांविधिक और अन्य विवरणियां तैयार करने, अभिलेखों के बेहतर रखरखाव, प्रकरणों के अधिक तेजी से निपटान, सूचना के आदान-प्रदान आदि में सहायता मिली थी.

छ. विकास कार्य योजनाएं / सहमति ज्ञापन

4.30 संस्था-सुदृढ़ीकरण के उपाय के रूप में, सहकारी बैंकों द्वारा संस्था-विशिष्ट विकास कार्य योजनाएं तैयार करने और सहमति-ज्ञापनों के निष्पादन का कार्य 1994-95 में आरंभ किया गया था और यह 2003-04 में भी जारी रहा. मार्च 2000 और 2003 तक क्रमशः पहला चरण और दूसरा चरण पूरा हो जाने के बाद, सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए कपूर समिति की अनुशंसाओं के आधार पर योजना के निर्माण की प्रत्याशा में और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में प्रस्तावित संशोधनों का परिणाम आने तक, दूसरे चरण की विकास कार्य योजनाओं/सहमति ज्ञापनों की मार्च 2003 तक समाप्त वैधता 31 मार्च 2004 तक बढ़ा दी गई.

4.31 विकास कार्य योजनाओं के व्यवसाय-लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समुचित वचनबद्धताएं प्राप्त करने के प्रयोजन से, राष्ट्रीय बैंक, राज्य सरकारों और सहकारी बैंकों के बीच सहमति-ज्ञापन निष्पादित किये गये. मार्च 2003 के अंत तक, समस्त राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने राष्ट्रीय बैंक और संबंधित राज्य सरकारों के साथ आधार स्तरीय सहमति. ज्ञापन निष्पादित कर दिये थे. कुल मिलाकर 21 राज्य सहकारी बैंकों और 10 रासकृग्रावि बैंकों ने वर्ष 2003-04 हेतु वार्षिक सहमति ज्ञापन निष्पादित किये. राज्य और जिला स्तरों पर गठित अनुप्रवर्तन और समीक्षा समितियों के माध्यम से, राष्ट्रीय बैंक ने राज्य सरकारों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ विकास कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन और सहमति-ज्ञापनों की प्रसंविदाओं के अनुपालन का अनुप्रवर्तन किया था.

4.32 विकास कार्य योजनाओं/सहमति ज्ञापनों के प्रभाव के संबंध में राष्ट्रीय बैंक द्वारा किये गये मूल्यांकन अध्ययन से यह पता चला है कि (i) स्वाधिकृत निधियों, जमाराशियों, जारी किये गये ऋणों, बकाया ऋणों और कार्यशील निधियों के मामले में विकास कार्य योजनाओं के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति 85 से 100 प्रतिशत के बीच थी, (ii) राजस्थान और तमिलनाडु में लाभार्जन करने वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई, (iii) हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान में, अल्पावधि संरचना में, और हरियाणा व पंजाब में दीर्घावधि संरचना में समस्त प्रमुख वित्तीय संकेतकों में सुधार देखने में आया, (iv) बैंक, प्रबंधन-लागत के मामले में सतर्क हो गये, जिसके परिणामस्वरूप कार्यशील निधियों से उसके प्रतिशत में कमी आई.

4.33 विकास कार्य योजनाओं से बैंकों को, ऋण-व्यवसाय के विविधीकरण में सहायता मिली है. इसके अलावा, अध्ययन में यह भी बताया गया है कि अनुप्रवर्तन-तंत्र में ढिलाई, सहमति ज्ञापनों की, विशेष रूप से मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के रूप में प्रोफेशनल्स की पदस्थापना, ब्याज-माफी की घोषणा न करने और आदतन चूककर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने आदि से संबंधित कुछ प्रसंविदाओं का राज्य सरकारों द्वारा पालन न किये जाने से बैंकों की वसूली एवं लाभप्रदता और उनकी कार्यनिष्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था. इसके अलावा, अध्ययन में इस बात की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है

कि विकास कार्य योजना/सहमति ज्ञापन के कार्य को जारी रखा जाए और अनुप्रवर्तन प्रयासों में बेहतरी लाई जाए.

ज. संगठन विकास सहयोग

4.34 सहकारी बैंकों में सहकारिता विकास निधि की वित्तीय सहायता से चरणबद्ध रूप में सभी राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में चलाने के लिए संगठन विकास सहयोग की प्रक्रिया 1998-99 में आरंभ की गई थी. संगठन विकास के आरंभिक चरण में अब तक 134 सहकारी बैंकों को शामिल किया जा चुका है. इस सहयोग कार्यक्रम से स्पष्ट, अनुकरणीय बदलाव आया है और व्यवसाय और बैंकों के विकास से संबंधित मुद्दों के मामले में, स्टाफ और प्रबंध-तंत्र दोनों की विचारधारा एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में सहायता मिली है.

4.35 राष्ट्रीय बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में आयोजित किये गये संगठन विकास सहयोग कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम से प्रभावित होकर विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेन्सी (एस डी सी) ने 'ग्रामीण वित्त में राष्ट्रीय बैंक के साथ मानव और संस्था विकास सहभागिता' के अंतर्गत 120 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 20 सहकारी बैंकों में संगठन विकास सहयोग कार्यक्रम में मदद (प्रायोगिक आधार पर) करने के लिए सहमति व्यक्त की है. राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय एवं बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ, बोलपुर व मंगलूर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों और क्षेग्रा बैंकों के कुछ चयनित प्रायोजक बैंकों में आयोजित किये गये कार्यक्रमों में, 31 मार्च 2004 तक, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 50 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों को इन कार्यक्रमों में शामिल किया गया. संगठन विकास सहयोग के आयोजन के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 119 स्टाफ सदस्यों और सहकारी बैंकों के 10 स्टाफ सदस्यों को उत्कृष्ट कार्यनिष्पादकता वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अनुवर्ती और जागरूकता दौरे भी कराए गए, ताकि इन बैंकों द्वारा अपनी कार्यस्थिति में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को वे समझ सकें और उन्हें अपना सकें. इसके अलावा, संगठन विकास सहयोग कार्यक्रमों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/शाखा प्रबंधकों के लिए वर्ष के दौरान चार क्षेत्रीय अनुभव आदान-प्रदान कार्यशालाएं बेंगलूर, चेन्नै, देहरादून और कोलकाता में आयोजित की गईं. सहभागी बैंकों के बहुमूल्य अनुभवों के आदान प्रदान में ये कार्यशालाएं बहुत ही सफल रही हैं.साथ ही, केरल राज्य सहकारी बैंक, केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और केरल के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए दो जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया.

झ. सहकारी ऋण संरचना का पुनरुद्धार

4.36 सहकारी ऋण संरचना के अध्ययन के प्रयोजन से, भारत सरकार द्वारा मई 1999 में गठित कार्यदल (कपूर समिति) ने जुलाई 2000 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सहकारी ऋण संरचना के सुदृढ़ीकरण और पुनरुद्धार के लिए कई उपाय सुझाये थे. वर्ष 2001 के दौरान, केन्द्र सरकार के तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री श्री बालासाहेब विखे पाटिल की अध्यक्षता में गठित एक अंतर-मंत्रालयीन संयुक्त समिति ने, पुनरुद्धार सहायता की वित्तपोषण-प्रक्रिया और भागीदारी पद्धति से संबंधित, अनुशंसाओं की विशेष रूप से समीक्षा की. कपूर समिति और मंत्रालयीन संयुक्त समिति की अनुशंसाएं औपचारिक रूप से भारत सरकार द्वारा अभी स्वीकार की जानी हैं.

4.37 संयुक्त समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, राष्ट्रीय बैंक ने सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के मामले में जुलाई 2002 में एक योजना तैयार की थी. इस योजना में उसके बाद भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से विचार-विमर्श के आधार पर संशोधन किया गया और इस समय यह भारत सरकार के विचाराधीन है. योजना में प्रस्तावित पुनरुद्धार सहायता को कतिपय शर्तों से जोड़ा जाना परिकल्पित है, जैसे (i) सहायता के 40 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं जम्मू और कश्मीर के मामले में 10 प्रतिशत) हिस्से का अंशदान/वहन करने के मामले में राज्यों की वचनबद्धता और (ii) सहकारी सुधारों को राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना शामिल हैं.

4.38 योजना का अनुमोदन होने तक, भारत सरकार ने सहायता के अपने हिस्से के रूप में अप्रैल 2003 में रु.100 करोड़ की सांकेतिक राशि राष्ट्रीय बैंक को जारी कर दी थी. इस राशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा योजना में फंड उपलब्ध कराने के तंत्र के अनुमोदन के बाद किया जाएगा. माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने, 3 फरवरी 2004 को अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा था कि सहकारी बैंकों का संशोधित विनियमन ढांचा लागू होते ही योजना को आरंभ कर दिया जाएगा.

आ. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क. वित्तीय कार्यनिष्पादकता

4.39 बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यनिष्पादकता में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार आये हैं. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में किये गये नीतिगत उपायों अर्थात घाटे में चल रही शाखाओं को बेहतर व्यावसायिक स्थलों पर ले जाने की अनुमति और घाटे में चल रही शाखाओं को, सेवा क्षेत्र में उनकी कार्यनिष्पादकता को खराब किए बिना, सैटेलाइट/मोबाइल कार्यालयों में बदल देने का उनकी वित्तीय कार्यनिष्पादकता, विशेष रूप से लाभों एवं वसूली कार्यनिष्पादकता एवं अनुत्पादक आस्तियां कम करने, पर अच्छा प्रभाव पड़ा है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यनिष्पादकता में आये महत्वपूर्ण सुधारों के सकारात्मक प्रभाव उनके आधार स्तर में आये सुधारों में परिलक्षित हो रहे हैं. तीन वर्षों (2001-03) की अवधि के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सकल प्रारक्षित निधियों में उल्लेखनीय (85 प्रतिशत) वृद्धि हुई है और उनकी जमाराशियां, उधार-राशियां एवं निवेश क्रमशः 31,18 और 20 प्रतिशत बढ़े हैं. इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान, बकाया ऋणों और अग्रिमों में भी 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 4.17) जबकि जारी किए गये ऋणों में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

4.40 दिनांक 31 मार्च 2003 को 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निवल लाभ घटकर रु. 519.29 करोड़ रह गया. पिछले वर्ष की तुलना में यह 15 प्रतिशत कम रहा. कुल मिलाकर, 103 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यनिष्पादकता में सुधार आया और मार्च 2003 के अंत की स्थिति में या तो उनके लाभ में वृद्धि हुई या उनकी हानियों में कमी आई अथवा वे हानि की स्थिति से लाभ की स्थिति में आ गये जबकि मार्च 2002 के अंत में ऐसी स्थिति 121 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की थी. जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपना कुल घाटा पूरी तरह समाप्त कर दिया था और धारणीय व्यवहार्यता प्राप्त कर ली थी, उनकी संख्या मार्च 2003 के अंत में (पिछले वर्ष के 86 से) बढ़कर 97 हो गई और इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने मार्च 2003 के अंत तक कुल मिलाकर रु.2,334.72 करोड़ की प्रारक्षित निधियां निर्मित कर ली थीं. 59 अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने चालू व्यवहार्यता प्राप्त कर ली थी और अपना कुल घाटा कम करके मार्च 2003 के अंत में 1202.59 करोड़ रुपये कर लिया था, जो कि पिछले वर्ष के अंत में 1,640.75 करोड़ रुपये था (तालिका 4.18). किन्तु, एक समूह के तौर पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल घाटे में पिछले वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2003 की स्थिति में कुछ (2%) वृद्धि हुई (तालिका 4.17). किन्तु अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यनिष्पादकता में बहुत अधिक अंतर था (तालिका 4.22). इन बैंकों के सामने आ रही समस्याओं में सीमित कार्य-क्षेत्र, संकुचित बैंकिंग को तरजीह, कुछ क्षेत्रों में कम वसूली, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के मामले में वसूली में कठिनाई, पुनः पूंजीकरण के मामले में राज्य सरकार के हिस्से (रु.45.89 करोड़) का जारी न किया जाना, मानव संसाधन विकास से संबंधित मुद्दे आदि शामिल हैं.

तालिका 4.17: कार्यनिष्पादकता संकेतक
(31 मार्च की स्थिति)

(रु.करोड़)

विवरण	2001	2002	2003
शाखा नेटवर्क (संख्या)	14,311	14,390	14,433
शेयर पूंजी	195.66	195.81	195.85
शेयर पूंजी जमा	2,054.33	2,080.62	2,112.74
प्रारक्षित निधियां	1,270.86	1,782.40	2,357.41
जमाराशियां	38,271.87	44,539.15	50,098.34
उधार	4,064.46	4,524.37	4,798.69
निवेश	27,636.14	30,531.73	33,063.42
बकाया ऋण और अग्रिम	15,816.30	18,629.22	22,157.85
ज़ारी किया गया ऋण*	8823.22	10570.67	12,641.00
लाभ अर्जक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संख्या)	170	167	156
लाभ की राशि	676.48	699.93	733.97
घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संख्या)	26	29	40
घाटे की राशि	75.86	92.05	214.68
संचित हानियां	2,792.59	2,694.06	2,752.25

(अप्रैल-मार्च)*

तालिका 4.18: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की व्यवहार्यता की स्थिति
(31 मार्च 2003 की स्थिति)

(करोड़ रुपये)

वर्ग	संख्या	लाभ / घाटा	संचयी घाटा	अनुत्पादक आस्तियां
धारणीय रूप से लाभ में	97	623.95	-	1,518.91
वर्तमान में लाभ में	59	110.01	1,183.50	955.96
घाटे में	40	-214.67	1,541.66	724.88
योग	**196**	**519.29**	**2,752.16**	**3,199.75**

तालिका 4.19: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली कार्यनिष्पादकता
(30 जून की स्थिति)

(रु.करोड़)

वर्ष	मांग	वसूली	शेष	वसूली (%)
2001	9,617.93	6,789.53	2,828.40	70.59
2002	11,569.82	8,274.34	3,295.48	71.52
2003	13,246.95	9,738.80	3,508.15	73.53

तालिका 4.20: वसूली के रेंज के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वर्गीकरण (30 जून की स्थिति)				
				(रु.करोड़)
वर्ष	<40%	40-60%	60-80%	>80%
2001	14	41	112	29
2002	12	38	113	33
2003	6	35	106	49

ख. वसूली कार्यनिष्पादकता

4.41 जून 2003 को समाप्त वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली कार्यनिष्पादकता में सकल स्तर पर पिछले वर्ष की तुलना में और सुधार आया. राशि की दृष्टि से वसूली की राशि रु.6,789.53 करोड़ (जून 2001) से बढ़कर रु.9,738.80 करोड़ (जून 2003) हो गई अर्थात् 40% बढ़ गई (तालिका 4.19). वसूली निष्पादकता का राज्य-वार विश्लेषण यह दर्शाता है कि 30 जून 2003 की स्थिति में वसूली की 92.71 प्रतिशत की अधिकतम दर पंजाब में थी, जिसके बाद तमिलनाडु (89.28%), केरल (84.99%) और हरियाणा (84.73%) का स्थान रहा (तालिका 4.22). 80 प्रतिशत से अधिक वसूली वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या जून 2001 के अंत में 29 थी जो जून 2003 के अंत में बढ़कर 49 हो गई. इसी अवधि के दौरान, 40 प्रतिशत से कम वसूली वाले और 40 से 60 प्रतिशत तक की वसूली वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटकर क्रमशः 14 से 6 और 41 से 35 रह गई (तालिका 4.20)..

4.42 हरियाणा एवं तमिलनाडु के समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली निष्पादकता 80 प्रतिशत से अधिक थी और पंजाब एवं राजस्थान के समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, आंध्र प्रदेश के (16 में से) 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, कर्नाटक के (13 में से) 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वसूली का स्तर 60 प्रतिशत से अधिक था (तालिका 4.21).

ग. अनुत्पादक आस्तियां

4.43 नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रायोजक बैंकों और अन्य पर्यवेक्षण-प्राधिकारियों द्वारा लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करने से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऋण वितरण की गुणवत्ता के संबंध में सकारात्मक जागरूकता आई. यह इन बैंकों में अनुत्पादक आस्तियों की घटती प्रवृत्ति से प्रतिबिम्बित हुई. इस मोर्चे पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लगातार सुधार रहा, जैसा कि उनके बकाया ऋणों और अग्रिमों में उनकी सकल अनुत्पादक आस्तियों के प्रतिशत में धीरे-धीरे हो रही कमी से स्पष्ट है जो कि मार्च 2001 के अंत में 18.84 प्रतिशत से घटकर मार्च 2003 के अंत में 14.44 प्रतिशत रह गई. यद्यपि 31 मार्च 2003 को 151 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनुत्पादक आस्तियों में कमी आई, फिर भी 88 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (45%) के एनपीए का प्रतिशत मार्च 2003 के अंत में उनके बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के 14.44 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत से अधिक और 52 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एनपीए 20 प्रतिशत से अधिक थे. तथापि राशि के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनुत्पादक आस्तियों में वृद्धि हुई और इनकी राशि मार्च 2001 के रु.2578.33 करोड़ से बढ़कर मार्च 2003 के अंत में रु.3,199.75 करोड़ हो गई.

4.44 भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबार्ड और भारत सरकार द्वारा क्षेग्रा बैंकों की परिचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षता में सुधार हेतु पूर्व में की गई पहलों में (i) सांविधिक तरलता अनुपात/अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में मार्क टू मार्केट मानदण्डों की प्रणाली से 31 मार्च 2004 तक छूट देना और (ii) कमज़ोर क्षेग्रा बैंकों को सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण से छूट देने की नीति की समीक्षा करना और 54 क्षेग्रा बैंकों को 31 मार्च 2004 तक सेवा क्षेत्र बाध्यता से छूट प्रदान करना शामिल हैं.

4.45 पुनःसंरचना कार्रवाई के भाग के रूप में क्षेग्रा बैंकों द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अन्दर लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना बनाने की 1994-95 में प्रारम्भ की गई प्रणाली को जारी रखा गया. योजना तैयार करने के बाद, क्षेग्रा बैंकों ने

तालिका 4.21: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली के स्तर के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का वर्गीकरण (30 जून 2003 की स्थिति)	
वसूली (%)	राज्य
< 40	अरुणाचल प्रदेश(1), असम (1), बिहार (3), झारखण्ड (1)
> 40 और < 60	असम(1), मणिपुर (1), मेघालय (1), त्रिपुरा (1), बिहार (4), झारखण्ड(4), उड़ीसा (3), प. बंगाल (2), छत्तीसगढ़ (1), मध्य प्रदेश (2), उत्तर प्रदेश (8), उत्तरांचल (1), गुजरात (1), महाराष्ट्र (3), आंध्र प्रदेश(1), कर्नाटक (1)
> 60 और < 80	हिमाचल प्रदेश (1), जम्मू और कश्मीर (3), पंजाब (1), राजस्थान (7), असम (2), गुजरात (4), महाराष्ट्र (6), आंध्र प्रदेश (13), कर्नाटक(6), केरल (1), मिजोरम (1), नागालैण्ड (1), बिहार (8), झारखण्ड(1), उड़ीसा (5),प.बंगाल(6), मध्य प्रदेश (14), छत्तीसगढ़ (3), उत्तर प्रदेश (22), उत्तरांचल(1)
> 80	हरियाणा (4), हिमाचल प्रदेश (1), पंजाब (4), राजस्थान (7), असम(1), बिहार (1), उड़ीसा (1), प. बंगाल (1), छत्तीसगढ़ (1), मध्य प्रदेश (3), उत्तर प्रदेश (6), उत्तरांचल (2), गुजरात (4), महाराष्ट्र (1), आंध्र प्रदेश (2), कर्नाटक (6), केरल (1), तमिलनाडु (3)

तालिका 4.22ः क्षेग्रा बैंकों के राज्य-वार कार्य परिणाम
(31 मार्च 2003 की स्थिति)

(रु.करोड़)

राज्य	क्षेग्रा बैंकों की सं.	लाभ में		हानि में		शुद्ध लाभ	संचित हानि	बकाया ऋण एवं अग्रिम	अनुत्पादक आस्तियां		वसूली (%)	
		सं.	धन राशि	सं.	धन राशि				धन राशि	%	जून 02	जून 03
आंध्र प्रदेश	16	15	90.65	1	-2.31	88.34	40.17	2,953.54	272.55	9.23	70.19	70.96
अरुणाचल प्रदेश	1	0	0.00	1	-11.19	-11.19	22.35	32.69	25.83	79.02	18.27	22.61
असम	5	4	4.74	1	-3.25	1.48	103.82	468.18	83.91	17.92	50.73	58.86
बिहार	16	8	48.04	8	-60.66	-12.62	526.38	1,143.86	232.09	20.29	56.35	60.17
छत्तीसगढ़	5	3	5.46	2	-5.6	-0.14	150.07	331.34	57.65	17.40	63.82	69.02
गुजरात	9	9	24.01	0	0.00	24.00	25.79	631.19	86.88	13.76	73.53	76.53
हरियाणा	4	4	46.89	0	0.00	46.89	17.09	676.22	48.98	7.24	83.17	84.73
हिमाचल प्रदेश	2	2	4.11	0	0.00	4.11	0	196.32	12.79	6.51	78.07	80.79
जम्मू और कश्मीर	3	1	9.92	2	-15.82	-5.90	99.68	161.13	20.79	12.90	59.75	63.85
झारखंड	6	2	3.90	4	-23.60	-19.70	121.67	337.09	97.17	28.83	39.33	44.94
कर्नाटक	13	12	76.98	1	-0.96	76.02	0	2,548.37	270.04	10.60	75.99	75.53
केरल	2	2	29.84	0	0	29.84	0	1,204.28	116.92	9.71	83.93	84.99
मध्य प्रदेश	19	16	16.99	3	-5.49	11.50	256.59	1,323.44	187.68	14.18	70.06	72.49
महाराष्ट्र	10	6	4.17	4	-18.52	-14.35	130.32	685.18	154.04	22.48	67.24	64.44
मणिपुर	1	0	0.00	1	-2.15	- 2.15	14.23	13.87	4.86	35.03	49.93	51.80
मेघालय	1	1	3.10	0	0.00	3.10	0	40.62	13.63	33.56	51.16	54.30
मिजोरम	1	1	0.29	0	0.00	0.29	5.58	33.73	10.33	30.64	50.00	61.23
नागालैंड	1	0	0	1	-0.16	-0.16	1.58	4.33	0.62	14.41	50.72	61.17
उड़ीसा	9	4	13.15	5	-43.97	-30.82	459.83	1,407.97	223.13	15.85	66.34	67.38
पंजाब	5	5	35.44	0	0.00	35.44	0	350.71	18.39	5.24	91.35	92.71
राजस्थान	14	12	38.99	2	-7.29	31.70	196.72	1,376.98	115.88	8.42	77.19	80.05
तमिल नाडु	3	3	18.33	0	0.00	18.33	0	529.24	23.05	4.36	88.11	89.28
त्रिपुरा	1	1	2.05	0	0.00	2.05	139.02	178.09	65.30	36.67	34.97	44.56
उत्तर प्रदेश	36	34	240.75	2	-5.21	235.53	157.39	3,985.91	813.96	20.42	66.99	70.04
उत्तरांचल	4	4	7.56	0	0.00	7.56	1.97	179.56	15.81	8.81	81.74	79.30
पश्चिम बंगाल	9	7	8.60	2	-8.48	0.12	281.97	1364.00	227.44	16.67	65.15	69.33
अखिल भारतीय	**196**	**156**	**733.96**	**40**	**-214.66**	**519.29**	**2,752.16**	**22,157.84**	**3,199.75**	**14.44**	**71.52**	**73.53**

प्रवर्तक बैंकों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि उनके द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई योजनाओं के अनुसार कार्यनिष्पादन सुनिश्चित हो सके.

घ. क्षेग्रा बैंक अधिनियम 1976 में संशोधनों का सुझाव देने के लिए कार्यदल

4.46 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की समीक्षा और उसमें संशोधनों का सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने नाबार्ड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री एम.वी.एस.चलपति राव की अध्यक्षता में जुलाई 2001 में एक कार्यदल का गठन किया था. कार्यदल ने 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. कार्यदल की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने क्षेग्रा बैंकों की पुनःसंरचना के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु नाबार्ड, रिज़र्व बैंक एवं भारतीय बैंक संघ को शामिल करते हुए एक छोटे समूह का गठन किया. यह कार्य प्रगति पर है.

ङ. संसदीय प्राक्कलन समिति 2002-03

4.47 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की संसदीय प्राक्कलन समिति ने अप्रैल 2003 में संसद में प्रस्तुत अपनी 16वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख टिप्पणियां/संस्तुतियां की हैं, जिनके बारे में नाबार्ड ने क्षेग्रा बैंकों को उपयुक्त सुधार/अनुवर्ती कार्रवाई करने और कार्रवाई पर बोर्ड की बैठक में समीक्षा करने के लिए सूचित किया है.

- कृषि ऋणों पर ब्याज, चक्रवृद्धि दर से नहीं लगाया जाना चाहिए.

- निवेश की तुलना में ऋण वितरण पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर ऋण- जमा अनुपात बढ़ाया जाना चाहिए.
- लघु एवं सीमांत कृषकों को वितरित ऋण का उचित एवं अलग रिकार्ड रखा जाए.
- उनकी वसूली निष्पादकता में सुधार लाने के लिए हेतु ठोस कदम उठाए जाएं.
- ऋणों एवं अग्रिमों की मंजूरी और ऋण वितरण के बाद पर्यवेक्षण में प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आंतरिक प्रणालियां और प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण उपाय तैयार किए जाएं.
- दिशानिर्देशों का पालन न करने अथवा अनियमितताओं पर गम्भीर कार्रवाई की जानी चाहिए.
- जिन क्षेग्रा बैंकों को राज्य सरकारों से अभी भी उनके हिस्से की पुनःपूंजीकरण की शेष राशि प्राप्त नहीं हुई है उनकी ओर से प्रायोजक बैंक राज्य सरकार के साथ सम्पर्क कर हस्तक्षेप करें.
- अंतर-शाखा खातों का समाधान अद्यतन नहीं था.
- निधियों की धोखाधड़ी/दुर्विनियोजन के तमाम मामले हैं.

इ. विकास वालंटियर वाहिनी

4.48 'विकास वालंटियर वाहिनी' का सार तत्व 'ऋण के माध्यम से विकास' के पांच सिद्धान्तों में निहित है जिसमें उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऋण का उपयोग उचित ढंग से करने की अवधारणा की गई है जिससे आय में वृद्धि हो और ऋणों की चुकौती का उपयोग पुनः ऋण देने के लिए किया जा सके. राष्ट्रीय बैंक विवावा क्लबों की स्थापना के लिए और कार्यक्रम के तहत अन्य गतिविधियों की सहायता के लिए भी बैंकों/कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके)/स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देता है. दो दशकों के दौरान यह कार्यक्रम 10,015 क्लबों के माध्यम से 495 जिलों के 30,000 से अधिक गांवों तक पहुंच गया है. ये क्लब स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं के रूप में भी कार्य करते हैं और 1,423 विवावा क्लबों ने अब तक 12,234 स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन किया है.

4.49 क्षेग्रा बैंकों ने सर्वाधिक क्लबों (4,897) का संवर्धन किया है. इसके बाद वाणिज्य बैंकों (2,467) और सहकारी बैंकों (2,124) का स्थान है. अब तक, स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और कृषि विश्वविद्यालयों ने 527 क्लबों का संवर्धन किया है. इसमें दक्षिणी क्षेत्र का सबसे ज्यादा हिस्सा (34%) है जिसके बाद पूर्वी क्षेत्र (18%), पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र (प्रत्येक 16%) और उत्तरी क्षेत्र (14%) का स्थान है. पूर्वोत्तर क्षेत्र का हिस्सा मात्र 2 प्रतिशत है.

4.50 सफल क्लबों द्वारा किए गए कार्यों से परिचित कराने की दृष्टि से क्लब वालंटियरों को प्रशिक्षण देने एवं देश के दूसरे क्षेत्रों की जानकारी देने और साथ ही उन्हें कृषि में बदलती प्रवृत्तियों से अवगत कराने के लिए वर्ष के दौरान, 24 राज्यों से बैंकरों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित, 448 वालंटियरों को परिचय दौरों पर ले जाया गया.

4.51 कृषि परिदृश्य में आ रहे बदलावों के साथ कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के सहयोग से तीन राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में प्रायोगिक आधार पर प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण उन्मुख क्लब (टीटीसी) प्रारंभ किए गए हैं ताकि प्रौद्योगिकी में हो रहे नवोन्मेषों का प्रचार हो सके.

क. सामाजिक आर्थिक विकास क्लब

4.52 ग्रामीण जनता को प्रेरित करने के लिए प्रतिष्ठित गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता से सामाजिक आर्थिक विकासोन्मुख विवावा क्लबों की स्थापना प्रस्तावित है जिससे गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संस्थाओं और ग्रामीणों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने और गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विवावा क्लबों की स्थापना के लिए उपयुक्त गांवों की पहचान हेतु मंच उपलब्ध हो सके ताकि प्रत्येक क्लब दो-तीन निकटवर्ती गांवों के एक समूह और औसतन एक हजार परिवारों को कवर कर सके.

ख. कृषक क्लब - प्रभाव

4.53 पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के तीन किसान क्लबों ने 'ऋण के माध्यम से विकास' के पांच सिद्धांतों के सार तत्व को उपयुक्ततम स्तर तक पहुंचा दिया है. इन क्लबों ने सामान्य रूप से जमा संग्रहण, ऋणों के वितरण और उसके उचित उपयोग, ऋण वसूली, नई फसलों/किस्मों की शुरुआत, कम लागत वाली प्रौद्योगिकी

में प्रशिक्षण और जैव-उर्वरकों एवं जैविक खाद जैसी प्रौद्योगिकी की जानकारी, ग्राम विकास योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन, स्वयं सहायता समूहों के गठन, सदस्यों एवं पशुओं के लिए स्वास्थ्य/ टीकाकरण कैम्पों के आयोजन, साक्षरता/ साक्षरता-उपरान्त कार्यक्रमों के आयोजन, जागरूकता निर्माण आदि में बैंकों / प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की सहायता की.

4.54 वर्ष 1997 में स्थापित *कृषि विकास कृषक संघ, गौर ग्रामीण बैंक, जिला माल्दा* ने अपनी शाखा के कार्यक्षेत्र में आने वाले 7 गांवों में अपने वालंटियरों के माध्यम से 109 स्वयं सहायता समूहों के गठन में सहायता की, जिनमें से 70 स्वस समूह महिलाओं के हैं. मार्च 2003 के अंत तक आंतरिक ऋण वितरण हेतु 78 स्वस समूहों को रु.9.13 लाख का ऋण मंजूर किया गया और 180 पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए. रु.120 लाख का जमा संग्रहण किया गया और रु.98.61 की वसूली की गई. क्लबों ने स्वस समूह सदस्यों को बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया. इसने रु.200 लाख तक जमाएं जुटाने और रु.261 लाख तक के नवीन अग्रिम जारी करने में शाखा की सहायता भी की. क्लब सदस्यों ने क्लब के क्षेत्र में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन में सरकारी अधिकारियों की सहायता की.

4.55 वर्ष 1999 में स्थापित *कवि जयदेव कृषक संघ, मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, जिला बीरभूमि* ने पशुटीकाकरण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण, रसोई गार्डनिंग, पीतल/अन्य हस्तशिल्प का काम करने वाले कारीगरों के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि की व्यवस्था की. बलुई भूमि वाले 120 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया. इससे शेष भूमि को बाढ़ से आगे नष्ट होने/नुकसान होने से बचाया गया. क्लब ने रु.7.18 करोड़ के जमा संग्रहण और रु.2.63 करोड़ के ऋण वितरण में बैंक की सहायता की. क्लब ने 60 स्वस समूहों का गठन किया जिसमें 515 महिला सदस्य हैं जिनकी सामूहिक बचत से सदस्यों को तत्काल ऋण की सुविधा मिली.

4.56 वर्ष 2000 में स्थापित *स्वामी विवेकानन्द कृषक क्लब, हुगली जिमस बैंक* ने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला एवं कृषि परामर्श केन्द्र स्थापित किया जिससे कृषकों को कृषि पद्धतियों के संबंध में प्रत्यक्ष सूचना मिल सके. क्लब वालंटियरों ने प्राकृऋ समिति के कार्यक्षेत्र में 106 स्वस समूहों के गठन और रु.3.28 करोड़ के जमा संग्रहण में सहायता की. उन्होंने समिति की सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास किए.

संस्थागत विकास संबंधी प्रकाशन

4.57 नाबार्ड संबंधित संस्थाओं/एजेन्सियों के उपयोग के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के संबंध में सहकारी बैंकों/क्षेग्रा बैंकों एवं अन्य संस्थाओं के आंकड़ों का संग्रह एवं प्रकाशन विभिन्न रूपों में करता आ रहा है. ये प्रकाशन (i) सहकारी बैंकों /क्षेग्रा बैंकों पर प्रमुख सांख्यिकी (ii) कार्यनिष्पादन मानदण्डों को दर्शाते हुए सहकारी संस्थाओं पर डोजियर / ओवरव्यू (iii) सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरण और सहकारी बैंकों एवं क्षेग्रा बैंकों की लाभप्रदता स्थिति के संबंध में उनका अनुपात विश्लेषण (iv) क्षेग्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा (क्षेग्रा बैंक-वार एवं प्रायोजक बैंक-वार) आदि, से संबंधित होते हैं.

बैंकों का पर्यवेक्षण

4.58 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, राष्ट्रीय बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (रास बैंकों) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जिमस बैंकों) का निरीक्षण किया जाता है. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बैंक द्वारा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्राविबैंकों), शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों, राज्य सहकारी विपणन संघों आदि का स्वैच्छिक निरीक्षण भी किया जाता है. क्षेग्रा बैंकों का निरीक्षण भी बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत नाबार्ड द्वारा किया जाता है.

4.59 राष्ट्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले पर्यवेक्षण का उद्देश्य सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर) और क्षेग्रा बैंकों की वित्तीय एवं परिचालनात्मक सुदृढ़ता और प्रबंधकीय दक्षता के साथ-साथ उनके द्वारा बैंकिंग विनियमनों के अनुपालन का मूल्यांकन करना है, जिससे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सके. नियमित निरीक्षण द्विवार्षिक रूप से किए जाते हैं, जबकि वित्तीय रूप से कमजोर चुने हुए बैंकों के त्वरित निरीक्षण वर्ष 2003-04 से प्रारम्भ किए गए हैं.

4.60 कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं घटती हुई ब्याज दरों के कारण सहकारी बैंकों के वित्तीय मार्जिन बहुत कम हो गए हैं. बैंकों को अपने ऋण बाज़ार, ब्याज दर और परिचालनात्मक जोखिमों का प्रबंध भली भांति करना है. बैंकों में विवेकपूर्ण मानदण्डों के लागू होने के साथ ही पर्यवेक्षकों को प्रकटन मानक एवं प्रणालियां निर्धारित कर ऐसी नीतियों को अपनाना है जिससे सूचना के प्रवाह में तुलनात्मकता, सुसंगतता, विश्वसनीयता और समयपालन सुनिश्चित हो. अंतर-राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य स्वस्थ बैंकिंग मानकों / प्रणालियों के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए राष्ट्रीय बैंक ने वर्ष 1998 में अपनी पर्यवेक्षण कार्यनीति को पुनः तैयार किया जिसमें मुख्य क्षेत्रों जैसे पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, तरलता, प्रणालियों और अनुपालन पर जोर दिया गया है अर्थात कैमल्सक दृष्टिकोण को अपनाया गया है. कुछ सहकारी बैंकों और अधिकांश क्षेग्रा बैंकों ने अपने राजस्व में वृद्धि के लिए निवेश का मार्ग अपनाया है. सरकारी प्रतिभूतियों में इन बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो में काफी वृद्धि होने और प्रतिभूतियों की खरीद-फरोख्त से जुड़े हुए जोखिमों के कारण, इन लेन-देनों की संवीक्षा को महत्व दिया गया. बैंकों को समुचित निवेश नीतियां अपनाने, अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने और सुदृढ़ लेखा प्रणाली अपनाने के लिए सूचित किया गया. बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो की निदेशक मंडल स्तर पर तिमाही आधार पर समीक्षा करने और भारि बैंक/ राष्ट्रीय बैंक को अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए भी सूचित किया गया. पर्यवेक्षण विभाग (डॉस) के अधिकारियों को विभिन्न घरेलू/विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, विशेष रूप से निवेश पोर्टफोलियो और ट्रेजरी प्रबंधन में, प्रतिनियुक्त किया गया जिससे वे इस संबंध में अद्यतन गतिविधियों से अवगत हो सकें और पर्यवेक्षण की प्रभावशीलता में सुधार हो सके.

4.61 कार्य-स्थल पर पर्यवेक्षण के पूरक के रूप में 1998-99 में प्रारम्भ किए गए ऑफ-साइट सर्विलेंस सिस्टम का महत्व बढ़ा है जिससे निरंतर पर्यवेक्षण के साथ देश के दक्षिणी एवं पश्चिमी हिस्से में सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों द्वारा निर्धारित विवरणियां समय से प्रस्तुत करना संभव हो सका है जबकि देश के पूर्वी एवं उत्तरी हिस्सों में स्थिति अभी भी असंतोषजनक बनी हुई है.

4.62 परिचालन एवं नीतिगत निर्णयों के क्षेत्र में वर्ष के दौरान हुई महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार रहीं :

अ. परिचालनात्मक मामले

क. बैंकों का निरीक्षण

4.63 वर्ष के दौरान 298 बैंकों (17 रास बैंक, 191 जिमस बैंक और 90 क्षेग्रा बैंकों) और 10 शीर्ष स्तरीय संस्थाओं का निरीक्षण पूरा किया गया. 98 बैंकों (10 रास बैंकों और 88 जिमस बैंकों) का त्वरित निरीक्षण भी किया गया. निरीक्षणों में इन बैंकों के संबंध में पर्यवेक्षण संबंधी चिंता के जो विषय जानकारी में आए वे थे : (i) आय पहचान एवं आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों का अनुचित उपयोग/कार्यान्वयन, (ii) अपसामान्य ऋणों/आस्तियों के लिए अपर्याप्त प्रावधान करना जिससे लाभ अधिक एवं हानि कम दर्शायी गई, (iii) व्यापक निवेश नीति का अभाव, (iv) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949/भारि बैंक अधिनियम, 1934 के महत्वपूर्ण प्रावधानों का पालन न करना, (v) निरीक्षण ऑब्जर्वेशन का संतोषजनक अनुपालन प्रस्तुत करने में देरी, (vi) ऋण एवं अग्रिमों की मंजूरी एवं वितरण में त्रुटियां, (vii) अपर्याप्त जोखिम प्रबंध कार्यनीति, (viii) त्रुटिपूर्ण आंतरिक जांच एवं नियंत्रण प्रणाली, विशेष रूप से लेखा बहियों का समाधान न करना -खास तौर पर अंतर-शाखा समायोजन खातों का समाधान न करना, (ix) ऋण अनुप्रवर्तन की कमजोर व्यवस्था जिसके परिणामस्वरूप संवदेनशील क्षेत्रों/उद्योगों को अधिक एक्स्पोजर, (x) कारपोरेट गवर्नेन्स की कमी, (xi) ऋण के अंतिम उपयोग का अपर्याप्त पर्यवेक्षण, (xii) अपर्याप्त कम्प्यूटरीकरण आदि.

ख. पर्यवेक्षण बोर्ड

4.64 रास बैंकों, जिमस बैंकों और क्षेगा बैकों के लिए राष्ट्रीय बैंक के निदेशक मंडल की एक समिति के रूप में पर्यवेक्षण बोर्ड (बॉस) का गठन 1999 में पर्यवेक्षण संबंधी मामलों पर बैंक के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के लिए किया गया था और वर्ष के दौरान इसकी छह बैठकें हुई. पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा जिन मुद्दों पर विचार किया गया उनमें (i) दिवालिया रास बैंकों और जिमस बैंकों की समीक्षा (ii) कुछ रास बैंकों और जिमस बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षणीय/ नियामक कार्रवाई के लिए 'ट्रिगर बिंदु' का निर्धारण (iii) क्षेग्रा बैंकों के

कार्यनिष्पादन की प्रायोजक बैंक-वार समीक्षा (iv) नियामक कार्रवाई हेतु संस्तुत बैंकों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा (v) पर्यवेक्षण रेटिंग मानदण्डों की तुलना में लेखा परीक्षा रेटिंग मानदण्डों की समीक्षा (vi) चीनी कारखानों, कताई मिलों और गोदामों के निर्माण हेतु सावधि ऋण वितरक संस्थाओं एवं वाणिज्य बैंकों की संलग्नता में कमी और इन क्षेत्रों में सहकारी बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में एक्स्पोजर और (viii) निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर शीर्ष संस्थाओं की कार्यपद्धति की समीक्षा के मुद्दे शामिल थे. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) (ससयला) का पालन न करने वाले बहुत से सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में गिरावट एवं अधिकांश क्षेग्रा बैंकों के ऋण जमा अनुपात में कमी और इस प्रकार उनके द्वारा अपनी स्थापना के उद्देश्य को पूरा न करने के संबंध में भी बोर्ड चिन्तित रहा.

4.65 बॉस ने रास बैंकों एवं जिमस बैंकों के लिए समान लेखा प्रणाली की संस्तुति की जिससे उनकी वित्तीय विवरणियों में समानता और अतिरिक्त प्रकटन के माध्यम से पारदर्शिता आ सके. संस्तुति की समीक्षा मुख्य महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, राष्ट्रीय बैंक की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने की, जिसमें भारि बैंक, कुछ राज्य सरकारों के लेखा परीक्षा विभागों, रास बैंकों एवं जिमस बैंकों के प्रतिनिधि तथा सनदी लेखाकार शामिल थे.

आ. अन्य गतिविधियां

क. न्यूनतम शेयर पूंजी संबंधी अपेक्षा का अनुपालन

4.66 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) के तहत निर्धारित न्यूनतम शेयर पूंजी के अनुपालन के मामले में सहकारी बैंकों में ज्यादा सुधार नहीं हुआ. उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले रास बैंकों एवं जिमस बैंकों की संख्या 31 मार्च 2003 को क्रमशः 8 और 144 थी जो 31 मार्च 2004 को कम होकर क्रमशः 7 और 143 हो गई. वर्ष के दौरान एक रास बैंक एवं सात जिमस बैंकों ने इस प्रावधान का पुनः पालन प्रारम्भ किया और छह अन्य जिमस बैंक इनका अनुपालन नहीं कर सके. पुनः पालन मुख्य रूप से वसूली में वृद्धि एवं प्रावधान करने की आवश्यकता में कमी के कारण संभव हुआ. इन बैंकों की आस्तियों में 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार कुल क्षरण रु.8,841.71 करोड़ का था जिससे न केवल इनकी पूरी स्वाधिकृत निधियों का क्षरण हो गया था बल्कि रु.3,228.22 करोड़ की जमाराशियों का भी क्षरण हो गया था. 9 जिमस बैंकों के संबंध में उनकी जमाराशियां एवं उनके उधार के एक हिस्से का भी क्षरण हो गया था. अनुपालन न करने वाले 150 सहकारी बैंकों में से 36 बैंकों (1 रास बैंक और 35 जिमस बैंक) को भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के प्रावधानों के अनुपालन से छूट दी गई थी और 21 बैंकों (4 रास बैंकों एवं 17 जिमस बैंकों) के छूट से संबंधित आवेदन पत्र भारि बैंक/भारत सरकार के विचाराधीन थे. किंतु 21 बैंकों (1 रास बैंक और 20 जिमस बैंक) के संबंध में उनकी दयनीय वित्तीय स्थिति और लगातार खराब होती हालत को देखते हुए छूट देने की संस्तुति नहीं की गई. जहां उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11(1) के प्रावधानों से छूट प्राप्त करने के लिए 15 बैंकों (1 रास बैंक और 14 जिमस बैंकों) के आवेदन पत्र विचाराधीन थे वहीं छूट प्राप्त करने के लिए 57 जिमस बैंकों को अभी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने थे.

ख. लाइसेंस की मंजूरी

4.67 चूंकि किसी भी रास बैंक/जिमस बैंक को नया लाइसेन्स जारी नहीं किया गया अतः लाइसेन्स प्राप्त सहकारी बैंकों की संख्या 31 मार्च 2004 को पूर्ववत् 86 (13 रास बैंक और 73 जिमस बैंक) बनी रही. वर्ष के दौरान चार जिमस बैंकों को बैंक के रूप में कार्य करना बंद करना पड़ा क्योंकि बैंक के रूप में कार्य करने के उनके लाइसेन्स अस्वीकृत कर दिए गए थे. कुछ अनुशासनहीन बैंकों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश जारी करने, निदेशक मंडल का अधिक्रमण करने आदि जैसी विनियामक कार्रवाई भी की. वर्ष के दौरान रास बैंकों को नए व्यवसाय स्थल स्थापित करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 23 के तहत कोई लाइसेन्स मंजूर नहीं किया गया.

ग. राज्य सहकारी बैंकों को अनुसूची में शामिल करना

4.68 वर्ष 2003-04 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में किसी भी रास बैंक को शामिल नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित रास बैंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उनकी संख्या 31 मार्च 2004 को 16 ही रही.

घ. अधिनियम की विभिन्न धाराओं का अनुपालन

4.69 दिनांक 31 मार्च 2004 को 10 रास बैंक और 155 जिमस बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण अदायगी की अपनी क्षमता के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 22(3)(ए) का अनुपालन नहीं कर रहे थे एवं 27 रास बैंक और 328 जिमस बैंक पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22(3)(बी) का अनुपालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन बैंकों के कामकाज इस प्रकार संचालित नहीं किए गए जो जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल न हो.

4.70 इसी प्रकार, 16 अनुसूचित रास बैंकों में से एक रास बैंक रु.5 लाख की न्यूनतम पूंजी संबंधी अपेक्षा से संबंधित धारा 42(6)(ए)(i) का अनुपालन नहीं कर रहा था और 13 रास बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(6)(ए)(ii) का अनुपालन नहीं कर रहे थे क्योंकि इन बैंकों के कामकाज इस प्रकार संचालित नहीं किए गए, जो जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल न हो.

4.71 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(6)(ए)(i) का अनुपालन न करने वाले क्षेग्रा बैंकों की संख्या 31 मार्च 2003 को 64 थी, जोकि 31 मार्च 2004 को घटकर 57 रह गई. किंतु पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 46(6)(ए)(ii) का अनुपालन न करने वाले बैंकों की संख्या 31 मार्च 2003 को 146 थी, जोकि 31 मार्च 2004 को बढ़कर 152 हो गई है.

4.72 वर्ष के दौरान किसी भी नए सहकारी बैंक अथवा क्षेग्रा बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनिवासी (ई)/अनिवासी (ओ) खाते खोलने और रखने की अनुमति नहीं दी.

ङ. नीतिगत निर्णय

4.73 सहकारी बैंकों द्वारा आय की पहचान, आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के कार्यान्वयन और उन बैंकों में पूर्व-लेखापरीक्षा आरम्भ करने के संबंध में लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता पर सभी राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों / लेखापरीक्षा निदेशालयों को सूचित किया गया . सभी रास बैंकों और जिमस बैंकों को लेखापरीक्षा समितियां स्थापित करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए. लेखापरीक्षा रेटिंग स्केल को पर्यवेक्षण रेटिंग मानदंड के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से इस स्केल को परिमार्जित किया गया जिससे सांविधिक लेखापरीक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सहकारी बैंकों का सही वित्तीय आकलन सुनिश्चित किया जा सके.

ई. निरीक्षण टिप्पणियों पर अनुपालना

4.74 निरीक्षण रिपोर्टें जारी करने की तारीख से 45 दिनों के अंदर मुख्य क्षेत्रों पर अनुपालना प्राप्त करने और बैंकों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने की प्रणाली वर्ष के दौरान भी जारी रही. तथापि, बैंकों की अनुपालना की गुणवत्ता असंतोषप्रद रहने का क्रम जारी रहा तथा कुछ मामलों में उसे प्रेषित करने में भी अत्यधिक विलंब हुआ.

उ. कमजोर बैंकों को पुनः मजबूत बनाना

4.75 सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने के लिए नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों और बैंकों को सूचित किए गए उपायों पर अनुवर्ती कार्रवाई समेत विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले निवारक उपाय और पुनरुत्थान के उपाय असंतोषजनक रहे. पुनर्वास का पैकेज न होने तथा राज्य सरकारों द्वारा बैंकों की समस्याओं पर ध्यान न देने के कारण भी उनकी वित्तीय स्थिति और खराब हो गई. दिनांक 31 मार्च 2004 को 12 जिमस बैंक 10 वर्ष से भी अधिक समय से, 2 रास बैंक और 90 जिमस बैंक 5 से 10 वर्ष की अवधि से और 19 जिमस बैंक और 5 रास बैंक 3 से 5 वर्षों से, न्यूनतम शेयर पूंजी मानदंड का अनुपालन नहीं कर रहे थे. जब तक संबंधित जिमस बैंक, शीर्ष बैंक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और राज्य सरकारें कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाएंगी, तब तक ये बैंक उस उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहेंगे जिसके लिए इन्हें बनाया गया था तथा इनके बने रहने से जमाकर्ताओं के हितों के प्रति खतरा बना रहेगा.

4.76 वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों के लिए आंतरिक जांच और शाखा-नियंत्रण पर मैनुअल को अद्यतन किया, और सभी रास बैंकों और जिमस बैंकों तथा सभी राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों / लेखापरीक्षा निदेशालयों को इसकी प्रतियां भिजवा दी हैं एवं उनसे अनुरोध किया है कि प्रत्येक राज्य में सभी सहकारी बैंकों के लिए, आवश्यक हो तो, स्थानीय भाषा में राज्य-विशिष्ट मैनुअल प्रकाशित किए जाएं.

V संगठन एवं प्रबंध

ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं व्यावसायिक संगठनों के क्षेत्र में वातावरण में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के कारण कर्मचारियों का निरंतर कौशल-उच्चीकरण, तकनीकी विशेषज्ञता और उच्च-स्तरीय व्यावसायिकता अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं. इसको ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान प्रशिक्षण माड्यूलों के परिशोधन, नए कार्यक्रम प्रारम्भ करने और दौरों के माध्यम से देश में तथा विदेशों में विभिन्न संस्थाओं से उन्हें परिचित करवाकर नाबार्ड अपने कर्मचारियों की क्षमता के निर्माण पर जोर देता है. बैंक ने भर्ती, तैनाती, कैरियर विकास एवं कार्यनिष्पादन प्रबंध में उन्नत कार्यनीतियों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों और अपने हित के एरिया में सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने की कोशिश की है. इसके तहत अपने कारपोरेट दर्शन और मजबूत बनाने तथा अध्ययन, रचनात्मकता एवं अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देने वाली संस्कृति के निर्माण का प्रयास किया गया है जिससे संगठन अपने मिशन को पूरा करने में समर्थ हो सके.

सामान्य

अ. निदेशक मंडल

5.2 वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की सात बैठकें हुईं. इसके अतिरिक्त कार्यकारी समिति और आरआईडीएफ के तहत ऋणों के लिए मंजूरी समिति की छह-छह बैठकें हुईं. लेखा परीक्षा समिति की पांच बैठकें हुईं. 'आरआईडीएफ के तहत ऋणों के लिए मंजूरी समिति' का नाम बदलकर 'कृषि आधार-भूत सुविधा ऋण निधि के तहत ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को ऋणों हेतु मंजूरी समिति' कर दिया गया है. समिति की एक बैठक मार्च 2004 में हुई.

5.3 श्री योगेश नंदा, अध्यक्ष ने 30 जून 2003 को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर अपने पद से अवकाश ग्रहण किया. श्री वेपा कामेसम, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और सदस्य, निदेशक मंडल को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने नियमित अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक की नियुक्ति होने तक बैंक के कार्यों का समन्वय करने के लिए नियुक्त किया. श्रीमती रंजना कुमार को 21 नवम्बर 2003 से अध्यक्ष नियुक्त किया गया. श्री वाई.एस.पी.थोरात ने 17 मार्च 2004 से प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला.

5.4 श्रीमती विनीता राय, आईएएस, सचिव (बैंकिंग और बीमा) भारत सरकार, वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) को 10 जुलाई 2003 से निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया. वे कार्यकारी समिति, आरआईडीएफ के तहत ऋणों के लिए मंजूरी समिति और बैंक के निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति की सदस्य भी बनी रहीं. श्रीमती विनीता राय के स्थान पर श्री एन.एस.सिसोदिया, आईएएस, सचिव (वित्तीय क्षेत्र), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, को 26 दिसम्बर 2003 से निदेशक नामित किया गया. उन्हें बैंक की कार्यकारी समिति एवं आरआईडीएफ के तहत ऋणों के लिए बैंक की मंजूरी समिति का सदस्य भी नामित किया गया. श्री आर.सी.ए.जैन, आईएएस के स्थान पर श्रीमती राधा सिंह, आईएएस, सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार को 29 फरवरी 2004 से निदेशक नियुक्त किया गया. उन्हें कृषि आधार-भूत सुविधा और ऋण निधि के तहत ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों को ऋणों के लिए मंजूरी समिति का सदस्य भी नियुक्त किया गया.

5.5 कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रवरा प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान शोध एवं शिक्षण संस्थान के न्यासी और निदेशक मंडल के सदस्य श्री शंकरराव नारायणराव जोशी का 16 नवम्बर 2003 को निधन हो गया.

5.6 श्री आर.पी.बगाई, आईएएस के स्थान पर डॉ.पी.राघवन, आईएएस, प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी), छत्तीसगढ़ सरकार को 26 दिसम्बर 2003 से निदेशक नामित किया गया. श्री टी.एस.श्रीधर, आईएएस के स्थान पर डॉ.आर.कन्नन, आईएएस, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, तमिलनाडु सरकार को 1 जनवरी 2004 से निदेशक नामित किया गया. श्री एस.सी.दास, आईएएस के स्थान पर श्री सी.बाबू राजीव, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, असम सरकार को 1 जनवरी 2004 से निदेशक नामित किया गया.

5.7 श्री वेपा कामेसम 23 दिसंबर 2003 को पदभार से सेवानिवृत्त हुए और उनके स्थान पर श्रीमती के.जे.उदेशी, उप गवर्नर, रिज़र्व बैंक को 27 दिसंबर 2003 से निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया. उन्हें बैंक के निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति, आरआईडीएफ

के तहत परियोजना मंजूरी समिति और लेखापरीक्षा समिति का सदस्य भी नियुक्त किया गया.

5.8 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में राष्ट्रीय बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 6(1)(ख) के अंतर्गत दो रिक्तियां थीं.

आ. कार्यपालक

5.9 सर्वश्री एस.सुब्रमणियन, एम.जी.मारवाह और जी.के.अग्रवाल कार्यपालक निदेशक क्रमशः 31 मई, 31 जुलाई और 30 सितंबर 2003 को बैंक से सेवानिवृत्त हुए. परिणामस्वरूप महाप्रबंधकों सर्वश्री एस.एस.आचार्य, आर.बालकृष्णन और अमरेश कुमार की पदोन्नति कार्यपालक निदेशक के रूप में की गई. बर्ड, लखनऊ के निदेशक के रूप में नियुक्त श्री जे.एम.मात्यू, कार्यपालक निदेशक, नाबार्ड, 31 अक्तूबर 2003 को सेवानिवृत्त हुए.

इ. नाबार्ड का निरीक्षण

5.10 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2003 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में अक्तूबर से दिसंबर 2003 तक नाबार्ड का छठा वित्तीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के निष्कर्षों पर रिज़र्व बैंक और निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के साथ विचार-विमर्श किया गया.

ई. क्षेत्रीय / जिला विकास प्रबंधक कार्यालय

5.11 वर्ष के दौरान आठ नए जिला विकास प्रबंधक कार्यालय खोले गए. परिणामतः 31 मार्च 2004 को इन कार्यालयों की संख्या 338 हो गई. मुंबई स्थित कारपोरेट कार्यालय के अतिरिक्त राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय बैंक के 28 क्षेत्रीय कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर में एक उप कार्यालय और श्रीनगर में एक कक्ष हैं.

मानव संसाधन विकास

अ. प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन

5.12 राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ ने कार्य संबंधी, व्यवहार-संबंधी और तकनीकी विषयों पर 88 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें राष्ट्रीय बैंक के 1,637 अधिकारी शामिल हुए. कृषि-व्यापार और कृषि प्रसंस्करण, ग्रामीण आवास और कंप्यूटर-आधारित परियोजना मूल्यांकन एवं जोखिम विश्लेषण पर नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए.

5.13 कुल मिलाकर, 653 अधिकारियों को बाहरी एजेन्सियों द्वारा आयोजित विशेष रूप से तैयार और पूर्व-निर्धारित कुल 216 प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक्सपोजर दौरों, कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों में प्रतिनियुक्त किया गया. इन कार्यक्रमों में तनाव-प्रबंध, कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज प्रबंध, महिलाओं से संबंधित मुद्दे (प्रशिक्षकों के लिए), वाटरशेड विकास में पारिस्थितिकीय परिप्रेक्ष्य, क्षेग्रा बैंकों के नामित निदेशकों की भूमिका और आउटडोर प्रबंध कार्यक्रम, जैसे कुछ विषय शामिल थे. अहमदनगर (महाराष्ट्र) और वलसाड (गुजरात) जिलों में वाटरशेड और वाडी परियोजनाओं के क्षेत्र में एक्सपोजर दौरे आयोजित किए गए. अधिकारियों को अन्य संस्थाओं के साथ साथ सीआईआई, मुंबई और चेन्नई, बिज़नेस एशिया, मुंबई, एनआईसीएम, गांधीनगर, उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर तथा जवाहरलाल इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग, हैदराबाद द्वारा आयोजित सेमिनारों और सम्मेलनों में भी प्रतिनियुक्त किया गया. इस प्रकार वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में 2,290 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया.

क. विदेश में प्रशिक्षण

5.14 नाबार्ड ने सहभागी संस्थाओं के 15 अधिकारियों सहित 129 अधिकारियों को विदेशों में विभिन्न संस्थाओं के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक्सपोजर दौरों, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि के लिए प्रतिनियुक्त किया जो इस प्रकार हैं - एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट; अप्राका सेन्ट्रैब; आईआईआरआर, फिलीपीन्स; अप्राका, थाइलैंड; वेंट, जर्मनी; लंदन बिजनेस स्कूल, यूके; कार्नेल विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका; साउथ अफ्रीकन रिज़र्व बैंक, (एसएआरबी) साउथ अफ्रीका; केयूएलटी प्रोग्राम्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट; वास्मे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट, श्रीलंका; बैंक रक्यात इंडोनेशिया (बीआरआई), इंडोनेशिया; और मनीला, तेल अवीव, बीजिंग, बैंकाक, जिनेवा और खारतूम स्थित अन्य संस्थान.

5.15 इक्कीस अधिकारियों के एक दल ने साउथ अफ्रीकन रिज़र्व बैंक, साउथ अफ्रीका में बैंक पर्यवेक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, ताकि वे विनियमन और पर्यवेक्षण के सिद्धांतों, दृष्टिकोणों और पद्धतियों से संबंधित नवीनतम परिवर्तनों तथा बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों के दायित्वों की जानकारी प्राप्त कर सकें. 12 अधिकारियों का एक दल बीआरआई, इंडोनेशिया के दौरे पर गया, ताकि ग्रामीण ऋण देने में बीआरआई द्वारा ऋण के क्षेत्र में

अपनाए जा रहे विभिन्न नवोन्मेषों, संसाधन संग्रहण तंत्र और उत्कृष्ट प्रथाओं से दल के सदस्य परिचित हो सकें.

5.16 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष रीजनल रूरल माइक्रो फायनेन्स बैंक की स्थापना पर अप्राका, थाइलैण्ड में एक गोल मेज विचार-विमर्श में सम्मिलित हुए. वर्तमान अध्यक्ष ने राष्ट्रीय बैंक, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य बैंकों के नौ अन्य अधिकारियों के साथ फरवरी 2004 में ढाका में आयोजित एशिया पैसिफिक रीजनल माइक्रो क्रेडिट समिट में भाग लिया.

ख. कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण

5.17 कंप्यूटर के उपयोग की आधारभूत जानकारी, ऑटो-कैड और विजुअल बेसिक पर 40 स्टाफ सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. वित्तीय लेखांकन के लिए बैंक के संशोधित सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में भी क्षेत्रीय कार्यालयों के 38 अधिकारियों के लिए राबैं स्टाफ महाविद्यालय में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पर्सनल कंप्यूटरों के प्रभावी इस्तेमाल में वृद्धि के लिए, प्रधान कार्यालय के विभागों को दो बाहरी मेंटरों की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं. दस्तावेज तैयार करने और लैन प्रणाली और मेल मेसेजिंग में संसाधनों के साझा उपयोग पर 251 स्टाफ सदस्यों के लिए प्रधान कार्यालय में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया.

ग. अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण

5.18 राष्ट्रीय बैंक प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ और आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद में कर्मचारियों (ग्रुप 'बी' और 'सी' स्टाफ) को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिनमें वर्ष के दौरान 76 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. इनमें 1,348 स्टाफ सदस्य सम्मिलित हुए, जो कि उनकी कुल स्टाफ संख्या का 58 प्रतिशत है.

5.19 इन केन्द्रों पर चार नए कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, जो हैं - नाबार्ड के परिचालनात्मक तथा पर्यवेक्षण कार्य, बुनियादी लेखांकन और सामान्य बैंकिंग, थ्रस्ट क्षेत्रों का परिचय और आत्मबोध. इसके अतिरिक्त, बाहरी एजेन्सियों की सहायता से तनाव और स्वास्थ्य प्रबंध पर एक-एक दिन की तीन कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं, जिनमें 60 सहभागी सम्मिलित हुए. महिला कर्मचारियों की घर और कार्य-स्थल की भूमिकाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए उन्हें तैयार करने के प्रयोजन से, प्रधान कार्यालय की 66 महिलाओं के लिए, तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें उन्हें सॉफ्ट स्किल्स एवं व्यावहारिक क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया गया.

आ. विदेशी आगंतुक

5.20 नौ देशों से एनआईबीएम, पुणे में बैंकिंग और विकास पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने आए 13 सहभागियों के एक दल ने फरवरी 2004 में नाबार्ड, प्रधान कार्यालय का दौरा किया. उन्हें बैंक के कार्यों एवं कार्यकलापों के संबंध में जानकारी दी गई. स्टेट काउंसिल आफ चाइना के डेवलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर (डीआरसी) से वाइस प्रेसिडेन्ट (वाइस मिनिस्टर) डॉ. सून जियाओ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने भारत में नीतिगत संवाद और सहयोग के लिए संस्थागत संपर्क स्थापित करने के अपने मिशन के एक भाग के रूप में मार्च 2004 में नाबार्ड के शीर्ष प्रबंध-तंत्र के साथ विचार-विमर्श किया.

इ. भर्ती, पदोन्नति और स्टाफ की संख्या

क. सीधी भर्ती

5.21 वर्ष के दौरान, अधिकारी संवर्ग में कुल 121 व्यक्ति भर्ती किए गए, जिनमें विधि सेवा, राजभाषा और शिष्टाचार एवं सुरक्षा सेवा में से प्रत्येक के लिए तीन-तीन एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग सेवा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 112 अधिकारी थे. इनमें से 74 व्यक्तियों को कृषि अभियांत्रिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई, कंप्यूटर सेवा, विद्युत / सिविल अभियांत्रिकी, वित्त, अर्थशास्त्र और मानव संसाधन विकास में विशेषज्ञता प्राप्त है. नियुक्त किए गए अधिकारियों में से 28, 11 और 32 क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से एवं 11 शारीरिक रूप से विकलांग हैं. दो व्यक्ति (एक अनुसूचित जाति से) और 17 व्यक्ति (3 अनुसूचित जाति से, 4 अनुसूचित जनजाति से और 3 अन्य पिछड़े वर्गों से) क्रमशः ग्रुप 'बी' और 'सी' में भर्ती किए गए.

ख. पदोन्नतियां

5.22 वर्ष के दौरान हुई पदोन्नतियों का विवरण सारणी 5.1 में दिया गया है. इसके अतिरिक्त, आठ (2 अनुसूचित जाति) कर्मचारी अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग में पदोन्नत किए गए और 29, 19 एवं 5 अधिकारी क्रमशः ग्रेड 'सी' से 'डी', 'डी' से 'ई' और 'ई' से 'एफ' में पदोन्नत किए गए.

तालिका 5.1ः वर्ष के दौरान हुई पदोन्नतियां

विवरण	कुल	इनमें से	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ग्रेड ए से बी अधिकारी	83	10	8
ग्रेड बी से सी अधिकारी	65	9	4
लिपिक से अधिकारी संवर्ग	55	16	6

ग. स्टाफ की संख्या

5.23 दिनांक 31 मार्च 2004 को बैंक की कुल स्टाफ संख्या 5.298 थी, जिनमें से 1,309 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के थे (सारणी 5.2).

तालिका 5.2 : स्टाफ की कुल संख्या			
संवर्ग	कुल संख्या	संवर्ग-वार संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ग्रुप 'ए'	2,963	409 (13.80)	190 (6.41)
ग्रुप 'बी'	1,350	152 (11.26)	118 (8.74)
ग्रुप 'सी'	985	325 (32.99)	115 (11.68)
जोड़	**5,298**	**886 (16.72)**	**423 (7.98)**

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ से प्रतिशत दर्शाते हैं.

5.24 बैंक में भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 128 और 82 थी, जो कि कुल स्टाफ संख्या का क्रमशः 2.4 और 1.6 प्रतिशत थी.

प्रशासनिक एवं अन्य मामले

अ. औद्योगिक संबंध

5.25 बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे. आल इण्डिया नाबार्ड आफिसर्स एसोसिएशन, आल इण्डिया नाबार्ड एम्प्लाईज एसोसिएशन और आल इण्डिया नाबार्ड प्रोग्रेसिव एम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशन के साथ आवधिक रूप से विचार-विमर्श किया गया. वरिष्ठ कार्यपालकों और मुख्य लाइजन अधिकारी की आल इण्डिया नाबार्ड प्रोग्रेसिव एम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशन के साथ त्रैमासिक बैठकें प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से आयोजित की गईं.

5.26 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार, कार्य-स्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न रोकने के प्रयोजन से, प्रधान कार्यालय में एक केन्द्रीय शिकायत समिति और 18 क्षेत्रीय शिकायत समितियां गठित की गई हैं. वर्ष के दौरान, उत्तरांचल क्षेत्रीय कार्यालय में एक और क्षेत्रीय शिकायत समिति गठित हो जाने से इनकी कुल संख्या बढ़कर 19 हो गई. इसके अतिरिक्त, नाबार्ड (स्टाफ) नियमावली, 1982 में एक नया नियम शामिल किया गया, जिसमें कार्य-स्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न रोकने के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है.

आ. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय

5.27. संसदीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ने तमिलनाडु क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया और अजा/अजजा के लिए आरक्षण एवं अन्य कल्याणकारी उपायों से संबंधित मामलों पर बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा आल इण्डिया नाबार्ड प्रोग्रेसिव एम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया.

5.28 इन कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गये विभिन्न लाभ निम्नानुसार हैं :

- भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बैंक ने जिन ग्रेडों में आरक्षण उपलब्ध कराना स्वीकार किया है, उन सभी में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों और पदोन्नतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में अजा/अजजा के पक्ष में आरक्षण का कड़ाई से पालन.
- अजा/अजजा के 105 अधिकारियों और 62 लिपिकीय स्टाफ के लाभ के लिए तीन-तीन पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.
- अजा/अजजा/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति एवं प्रणालियों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों, लाइजन अधिकारियों और वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई.
- वर्ष के दौरान, छात्रवृत्ति/पुस्तक अनुदान योजना के अंतर्गत रु.2.26 लाख की राशि अजा/अजजा के कर्मचारियों के आश्रितों में संवितरित की गई. बी. आर. अंबेडकर पुस्तकालय की सात इकाइयों को समाचार पत्रों, टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटरों के साथ पुस्तक अनुदान भी दिया गया.

इ. स्टाफ को अन्य लाभ

5.29 302 कर्मचारियों को कुल रु. 11.93 करोड़ की राशि के आवास ऋण स्वीकृत किए गए. पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत ऋणों को मिलाकर स्वीकृतियों के समक्ष संवितरण रु. 12.45 करोड़ रहा.

5.30 स्टाफ में खेल गतिविधियों और भाईचारे को बढ़ावा देने के प्रयोजन से अखिल भारतीय राष्ट्रीय बैंक स्पोर्ट्स मीट (नाबोत्सव - x) दिसंबर 2003 में कोलकाता में आयोजित किया गया.

ई. सूचना प्रौद्योगिकी

5.31 ऑन-लाइन वित्तीय लेखा प्रणाली विकसित करने के लिए एक साफ्टवेयर प्रोजेक्ट पूर्ण किया गया और उसके प्रयोग के संबंध में सभी लेखा इकाइयों को राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्रदान किया गया. वर्तमान में, व्यवसाय प्रक्रियाओं में कंप्यूटरों का उपयोग अलग-अलग मात्रा में और असमन्वित रूप में किया जाता है. उन्हें समन्वित करने के प्रयोजन से, व्यवसाय विभागों के लिए साफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया जारी है. इससे नीतिगत आयोजना और निर्णय लेने, दोनों के लिए व्यापक डाटाबेस उपलब्ध कराने के अतिरिक्त अनुप्रवर्तन और कंप्यूटर सेवाओं में सुधार आने की आशा है.

उ. सतर्कता

5.32 नाबार्ड ने सतर्कता निगरानी पर पर्याप्त बल देना जारी रखा और 15 क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों का निरोधक सतर्कता निरीक्षण किया. कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए 3 से 8 नवंबर 2003 तक बैंक ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया.

ऊ. कार्यालय परिसर / आवासीय क्वार्टर

5.33 मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय, 14 क्षेत्रीय कार्यालय और लखनऊ स्थित तीन प्रशिक्षण संस्थान - राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान और राष्ट्रीय बैंक प्रशिक्षण केन्द्र, बैंक के अपने स्वामित्व वाले परिसरों में अवस्थित हैं. वर्ष के दौरान तिरुवनंतपुरम् स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के भवन का निर्माण-कार्य पूरा हुआ. गुवाहाटी और लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. जम्मू, ईटानगर, पोर्ट ब्लेयर और श्रीनगर में कार्यालय परिसर के लिए भूखंड खरीद लिए गए हैं और निर्माण-प्रस्ताव का नक्शा तैयार हो रहा है.

5.34 नाबार्ड ने 17 केन्द्रों पर अधिकारियों के लिए अपने आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कर लिया है/क्वार्टर खरीद लिए हैं. अब तक 15 केन्द्रों पर ग्रुप 'बी' स्टाफ के लिए और 13 केन्द्रों पर ग्रुप 'सी' स्टाफ के लिए आवासीय क्वार्टर बनवा/खरीद लिए गए हैं. गुवाहाटी में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण-कार्य प्रगति पर है.

ए. निरीक्षण

5.35 प्रधान कार्यालय ने 14 क्षेत्रीय कार्यालयों का और कोलकाता स्थित आंचलिक लेखा परीक्षा कक्ष द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के 3 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया. वर्ष के दौरान एक विभाग के आंशिक निरीक्षण सहित, प्रधान कार्यालय के 15 विभागों का निरीक्षण किया गया. मासिक लेखापरीक्षा विवरणियों के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों के संगामी लेखापरीक्षा कक्षों की ऑफ-साइट निगरानी भी की गई. वर्ष के दौरान मध्यवर्ती लेखों (विविध अग्रिम और विविध लेनदार) की तिमाही समीक्षा पूरी की गई.

5.36 बैंक के निवेश संबंधी लेनदेनों की तिमाही रिपोर्टें नियमित रूप से रिज़र्व बैंक को भेजी गईं. 5 क्षेत्रीय कार्यालयों, नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की संगामी लेखापरीक्षा का कार्य एक बाहरी एजेंसी, मेसर्स हरिभक्ति एंड कं. को दिया गया.

ऐ. जन संपर्क

5.37 नाबार्ड ने देश के विभिन्न भागों में विविध कृषि और व्यापार प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया. इंडियन एक्सप्रेस समूह ने अपने दो प्रकाशनों, 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'लोकसत्ता' में हर पखवाड़े में एक पृष्ठ कृषि के लिए रखा. बैंक ने ग्रामीण विकास में प्रसार-माध्यमों की भूमिका पर बहस शुरू करने के इरादे से टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन-समूह के साथ मिलकर 'विचार से कार्य तक' विषय पर एक परिसंवाद का आयोजन किया, जिसमें प्रख्यात पत्रकारों, बैंकरों और कृषि वैज्ञानिकों ने अनुभवों और विशेषज्ञता का पारस्परिक आदान-प्रदान किया.

5.38 बैंक की गृह-पत्रिका 'नाबार्ड परिवार' ने एसोसियेशन ऑफ बिज़नेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) द्वारा स्थापित 'मैगजिन ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता. 12 जुलाई 2003 को नाबार्ड ने विकास के सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका पर एक कारपोरेट फिल्म रिलीज़ की. इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के संदेश वाले 10 लाख मेघदूत पोस्टकार्डों से संबंधित कार्य शुरू किया गया.

ओ. कारपोरेट संपर्क कक्ष

5.39 सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में कई परियोजनाओं पर भी काम करते हैं. चूंकि इन संस्थाओं के पास कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र के लिए अपेक्षित मूल क्षमताएं नहीं होतीं, इसलिए नाबार्ड ने एक कारपोरेट संपर्क कक्ष स्थापित किया है जो सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के साथ सहयोग करेगा ताकि गांवों के लोगों के लिए उनके परंपरागत कार्यकलापों के

साथ-साथ वाटरशेड विकास, स्वयं सहायता समूह संवर्धन और आय-अर्जक कार्यों पर बल देते हुए, इन उद्यमों की गतिविधियों को और बेहतर तथा सार्थक बनाया जा सके. कक्ष ने फरवरी 2004 से काम करना शुरू किया और उसे यह अधिदेश दिया गया है कि वह सरकारी उद्यमों के साथ नेटवर्किंग करे और उनके कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यों से अपेक्षित अनुभव प्राप्त करे तथा कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंक के क्रियाशील प्रभाव का विस्तार करने के प्रयास में नाबार्ड के लिए कारोबार के अवसरों का पता लगाए. यह कक्ष,सरकारी क्षेत्र के दो उद्यमों, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. के साथ सहमति-ज्ञापन निष्पादित करने के अंतिम चरणों में है. इसके अतिरिक्त, कक्ष की ओएनजीसी, आईओसी, एनटीपीसी, आरसीएफएल, जीएआईएल और एनएचएआई से भी बातचीत शुरू हो गई है.

औ. हिन्दी को बढ़ावा

5.40 राष्ट्रीय बैंक ने दैनंदिन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास जारी रखे. राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के साथ-साथ हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सरकारी नीति की समीक्षा की गई और उसके कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए.

5.41 भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत तेरह स्टाफ सदस्यों को अपेक्षित प्रशिक्षण दिया गया. नौ आशुलिपिकों को निरंतर आधार पर हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया और 845 स्टाफ सदस्यों को पर्सनल कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण दिया गया. सत्तावन स्टाफ सदस्यों ने बैंक की दूर शिक्षण योजना के अंतर्गत ली गई परीक्षा उत्तीर्ण की.

5.42 क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में समग्र कार्यनिष्पादन के लिए राजभाषा शील्ड 2002-03 मध्य प्रदेश (क्षेत्र 'क'), गुजरात (क्षेत्र 'ख') और आंध्र प्रदेश (क्षेत्र 'ग') को प्रदान की गई. राजस्थान और उत्तर प्रदेश (क्षेत्र 'क'), महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा (क्षेत्र 'ख') और कर्नाटक और तमिलनाडु (क्षेत्र 'ग') क्षेत्रीय कार्यालयों को द्वितीय एवं तृतीय स्थानों के लिए श्रेष्ठता प्रमाणपत्र दिए गए.

5.43 बैंक की हिन्दी गृहपत्रिका 'राष्ट्रीय बैंक सृजना' ने इस वर्ष विभिन्न संस्थाओं से छह पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक, मायाराम सुरजन फाउण्डेशन, रायपुर और एसोसियेशन ऑफ बिज़नेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया शामिल हैं.

5.44 बैंक के वर्तमान और सेवानिवृत्त स्टाफ के लिए 'कृषि और ग्रामीण विकास' विषय पर मौलिक रूप से हिन्दी में पुस्तक-लेखन की एक योजना शुरू की गई. हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्टाफ सदस्यों और उनके परिवारजनों के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं.

5.45 संसदीय राजभाषा समिति ने गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा/निरीक्षण किया. उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), भारत सरकार ने भी प्रधान कार्यालय का दौरा किया. समिति और उप निदेशक ने हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के बैंक के प्रयासों की सराहना की. इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय ने भी छह क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की.

5.46 बैंक की वेबसाइट हिन्दी में डिजाइन की गई और अंग्रेजी वेबसाइट में वार्षिक रिपोर्ट और बैंक के प्रोफाइल को द्विभाषिक रूप में उपलब्ध कराया गया.

गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

द्वितीय तल, 142,सेक्टर 3, त्रिकूटा नगर, जम्मू - 180 012

दूरभाष : 0191 - 2472212, 2472121

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के 31 मार्च 2004 के संलग्न तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों की जांच की है, जिसमें 10 क्षेत्रीय कार्यालयों और राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ के रिटर्न भी शामिल हैं जिनकी हमने लेखा-परीक्षा की है. इन कार्यालयों का चयन हमने बैंक के परामर्श से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा जारी अधिसूचना सं.1/4/2003 - बी.ओ.ए, दिनांक 27 जनवरी 2004 के अनुसार किया गया है. तुलन पत्र एवं लाभ-हानि लेखे में 19 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 2 प्रशिक्षण केंद्रों के रिटर्न भी शामिल हैं जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई. इन जिन कार्यालयों की लेखा परीक्षा नहीं हुई उनके अग्रिम 20.55 प्रतिशत तथा ब्याज पर आय 18.88 प्रतिशत आती है. ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है.

हमने अपना लेखा-परीक्षा कार्य भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया है. इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम लेखा-परीक्षा की योजना और कार्य इस प्रकार करें जिसमें समुचित रूप में यह आश्वासन प्राप्त हो जाता है कि क्या दिए गए वित्तीय विवरण किसी भी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं. लेखा-परीक्षा में धन राशियों के समर्थन में दिए गए साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की जांच, परीक्षण के आधार पर, सम्मिलित होती है. प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ-साथ समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखा-परीक्षा में शामिल होता है. हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा से हमारी राय को उचित आधार प्राप्त होता है.

ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित सीमाओं के तहत हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमने वे सभी सूचनाएं और व्याख्याएं प्राप्त की जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थीं और वे संतोषजनक पायी गयीं;

ख. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखे को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची ''अ'' और अनुसूची ''आ'' के अनुसार तैयार किया गया है ;

ग. प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, उप कार्यालय और प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त रिटर्नों को हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से पर्याप्त पाया गया है;

घ. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें प्रस्तुत की गयी व्याख्याओं के अनुसार :

(i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र पूर्ण और स्पष्ट है और उसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा उसे भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही ढंग से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2004 तक के बैंक के कार्यों की सही और स्पष्ट स्थिति की जानकरी मिल सके ; और

(ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा, 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लाभ का भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही शेष दर्शाता है.

नई दिल्ली, 12 जून 2004

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

अशोक गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता सं.17244

शाखा कार्यालय : डीएमसी (पुराना) सिविल लाइन्स के सामने, लुधियाना - 141 001.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
तुलन पत्र - 31 मार्च 2004 की स्थिति

(रुपए)

क्रम सं.	निधियाँ और देयताएं	अनुसूची	31.03.2004 को	31.03.2003 को
1.	पूँजी नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अंतर्गत		2000,00,00,000	2000,00,00,000
2.	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	1	5290,89,85,487	4319,43,95,813
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	2	13070,00,00,000	12945,00,00,000
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	2	1500,00,00,000	1474,00,00,000
5.	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों से सृजित निधियाँ	3	184,59,22,256	189,44,58,346
6.	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	4	103,54,80,564	127,24,27,948
7.	अन्य निधियाँ	5	510,56,67,247	414,18,20,565
8.	जमाराशियाँ	6	12151,00,42,530	12248,55,98,599
9.	बांड और डिबेंचर	7	11883,32,21,000	8702,18,61,000
10.	उधार	8	7553,66,11,462	6682,76,00,305
11.	चालू देयताएं और प्रावधान	9	1641,01,22,536	968,07,57,495
	जोड़		**55888,60,53,082**	**50070,89,20,071**
	वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं (सुरक्षा)		335,37,18,410	0
	उभयपक्षी वायदों और आकस्मिक देयताओं के अनुसार	17		
	लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ	18		

क्रम सं.	सम्पत्ति और आस्तियाँ	अनुसूची	31.03.2004 को	31.03.2003 को
1.	रोकड़ और बैंक शेष	10	2899,86,40,761	1784,99,67,373
2.	निवेश (लागत पर)	11	2411,87,47,561	1354,99,11,020
3.	अग्रिम	12	48790,26,44,248	45361,40,90,216
4.	अचल आस्तियाँ	13	244,81,50,358	243,78,15,518
5.	अन्य आस्तियाँ	14	1541,78,70,154	1325,71,35,944
	जोड़		**55888,60,53,082**	**50070,89,20,071**
	वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं (सुरक्षा) उभयपक्षों के अनुसार		335,37,18,410	0

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
संलग्न इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
सनदी लेखाकार

पी.एस.एस.आर. सर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली, 12 जून 2004

अशोक गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 17244
नई दिल्ली, 12 जून 2004

रंजना कुमार
अध्यक्ष
नई दिल्ली, 12 जून 2004

वाई.एस.पी.थोरात
प्रबंध निदेशक

एन.एस.सिसोदिया
निदेशक

के.जे.उदेशी
निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रुपए)

क्रम सं.	आय	अनुसूची	31.03.2004 को	31.03.2003 को
1.	ऋण और अग्रिमों प्राप्त ब्याज		3937,97,40,230	3717,41,23,081
2.	ऋण, परिचालनों से ब्याज		309,39,91,020	311,00,78,076
3.	प्राप्त डिस्काउन्ट		0	2,54,98,287
4.	अन्य प्राप्तियाँ (नोट बी-13 अनुसूची 18 देखें)		19,90,35,313	15,43,01,829
	जोड़ 'ए'		**4267,27,66,563**	**4046,40,01,273**

क्रम सं.	व्यय	अनुसूची	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	ब्याज और वित्तीय प्रभार	15	2369,59,90,720	2170,88,58,846
2.	स्थापना और अन्य व्यय	16	354,81,32,615	276,74,55,642
3.	मूल्यह्रास (नोट बी-13 अनुसूची 18 देखें)		30,15,16,049	28,55,70,695
4.	प्रावधान			
	क) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण		51,63,45,574	45,95,59,318
	ख) निवेश की मालियत में मूल्यह्रास (नोट बी-13-II (9) अनुसूची 18 देखें)		65,00,000	0
	जोड़ 'बी'		**2806,84,84,958**	**2522,14,44,501**
5.	**आयकर निर्धारण पूर्व लाभ (ए - बी)**		**1460,42,81,605**	**1524,25,56,772**
6.	क) जोड़ें - आस्थगित कर - आस्ति (समायोजन)		36,40,00,000	13,00,00,000
	ख) घटाएं - आयकर के लिए प्रावधान		375,00,00,000	390,00,00,000
7.	वर्ष के लिए कर निर्धारण के बाद लाभ अधोनीत		**1121,82,81,605**	**1147,25,56,772**

लाभ और हानि विनियोजन लेखा

(रुपए)

क्रम सं.	विनियोजन/आहरण	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	वर्ष का लाभ अधोनीत	1121,82,81,605	1147,25,56,772
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते से नामे किए गए व्यय के समक्ष निधियों से आहरण		
	सहकारिता विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	4,75,95,441	6,01,73,998
	अनुसंधान और विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	6,70,45,830	6,94,52,019
	वाटरशेड विकास निधि (अनुसूची 5 देखें)	2,55,04,226	2,28,16,952
	सूक्ष्म वित्त विकास निधि (अनुसूची 5 देखें)	3,13,15,379	1,58,79,663
	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**1138,97,42,481**	**1164,08,79,404**
2.	निम्नलिखित में अंतरित किया गया		
i.	धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियाँ	600,00,00,000	570,00,00,000
ii.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	124,00,00,000	221,00,00,000
iii.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	25,00,00,000	221,00,00,000
iv.	सहकारिता विकास निधि	4,75,95,442	12,67,81,129
v.	अनुसंधान और विकास निधि	6,70,45,830	12,56,61,588
vi.	सूक्ष्म वित्त विकास निधि	7,05,11,537	1,93,64,478
vii.	विदेशी मुद्रा जोखिम निधि	13,62,29,603	13,62,29,603
viii.	आदिवासी विकास निधि	50,00,00,000	0
ix.	निवेश में उतार-चढ़ाव प्रारक्षित	9,87,71,000	0
x.	प्रारक्षित निधि	297,95,89,069	111,28,42,606
	जोड़	**1138,97,42,481**	**1164,08,79,404**

संलग्न इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

पी.एस.एस.आर. सर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली, 12 जून 2004

अशोक गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.17244
नई दिल्ली, 12 जून 2004

रंजना कुमार
अध्यक्ष
नई दिल्ली, 12 जून 2004

वाई.एस.पी.थोरात
प्रबंध निदेशक

एन.एस.सिसोदिया
निदेशक

के.जे.उदेशी
निदेशक

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 1

(रुपए)

क्रम सं.	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	01.04.2003 को प्रारंभिक शेष	वर्ष में वृद्धि/ समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित	31.03.2004 को शेष
1.	प्रारक्षित निधि	2868,39,28,081	2	297,95,89,069	0	3166,35,17,152
2.	अनुसंधान और विकास निधि	50,00,00,000	0	6,70,45,830	6,70,45,830	50,00,00,000
3.	प्रारक्षित पूँजी	74,80,53,208	0	0	0	74,80,53,208
4.	निवेश में उतार-चढाव प्रारक्षित निधि	103,67,29,000	0	9,87,71,000	0	113,55,00,000
5.	सहकारिता विकास निधि	75,00,00,000	0	4,75,95,442	4,75,95,442	75,00,00,000
6.	मार्जिन राशि हेतु सुलभ ऋण सहायता निधि	10,00,00,000	0	0	0	10,00,00,000
7.	कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्भवन निधि	5,00,00,000	0	0	0	5,00,00,000
8.	विदेशी मुद्रा जोखिम निधि	92,56,85,524	0	13,62,29,603	0	106,19,15,127
9.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	1040,00,00,000	0	600,00,00,000	0	1640,00,00,000
10.	आदिवासी विकास निधि	0	0	50,00,00,000	0	50,00,00,000
	जोड़	**4319,43,95,813**	**2**	**982,92,30,944**	**11,46,41,272**	**5290,89,85,487**
	गत वर्ष	3626,20,05,996	-13,94,99,092	720,15,14,926	12,96,26,017	4319,43,95,813

अनुसूची 2

(रुपए)

क्रम सं.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ	प्रारंभिक शेष 01.04.2003 को	भा.रि.बैंक का अंशदान	लाभ हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2004 को शेष
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	12945,00,00,000	1,00,00,000	124,00,00,000	13070,00,00,000
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1474,00,00,000	1,00,00,000	25,00,00,000	1500,00,00,000
	जोड़	**14419,00,00,000**	**2,00,00,000**	**149,00,00,000**	**14570,00,00,000**
	गत वर्ष	13975,00,00,000	2,00,00,000	442,00,00,000	14419,00,00,000

अनुसूची 3

(रुपए)

क्रम सं.	अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान से सृजित निधियाँ	प्रारंभिक शेष 01-04-2003 को	वर्ष में प्राप्त अनुदान	निधि में जमा ब्याज	वर्ष में व्यय/ संवितरण/ समायोजन	31.03.2004 को शेष
1.	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	34,09,48,974	0	0	0	34,09,48,974
2.	ग्रामीण संवर्द्धन कॉरपस निधि	61,80,70,668	0	0	0	61,80,70,668
3.	ग्रामीण संवर्द्धन कॉरपस निधि पर ब्याज (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	23,46,36,508	0	3,73,41,764	10,20,45,475	16,99,32,797
4.	ऋण और वित्तीय सेवा निधि (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	64,80,05,727	0	3,87,82,342	16,33,367	68,51,54,702
5.	वाटरशेड विकास हेतु केएफडब्ल्यू निधि (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	2,62,02,337	5,95,34,070	9,77,969	6,27,94,103	2,39,20,273
6.	आदिवासी कार्यक्रम हेतु केएफडब्ल्यू - नाबार्ड V निधि *	2,64,94,353	2,99,81,212	0	4,87,16,780	77,58,785
7.	सीईसी - बीएआईएफ परियोजना निधि (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	99,779	12,76,52,905	69,112	12,76,85,739	1,36,057
	जोड़	**189,44,58,346**	**21,71,68,187**	**7,71,71,187**	**34,28,75,464**	**184,59,22,256**
	गत वर्ष	177,08,25,421	31,81,49,619	7,43,16,226	26,88,32,920	189,44,58,346

** प्राप्त अनुदान में नाबार्ड V आदिवासी विशेष कार्यक्रम - गुजरात में अंतरित रु.1,85,34,547/- शामिल है.*

अनुसूची 4

(रुपए)

क्रम सं.	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	प्रारंभिक शेष 01-04-2003 को	वर्ष में प्राप्त अनुदान	जमा ब्याज	व्यय के समक्ष समायोजित	31.03.2004 को अंतिम शेष
अ.						
1.	जीटीजेड बैंकिंग लिंकेज परियोजना	0	1,08,72,170	0	67,75,649	40,96,521
2.	शीत भण्डारगृहों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी	59,45,04,810	11,00,00,000	0	49,02,42,600	21,42,62,210
3.	केएफडब्ल्यू-नाबार्ड -IX आदिवासी कार्यक्रम (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	52,83,890	5,68,50,392	5,03,662	3,83,77,150	2,42,60,794
4.	नाबार्ड - एसडीसी: ग्रामीण वित्त परियोजना में मानव और संस्थागत विकास सहभागिता	76,67,624	5,14,12,526	0	4,86,01,924	1,04,78,226
5.	लघु उद्योगों के तकनीकी उच्चीकरण के लिए ऋण सहबद्ध पूंजी अनुदान	0	3,00,00,000	0	0	3,00,00,000
6.	ग्रामीण गोदामों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी	7,73,44,800	80,86,00,000	0	86,76,22,549	1,83,22,251
7.	फसल उत्पादन के लिए आन फार्म जल प्रबंध	50,42,21,600	0	0	35,84,75,940	14,57,45,660
8.	मिलियन उथले नलकूप कार्यक्रम	4,00,55,265	154,57,00,000	0	111,35,64,180	47,21,91,085
9.	नाबार्ड - V आदिवासी विशेष विकास कार्यक्रम * गुजरात (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	3,81,00,737	0	17,63,188	3,88,34,547	10,29,378
10.	पशु विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0	5,44,40,000	0	0	5,44,40,000
11.	पशु विकास कार्यक्रम - बिहार	0	5,44,40,000	0	0	5,44,40,000
12.	आईजीडब्ल्यूडीपी - आंध्र प्रदेश	0	57,55,993	97,360	26,69,292	31,84,061
	उप-जोड़	126,71,78,726	272,80,71,081	23,64,210	296,51,63,831	103,24,50,186
आ.						
	नाबार्ड एसडीसी एचआईडी परियोजना के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों के लिए अनुदान	52,49,222	5,87,475	0	28,06,319	30,30,378
	जोड़ (अ+आ)	**127,24,27,948**	**272,86,58,556**	**23,64,210**	**296,79,70,150**	**103,54,80,564**
	गत वर्ष	84,89,87,781	264,41,97,709	3,04,405	222,10,61,947	127,24,27,948

इ.		31.03.2004 **को शेष**	31.03.2003 **को शेष**
	एआरडीआर योजना, 1990 के अंतर्गत क्षेग्रा बैंकों/रास बैंकों/राभूवि बैंकों को अनुदान	2695,94,72,596	2696,22,05,549
	घटाएं: एआरडीआर योजना 1990 के अंतर्गत क्षेग्रा बैंकों/रास बैंकों/राभूवि बैंकों को जारी अनुदान	2695,94,72,596	2696,22,05,549
		0	0

* व्यय के समक्ष समायोजित किया गया जिसमें केएफडब्ल्यू - नाबार्ड V आदिवासी विकास निधि (अनुसूची 3) में अंतरित की जा रही धनराशि रु.1,85,34,547/- शामिल है और 'जमा ब्याज' में फुटकर लेनदार - फुटकर जमा में से अंतरित वर्ष 2002-03 का ब्याज रु.7,33,810/- शामिल है.

अनुसूची 5

(रुपए)

क्रम सं.	अन्य निधियाँ	प्रारंभिक शेष 01.04.2003 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	वर्ष के दौरान व्यय/संवितरण	जमा ब्याज	लाभ-हानि विनियोजन में अंतरित	31.03.2004 को शेष
1.	वाटरशेड विकास निधि	264,64,57,011	67,98,07,955	0	2,55,04,226	15,57,27,301	2,55,04,225	343,09,83,816
2.	सूक्ष्म वित्त विकास निधि	100,00,00,000	0	7,05,11,537	3,91,96,158	0	3,13,15,379	100,00,00,000
3.	ब्याज विभेदक निधि (विदेशी मुद्रा जोखिम)	43,54,61,388	17,13,92,224	0	0	0	0	60,68,53,612
4.	ब्याज विभेदक निधि (तावा) (नोट बी-1 अनुसूची 18 देखें)	5,21,01,501	2,38,56,405	0	2,38,62,385	0	0	5,20,95,521
5.	चिकित्सा सहायता निधि	78,00,665	39,16,362	0	82,03,530	6,41,469	0	41,54,966
6	आदिवासी विकास निधि	0	1,15,79,332	0	0	0	0	1,15,79,332
	जोड़	**414,18,20,565**	**89,05,52,278**	**7,05,11,537**	**9,67,66,299**	**15,63,68,770**	**5,68,19,604**	**510,56,67,247**
	गत वर्ष	402,15,72,696	19,03,05,230	1,93,64,478	5,07,25,224	0	3,86,96,615	414,18,20,565

अनुसूची 6

(रुपए)

क्रम सं.	जमाराशियाँ	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	केन्द्र सरकार	2,13,17,000	2,13,17,000
2.	राज्य सरकार	1,55,65,900	2,95,65,900
3.	चाय कंपनियाँ	58,73,59,630	84,24,65,699
4.	वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमा)	12088,58,00,000	12159,22,50,000
	जोड़	**12151,00,42,530**	**12248,55,98,599**

अनुसूची 7

(रुपए)

क्रम सं.	बांड और डिबेंचर	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	एसएलआर बांड	882,30,11,000	960,30,11,000
2.	करमुक्त बांड	1150,00,00,000	1014,85,00,000
3.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर योग्य बांड	3696,80,00,000	2198,80,00,000
4.	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बांड	1803,50,00,000	53,50,00,000
5.	पूँजी अभिलाभ बांड	4350,72,10,000	4474,73,50,000
	जोड़	**11883,32,21,000**	**8702,18,61,000**

अनुसूची 8

(रुपए)

क्रम सं.	उधार	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	केन्द्र सरकार से	563,05,52,547	589,14,72,067
2.	सामान्य ऋण व्यवस्था के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से	4193,59,54,000	5792,07,79,000
3.	कारपोरेट उधार	2500,00,00,000	0
4.	अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से - भारत से बाहर (नोट बी- 6 (क) अनुसूची 18 देखें)	297,01,04,915	301,53,49,238
	जोड़	**7553,66,11,462**	**6682,76,00,305**

अनुसूची 9

(रुपए)

क्रम सं.	चालू देयताएं और प्रावधान	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	ब्याज उपचित लेकिन देय इस समय नहीं		
	क) भारत सरकार से ऋण	20,97,37,761	21,34,66,673
	ख) बांड	428,01,49,564	269,43,96,281
	ग) चाय कंपनियों की जमाराशियाँ	4,18,63,220	8,77,77,189
	घ) केन्द्र और राज्य सरकारों से जमाराशियाँ (एस एल ए)	6,43,682	8,78,253
	ड.) अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से उधार	58,54,132	56,53,780
	च) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	290,13,60,554	264,15,64,095
	छ) वाणिज्य बैंकों से उधार	36,28,767	0
	उप-जोड़	744,32,37,680	564,37,36,271
2.	फुटकर लेनदार (नोट बी-7 अनुसूची 18 देखें)	127,08,41,835	29,71,93,646
3.	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	120,10,37,000	100,97,43,109
4.	पेंशन के लिए प्रावधान (नोट बी-4 अनुसूची 18 देखें)	178,98,28,821	91,72,65,283
5.	साधारण अवकाश के नकदीकरण हेतु प्रावधान	45,13,66,000	38,26,09,000
6.	आवेदन धनराशि-पूँजी अभिलाभ बांड	0	40,00,000
7.	भा.रि.बैंक के पास बांड पर अदावाकृत ब्याज, (नोट बी-5 अनुसूची 18 देखें)	14,95,839	2,68,08,942
8.	बांड पर अदावाकृत ब्याज - अन्य	3,76,72,210	97,13,984
9.	परिपक्व बांड लेकिन अदावाकृत (नोट बी-5 अनुसूची 18 देखें)	185,87,76,000	26,33,30,000
10.	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
	(क) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	200,00,00,000	148,63,57,260
	(ख) निवेशों की मालियत में मूल्यह्रास	65,00,000	0
11.	आय कर के लिए प्रावधान (अदा किए गए कर को छोड़कर)	34,93,67,151	-36,00,00,000
	जोड़	**1641,01,22,536**	**968,07,57,495**

अनुसूची 10

(रुपए)

क्रम सं.	रोकड़ और बैंक शेष	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	हाथ में रोकड़ शेष	54,845	64,862
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष	602,35,64,053	215,08,48,016
3.	भारत में अन्य बैंकों में शेष		
	क) चालू खाते में	317,23,52,026	107,25,15,095
	ख) जमा खाते में	1720,00,00,000	1416,00,00,000
4.	मार्गस्थ प्रेषण	260,26,69,837	46,65,39,400
	जोड़	**2899,86,40,761**	**1784,99,67,373**

अनुसूची 11

(रुपए)

क्रम सं.	निवेश (लागत के अनुसार)	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ *	2270,86,60,56	1248,39,11,020
	अंकित मूल्य रु.20,47,32,60,000		
	(पिछले वर्ष रु.12,26,00,10,000)		
	बाजार मूल्य रु.25,97,67,02,734		
	(पिछले वर्ष रु. 14,27,55,19,406)		
	(नोट बी-7 (ख) अनुसूची 18 देखें)		
2.	एडीएफसी - इक्विटी	15,60,00,000	15,60,00,000
	अंकित मूल्य रु.15,60,00,000		
	(पिछले वर्ष रु.15,60,00,000)		
	(नोट बी-7 (क) अनुसूची 18 देखें)		
3.	एएफसी - इक्विटी	1,00,00,000	1,00,00,000
	अंकित मूल्य रु.1,00,00,000		
	(पिछले वर्ष रु.1,00,00,000)		
4.	एसआईडीबीआई - इक्विटी	30,00,00,000	30,00,00,000
	अंकित मूल्य रु. 10,00,00,000		
	(पिछले वर्ष रु. 10,00,00,000)		
5.	एआईसीआई लि.	60,00,00,000	60,00,00,000
	अंकित मूल्य रु. 60,00,00,000		
	(पिछले वर्ष रु. 60,00,00,000)		
6.	नाबकान्स प्रा.लि.	5,00,00,000	0
	अंकित मूल्य रु. 5,00,00,000		
7.	एनसीडीईएक्स लि.	4,38,90,000	0
	अंकित मूल्य रु. 4,38,90,000		
8.	म्यूचुअल फंड	25,01,96,996	0
	अंकित मूल्य रु. 23,74,03,330		
	जोड़	**2411,87,47,561**	**1354,99,11,020**

** 31.03.2004 को शेष में सीसीआईएल में रेहन रु.10 करोड़ की प्रतिभूतियां (बुक वैल्यू रु.13,02,52,050/-) शामिल है*

अनुसूची 12

(रुपए)

क्रम सं.	अग्रिम	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	पुनर्वित्त ऋण :		
	i. उत्पादन और विपणन ऋण	5597,96,03,835	6053,20,48,440
	ii. उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तन ऋण	633,42,87,054	370,17,83,187
	iii. मध्यावधि निवेश ऋण - गैर परियोजना ऋण	5,21,63,760	9,40,90,320
	iv. अन्य निवेश ऋण :		
	क) मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण (नोट बी-9 अनुसूची 18 देखें)	28075,69,04,921	25400,85,84,282
	ख) दीर्घावधि गैर परियोजना ऋण	459,65,31,994	441,44,55,702
	घ) अंतरिम वित्त	3,46,98,400	14,54,90,600
2.	सीधे ऋण::		
	i. ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत ऋण	14003,59,38,359	13061,89,29,063
	ii. अन्य ऋण	10,61,62,181	9,87,08,622
	iii. सह-वित्तपोषण ऋण	63,53,744	0
	जोड़	**48790,26,44,248**	**45361,40,90,216**

अनुसूची 13

(रुपए)

क्रम सं.	अचल आस्तियाँ	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	**भूमि :** पूर्ण स्वामित्व पर और पट्टे पर (लागत के अनुसार) (नोट बी-10 और 10(क) अनुसूची 18 देखें)		
	गत लेखानुसार	117,98,98,101	108,13,82,238
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-29,64,961	9,85,15,863
		117,69,33,140	117,98,98,101
	घटाएं : लीज प्रिमिया का परिशोधन	19,72,81,744	16,75,19,999
		97,96,51,396	**101,23,78,102**
2.	**परिसर :** (लागत पर)		
	(नोट बी-10 और 10(ा) अनुसूची 18 देखें)		
	गत लेखानुसार	192,76,13,953	190,40,88,189
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	22,71,41,432	2,35,25,764
		215,47,55,385	192,76,13,953
	घटाएं : तिथ्यानुसार मूल्यह्रास	86,90,94,489	75,12,40,799
		128,56,60,896	**117,63,73,154**
3.	**फर्नीचर और जुड़नार** (लागत पर)		
	गत लेखानुसार	47,79,92,423	46,75,89,329
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	3,06,75,659	1,49,44,002
		50,86,68,082	48,25,33,331
	घटाएं : बिकी हुई/बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	50,78,113	45,40,908
		50,35,89,969	47,79,92,423
	घटाएं : तिथ्यानुसार मूल्यह्रास	41,58,40,234	34,84,18,395
		8,77,49,735	**12,95,74,028**
4.	**कम्प्यूटर संस्थापनाएं और कार्यालय उपस्कर** (लागत पर)		
	गत लेखानुसार	50,05,38,046	44,69,61,030
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	5,45,70,956	6,24,80,393
		55,51,09,002	50,94,41,423
	घटाएं : बिकी हुई/बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	2,31,65,961	89,03,377
		53,19,43,041	50,05,38,046
	घटाएं : तिथ्यानुसार मूल्यह्रास	44,43,61,151	38,75,62,800
		8,75,81,890	**11,29,75,246**
5.	**वाहन** (लागत पर)		
	गत लेखानुसार	2,34,60,085	2,29,65,420
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	62,58,474	10,65,740
		2,97,18,559	2,40,31,160
	घटाएं : बिकी हुई/बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	34,86,880	5,71,075
		2,62,31,679	2,34,60,085
	घटाएं : तिथ्यानुसार मूल्यह्रास	1,87,25,238	1,69,45,097
		75,06,441	**65,14,988**
	जोड़	**244,81,50,358**	**243,78,15,518**

अनुसूची 14

(रुपए)

क्रम सं.	अन्य आस्तियाँ	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	उपचित ब्याज	1141,35,01,335	1016,78,27,201
2.	भूस्वामियों के पास जमाराशियाँ	1,03,16,776	95,06,950
3.	सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों में जमाराशियाँ	2,02,28,909	1,98,47,457
4.	स्टाफ को आवास एवं अन्य ऋण	135,76,07,276	130,80,40,153
5.	भूस्वामियों को अग्रिम	15,63,374	0
6.	स्टाफ क्वार्टरों और कार्यालय परिसरों के निर्माण/खरीद हेतु अग्रिम	15,86,08,497	27,43,23,897
7.	फुटकर अग्रिम	25,48,45,489	28,68,90,919
8.	आस्थगित कर परिसंपत्ति (नोट बी - 8 अनुसूची 18 देखें)	153,40,00,000	117,00,00,000
		1475,06,71,656	**1323,64,36,577**
9.	मार्गस्थ चेक (आयकर रिफन्ड)	64,97,36,338	0
10.	भारत सरकार/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से वसूली योग्य व्यय	1,74,62,160	2,06,99,367
	जोड़	**1541,78,70,154**	**1325,71,35,944**

अनुसूची 15

(रुपए)

क्रम सं.		अदा किया गया ब्याज और वित्तीय प्रभार	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	**निम्न मदों पर अदा किया गया ब्याज**			
	i.	केन्द्र सरकार से ऋण	41,43,69,894	58,48,82,805
	ii.	भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए उधार	148,30,61,664	317,85,56,198
	iii.	बांड	802,84,71,234	644,47,47,491
	iv.	केन्द्र और राज्य सरकार से विशेष ऋण जमाराशियाँ	33,75,945	35,61,802
	v.	चाय कंपनियों की जमाराशियाँ	4,35,41,792	8,84,07,205
	vi.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की कमी के अंतर्गत जमाराशियाँ	0	0
	vii.	ग्रेच्युटी और चिकित्सा निधि	8,88,22,753	8,66,85,005
	viii.	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लिए गए उधार	18,27,93,792	18,27,93,788
	ix.	ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत जमाराशियाँ	1278,91,78,324	1088,59,71,039
	x.	ग्रामीण संवर्धन कॉरपस निधि	3,73,41,764	3,86,29,417
	xi.	ऋण और वित्तीय सेवाएं निधि	3,87,82,342	3,49,30,154
	xii.	असफल कुआं योजना	0	21,950
	xiii.	केएफडब्ल्यू-नाबार्ड-IX आदिवासी विकास कार्यक्रम	5,03,662	3,04,405
	xiv.	वाटरशेड विकास निधि	15,57,27,301	13,85,77,781
	xv.	सी ई सी - बी ए आई एफ परियोजना निधि	69,112	41,783
	xvi.	इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आंध्र प्रदेश)	97,360	7,14,872
	xvii.	केएफडब्ल्यू-नाबार्ड-V आदिवासी विकास कार्यक्रम	0	7,33,810
	xviii.	नाबार्ड - V आदिवासी विशेष विकास कार्यक्रम - गुजरात	10,29,378	0
	xix.	वाटरशेड विकास के लिए केएफडब्ल्यू निधि	9,77,969	0
	xx.	भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कारपोरेट उधार	36,71,89,042	0
2.	**स्वाप प्रभार**		2,07,79,170	0
3.	**बांड पर बट्टा, दलाली, कमीशन और जारी करने संबंधी व्यय**		3,98,78,222	3,92,99,341
	जोड़		**2369,59,90,720**	**2170,88,58,846**

अनुसूची 16

(रुपए)

क्रम सं.	स्थापना तथा अन्य व्यय	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	वेतन तथा भत्ते	148,70,86,060	139,76,27,900
2.	स्टाफ अधिवर्षिता निधि में अंशदान (नोट बी-4 अनुसूची 18 देखें)	113,62,36,966	44,60,01,968
3.	निदेशकों और समिति सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा तथा अन्य भत्ते	20,29,021	11,68,781
4.	निदेशकों और समिति सदस्यों का शुल्क	23,500	30,000
5.	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	16,20,65,559	15,84,08,005
6.	यात्रा व्यय	14,68,47,326	13,54,89,151
7.	मुद्रण और लेखन सामग्री	2,32,41,261	2,28,16,745
8.	डाक, तार और टेलीफोन	3,98,50,063	4,30,60,004
9.	मरम्मत कार्य	3,09,10,233	3,66,93,575
10.	लेखा परीक्षा फीस	6,19,580	3,02,400
11.	विधि प्रभार	30,72,165	12,21,927
12.	विविध व्यय	24,45,95,427	25,39,09,875
13.	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय (नोट बी-11 अनुसूची 18 देखें)	16,61,52,300	17,07,79,029
14.	निम्नलिखित के अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों पर व्यय		
	(i) सहकारिता विकास निधि	4,75,95,442	6,01,73,999
	(ii) सूक्ष्मवित्त विकास निधि	3,13,15,379	1,58,79,663
	(iii) वाटरशेड विकास निधि	2,55,04,226	2,28,16,952
15.	सम्पत्ति कर	9,88,107	10,75,668
	जोड़	**354,81,32,615**	**276,74,55,642**

अनुसूची 17

(रुपए)

क्रम सं.	प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक देयताएं	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं के लिए प्रतिबद्धता	12,44,18,800	11,98,52,216
2.	**आकस्मिक देयताएं**		
	परिसरों के निर्माण हेतु अतिरिक्त भुगतान के विवादग्रस्त दावे	65,48,45,000	65,87,61,697

अनुसूची - 18

अ. महत्वपूर्ण लेखानीतियाँ

1. सामान्य

1.1 लागत निर्धारण के परम्परागत तरीकों के अनुसार लेखे तैयार किए गए हैं.

2. आय और व्यय

2.1 आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित को छोड़कर आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

(i) अनुत्पादक आस्तियों पर ब्याज और 180 दिनों से अधिक समय से बकाया सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के मामले में ब्याज की पहचान भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार की गई है.

(ii) ऋण देयताओं की प्राप्ति में विलंब अथवा ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.

(iii) ग्रामीण संवर्धन समूह निधि (आरपीसीएफ), ऋण और वित्तीय सेवा निधि (सीएफएसएफ), कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्‌भवन निधि (एआरआईईएफ) तथा केएफडब्लू-नाबार्ड V आदिवासी कार्यक्रम निधि से दिए गए ऋणों पर सेवा-प्रभार.

(iv) व्यय के एकल शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक स्थान पर खर्च की राशि रु.10,000 से अधिक नहीं है.

2.2 बॉंड जारी करने से संबंधित निर्गम व्यय को बॉंड जारी करने के वर्ष के खर्च के रूप में समझा गया है.

2.3 रिफंड आर्डर के निर्गम की तारीख के आधार पर आय कर रिफंड पर ब्याज माना गया है.

3. स्थिर परिसम्पत्तियाँ और मूल्य ह्रास

3.1 स्थिर परिसम्पत्तियों को लागत के आधार पर बताया गया है.

3.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्‌टाकृत भूमि शामिल हैं.

3.3 परिसर में उस भूमि का मूल्य शामिल है जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है.

3.4 तुलनपत्र की तारीख को धारित सभी स्थिर आस्तियों पर संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मूल्य ह्रास प्रभारित किया गया है भले ही खरीद की तारीख और उसके उपयोग की अवधि कुछ भी क्यों न हो.

3.5 कंप्यूटरों, मोटर वाहनों, कार्यालय उपकरणों, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आदि पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास प्रभारित किया गया है. 31 मार्च 1999 को या उससे पहले प्राप्त परिसम्पत्तियों के मामले में 31 मार्च 1999 को उनके मूल्य ह्रास के बाद के मूल्य को, सीधी रेखा पद्धति के अंतर्गत मूल्य ह्रास दरों को लागू करने के लिए, उनकी मूल लागत माना गया है.

3.6 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित परिसरों पर मूल्य ह्रास को मूल्य-ह्रासित विधि के आधार पर प्रभारित किया गया है.

3.7 पट्‌टाकृत भूमि पर भुगतान किये गये लीज प्रीमियम का परिशोधन और पट्‌टाकृत भूमि पर स्थित परिसरों के सम्बन्ध में मूल्यहास की गणना मूल्य ह्रासित पद्धति के अनुसार 5% की अधिक दर पर करके प्रभारित किया गया अथवा सीधी रेखा पद्धति के आधार पर भूमि की शेष लीज अवधि के प्रीमियम/लागत आधिक्य के परिशोधन से ज्ञात राशि के अनुसार किया गया.

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेश संविभाग वर्गों को आगे तीन श्रेणियों, अर्थात 'परिपक्वता के लिए धारित','बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित', में वर्गीकृत किया गया है. 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के अन्तर्गत निवेश, कुल निवेश के 25% से अधिक नहीं होते हैं. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश के अंकित मूल्य से अधिक नहीं होने की स्थिति में उन्हें अधिग्रहण-लागत पर लगाया जाता है, ऐसे मामले में अंकित मूल्य पर प्रीमियम, यदि कोई हो, तो उसे परिपक्वता तक की शेष बची अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है. 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित' के अंतर्गत निवेशों को निर्धारित अंतराल पर मार्केट पर मार्क किया जाता है. 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत प्रत्येक श्रेणी में निवेशों के लिए केवल निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई हो, दिया गया है, जबकि 'व्यापार के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत निवेशों की प्रत्येक श्रेणी में मूल्य ह्रास या मूल्य वृद्धि को मान्य समझा गया है.

4.2 निवेशों को लागत के आधार पर दिखाया जाता है और यदि उनके मूल्य में कोई ह्रास/घटाव हो तो उसके लिए किए गए प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों में शामिल किया जाता है.

5. ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

5.1 अग्रिमों को मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि वाली परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान किया गया है. इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों और राज्य सरकारों को दिए गए अग्रिमों को मानक परिसम्पत्तियां माना गया है. विवेकसम्मत आधार पर मानक परिसम्पत्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों से अधिक के अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं.

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

6.1 तुलन पत्र की तारीख को कारोबार बंद होने के समय की विनिमय दर के आधार पर विदेशी मुद्रा ऋणों की राशि बताई गई है जबकि जोखिम सुरक्षा करार द्वारा समर्थित विदेशी मुद्रा के उधारों को संविदा कीमत पर लिया गया है.

6.2 'विदेशी मुद्रा जोखिम निधि' की स्थापना बैंक के लाभ में से की गई है ताकि "ब्याज विभेदक निधि-विदेशी मुद्रा जोखिम" में उपलब्ध शेष से अधिक की विदेशी मुद्रा की किसी हानि की उससे भरपाई की जा सके.

7. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान

7.1 बैंक की भविष्य निधि योजना का प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है. इस योजना के अंतर्गत अंशदान का प्रावधान कर उसका भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक को किया जाता है.

7.2 ग्रैच्युटी निधि, बैंक के परिचालनों का एक अभिन्न अंग है और निधि में जमा वार्षिक शेष पर ब्याज का प्रावधान किया जाता है.चालू देयताओं और प्रावधानों में निधि के शेष को दर्शाया गया है.

7.3 उक्त पैरा 7.2, में उल्लिखित ग्रैच्युटी निधि से संबंधित ब्याज के प्रावधान पर विचार करने के बाद बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर यथानिर्धारित देयता के अनुरूप ग्रैच्युटी का प्रावधान किया जाता है लेकिन रिज़र्व बैंक से स्थानांतरित होकर आए कर्मचारियों से संबंधित जो राशि रिज़र्व बैंक द्वारा वहन की जानी है, उसकी कटौती नहीं की जाती. तथापि देय ग्रैच्युटी के लिए जैसे-जैसे रिज़र्व बैंक से राशि प्राप्त होती है, वैसे-वैसे उसे हिसाब में लिया जाता है.

7.4 बैंक के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू है. पेंशन का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों से संबंधित, बैंक की ओर से भविष्य निधि अंशदान की राशि (जो अब पेंशन निधि का अंश है) का प्रबंध रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है. पेंशन के लिए प्रावधान रिज़र्व बैंक में उपर्युक्त बकाया को हिसाब में लेने के बाद बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

7.5 साधारण अवकाश के नकदीकरण के लिए प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

8. कर-व्यय, आस्थगित कर-आस्तियों और आस्थगित कर-देयताओं की पहचान

8.1 संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने के बारे में धारा 36(1)(vii) और दीर्घावधि वित्तपोषण के कारोबार से होने वाले लाभ के लिए धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौतियों सहित कर विधियों के अंतर्गत मिलने वाली सभी कटौतियों और छूटों को हिसाब में लेने के बाद आयकर खर्चों की गणना की जाती है. चालू कर के लिए प्रावधान कर योग्य आय पर कर की प्रयोज्य दरों के आधार पर किया जाता है. लेखा वर्ष की समाप्ति तक हुए सभी प्रकार के समयांतरों और जिनके आगे की लेखा अवधियों में प्रत्यावर्तित होने की आशा है, के लिए आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं की गणना की जाती है. इनकी गणना कर की दरों और पारित कानूनों अथवा बाद में तुलन पत्र की तारीख तक पारित किए जाने वालू कानूनों के आधार पर की जाती है.

आ. लेखा के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. तावा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना करार के अनुसार राष्ट्रीय बैंक को दिए गए ऋणों पर भारत सरकार द्वारा 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जाता है, जिसमें से 4.5 प्रतिशत 'विभेदक ब्याज निधि' में लेखाबद्ध किया गया है, जिसका उपयोग कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए किया गया है और शेष 2 प्रतिशत का भुगतान भारत सरकार को किया गया है.

2. सीएफएसएफ, आरपीसीएफ, वाटरशेड विकास के लिए केएफडब्ल्यू निधि, सीईसी -बायफ परियोजना के अंतर्गत निधियों, केएफडब्ल्यू नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी - आंध्र प्रदेश, नाबार्ड V आदिवासी विशेष विकास कार्यक्रम (गुजरात) और केएफडब्ल्यू नाबार्ड IX आदिवासी विकास कार्यक्रम की अप्रयुक्त शेष राशियों पर वर्ष 2003-04 के लिए 6.00 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज को संबंधित निधियों में जमा किया गया है.

3. कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990, के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिये जाने वाले अनुदान और राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए ऋण/ अनुदानों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त होने वाली निधियों के संवितरण के लिए बैंक एक चैनल के रूप पर काम कर रहा था.

4. 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी पेंशन निधि की शेष राशि के विवरणों के अभाव में (महत्वपूर्ण लेखा नीति पैरा 7.4 देखें), धनराशि की अनुमानित आधार पर गणना करते हुए ऐसी आकलित राशि को ध्यान में रखते हुए पेंशन के लिए प्रावधान किया गया है.

5 (क) बैंक द्वारा जारी बाँडों का प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है, उनके संग्रहण और शोधन का लेखांकन भारतीय रिज़र्व से 30 सितंबर 2003 तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया गया है.

(ख) 01 अक्तूबर 2003 से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बांडों के मोचन और ब्याज अदायगी के प्रयोजन से संबंधित चालू चाते को फ्रीज कर दिया है. इसके पश्चात इन बांडों की सर्विसिंग का कार्य नाबार्ड ने अपने हाथ में ले लिया. ''बांड्स परिपक्व हो गया किंतु दावा नहीं किया गया'' के कारण देय बकाया शेष तथा दावा नहीं किए गए ब्याज को 01 अक्तूबर 2003 से आगे नाबार्ड द्वारा किए गए भुगतानों के बिना दिखाया गया है.

6 (क) वर्ष के दौरान, केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 58.80 मिलियन यूरों के उधार और उसके ब्याज को प्रति यूरो रु.50.505 और रु.50.55 के बीच की दर से 10 वर्षों की अवधि के लिए करेंसी एसडब्ल्यूएपी (स्वैप) करार में शामिल कर सुरक्षित कर लिया गया है. फलतः केएफडब्ल्यू की उधारी से संबंधित देयता को सिर्फ संविदा मूल्य के रूप में दर्शाया गया है. वायदा दर और विनिमय दर के बीच के जिस अंतर पर बही में उधारियों का मूल्यांकन किया गया था उसकी राशि रु.15.33 करोड़ थी और उसे ब्याज विभेदक निधि (विदेशी मुद्रा जोखिम) में जमा किया गया है क्योंकि पूर्व के वर्षों में उक्त ऋण के पुनर्मूल्यांकन के कारण विनिमय हानि को संबंधित लेखे में डेबिट किया गया है.

(ख) जोखिम सुरक्षा संविदा को ''तुलनपत्र से पृथक'' मद के रूप में बताया गया है और वह राशि स्वैप करार की संविदा मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है. वर्ष के अंत में विनिमय दर पर मूल बकाया देयता की राशि रु.312.51 करोड़ है.

7. संड्री क्रेडिटर्स में सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुद्धार की योजना के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त रु.100 करोड़ की राशि शामिल है. भारत सरकार से योजना के आवश्यक ब्यौरे / परिचालनगत प्रक्रिया प्राप्त होने तक इस राशि को संड्री क्रेडिटर्स - भारत सरकार से प्रेषण में रखा गया है.

(क) आईसीएआई के लेखा मानक 13 और विवेक के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास वित्त कंपनियों के शेयरों में निवेश को ''परिपक्वता हेतु धारित'' की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और निवेशकर्ताओं के शेयरों के ब्रेक-अप मूल्य के आधार पर रु.65 लाख के मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

(ख) श्रेणी-वार तरीके से मूल्य में मूल्यह्रास की पहचान करने के लिए वर्ष की समाप्ति पर एएफएस निवेश के मूल्य को मार्केट के लिए चिह्नित कर दिया गया है. दूसरी ओर, व्यापार के लिए रखे गए निवेश में मूल्यह्रास अथवा उसके मूल्य में वृद्धि को मासिक आधार पर बही में दर्ज किया गया है.

8. आयकर के लिए प्रावधान

कर आस्तियों और देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

9. विभिन्न राज्य भूमि विकास बैंकों/भूमि बंधक बैंकों द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों में अभिदान के रूप में बैंक ने भुगतान किए और इन्हें "अग्रिम-अन्य-निवेश-ऋण - मध्यावधि - और दीर्घावधि परियोजना ऋण" के अंतर्गत शामिल किया गया है. आबंटन पत्रों / डिबेंचर रसीदों के मूल्य की राशि जो अभी प्राप्त होनी है, वह उक्त तारीख को रु.219.85 करोड़ (रु.711.40 करोड़) है.

10 (क) ''भूमि और परिसर'' के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए रु.46.96 करोड़ (रु.40.13 करोड़) की कुल राशि का भुगतान शामिल है जिनके संबंध में कतिपय प्रक्रियागत विलंब के कारण अभी तक राष्ट्रीय बैंक के पक्ष में स्वामित्व हस्तांतरण विलेख / अन्य कानूनी दस्तावेज निष्पादित नहीं किए गए है.

(ख) रु.24.99 करोड़ (रु.18.37 करोड़) लागत की ''भूमि और परिसर'' के संबंध में विक्रेताओं के साथ कानूनी विवादों का निपटारा न होने के कारण उनका स्वामित्व हस्तांतरण अभी लंबित है.

11. अध्ययन और प्रशिक्षण व्यय में शामिल रु.2.59 करोड़ (रु.3.165 करोड़) क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, बोलपुर और मंगलूर के स्थापना व्ययों और परिचालन व्ययों से संबंधित हैं जोकि वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं.

12. अधिकारियों के निवास की फर्निशिंग के लिए अग्रिम (एफआरएसओ) पर वर्ष के दौरान वसूल की गई रु.1.686 करोड़ की राशि (जिसमें 31 मार्च 2003 तक वसूल रु.1.426 करोड़ और वर्ष 2003-04 के दौरान वसूल रु.0.26 करोड़ शामिल हैं), को आय के रूप में समझा गया और उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है; इसे अब तक संड्री क्रेडिटर्स खाते में जमा किया जाता था और उसे तुलन पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाता था.

(रु.करोड़)

क्रम सं	आस्थगित कर आस्तियों के कारण	01 अप्रैल 2003 की स्थिति	वर्ष के दौरान डेबिट/ क्रेडिट	31 मार्च 2004 की स्थिति
i	बही में दर्ज सेवानिवृत्ति लाभो के लिए प्रावधान किंतु अदायगी के आधार पर कर प्रयोजन के लिए अनुमतियोग्य	85.00	38.46	123.46
ii	स्थिर आस्तियों पर मूल्य-ह्रास	32.00	-2.06	29.94
	योग	**117.00**	**36.40**	**153.40**

13. लाभ-हानि खाते में शामिल की गईं पहले की अवधि की मदें निम्नानुसार हैं :

(रु.करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2003-04	2002-03
1	मूल्य ह्रास	1.87	2.95
2	अन्य प्राप्तियाँ	1.43	0.11
3	अन्य व्यय	-	0.72

14. 31 मार्च 2004 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के मुकाबले 39.41 प्रतिशत था.

15. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते में राशियों को निकटतम पूर्णांकित रुपये में दर्शाया गया है.

16. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं.

17. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र (दिनांक 10 जुलाई 2003 का संसं.डीबीएस. एफआईडी. सी-2/01.02.00/2003-04) के अनुसरण में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना दी गई है :-

I. पूंजी

(क) कैपिटल टू रिस्क - वेटेड एसेट रेशियो (सी आर ए आर)

(प्रतिशत)

विवरण	31 मार्च 2003	31 मार्च 2002
सी आर ए आर	39.41	39.05
कोर सी आर ए आर	37.77	37.80
अनुपूरक सी आर ए आर	1.64	1.25

(ख)

(रु.करोड़)

विवरण	31 मार्च 2004	31 मार्च 2003
ली गई और बकाया सबॉर्डिनेटेड ऋण राशी	शून्य	शून्य

(ग) रिस्क वेटेड एसेट

(रु.करोड़)

विवरण	31 मार्च 2004	31 मार्च 2003
ऑन - बैलेंस शीट मदें	19087.02	16521.72
ऑफ - बैलेंस शीट मदें	77.92	77.86

(घ) तुलन पत्र की तारीख को पूंजी अंशदान की पद्धति

(रु.करोड़)

अभिदाता	31 मार्च 2004	31 मार्च 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक	1,450	1,450
भारत सरकार	550	550
जोड़	**2,000**	**2,000**

II. आस्तियों की गुणवत्ता और ऋण सघनता (स्टाफ अग्रिमों को छोड़कर)

ङ.

विवरण	31 मार्च 2004	31 मार्च 2003
शुद्ध ऋणों और अग्रिमों से शुद्ध अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत	0.0014%	0.0017%

(च) आस्तियों का वर्गीकरण

	2003-04		2002-03	
वर्गीकरण	रु. करोड़	प्रतिशत	रु.करोड़	प्रतिशत
मानक	48,789.46	99.99836	45,359.80	99.9965
उप-मानक	0.78	0.00160	0.85	0.00188
संदिग्ध	0.02	0.00004	0.11	0.00024
हानि	0.00	0.00000	0.65	0.00143
जोड़	**48790.26**	**100.00**	**45361.41**	**100.00**

(छ) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान :

(रु.करोड़)

निम्नलिखित के लिए	2003-04	2002-03
मानक आस्तियाँ	51.36	45.98
अनुत्पादक अग्रिम	0.27*	-0.02
निवेश	0.65	0.00
आयकर	375.00	390.00
जोड़	**427.28**	**435.96**

** स्टाफ के अग्रिम के समक्ष रु.0.26 करोड़ का एनपीए प्रावधान शामिल है.*

(ज) **अनुत्पादक आस्तियों में परिवर्तन :**

(रु.करोड़)

विवरण	2003-04	2002-03
वर्ष के प्रारंभ में अनुत्पादक आस्तियाँ	1.61	0.93
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	0.01	0.84
उप-जोड़	1.62	1.77
घटाएं : वर्ष के दौरान आई कमी	0.82	0.16
वर्ष की समाप्ति पर अनुत्पादक आस्तियाँ	0.80	1.61

(झ) **ऋण एक्स्पोजर की पूँजी निधियों से प्रतिशतता और कुल आस्तियों से प्रतिशतता :**

		2003-04		2002-03	
		ऋण एक्स्पोजर की प्रतिशतता		ऋण एक्स्पोजर की प्रतिशतता	
क्रम सं	वर्ग	पूँजी निधियों से	कुल आस्तियों से	पूँजी आस्तियों से	कुल आस्तियों से
I	सबसे बड़ा एकल ऋणकर्ता	41.60	5.43	52.48	6.59
II	सबसे बड़ा ऋणकर्ता समूह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
III	दस सबसे बड़े एकल ऋणकर्ता				
1	उ.प्र राज्य भूमि विकास बैंक	41.60	5.43	49.22	6.18
2	आंध्रप्रदेश सहकारी बैंक	39.43	5.14	52.48	6.59
3	आई सी आई सी आई बैंक	26.86	3.50	8.87	1.11
4	पंजाब राज्य सहकारी बैंक	25.03	3.26	14.33	1.80
5	हरियाणा रा.भू.वि.बैंक	22.33	2.91	25.28	3.18
6	पंजाब रा.भू.वि. बैंक	21.58	2.81	24.30	3.05
7	आंध्रप्रदेश राज्य सरकार	20.16	2.63	30.04	3.77
8	मध्यप्रदेश राज्य सरकार	18.88	2.46	17.41	2.19
9	उत्तरप्रदेश राज्य सरकार	18.73	2.44	24.20	3.04
10	तमिलनाडु राज्य सरकार	17.93	2.34	19.69	2.47
IV	दस सबसे बड़े ऋणकर्ता समूह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ञ) **कुल ऋण आस्तियों से पाँच सबसे बड़े उद्योग समूहों को ऋण एक्स्पोजर की प्रतिशतता - लागू नहीं .**

III. तरलता

(i) **रुपयों में आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप :**

(ii) **विदेशी मुद्रा में आस्तियों और देयताओं का स्वरूप :**

(रु.करोड़)

मद	1 वर्ष से कम अथवा उसके बराबर	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	जोड़#
आस्तियाँ रुपए में	17259.75	15642.84	11200.86	6394.96	5189.55	55687.96
आस्तियाँ विदेशी मुद्रा में	0	0	0	0	0	0
कुल आस्तियाँ	17259.75	15642.84	11200.86	6394.96	5189.55	55687.96
देयताएं रुपए में	9818.80	9044.94	9328.91	3147.39	24050.91	55390.95
देयताएं विदेशी मुद्रा में	0.00	2.58	11.62	19.70	263.11	297.01
कुल देयताएं	**9818.80**	**9047.52**	**9340.53**	**3167.09**	**24314.02**	**55687.96**

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान तथा साथ ही निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के समक्ष प्रावधान, जिन्हें तुलनपत्र में देयताओं के रूप में दर्शाया गया है, को उक्त तालिका में आस्तियों से घटाया गया है.

IV. परिचालन परिणाम :

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2004 की स्थिति	31 मार्च 2003 की स्थिति
1	प्राप्त ब्याज आय का कार्यशील निधियों से प्रतिशत	8.02	8.45
2	गैर-ब्याज आय का कार्यशील निधियों से प्रतिशत	0.11	0.10
3	परिचालन लाभ का कार्यशील निधियों से प्रतिशत	3.61	3.96
4	आस्तियों पर आय (प्रतिशत)	2.78	3.22
5	प्रति कर्मचारी लाभ (रु.करोड़)	0.28	0.29

V. प्रावधानों में परिवर्तन

(क) अनुत्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान

(रु.करोड़)

क्रम सं.		विवरण	2003-04	2002-03
i)		वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	0.86	0.89
	जोड़ें	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.01	0.11
	घटाएं	बेशी प्रावधानों को बट्टे खाते डालना, वापस लेना	0.77	0.14
ii)		वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष	0.10	0.86

(ख) निवेशों में ह्रास हेतु प्रावधान

(रु.करोड़)

क्रम सं.		विवरण	2003-04
1		वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	शून्य
2	जोड़ें		
	i)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.65
	ii)	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष	शून्य
3		उप जोड़ (1+2(i)+2(ii)	0.65
4	घटाएं		
	i)	वर्ष के दौरान अपलिखित	शून्य
	ii)	निवेश उतार-चढ़ाव, प्रारक्षण खाते को अंतरण, यदि कोई हो	शून्य
5		वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (3-4(i)-4(ii)	0.65

VI. पुनर्गठित लेखे

वर्ष के दौरान किसी भी ऋण का पुनर्गठन नहीं हुआ है.

VII. वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप

जैसा कि दिनांक 07 जुलाई 1999 के भा.रि.बैंक के परिपत्र सं.एमपीडी.बीसी.187/07.01.279/1999-2000 द्वारा अनुमति दी गई है, वर्ष के दौरान कोई भी वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप नहीं किया गया.

VIII. ब्याज दर डिरायवेटिव्स

वर्ष के दौरान कोई भी ब्याज दर डिरायवेटिव्स लेन-देन नहीं किया गया.

IX. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

(रु.करोड़)

पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि	बकाया राशि
भारतीय रिज़र्व बैंक	नाबार्ड की पूंजी में 72.50% स्वामित्व	उधार (चुकौती को छोड़कर)	(1598.48)	4193.60
		उधार पर ब्याज	148.31	
		नाबार्ड द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियों में प्राप्त अंशदान	2.00	
		बांडों का रखरखाव शुल्क	0.06	
भारत सरकार	नाबार्ड की पूंजी में 27.50% स्वामित्व	उधार (चुकौती को छोड़कर)	(26.06)	565.19
		उधार पर ब्याज	41.58	21.01
		गारंटी शुल्क	5.41	
एडीएफटी, चेन्नै	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 52.10%	ऋण (चुकौती को छोड़कर)	0.00	0.00
		ऋण पर ब्याज	0.00	0.00
एबीएफएल, हैदराबाद	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 47.82%	ऋण (चुकौती को छोड़कर)	(0.89)	1.36
		ऋण पर ब्याज	0.17	0.02
केएडीएफसी, बंगलूर	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 82.41%	कोई लेन-देन नहीं	0.00	0.00
नाबार्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्रा.लि.	संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	नाबार्ड द्वारा खर्च की गई राशि	0.57	0.38
श्री योगेश नंदा	प्रमुख प्रबंध कार्मिक - 30 जून 2003 तक अध्यक्ष	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.012	
श्रीमती रंजना कुमार	प्रमुख प्रबंध कार्मिक - 21 नवंबर 2003 से अध्यक्ष	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.023	
श्री वाई.एस.पी. थोरात	प्रमुख प्रबंध कार्मिक - 17 मार्च 2004 से प्रबंध निदेशक	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.002	

X. व्यवसाय खंडों के संबंध में सूचना

क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि :

बैंक के मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नवत् हैं :

i) सीधा वित्तपोषण : ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास हेतु राज्य सरकारों को दिया गया ऋण और स्वैच्छिक एजेन्सियों/गैर-सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिया गया ऋण इस खंड में शामिल है.

ii) पुनर्वित्त : राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि को उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को वितरित ऋणों हेतु पुनर्वित्त के रूप में प्रदत्त ऋण और अग्रिम.

iii) ट्रेजरी : कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, अल्पावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के अंतर्गत निधियों का निवेश.

iv) अनाबंटित : इस खंड में स्टाफ को दिए गए ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका के

लिए किए गए व्यय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों को शामिल किया गया है.

भौगोलिक चयनित द्वितीयक व्यवसाय खंड के तहत निम्नलिखित राज्यों में कारोबार भी शामिल है.

i) दक्षिणी अंचल : कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, मंगलूर.

ii) पूर्वी अंचल : त्रिपुरा, मिज़ोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, बोलपुर, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय.

iii) उत्तरी अंचल : मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, बिहार, नई दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और उत्तरांचल.

iv) पश्चिमी अंचल : गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और प्रधान कार्यालय, मुंबई.

ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

(रु.करोड़)

क्रम सं.	खंड	बाहरी ग्राहकों से खंड राजस्व	खंड परिणाम	खंड आस्ति	खंड देयताएं
1	सीधा वित्त	1,510.93	201.95	14,147.46	12,828.18
2	पुनर्वित्त	2,427.75	1,232.90	35,660.19	#20,492.95
3	ट्रेजरी	309.40	306.58	2,487.74	0.00
4	अनाबंटित	19.19	-281.00	3,593.21	505.92
	जोड़	**4,267.27**	**1,460.43**	**55,888.60**	**33,827.05**

 # जहां बाहरी देनदारियां नहीं हैं, वहां राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधियों का शेष भी सम्मिलित हैं.

ग) द्वितीयक व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

(रु.करोड़)

क्रम सं.	भौगोलिक खंड	बाहरी ग्राहकों से प्राप्त खंड राजस्व	खंड आस्तियां
1	पूर्वी अंचल	440.35	5,606.69
2	उत्तरी अंचल	1,739.75	23,031.99
3	दक्षिणी अंचल	1,241.08	15,552.60
4	पश्चिमी अंचल	846.09	11,697.32
	जोड़	**4,267.27**	**55,888.60**

18. जहां भी आवश्यकता हुई है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत और पुनःव्यवस्थित किया गया है.

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

पी.एस.एस.आर. सर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली, 12 जून 2004

अशोक गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.17244
नई दिल्ली, 12 जून 2004

रंजना कुमार
अध्यक्ष

वाई.एस.पी.थोरात
प्रबंध निदेशक

एन.एस.सिसोदिया
निदेशक

के.जे.उदेशी
निदेशक

नई दिल्ली, 12 जून 2004

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं इसकी सहायक संस्थाओं का समेकित तुलन-पत्र और नकदी प्रवाह

अ. लेखा-परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संलग्न नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है जो 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लेखा-परीक्षित विवरणों से समेकित व उनके आधार पर है. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार इसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करार के खंड 31 के अनुसार तैयार किया गया है.

नई दिल्ली, 12 जून 2004

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

अशोक गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता सं.17244

आ. लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हम रिपोर्ट देते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस 21), समेकित वित्तीय विवरण, की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड कंसल्टेन्सी सर्विसेस प्रा.लि., एग्री बिजनेस फायनैंस (ए पी) लि., कर्नाटक एग्री डेवलेपमेंट फायनैंस कंपनी लि.के अलग-अलग लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और एग्री डेवलपमेंट फायनैंस (तमिलनाडु) लि. के गैर-लेखा परीक्षित विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है.

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और राष्ट्रीय बैंक और इसकी तीन सहयोगी संस्थाओं के अलग-अलग लेखा परीक्षित विवरणों और इसकी एक सहायक संस्था के गैर-लेखा परीक्षित विवरणों पर विचार करने के बाद हमारी राय है कि :

क. समेकित तुलन पत्र राष्ट्रीय बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के समेकित कार्यों की 31 मार्च 2004 को सत्य और निष्पक्ष स्थिति प्रदर्शित करता है.

ख. समेकित लाभ-हानि लेखा राष्ट्रीय बैंक और इसकी चार सहायक संस्थाओं के 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के कार्यों के समेकित परिणामों की सत्य और निष्पक्ष स्थिति प्रदर्शित करता है.

नई दिल्ली, 12 जून 2004

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

अशोक गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता सं.17244

इ. लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संलग्न नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है जिसे राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड कंसल्टेन्सी सर्विसेस प्रा.लि., एग्री बिजनेस फायनैंस (ए पी) लि., कर्नाटक एग्री डेवलेपमेंट फायनैंस कंपनी लि.के अलग-अलग लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और एग्री डेवलपमेंट फायनैंस (तमिलनाडु) लि. के गैर-लेखा परीक्षित विवरणों के आधार पर समेकित किया गया है. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार इससे सत्य और निष्पक्ष स्थिति का पता चलता है.

नई दिल्ली, 12 जून 2004

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

अशोक गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता सं.17244

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन पत्र - 31 मार्च 2004 की स्थिति

देयताएं	रुपए
पूंजी	2000,00,00,000
प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां	5292,51,52,370
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	13070,00,00,000
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1500,00,00,000
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों से सृजित निधियां	184,59,22,255
उपहार, अनुदान और दान	103,54,80,565
अन्य निधियां	510,56,67,247
माइनॉरिटी ब्याज	11,90,26,649
जमाराशियां	12151,00,42,530
बांड और डिबेंचर	11883,32,21,000
उधार	7553,66,11,462
चालू देयताएं और प्रावधान	1646,32,50,354
कुल देयताएं	55907,43,74,432

आस्तियां	रुपए
रोकड़ और बैंक शेष	2918,91,10,319
निवेश (लागत पर)	2391,27,47,561
अग्रिम	48807,87,43,285
अचल आस्तियां	244,91,17,668
अन्य आस्तियां	1544,20,51,846
विविध खर्च जिसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया	26,03,753
कुल आस्तियां	55907,43,74,432

संलग्न इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

पी.एस.एस.आर. सर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली, 12 जून 2004

अशोक गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.17244
नई दिल्ली, 12 जून 2004

रंजना कुमार
अध्यक्ष
नई दिल्ली, 12 जून 2004

वाई.एस.पी.थोरात
प्रबंध निदेशक

एन.एस.सिसोदिया
निदेशक

के.जे.उदेशी
निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(रुपए)

विवरण	**31 मार्च 2004**
आय :	
ऋण और अग्रिम पर प्राप्त ब्याज	3939,22,56,149
निवेश परिचालनों से आय	309,84,22,450
अन्य प्राप्तियां	20,29,80,127
कुल आय	4269,36,58,726
व्यय :	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	2369,98,23,841
स्थापना और अन्य व्यय	355,74,58,952
मूल्यह्‌ ास	30,17,50,099
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	53,29,16,129
निवेश में मूल्यह्रास	65,00,000
बट्टे खाते डाले गए प्राथमिक खर्चे	3,56,418
कुल व्यय	2809,88,05,439
आयकर निर्धारण पूर्व लाभ	1459,48,53,286
आयकर के लिए प्रावधान	375,16,21,328
आस्थगित कर आस्ति समायोजन	36,70,15,116
आयकर पश्चात् लाभ	1121,02,47,074
हानि में सहायक संस्थाओं की हिस्सा जो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आरोप्य है	(49,51,117)
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	1121,51,98,191

विनियोजन :

(रुपए)

उपर्युक्तानुसार विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	1121,51,98,191
जोड़े : लाभ और हानि खाते में नामे किए गए व्यय के समक्ष विभिन्न निधियों से आहरण	17,14,60,876
विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ	1138,66,59,068
निम्नलिखित में अंतरित किया गया :	
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	600,00,00,000
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	124,00,00,000
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	25,00,00,000
सहकारिता विकास निधि	4,75,95,441
अनुसंधान और विकास निधि	6,70,45,830
सूक्ष्म वित्त विकास निधि	7,05,11,537
विदेशी मुद्रा जोखिम निधि	13,62,29,603
आदिवासी विकास निधि	50,00,00,000
निवेश में उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	9,87,71,000
प्रारक्षित निधि	297,65,05,656
	1138,66,59,068

समेकित लेखों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियां

1. समेकन स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करार के अनुसार किया गया है.
2. एग्री डेवलप्मेंट फायनैंस (तमिलनाडु) लि.नामक सहायक संस्था के वित्तीय विवरण, गैर-लेखा परीक्षित हैं.
3. सहायक संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है :

सहायक संस्था का नाम	**निगमन का देश**	**स्वामित्व में हिस्सेदारी**
एग्री डेवलपमेंट फायनैंस (तमिलनाडु) लि.	भारत	52.10
एग्री बिजनेस फायनैंस (ए पी) लि.	भारत	47.82
कर्नाटक एग्री डेवलपमेंट फायनैंस कंपनी लि.	भारत	82.40
नाबार्ड कंसल्टेन्सी प्रा.लि.	भारत	100.00

4. एग्री डेवलपमेंट फायनैंस (तमिलनाडु) लि. और एग्री बिजनेस फायनैंस (ए पी) लि. ने स्थाई आस्तियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में निर्धारित दरों पर रिटेन डाउन वेल्यू (डब्ल्यू डी वी) प्रणाली के अनुसार मूल्य ह्रास का प्रावधान किया है. जबकि कर्नाटक एग्री डेवलपमेंट फायनैंस लि. ने स्थाई आस्तियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में निर्धारित दरों पर सीधी मूल्य ह्रास प्रणाली के अनुसार आनुपातिक आधार पर मूल्य ह्रास का प्रावधान किया है. इस प्रकार राष्ट्रीय बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में मूल्य ह्रास हेतु अपनाई गई लेखाबंदी नीति इसकी सहायक संस्थाओं द्वारा मूल्य ह्रास के लिए अपनाई गई लेखाबंदी नीति से भिन्न है. अतः समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कुल रु.30.17 करोड़ के मूल्य ह्रास में से उस राशि की 0.08% राशि का निर्धारण कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv में निर्धारित दरों पर डब्लयू डी वी / सीधी मूल्य ह्रास प्रणाली को अपनाने से आनेवाले मूल्य ह्रास के आधार पर किया गया है.

संलग्न इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

पी.एस.एस.आर. सर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली, 12 जून 2004

अशोक गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.17244
नई दिल्ली, 12 जून 2004

रंजना कुमार
अध्यक्ष
नई दिल्ली, 12 जून 2004

वाई.एस.पी.थोरात
प्रबंध निदेशक

एन.एस.सिसोदिया
निदेशक

के.जे.उदेशी
निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 **मार्च** 2004 **को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण**

(रुपए)

विवरण		31.03.2004	31.03.2003
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		1460,42,81,605	1524,25,56,772
निम्न के लिए समायोजन :			
मूल्यह्रास		30,15,16,049	28,55,70,695
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज		23,51,70,357	21,44,18,660
अन्य व्यय		17,14,60,876	16,83,22,633
निवेश से आय		-215,55,57,388	-157,32,72,071
विभिन्न निधियों से व्यय		-357,90,72,789	-284,84,41,815
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनगत लाभ		957,77,98,710	1148,91,54,874
निवल परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में समायोजन :			
चालू आस्तियां		-478,71,67,087	-1003,22,82,410
चालू देयताएं		601,99,97,890	54,26,13,369
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी		1081,06,29,513	199,94,85,833
आयकर का भुगतान		-304,06,32,849	-448,00,00,000
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(अ)	776,99,96,664	-248,05,14,167
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
निवेशों से आय		215,55,57,388	157,32,72,071
स्थाई आस्तियों का क्रय		-31,18,50,887	-19,69,69,451
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश		-1047,49,46,541	3,12,71,630
शेयरों के क्रय		-9,38,90,000	-60,00,00,000
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/से सृजित निवल नकदी	(आ)	-872,51,30,040	80,75,74,250
(ग) वित्तपोषित गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
प्राप्त अनुदान/अंशदान		385,71,12,830	303,28,54,528
बांडों से प्राप्ति		3181,13,60,000	2623,79,70,000
उधार में वृद्धि / कमी		870,90,11,157	-899,51,44,654
जमा में वृद्धि / कमी		-97,55,56,068	2413,72,39,526
ऋण और अग्रिम में वृद्धि		-3433,81,21,155	-4310,56,04,526
वित्तपोषित गतिविधियों से निवल नकदी का सृजन	(इ)	906,38,06,764	130,73,14,874
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ) + (आ) + (इ)		810,86,73,388	-36,56,25,043
अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		368,99,67,373	405,55,92,416
अवधि की समाप्ति में नकदी और नकदी समकक्ष		1179,86,40,761	368,99,67,373

संलग्न इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

पी.एस.एस.आर. सर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली, 12 जून 2004

अशोक गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.17244
नई दिल्ली, 12 जून 2004

रंजना कुमार
अध्यक्ष
नई दिल्ली, 12 जून 2004

वाई.एस.पी.थोरात
प्रबंध निदेशक

एन.एस.सिसोदिया
निदेशक

के.जे.उदेशी
निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए)

विवरण		31 मार्च 2004
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		1459,48,53,286
मूल्यह्रास		30,17,50,099
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज		23,51,70,357
अन्य व्यय		17,22,00,926
विभिन्न निधियों से व्यय		-357,90,72,789
निवेश से आय		-215,55,57,388
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनगत लाभ		956,93,44,491
निवल परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में समायोजन :		
चालू आस्तियां		-483,69,73,099
चालू देयताएं		601,54,87,438
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी		1074,78,58,830
आयकर का भुगतान		-304,19,48,564
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(अ)**	770,59,10,266
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेशों से आय		215,55,57,388
स्थाई आस्तियों का क्रय		-31,18,53,307
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश		-1047,49,46,541
शेयरों के क्रय		-4,38,89,000
प्राथमिक व्यय		-19,18,162
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई निवल नकदी	(आ)	-867,70,49,622
(ग) वित्तपोषित गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/अंशदान		385,71,12,830
बांडों से प्राप्ति		3181,13,60,000
उधार में वृद्धि		870,00,25,635
जमाओं में कमी		-98,02,73,648
ऋण और अग्रिम में वृद्धि		-3430,77,95,736
वित्तपोषित गतिविधियों से निवल नकदी का सृजन	(इ)	908,04,29,081
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ) + (आ) + (इ)		810,92,89,725
अवधि के प्रारंभ में नकदी और सकदी समकक्ष		369,02,00,593
अवधि की समाप्ति में नकदी और नकदी समकक्ष		1179,94,90,318

संलग्न इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

पी.एस.एस.आर. सर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली, 12 जून 2004

अशोक गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.17244
नई दिल्ली, 12 जून 2004

रंजना कुमार	वाई.एस.पी.थोरात	एन.एस.सिसोदिया	के.जे.उदेशी
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक	निदेशक	निदेशक
नई दिल्ली, 12 जून 2004			

प्रमुख अधिकारी

कार्यपालक निदेशक

(31 मार्च 2004 की स्थिति)

डॉ.करमाकर के.जी.

मित्रा एस.के.

आचार्य एस.एस.

बालकृष्णन आर.

अमरेश कुमार

प्रमुख तकनीकी सलाहकार

डॉ.शर्मा एम.आर.

मुख्य महाप्रबंधक
(ग्रामीण विकास बैंकिंग सेवा)

बेहरा पी.एल.

डॉ.बक्षी पी.

सप्रा वाई.एल (उत्तर प्रदेश)

श्योकंद एस.एम.*

कृष्णमूर्ति आर. (रा.बैं.स्टा.म.वि., लखनऊ)

गोरे डी.बी.

अब्दुल करीम एस. (उड़ीसा)

राघवुलु के.वी.

मेहता एस.एम.

डॉ.राव कृष्णकुमार टी.आर. (पश्चिम बंगाल)

राव रामकृष्ण वी. (राजस्थान)

रामनाथन ए. (पंजाब एवं हरियाणा)

गुप्ता वाई.एन.

सिंह सुखबीर

मोहनन एम.पी.

भदौरिया वी.एस. (महाराष्ट्र)

वशिष्ठ एस.सी. (बिहार)

सर्मा पी.एस.एस.आर.

मदन मोहन

पुरी भवर (गुजरात)

गर्ग ए.के.

प्रभाकरा एस.

सारंगल जे.आर. (आंध्र प्रदेश)

साहा एन.सी. (हिमाचल प्रदेश)

श्रीनिवासन एन.

महान्ति बी.बी. (कर्नाटक)

भास्करन आर.

माथुर ए.के. (मध्य प्रदेश)

पटनायक सी.आर. (तमिल नाडु)

नारायण मूर्ति एच.

शेखावत बी.एस. (केरल)

मेनन जी.एस.

प्रताप कुमार (जम्मू एवं कश्मीर)

अलुरु एस.आर.

* मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नैबकॉन्स

मुख्य महाप्रबंधक
(तकनीकी / आर्थिक सेवा)

काणे पी.वी. (आर्थिक)

डॉ.बंदोपाध्याय ए.के. (आर्थिक) (असम)

डॉ.चेलम जी.वी. (तकनीकी)@

डॉ.हाजरा एस.के. (तकनीकी)

@ ए डी एफ (तमिलनाडु), चेन्नै में प्रतिनियुक्ति पर

क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों के प्रभारी महाप्रबंधक

राठौड एस.जी. (आरटीसी, मंगलूर)

दास पी. (आरटीसी, बोलपुर)

मोहाराना टी. (नई दिल्ली)

पंडा डी.पी. (छत्तीसगढ़)

अकबर एस. (उत्तरांचल)

श्रीवास्तव ए.के. (झारखंड)

क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-कार्यालय/श्रीनगर कक्ष के प्रभारी उप महाप्रबंधक

हेब्बार जी.वी. (मिज़ोरम)

मुखोपाध्याय ए.के.(गोवा)

येंबेम एस.एस. (मणिपुर)

नायर रामचन्द्रन के. (सिक्किम)

डॉ.संगवान एस.एस. (अरुणाचल प्रदेश)

शांडिल्य ए.पी. (मेघालय)

डेरे एस.आर. (त्रिपुरा)

काली ओ. (पोर्ट ब्लेयर, उप-कार्यालय)

वाधवा रमेश चन्द्र (नागालैंड)

शफ़ीक तारिक़ (श्रीनगर कक्ष)

क्षेत्रीय कार्यालय/उप कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान

क्षेत्रीय कार्यालय

आंध्र प्रदेश
1-1-61, आर.टी.सी क्रॉस रोड
पो.बॉ.सं.1863, मुशीराबाद
हैदराबाद - 500 020
टेली. सं. : (040) 27611088
फैक्स सं. : (040) 27611829
ई-मेल : nabhyd@hd2.vsnl.net.in

अरुणाचल प्रदेश
ताली काम्प्लेक्स, वी आई पी रोड
बैंक तिनाली, पो.बॉ.सं.133
इटानगर - 791 111, अरुणाचल प्रदेश
टेली. सं. : (0360) 2212675
फैक्स सं. : (0360) 2212675
ई-मेल : nabardita@sanchar.net.in

असम
लक्ष्मी भवन, डॉ.जे.सी.दास रोड
पानबज़ार, पो.बॉ.सं.81
गुवाहाटी - 781 001
टेली. सं. : (0361) 2513102
फैक्स सं. : (0361) 2541131
ई-मेल : nabghy@sancharnet.in

बिहार
मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लाक बी
4थी और 5वीं मंजिल, डाक बंगला रोड
पो.बॉ.सं.178
पटना - 800 001
टेली. सं. : (0612) 2210870
फैक्स सं. : (0612) 2238424
ई-मेल : nabpat@sancharnet.in

छत्तीसगढ़
पिट्टालिया काम्प्लेक्स
ट्रंक एक्सचेंज के सामने
के.के.रोड, फाफाडीह चौक
रायपुर - 492 009
टेली. सं. : (0771) 2522558
फैक्स सं. : (0771) 2692455
ई-मेल : nabrpr@hclinfinet.com

गोवा
302, निज़ारी भवन
मिनेजीस ब्रगॅन्जा रोड
पणजी - 403 001, गोवा
टेली. सं. : (0832) 2420504
फैक्स सं. : (0832) 2223429
ई-मेल : nabpnj@sancharnet.in

गुजरात
नाबार्ड टॉवर
म्युनिसिपल गार्डन के सामने
उसमानपुरा, पो.बॉ.सं.8
अहमदाबाद - 380 013
टेली. सं. : (079) 27552257
फैक्स सं. : (079) 27551584
ई-मेल : nabahm@icenet.net

हिमाचल प्रदेश
नाबार्ड भवन
ब्लाक नं.32
एसडीए कमर्शियल काम्प्लेक्स
देव नगर, कुसुम्पटी, शिमला-171 009
टेली. सं. : (0177) 2624424
फैक्स सं. : (0177) 2622271
ई-मेल : nabsim17@sancharnet.in

जम्मू और कश्मीर
एफ 1794 शास्त्री नगर एक्स्टेंशन
पो.बॉ.सं.2
जम्मू - 180 004
टेली. सं. : (0191) 2432524
फैक्स सं. : (0191) 2435280
ई-मेल : nabjam@sancharnet.in

झारखंड
गौतम हाऊस
कालीबाबू स्ट्रीट, अपर बाज़ार
रांची - 834 001
टेली. सं. : (0651) 2209634
फैक्स सं. : (0651) 2209107
ई-मेल : rch_nabran@sancharnet.in

कर्नाटक
113/1, जीवन प्रकाश एनेक्सी बिल्डिंग
जे.सी.रोड, पो.बॉ.सं.29
बेंगलूर - 560 002
टेली. सं. : (080) 2225241
फैक्स सं. : (080) 2222148
ई-मेल : nabbng@ngl.vsnl.net.in

केरल
पुन्नेन रोड, स्टेच्यू
पो.बॉ.सं.5613
तिरुवनंतपुरम - 695 039
टेली. सं. : (0471) 2323859
फैक्स सं. : (0471) 2324859
ई-मेल : nabtvm@md3.vsnl.net.in

मध्य प्रदेश
ई-5, अरेरा कालोनी
बिट्टन मार्केट, पी.ओ.रविशंकर नगर
पो.बॉ.सं.513, भोपाल - 462 016
टेली. सं. : (0755) 2466695
फैक्स सं. : (0755) 2466188
ई-मेल : nabbpl@sancharnet.in

महाराष्ट्र
54, वेलेस्ली रोड
शिवाजी नगर, पो.बॉ.सं.5
पुणे - 411 005
टेली. सं. : (020) 25511083
फैक्स सं. : (020) 25512250
ई-मेल : nabpun@vsnl.com
nabpun@pn2.vsnl.net.in

मणिपुर
89/686 लालंबंग
रिम्स रोड, लाम्फेलपट
इम्फाल - 795 004, मणिपुर
टेली. सं. : (0385) 2312191
फैक्स सं. : (0385) 2312191
ई-मेल : nbimphal4@sancharnet.in

मेघालय
दीपू कॉटेज, अपर लैशुमेयर
शिलांग - 793 001
टेली. सं. : (0364) 2501518
फैक्स सं. : (0364) 2227463
ई-मेल : nabsh@shillong.meg.nic.in

मिजोरम
रामलुन रोड (उत्तर)
बंकावन
ऑयजाल - 796 012, मिजोरम
टेली. सं. : (0389) 2340815
फैक्स सं. : (0389) 2340815
ई-मेल : nabaiz@sancharnet.in

नागालैंड
नागालैंड स्टेट को-ऑप. बैंक भवन
चौथी मंजिल, पश्चिम विंग
खेरमहल, सर्कुलर रोड
दीमापुर - 797 112
टेली. सं. : (03862) 227040,
235600, 235601
फैक्स सं. : (03862) 207040
ई-मेल : nabdin@rediffmail.com

नई दिल्ली
24, राजेन्द्र प्लेस
नई दिल्ली- 110 018
टेली. सं. : (011) 51539353
फैक्स सं. : (011) 51539185
ई-मेल : nabndl@del3.vsnl.net.in
nabndl@now-india.net.in

उड़ीसा
अंकुर
2/1 नयापल्ली सिविक सेंटर
पो.बॉ.सं.179
भुवनेश्वर - 751 015
टेली. सं. : (0674) 2557132
फैक्स सं. : (0674) 2552019
ई-मेल : nabbhu@sancharnet.in

पंजाब और हरियाणा
प्लॉट नं.3, सेक्टर 34-ए
पो.बॉ.सं.7
चंडीगढ़ - 160 022
टेली. सं. : (0172) 2665591
फैक्स सं. : (0172) 2665863
ई-मेल : nabard1@sancharnet.in

राजस्थान
3, नेहरू प्लेस, टोंक रोड
पोस्ट बैग सं.104
जयपुर - 302 015
टेली. सं. : (0141) 2743215
फैक्स सं. : (0141) 2742161
ई-मेल : nabjpr@sancharnet.in

सिक्किम
ओम निवास
चर्च रोड
पो.बॉ.सं.46
गान्तोक - 737 101
टेली. सं. : (03592) 224173
फैक्स सं. : (03592) 223015
ई-मेल : slg_nabgtk@sancharnet.in

तमिलनाडु
48, महात्मा गांधी रोड
पो.बॉ.सं.6074, नुंगमबक्कम
चेन्नै - 600 034
टेली. सं. : (044) 28276986
फैक्स सं. : (044) 28275732
ई-मेल : nabchn@md3.vsnl.net.in

त्रिपुरा
पैलेस कंपाउंड (पूर्व)
उज़ीरबाड़ी रोड, पो.बॉ.सं.9
त्रिपुरा - 799 001, अगरतला
टेली. सं. : (0381) 2224125
फैक्स सं. : (0381) 2224125
ई-मेल : nabagtro@sancharnet.in

उत्तरांचल
होटल सनराइज बिल्डिंग
2री मंजिल, 113/2, राजपुर रोड
देहरादून - 248001
टेली. सं. : (0135) 2748612
फैक्स सं. : (0135) 2748610
ई-मेल : nabddn@sancharnet.in

उत्तर प्रदेश
कॉमर्स हाउस, हबीबुल्ला एस्टेट
11, एम.जी.मार्ग, पो.बॉ.सं.364
हज़रतगंज, लखनऊ - 226 001
टेली. सं. : (0522) 2211591
फैक्स सं. : (0522) 2281599
ई-मेल : nablkn@sancharnet.in

पश्चिम बंगाल
अभिलाषा, II फ्लोर
6, रॉयड स्ट्रीट, पो.बॉ.सं.9083
कोलकाता - 700 016
टेली. सं. : (033) 22294672
फैक्स सं. : (033) 22494507
ई-मेल : nabcal@cal.vsnl.net.in

उप कार्यालय / कक्ष

पोर्ट ब्लेयर
कन्नड संघ बिल्डिंग
तल मंजिल, 18, टेगोर रोड
पोर्ट ब्लेयर - 744 103
टेली. सं. : (03192) 233308
फैक्स सं. : (03192) 233308
ई-मेल : nabpbl@sancharnet.in

श्रीनगर कक्ष
65, गोगजी बाग
श्रीनगर - 190 010
टेली. सं. : (0194) 2310280
फैक्स सं. : (0194) 2310280

प्रशिक्षण संस्थान

बोलपुर
बोलपुर लाज
क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय
एलआईसी कार्यालय के पास, स्कूल बागान
बोलपुर - 731 204, पश्चिम बंगाल
टेली. सं. : (03463) 252812
फैक्स सं. : (03463) 252295
ई-मेल : ksh_nabbol@sancharnet.in
ksh_nabprbol@sancharnet.in

लखनऊ
राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय
सेक्टर 'एच', एलडीए कालोनी
कानपुर रोड
लखनऊ - 226 012
टेली. सं. : (0522) 2421072
फैक्स सं. : (0522) 2421035
ई-मेल : nbsc@sancharnet.in

लखनऊ
बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान*
सेक्टर एच, एलडीए कालोनी
कानपुर रोड
लखनऊ - 226 012
टेली. सं. : (0522) 2436548
फैक्स सं. : (0522) 2436850
ई-मेल : bird@sancharnet.in

हैदराबाद
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र
10-1-128, मसब टैंक
हैदराबाद - 500 028
टेली. सं. : (040) 23375006
ई-मेल : nabhyd@hd2.vsnl.net

लखनऊ
राष्ट्रीय बैंक प्रशिक्षण केन्द्र
सेक्टर डी/एस, सीतापुर रोड
मण्डी समिति के सामने, अलीगंज
लखनऊ - 226 020
टेली. सं. : (0522) 2329501
फैक्स सं. : (0522) 2281599
ई-मेल : nbsc@sancharnet.in

मंगलूर
क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय
मंजूश्री बिल्डिंग, दूसरी मंजिल
नव भारत सर्कल
पोस्ट बॉक्स सं.762, कोड़ियालबैल
मंगलूर - 575 003
टेली. सं. : (0824) 2495927
फैक्स सं. : (0824) 2492049
ई-मेल : nabrtcm@sancharnet.in

* राष्ट्रीय बैंक द्वारा संवर्धित एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी समिति